

औद्योगिक नीतियाँ एवं परिपत्र संग्रह

INDUSTRIAL POLICIES & COMPENDIUM



बिहार सरकार

उद्योग मित्र

उद्योग विभाग, बिहार

इंदिरा भवन, भूतल, रामचरित्र सिंह पथ, पटना-1

प्रकाशक : उद्योग मित्र,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

प्रकाशन वर्ष : जुलाई, 2011

मुद्रक : वातायन, अयोध्या अपार्टमेंट, फ्रेजर रोड
पटना- 800 001
दूरभाष : 0612-2222920

विषय सूची

9

13.	औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011 के अन्तर्गत इकाइयों को वाणिज्यकर / वैट संबंधी प्रोत्साहन दिये जाने के संबंध में	57-58
14.	VAT Pass Book का Format	59
15.	विद्यमान औद्योगिक इकाइयों को उनके विस्तार अथवा विशाखन कार्यक्रम पर प्रोत्साहन	60-61
16.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र के रुग्ण उद्योगों का पुनर्वास, उन्हें जीवनक्षम बनाने हेतु उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन	62-63
17.	वृहद क्षेत्र के रुग्ण उद्योगों के पुनर्वास हेतु प्रधान सचिव उद्योग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन	64-65
18.	Industrial Incentive Policy, Bihar-2006	69-81
19.	Industrial Policy-1995	85-99
20.	Industrial Incentive Policy-1993	103-125
21.	Industrial Incentive Policy-1986	129-142
22.	सामग्री खरीद अधिमानता नीति 2002 (संशोधित अप्रैल 2007 तक)	145-153
23.	राज्य सरकार द्वारा यू.पी.भी.सी. पाईपों/रिब्ड स्क्रीन पाईपों एवं पंपों का क्रय केवल राज्य के भीतर अवस्थित स्थानीय औद्योगिक इकाइयों से करने हेतु सामग्रियों को चिन्हित किए जाने के संबंध में	154-163
24.	औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क में छूट दिए जाने संबंधी प्रपत्र एवं प्रक्रिया का निर्धारण	164-169
25.	औद्योगिक इकाइयों को देय कैपिटिव पावर प्लांट/डीजल जेनरेटिंग सेट स्थापना हेतु अनुदान का प्रपत्र	170-172
26.	लघु औद्योगिक इकाइयों को नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत देय कैपिटिव पावर प्लांट/डीजल जेनरेटिंग सेट की स्थापना हेतु अनुदान	173-176
27.	वृहत एवं मध्यम प्रक्षेत्र औद्योगिक इकाइयों को नई औद्योगिक नीति-2006 के अन्तर्गत कैपिटिव पावर प्लांट/डीजल जेनरेटिंग सेट की स्थापना हेतु देय अनुदान के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन	177-180
28.	राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 के तहत उद्यमियों को दी जाने वाली विद्युत संबंधी सुविधाओं के संबंध में	181-182
29.	औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों को वाणिज्य कर/वैट संबंधी प्रोत्साहन देने के संबंध में दिशा-निर्देश	183-185
30.	वैट अधिनियम 2006 के अनुसूची 2 के भाग (iv), (ix) एवं (xi) के अन्तर्गत लघु, वृहत एवं मध्यम उद्योगों को वैट के अन्तर्गत जमा की गयी राशि की प्रतिपूर्ति करने के संबंध में	186-188
31.	औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों को वाणिज्य कर/वैट संबंधी प्रोत्साहन दिये जाने के संबंध में	189-190

32.	औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 के कंडिका-2 (IX) के विषम परिस्थितियों में कार्यरत इकाइयों के संबंध को स्पष्ट करने के संबंध में	191-192
33.	औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 (चीनी एवं गन्ना उद्योग) को स्पष्ट करने के संबंध में	193
34.	जन निजी भागीदारी (Public Private Partnership) के माध्यम से आधारभूत संरचना परियोजनाओं हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति	194-196
35.	औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2006 की कंडिका 2 (viii) (ग) के आलोक में औद्योगिक संस्थागत आधारभूत संरचना विकास परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि के उपयोग में परिवर्तन की स्थिति में सम्पत्तिवर्तन (कन्वर्जन) शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दिये जाने के संबंध में	197-203
36.	औद्योगिक सांख्यिकी हेतु राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन	204-205
37.	सूक्ष्म, लघु, उद्यम फैसिलिटेशन कॉन्सिल (MSMFC) नियमावली 2006	206-209
38.	सूक्ष्म, लघु, उद्यम फैसिलिटेशन कॉन्सिल नियमावली 2007 के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन	210-211
39.	सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के पुनर्वास एवं उससे संबंधित या अनुषंगी विषयों के लिए प्रावधान करने तथा उन्हें विनियमित करने के लिए अधिनियम	212-214
40.	लघु क्षेत्रों के रुग्ण उद्योगों को पुनर्वास, उन्हें जीवनक्षम बनाने हेतु राज्यस्तरीय समिति का गठन	215-216
41.	राज्य के रुग्ण उद्योगों का पुनर्वास, उन्हें जीवनक्षम बनाने हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन	217
42.	वृहत एवं मध्यम प्रक्षेत्र के रुग्ण एवं बंद इकाइयों के पुनर्वास हेतु उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति का गठन	218-219
43.	वृहत एवं मध्यम क्षेत्र के रुग्ण एवं बंद इकाइयों के पुनर्वास हेतु सचिव उद्योग की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय समिति का गठन	220-221
44.	पुरानी औद्योगिक इकाइयों को उनके विस्तार अथवा विशाखन कार्यक्रम पर प्रोत्साहन देने की प्रक्रिया	222-223
45.	बिहार राज्य में निजी क्षेत्र में नये तकनीकी संस्थानों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन नीति	224-226
46.	राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु निवेश प्रोत्साहन एवं निवेश संबंधी प्रस्तावों पर विचार करने हेतु 'राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद' का गठन	227-231
47.	उद्योग विभाग की अधिसूचना- SIPB का गाइडलाइन्स एवं प्रपत्र	232
48.	राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) का प्रपत्र	233-237
49.	बिहार सिंगल विण्डो क्लियरेन्स अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत धारा 3 के अनुरूप कार्यान्वयन हेतु जिला समितियों का गठन	238-239
50.	बिहार सिंगल विण्डो क्लियरेन्स अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समितियों का आर्थिक दायरा	240-243
51.	आर्थिक प्रयोजन हेतु निर्मित सुषव पर शुल्क अधिरोपन के संबंध में	244
52.	कृषि विभाग की अधिसूचना संख्या 1001 दिनांक 10.03.2010 के जैव एवं कार्बनिक उर्वरकों के लिए निर्धारित शुल्क	245

53.	उर्वरक निरीक्षक एवं जैव उर्वरक तथा कार्बनिक उर्वरक निरीक्षक के लिए योग्यता का निर्धारण	246
54.	कृषि विभाग की अधिसूचना संख्या 268 उ. को./कृ. दिनांक 30.10.2009 के द्वारा राज्य उर्वरक समिति का गठन	247-251
55.	कोयला आधारित इकाइयों के संबंध में विभिन्न न्यायादेशों के आलोक में विधि विभाग से प्राप्त मंतव्य	252-254
56.	कोयला आधारित इकाइयों /व्यावसायियों को सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में	255-256
57.	कोयला वितरण नीति के तहत Non Core Sector हेतु राज्य एवं जिला स्तरीय समिति का गठन	257-258
58.	सरकार के सभी विभागों/निगमों/प्राधिकारों/पार्षदों तथा स्वायत्त संस्थानों में हस्तकरघा प्रक्षेत्र में उत्पादित सामग्रियों का क्रय अनिवार्य रूप से करने के संबंध में	259
59.	राज्य के हस्तकरघा बुनकर क्लस्टर के विकास के संबंध में IL & FS द्वारा समर्पित बिजनेस प्लान में निहित अनुशंसाओं संबंधित परियोजना पर सैद्धान्तिक स्वीकृति	260-261
60.	राज्य के जूट प्रक्षेत्र के विकास के संबंध में परियोजना पर सैद्धान्तिक स्वीकृति	262
61.	बुनकरों की समस्या के समाधान हेतु प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता में क्रियान्वयन समिति का गठन	263-264
62.	आरा मिलों की वरीयता निर्धारण संबंधी निर्गत संकल्प	265-269
63.	उद्योग विभाग से मान्यता प्राप्त तकनीकी परामर्शी संस्थानों की सूची	272-274
64.	बिहार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की संवर्द्धन नीति-2011	275-284

नीतीश कुमार

मुख्यमंत्री

बिहार

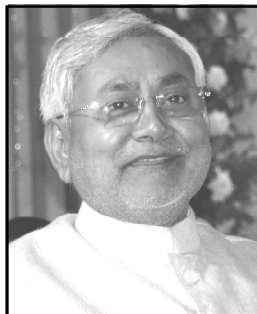


1, अणे मार्ग, पटना-800 001

दूरभाष- 0612-2215886 (का.)

2215784 (का.)

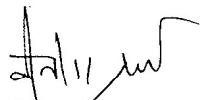
2222079 (आ.)



संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि उद्योग विभाग के “उद्योग मित्र” द्वारा उद्यमियों के सहायतार्थ औद्योगिक कम्पेडियम-2011 प्रकाशित किया जा रहा है। इस कम्पेडियम में एकत्रित सूचनायें एवं परिपत्र आदि से उद्यमियों को उद्योग लगाने के क्रम में काफी सहायता मिलेगी।

“उद्योग मित्र” द्वारा इस औद्योगिक कम्पेडियम-2011 के प्रकाशन हेतु किया गया प्रयास काफी सराहनीय है।


(नीतीश कुमार)

डॉ. रेणु कुमारी कुशवाहा
मंत्री
उद्योग एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
बिहार



आवास :
16, बेली रोड, पटना- 800 001
दूरभाष- 2215430 (का.) 2285569 (आ.)
मोबाईल- 9955995505, 9473199290



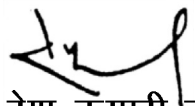
संदेश

मुझे यह जानकारी प्रसन्नता हो रही है कि उद्योग विभाग का एक सक्रिय कार्यालय “उद्योग मित्र” इंदिरा भवन, पटना द्वारा उद्यमियों के सहायतार्थ औद्योगिक कम्पेडियम- 2011 प्रकाशित किया जा रहा है। वर्तमान सरकार के दूसरी बार गठन के उपरान्त राज्य में औद्योगिक विकास का और अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। राज्य में पूंजी निवेश के लिए उद्यमियों के कई प्रस्ताव आ रहे हैं। अन्य प्रक्षेत्रों के अलावे खाद्य प्रसंस्करण के प्रक्षेत्र में उद्यमियों का अधिक झुकाव है। आनेवाले समय में राज्य में औद्योगिकरण की गति निश्चित रूप से तीव्र होगी।

उद्यमियों को उद्योग लगाने के क्रम में जिन-जिन विभागों के परिपत्र आदि की आवश्यकता पड़ती है उन सभी को इसमें समावेष्टित किया गया है।

इसके प्रकाशन हेतु उद्योग मित्र के पदाधिकारी एवं कर्मों द्वारा किया गया प्रयास काफी सराहनीय है।

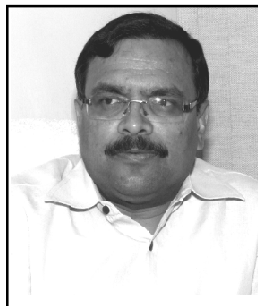
मैं इस कम्पेडियम के सफल प्रकाशन हेतु अपनी हार्दिक शुभकामनायें प्रेषित करती हूँ।


(डा० रेणु कुमारी कुशवाहा)

सी. के. मिश्रा
भा.प्र.से.
प्रधान सचिव



उद्योग विभाग,
विकास भवन, द्वितीय तल,
बेली रोड, पटना-15
दूरभाष- 0612-2215211(का.)



प्रस्तावना

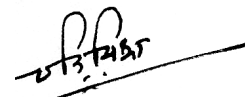
यह औद्योगिक कम्पेडियम राज्य एवं राज्य के बाहर के उद्यमियों के लिए काफी उपयोगी एवं सहायक होगा। उद्यमियों को नई औद्योगिक इकाई स्थापित करने के क्रम में जितने प्रकार के परिपत्र/अधिसूचनाओं आदि की आवश्यकता पड़ती है, लगभग सभी जानकारी इसमें समाहित है।

राज्य की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत मिलने वाली सुविधाओं को इसमें सन्निहित किया गया है। औद्योगिक इकाई स्थापना हेतु राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB), भूमि निबंधन पर छूट, विद्युत पर अनुदान, वैट प्रतिपूर्ति एवं कृषि विभाग से संबंधित परिपत्र एवं प्रक्रिया आदि इसमें उपलब्ध कराई गई है।

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है फलतः यहाँ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की काफी संभावनाएँ हैं। इसी क्रम में नई खाद्य प्रसंस्करण नीति-2008 लागू की गयी है। इसके तहत उद्यमियों को विशेष सुविधा एवं अनुदान आदि दिया जा रहा है। यह औद्योगिक कम्पेडियम एक संकलन मात्र है जो सूचना के लिए है। इसका कानूनी संदर्भ में उपयोग नहीं किया जा सकता है।

इस कम्पेडियम के प्रकाशन में उद्योग मित्र के सभी पदाधिकारी एवं कर्मों का प्रयास काफी सराहनीय है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कम्पेडियम राज्य के औद्योगिक विकास एवं पूंजी निवेश में काफी सहायक एवं उपयोगी सिद्ध होगा।


(सी० के० मिश्रा)

विमलानन्द झा

भा.प्र.से.

उद्योग निदेशक

बिहार, पटना



उद्योग विभाग,

विकास भवन, द्वितीय तल,

बेली रोड, पटना-15

दूरभाष- 0612-2235812 (का.)



संदेश

मुझे यह जानकर हर्ष हो रहा है कि उद्योग मित्र, उद्योग विभाग द्वारा उद्यमियों के सहायतार्थ औद्योगिक कम्पेडियम का प्रकाशन किया जा रहा है। इस कम्पेडियम में उद्यमियों को इकाई स्थापित करने के क्रम में जिन-जिन विभागों से वास्ता पड़ता है उन सभी विभागों के परिपत्र एवं प्रक्रियाओं आदि की जानकारी इसमें समाहित की गयी है। साथ ही समय-समय पर उद्योग विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा उद्यमियों के सहायतार्थ जो अधिसूचनायें निर्गत की जाती हैं उसे भी कम्पेडियम में समावेशित किया गया है। यह कम्पेडियम वास्तव में उद्यमियों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा।

इसके प्रकाशन में उद्योग मित्र के पदाधिकारी एवं कर्मी द्वारा काफी परिश्रम किया गया है जो प्रशंसनीय है।

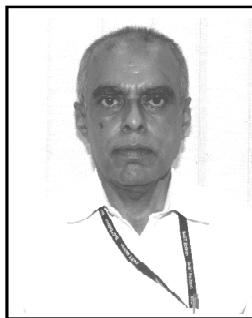
मैं इसके सफल प्रकाशन हेतु अपनी शुभकामनायें प्रेषित करता हूँ।

(विमलानन्द झा)

ई.अनिल कुमार ठाकुर
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
उद्योग मित्र
उद्योग विभाग, बिहार, पटना



कार्यालय :
इंदिरा भवन, भूतल
आर.सी.एस. पथ, पटना-1
दूरभाष- 2532695 (का.)



कम्पेडियम-एक परिचय

यह कम्पेडियम पूर्व में मुद्रित कम्पेडियम से काफी समृद्ध है। उद्यमियों के सहायतार्थ नई औद्योगिक इकाई स्थापना के दौरान जिन-जिन विभागों के परिपत्र एवं अधिसूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है उन्हें इसमें समाहित किया गया है। यथा— इस कम्पेडियम में उद्यमियों के सहायतार्थ वर्ष 1986, 1993, 1995, 2006 एवं 2011 की नई औद्योगिक नीति को भी समावेष्ट किया गया है। साथ ही सामग्री खरीद अधिमानता नीति, सूक्ष्म लघु उद्यम फैसिलिटेशन काउंसिल नियमावली 2006, गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन संबंध अधिनियम 2010, राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) का दिशा निर्देश आदि इसमें समाहित किया गया है।

उद्यमियों के सहायतार्थ औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत कैपटिव पावर, डी. जी.सेट, जमीन निबंधन पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट, वैट की प्रतिपूर्ति आदि के संबंध में भी विस्तृत जानकारी इसमें दी गयी है साथ ही खाद्य प्रसंस्करण नीति-2008 के तहत भी अनुदान आदि प्राप्त करने की प्रक्रिया आदि से संबंधित परिपत्र/संकल्प इसमें समावेष्ट किया गया है।

इस कम्पेडियम हेतु प्रकाशन सामग्री संकलित करने एवं इसके मुद्रण में उद्योग मित्र के पदाधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा किया गया प्रयास काफी प्रशंसनीय है।


(अनिल कुमार ठाकुर)

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषय : राज्य के त्वरित औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार-2011

बिहार में Global Industrial Scenario में तेजी से बदलाव के मद्देनजर एवं राज्य में आन्तरिक और देश के बाहर से निवेश आकर्षित किए जाने के साथ-साथ राज्य के विद्यमान उद्योगों को पुनर्जीवन एवं विस्तारण के लिए समुचित माहौल एवं प्रोत्साहन के उद्देश्य से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2006 की समीक्षा की गई। समीक्षा के उपरान्त, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो गया है कि नई औद्योगिक नीति बनाई जाए, जिसमें राज्य में सन्तुलित औद्योगिक विकास हो तथा राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में उद्योगों का योगदान हो सके।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य के प्रमुख औद्योगिक संघों यथा- बिहार उद्योग संघ, बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इन्डस्ट्रीज, लघु उद्योग भारती, हाजीपुर उद्योग संघ, आदि विभिन्न संस्थाओं एवं संबंधित सरकारी विभागों के साथ विचार-विमर्श एवं सुझाव प्राप्त किए गए और तदनुसार बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011 तैयार की गई है। इस नीति को तैयार करने में विभिन्न पड़ोसी राज्यों की औद्योगिक नीतियों को भी ध्यान में रखा गया है।

प्रस्तावित नीति के अंतर्गत उत्पादन के पूर्व स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क में शत-प्रतिशत छूट, औद्योगिक इकाइयों को पूंजीगत अनुदान, वैट की 80 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की राशि में प्रवेश-कर को सम्मिलित किए जाने, कैपिटल पावर जेनरेशन / डीजल जेनरेशन सेट पर विद्यमान इकाइयों को भी प्रोत्साहन एवं गैर-पारम्परिक स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन पर अनुदान, परियोजना प्रतिवेदन बनाने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति, तकनीकी जानकारी शुल्क, गुणवत्ता प्रमाणन पर छूट, विद्युत शुल्क आदि पर अनुदान / छूट आदि कई प्रोत्साहनों का प्रावधान है।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार-2011 के लागू होने से आशा की जाती है कि राज्य के विकास में काफी वृद्धि होगी तथा नियोजन के साथ त्वरित औद्योगिक विकास होगा। साथ ही बिहार के सभी नागरिकों के समग्र विकास में उद्योगों की सकारात्मक भूमिका होगी।

कार्यनीति :

- (i) राज्य में उद्योगों की स्थापना हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की आधारभूत संरचनाओं का विकास करना ताकि राज्य में अधिक-से-अधिक देशी-विदेशी पूंजी निवेश आकर्षित हो सके।
- (ii) **लैण्ड बैंक-** उद्योग की स्थापना में भूमि की अहम् भूमिका है। उद्योग एवं विकास योजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता को देखते हुए राज्य में लैण्ड बैंक की स्थापना की कार्यवाई की जाएगी, जिसके माध्यम से आवश्यकतानुसार विभिन्न उद्योग एवं विकास योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता हो सकेगी।
- (iii) लघु, सूक्ष्म, ग्रामीण उद्योगों, हस्तशिल्प, हस्तकरघा, खादी, रेशम आदि उद्योगों को विकसित करते हुए इनके द्वारा उत्पादित सामग्रियों का विपणन की व्यवस्था करना।
- (iv) रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास हेतु ससमय रुग्णता के कारणों की पहचान कर समय पर आवश्यक उपाय करना, ताकि इकाई को रुग्ण होने से रोका जा सके तथा इसके लिए जिला स्तरीय अनुश्रवण प्रणाली विकसित कर रुग्णता को यथासंभव रोकने का प्रयास करना।
- (v) राज्य सरकार द्वारा कारगर सिंगल विण्डो सिस्टम की व्यवस्था, परियोजनाओं को उपलब्ध कराना तथा आवश्यक आधारभूत सुविधाएँ यथा- सड़क, पानी एवं अबाधित विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

- (vi) सभी प्रकार के आवंटन / अनुदान / एवं उद्यमियों से संबंधित प्रक्रियाओं का सरलीकरण एवं उसमें पारदर्शिता होना, यथा संभव ऑनलाईन सुविधाओं का प्रावधान सुलभ करना।
- (vii) औद्योगिक प्रांगणों / क्षेत्रों में Common Effluent Treatment की व्यवस्था किया जाना।
- (viii) बिआडा द्वारा नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जाएगा, ताकि नए मध्यम एवं बृहत् उद्योगों की स्थापना शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में हो।
- (ix) राज्य सरकार के निम्नांकित थ्रस्ट एरिया होंगे :-
 - (1) खाद्य प्रसंस्करण
 - (2) कृषि आधारित उद्योग
 - (3) पर्यटन संबंधी उद्योग
 - (4) सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल
 - (5) उच्च / तकनीकी अध्ययन संस्थान
 - (6) सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग
 - (7) इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उद्योग
 - (8) वस्त्र उद्योग
 - (9) ऊर्जा / गैर-पारम्परिक ऊर्जा

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के सूत्रण किए जाने के लिए राज्य के उद्योगों को दी जाने वाली प्रोत्साहन :-

बिहार राज्य में औद्योगिक विकास में गति लाने एवं औद्योगिक विकास में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु राज्य के उद्योगों को प्रोत्साहन / छूट की सुविधाएँ :-

1. उत्पादन पूर्व (Pre Production) सुविधाएँ :-

स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क :

- (क) औद्योगिक भूखण्ड / शेड एवं प्राधिकार क्षेत्र के बाहर स्थापित होने वाले उद्योगों आदि के लीज / बिक्री / अन्तरण पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी / पंजीकरण शुल्क से सूक्ष्म, लघु, मध्यम (MSME) एवं बृहत् उद्योगों को शत-प्रतिशत (100 प्रतिशत) छूट होगी। यह सुविधा प्रथम बार ही देय होगी एवं तदुपरान्त किए जाने वाले लीज/ विक्रय / अन्तरण पर स्टाम्प ड्यूटी / पंजीकरण शुल्क की छूट देय नहीं होगी। यह सुविधा नई इकाइयों को ही देय होंगी।
- (ख) वैसी कार्यरत औद्योगिक इकाइयाँ, जिनके द्वारा इकाई का विस्तार (Expansion) अथवा विशाखन (Diversification) किया जाता है तथा उनके उत्पादन क्षमता (Capacity) में 50 (पचास) प्रतिशत की वृद्धि हो तो उनको भी मात्र विस्तारीकरण के लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि पर ही यह सुविधा प्राप्त होगी।
- (ग) किसी कारणवश अगर उपरोक्त छूट इकाई द्वारा नहीं प्राप्त की जाती है और भूमि का क्रय कर लिया जाता है तो उत्पादन के बाद (Post Production Stage) उपर्युक्त स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाएगी।

2. नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत निम्नांकित प्रोत्साहन औद्योगिक इकाइयों के वाणिज्यिक उत्पादन (Commercial Production) प्रारम्भ करने के पश्चात् दिया जाएगा:-

(i) व्यावसायिक उत्पादन बाद (Post Production) सुविधाएँ :

इस नीति के अंतर्गत व्यावसायिक उत्पादन के बाद दिए जाने वाले विभिन्न प्रतिपूर्तियों (Re-imburement) यथा- परियोजना प्रतिवेदन प्रोत्साहन, भूखण्ड / शेड पर दी जाने वाली प्रोत्साहन, तकनीकी जानकारी शुल्क पर आर्थिक सहायता, पूंजीगत अनुदान आदि पर औद्योगिक इकाइयों द्वारा जो भी प्रोत्साहन लिया जाएगा, उसकी कुल अधिकतम सीमा 600 लाख रु. (छः सौ लाख रु.) (कैपटिव पॉवर जनरेशन / डी.जी. सेट पर प्रोत्साहन अनुदान को छोड़कर) होगी। इसके तहत कंडिका-2 में उल्लिखित सुविधाओं का प्रावधान होगा।

(ii) परियोजना प्रतिवेदन प्रोत्साहन :

औद्योगिक इकाइयों द्वारा तैयार किए गए परियोजना पर हुए व्यय की 50 (पचास) प्रतिशत राशि (या अधिकतम 2 लाख रु.) प्रतिपूर्ति किया जाएगा। बशर्ते कि, उपर्युक्त परियोजना प्रतिवेदन उद्योग विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी परामर्शी कन्सल्टेन्सी द्वारा बनाया गया हो। यदि परियोजना प्रतिवेदन कार्बन क्रेडिट तैयार करने हेतु बनाई जाती है तथा इकाई को कार्बन क्रेडिट प्राप्त होती है तो परामर्शी शुल्क का 50 (पचास) प्रतिशत, अधिकतम 15 (पन्द्रह) लाख रु. प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(iii) भूखण्ड / शेड पर दी जानेवाली सुविधाएँ :

औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार / निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क / फूड पार्क / एग्री एक्सपोर्ट जोन द्वारा आवंटित भूखण्ड / शेड के मूल्यों पर तथा सरकारी भूमि अथवा निजी रूप से स्थापित औद्योगिक प्रांगण / पार्क की आवंटित भूमि पर निवेश पर सभी पात्र इकाइयों को निम्न प्रकार प्रोत्साहन / अनुदान देय होगा।

क्रमांक	उद्योग	अनुदान
1.	सूक्ष्म / लघु इकाइयाँ वित्तीय सीमा	50 प्रतिशत या (अधिकतम 15 लाख रु.)
2.	सभी वृहत / मध्यम / मेगा इकाइयाँ वित्तीय सीमा	25 प्रतिशत या (अधिकतम 30 लाख रु.)

(iv) तकनीकी जानकारी शुल्क पर आर्थिक सहायता :

यदि कोई उद्यमी राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अथवा राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थान से अपने उद्योग को स्थापित करने या बढ़ाने हेतु तकनीकी जानकारी (Technical Know How) प्राप्त करते हैं तो उसे उपर्युक्त संस्थान/संगठन द्वारा शुल्क के रूप में ली गई राशि का 30 प्रतिशत आर्थिक सहायता के रूप में अथवा अधिकतम सीमा 15 लाख रु. (पन्द्रह लाख रु.) की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(v) कैपटिव पावर जनरेशन / डीजल जनरेटिंग सेट के प्लान्ट एवं मशीनरी पर हुए व्यय संबंधी प्रोत्साहन अनुदान :

- (क) कैपटिव पॉवर जनरेशन / डीजल जनरेटिंग सेट के प्लान्ट एवं मशीनरी पर हुए व्यय की राशि का 50% (पचास प्रतिशत) उद्योग को अनुदान देय होगा। इसके लिए अधिसीमा निर्धारित नहीं की गई है।
- (ख) विद्यमान इकाइयों (Existing units) को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011 लागू होने के बाद कैपटिव पॉवर प्लान्ट या डी.जी. सेट लगाने की स्थिति में उपर्युक्त अंश “क” का अनुदान देय होगा।
- (ग) यह अनुदान कैपटिव पावर जनरेशन हेतु गठित SPV को भी देय होगा, बशर्ते कि, उक्त SPV औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित इकाई हो अथवा उद्योग समूह के लिए गठित इकाई हो तथा उस SPV के अधिकांश सदस्य उन

इकाइयों से हो, तथा उनके द्वारा औद्योगिक प्रांगण / औद्योगिक समूह में अवस्थित उद्योगों को विद्युत आपूर्ति की जाएगी।

- (घ) गैर-पारम्परिक स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन करने हेतु प्लान्ट एवं मशीनरी पर हुए व्यय की राशि का 60% (साठ प्रतिशत) अनुदान उद्योग को देय होगा। इसके लिए अधिसीमा निर्धारित नहीं की गई है। यह सुविधा विद्यमान इकाइयों (Existing units) को भी देय होगा।

(vi) Monthly Minimum Charges / Minimum Base Energy Charge / Demand / Billing Demand से छूट :

वर्तमान में कार्यरत इकाइयों तथा नई इकाइयों को Monthly Minimum Charges / Minimum Base Energy Charge / Demand / Billing Demand अथवा बिहार विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा निर्धारित tariff आदेश में वर्णित किसी अन्य नाम से Minimum Guarantee (Energy & Demand) शुल्क से छूट नई औद्योगिक नीति के प्रभावी होने की तिथि से दी जाएगी। यह सुविधा पाँच वर्षों के लिए देय होगी।

(vii) पूंजीगत अनुदान :

- (क) नई Micro, Small and Medium Enterprises औद्योगिक इकाइयों को प्लान्ट एवं मशीनरी पर किए गए पूंजी निवेश का 20 (बीस) प्रतिशत पूंजीगत अनुदान देय होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रु. (पचहत्तर लाख रु.) होंगी।
- (ख) नई वृहत् औद्योगिक इकाइयों को प्लान्ट एवं मशीनरी पर किए गए पूंजी निवेश का 20 (बीस) प्रतिशत पूंजीगत अनुदान देय होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 500 लाख रु. (पाँच सौ लाख रु.) होंगी।
- (ग) पूंजीगत अनुदान इस नीति के प्रभावी होने की तिथि के बाद उत्पादन में आए उद्योगों द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी पर किए गए पूंजी निवेश पर ही लागू होगा तथा यह सुविधा संबंधित औद्योगिक इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन में आने के पश्चात् ही देय होगी।
- (घ) चूँकि खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की इकाइयों को खाद्य प्रसंस्करण नीति के अन्तर्गत पूंजीगत अनुदान दिए जाने का प्रावधान है, अतः उन्हें उपर्युक्त पूंजीगत अनुदान देय नहीं होगा।

(viii) गुणवत्ता प्रमाणन पर प्रोत्साहन :

राज्य में लघु उद्योग इकाइयों को गुणवत्ता में सुधार करने के दृष्टिकोण से आई.एस.ओ. मानक (या इसके समतुल्य) राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थाओं से प्रमाणन प्राप्त करने के क्रम में हुए व्यय (Expenditure incurred on the fees) के 75 (पचहत्तर) प्रतिशत की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

- (ix)** यदि कोई इकाई का प्रथम बार Mortgage दस्तावेज निर्बाधित कराया जाता है तो उस पर लगने वाले निबंधन शुल्क अथवा देय शुल्क की अधिसीमा निर्धारित की जाएगी। इस संबंध में निबंधन, उत्पाद एवं मध्य निषेध विभाग द्वारा अलग से अधिसूचना निर्गत की जाएगी।

3. कर संबंधी सुविधाएँ :

(i) वैट एवं प्रवेश-कर की प्रतिपूर्ति :

- (क) यह सुविधा नई एम.एस.एम.ई. / वृहत् उद्योगों को देय होगी। पात्र औद्योगिक इकाइयों को राज्य सरकार द्वारा एक पासबुक (पेपर / इलेक्ट्रॉनिक) निर्गत किया जाएगा, जिसमें वित्त (वाणिज्य-कर) विभाग को बिहार वैट के मद में भुगतान किए गए करों का ब्योरा रहेगा। पात्र औद्योगिक इकाइयों को महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र

/ प्रबंध निदेशक, बिआडा (जो भी लागू हो) द्वारा पास-बुक निर्गत किया जाएगा, जो इकाई द्वारा उत्पादन में रहने एवं इकाई द्वारा जमा की गई वैट राशि का सत्यापन करेंगे। उक्त इकाई के कार्यरत रहने के प्रमाण के आधार पर भुगतान का सत्यापन कर वित्त (वाणिज्य-कर) विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति की कार्यवाई की जाएगी।

(ख) नई इकाइयों के लिए सरकार के खाता में जमा की गई स्वीकृत वैट (VAT) की राशि के विरुद्ध 80 (अस्सी) प्रतिशत प्रतिपूर्ति सभी श्रेणियों के उद्योगों को 10 (दस) वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। प्रतिपूर्ति की अधिकतम राशि पूंजी निवेश का 300 (तीन सौ) प्रतिशत देय है।

(ग) परंतु यह, कि ब्रिवरी एवं डिस्टिलरी उद्योग की नई इकाइयों को वैट की प्रतिपूर्ति मात्र 25 प्रतिशत की अधिसीमा तक की जाएगी, जो 10 (दस) वर्षों के लिए होगी एवं पूंजी निवेश के 300 (तीन सौ) प्रतिशत तक ही देय होगी।

स्पष्टीकरण:- यह प्रोत्साहन राशि बिहार वित्त अधिनियम-1981 / केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम-1993 के अन्तर्गत अधिरोपित शास्ति की राशि एवं निर्धारित कर तथा स्वीकृत कर में अन्तर की राशि पर देय नहीं होगी।

प्रवेश-कर (Entry Tax) :

नई औद्योगिक इकाइयों को उत्पादन में आने के बाद इनके द्वारा वैट के अन्तर्गत आऊटपुट टैक्स (Output Tax) से प्रवेश-कर (Entry Tax) की राशि सामंजित होने की स्थिति में प्रवेश-कर मद में भुगतान की गई राशि को वैट की 80 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति में सम्मिलित किया जाएगा। यह सुविधा कार्यरत इकाइयों को भी देय होगी तथा उपरोक्त सभी प्रकार के इकाइयों को इस नीति के प्रभाव में आने के बाद ही देय होगी। प्रवेश-कर मद में अलग से यदि किसी छूट का निर्णय होता है तो तत्संबंधी अधिसूचना समय-समय पर वित्त (वाणिज्य-कर) विभाग द्वारा निर्गत किया जाएगा।

(ii) नई औद्योगिक इकाइयों को व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् निम्नांकित सुविधाएँ उपलब्ध होंगी :-

(क) लगजरी टैक्स में 7 (सात) वर्षों के लिए 100 प्रतिशत की छूट

(ख) विद्युत शुल्क में 7 (सात) वर्षों के लिए 100 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति

(ग) भूमि सम्पत्तिवर्तन (कन्वर्सन) शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट

(iii) कार्यरत इकाइयों को वैट / प्रवेश-कर की प्रतिपूर्ति संबंधी प्रोत्साहन :-

वर्तमान में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृत वैट राशि के विरुद्ध राज्य सरकार के खाता में जमा वैट / प्रवेश-कर की राशि का 25 (पचीस) प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह प्रतिपूर्ति लगातार पाँच वर्षों की अवधि तक ही अनुमान्य होंगी। कार्यरत इकाइयों द्वारा विस्तार किए जाने पर उनको भी Expanded Portion की सीमा तक यह सुविधा प्राप्त हो सकेंगी। यह सुविधा पूर्व से कार्यरत चीनी मिलों को भी मिलेगी, बशर्ते कि इस प्रकार की सुविधा उन्हें गन्ना प्रोत्साहन नीति के तहत नहीं हो।

केन्द्रीय बिक्री-कर (CST) :

सक्षम स्तर से निर्बाधित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (MSME) उद्योगों द्वारा उत्पादित सामग्रियों पर केन्द्रीय बिक्री-कर एक प्रतिशत देय होगा।

नोट :- GST व्यवस्था लागू होने पर उपरोक्त सुविधाएँ उस व्यवस्था के तहत समान रूप से देय होगी।

4. अन्य विशेष सुविधाएँ :-

(i) उद्योग पुनर्वास निधि (Corpus Fund) :-

रुग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए वाणिज्यिक बैंक, राज्य सरकार एवं उद्योग संघों एवं अन्य के सहयोग से एक कॉरपस निधि (Corpus Fund) की स्थापना की जाएगी। इसके माध्यम से रुग्ण, लघु एवं मध्यम इकाइयों, जिनका पुनर्वास पैकेज स्वीकृत किया गया हो, को कम समय में वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा।

(ii) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन-जाति / महिला / निःशक्त :-

(क) इन वर्गों के उद्यमियों को अनुदान / छूट / प्रतिपूर्ति के रूप में इस नीति में निर्धारित सीमा से 5 (पाँच) प्रतिशत अधिक अनुमान्य होगा।

(ख) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन-जाति / महिला / निःशक्त श्रेणी के उद्यमियों, जो लघु एवं अतिलघु उद्योग लगाते हैं, को 30 लाख रु. (तीस लाख रु.) प्रतिवर्ष बैलेंस सीट के अनुसार बिक्री से प्राप्त आय तक के लिए वेट के रूप में सरकार के खाता में जमा राशि की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति 10 (दस) वर्षों के लिए की जायेंगी।

उक्त छूट उन्हीं प्रतिष्ठानों को देय होगी, जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन-जाति / महिला / निःशक्त श्रेणियों के उद्यमियों के पूर्ण स्वामित्व में होगी।

(iii) नियोजन (रोजगार सृजन अनुदान) :- किसी औद्योगिक इकाई द्वारा इस नीति के लागू होने के पश्चात् अगर कम-से-कम 100 (एक सौ) प्रत्यक्ष नियोजन (Direct Employment) सृजित (Generate) किया जाता हो, तो उन्हें उनके नियोजन की तिथि से 1 (एक) वर्ष तक उनके नए कर्मचारियों (Employees) को जो ई.पी.एफ. (EPF) की राशि इकाई द्वारा भुगतान की जायेंगी, उसके समतुल्य प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

(iv) विस्तार / विशाखन / आधुनिकीकरण करने वाली इकाइयों की सुविधा :-

ऐसी विद्यमान इकाइयाँ, जो अपनी क्षमता का विस्तार / विशाखन / आधुनिकीकरण करते हैं तो इन्क्रीमेन्टल उत्पादन पर ऐसी इकाइयों को कंडिका-2 एवं कंडिका-3 में वर्णित नई इकाइयों को देय सुविधा प्राप्त होगी।

(v) वृहत् उद्योगों के प्राथमिकता देने हेतु तथा राज्य में विभिन्न प्रकार के पूंजी निवेश को आकर्षित किए जाने के उद्देश्य से 500 (पाँच सौ) करोड़ रु. से अधिक पूंजी निवेश से संबंधित प्रस्तावों पर राज्य सरकार द्वारा इस नीति के अन्तर्गत प्राप्त सभी सुविधाओं के अलावे निम्न अतिरिक्त सुविधा / प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा:-

इस नीति के कंडिका-2 (vii) (ख) में वर्णित पूंजीगत अनुदान 20 प्रतिशत देय होगी, परन्तु इसकी अधिसीमा 5 (पाँच) करोड़ के स्थान पर 30 (तीस) करोड़ रु. होगी।

5. औद्योगिक रुग्णता (Industrial Sickness) :-

रुग्ण इकाइयों का पुनर्वास :

औद्योगिक रुग्णता औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया का एक अंग है। इसके फलस्वरूप बेरोजगारी, पूंजी निवेश का अवरुद्ध होना, राजस्व की हानि एवं परिसम्पत्तियों का उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि उपयुक्त कदम उठाए जायें, जिससे रुग्ण उद्योगों का पुनर्वास हो सके। सरकार इस संबंध में चिंतित है तथा रुग्णता को रोकने एवं रुग्ण इकाइयों का पुनर्वास करने के लिए निम्नांकित कदम उठाए जायेंगे। साथ ही प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप रुग्ण हुई इकाइयों के पुनर्वास हेतु भी कदम उठाए जायेंगे।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (MSME) प्रक्षेत्र :

राज्य स्तरीय कमिटि :

- (i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के पुनर्वास हेतु उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय शीर्षस्थ संस्था (स्टेट लेवल कमिटि) द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
- (ii) रुग्ण उद्योगों के पुनर्वास हेतु राज्य स्तरीय शीर्षस्थ संस्था को पर्याप्त वैधानिक शक्तियाँ प्रदत्त की जायेंगी, जिससे कि यह समिति पुनर्वास पैकेज को तैयार करने हेतु एजेन्सी का चयन करेगी, जिससे कि प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा सके।
- (iii) रिजर्व बैंक / एस.आई.डी.बी.आई. (SIDBI) के दिशा निर्देशों के अनुसार रुग्ण एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों की पहचान की जायेंगी तथा पुनर्वास पैकेज तैयार करने हेतु एजेन्सी का चयन करने में सहयोग करेगी, जिससे उनके पुनर्वास हेतु उपर्युक्त पुनर्वास पैकेज अनुमोदित किया जाएगा।
- (iv) जिन रुग्ण इकाइयों का पुनर्वास हो रहा हो उन्हें प्रतिवर्ष रुग्णता प्रमाण-पत्र नहीं लेना पड़ेगा। अनुमोदित पुनर्जीवन पैकेज प्रत्येक रुग्ण इकाई के लिए पुनर्जीवन की अवधि विनिर्दिष्ट करेगा।
- (v) राज्य स्तरीय शीर्षस्थ संस्था द्वारा पहचान की गई रुग्ण इकाइयाँ ही पुनर्वास हेतु बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देश के अनुसार मिलने वाली छूट एवं रियायत के पात्र होंगे। यह छूट एवं रियायत एक निश्चित सीमा के अन्दर देने पर विचार किया जाएगा।
- (vi) रुग्णता की पहचान कर तीन माह के अन्दर पुनर्वास पैकेज तैयार किया जाएगा। राज्य स्तरीय शीर्ष संस्था द्वारा रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास प्रक्रिया का अनुश्रवण किया जाएगा।
- (vii) रुग्ण इकाइयाँ जिन्होंने पूर्व में किसी औद्योगिक नीति का लाभ उठाया हो, को पुनः दूसरी बार भी वैसी रुग्ण इकाई को इस नीति के अन्तर्गत लाभ मिलेगा। अगर कोई रुग्ण इकाई दूसरी बार औद्योगिक नीति का लाभ उठाना चाहती है तो उन्हें पूर्व में रुग्ण इकाई के रूप में प्राप्त सुविधाओं की राशि की मात्रा तथा अब नई नीति के अनुसार प्रस्तावित देय राशि में जो अन्तर होगा, मात्र वही राशि देय होगी, परन्तु इस प्रकार की सुविधा इकाई के पुनर्वास हेतु राज्य सरकार के द्वारा गठित संबंधित समिति की अनुशंसा पर ही देय होगी। इस प्रकार की सुविधा इकाई को अधिकतम दो बार ही मिल सकती है।
- (viii) पुनर्वास पैकेज (Rehabilitation Package) में जो तिथि होगी, उसको कट-ऑफ-डेट मानते हुए सुविधा का निर्धारण किया जा सकेगा।

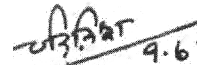
वृहत प्रक्षेत्र में रुग्णता :

- (i) उद्योग सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, जो वृहत प्रक्षेत्र में पुनर्जीवन की संभावना रखने वाले गैर बी.आई.एफ.आर. रुग्ण औद्योगिक इकाइयों एवं लोक उपक्रमों के लिए उपयुक्त उपाय करेगी। इकाइयों के पुनर्जीवन हेतु यथावश्यक तथा नीतिगत वक्तव्य में वर्णित बिन्दुओं समेत रियायतों एवं सुविधाओं की अनुशंसा यह समिति करेगी एवं अनुशंसाएँ अन्तिम निर्णय हेतु राज्य सरकार के समक्ष मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पहले से गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति के माध्यम से रखी जाएगी।
- (ii) बी.आई.एफ.आर. अथवा इस निमित्त सृजित वैधानिक संस्था, बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम (बिसिको), बिहार राज्य वित्त निगम (बी.एस.एफ.सी.) तथा बैंक की अन्तरसांस्थिक समिति द्वारा तैयार की गई पुनर्वास योजना के अन्तर्गत चुनी गई रियायतें एवं सुविधाएँ उद्योग सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष विचारार्थ एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पहले से गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति के माध्यम से सरकार की अनुशंसा हेतु रखी जाएगी।

- (iii) रुग्ण इकाई का अर्थ ऐसी इकाई से है जो औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण पर्षद् (बी.आई.एफ.आर.) द्वारा निर्बंधित हो। उस इकाई को Relief & Concession बी.आई.एफ.आर. (BIFR) द्वारा प्रचारित डी.आर.एस. (Draft Rehabilitation Scheme) में अंकित कट-ऑफ-डेट से देय होगा।
- (iv) रुग्ण इकाइयाँ जिन्होंने पूर्व में किसी औद्योगिक नीति का लाभ उठाया हो, को पुनः दूसरी बार भी उस रुग्ण इकाई को इस नीति के अन्तर्गत लाभ मिलेगा। अगर कोई रुग्ण इकाई दूसरी बार औद्योगिक नीति का लाभ उठाना चाहती है, तो उन्हें पूर्व में रुग्ण इकाइयों के रूप में प्राप्त सुविधाओं की राशि की मात्रा तथा अब नई नीति के अनुसार प्रस्तावित देय राशि में जो अन्तर होगा, मात्र वही राशि देय होगी, परन्तु इस प्रकार की सुविधा इकाई को पुनर्वास हेतु राज्य सरकार के द्वारा गठित संबंधित समिति की अनुशंसा पर ही देय होगी। इस प्रकार की सुविधा इकाई को अधिकतम दो बार ही मिल सकती है।
6. कार्यनीति की कंडिका- (ix) में चिन्हित थ्रस्ट एरिया के उद्योगों के लिए इस औद्योगिक नीति में वर्णित प्रोत्साहनों के अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए संबंधित विभागों द्वारा अलग से प्रोत्साहन नीति निर्गत किया जाएगा।
- उक्त थ्रस्ट एरिया में वर्णित सभी प्रकार के उद्योगों के लिए भूमि आवंटन के मामले में बिआडा द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी।
- थ्रस्ट एरिया में वर्णित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से तकनीकी परामर्श देने तथा परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में सहयोग देने के लिए उद्योग मित्र में विशेष व्यवस्था की जाएगी।
7. हैण्डलूम एवं पॉवरलूम प्रक्षेत्र के विकास के लिए विशेष योजना तैयार की जाएगी, जिसमें विद्युत टैरिफ में ग्राण्ट, आधुनिक लूम एवं इससे संबंधित संयंत्र, क्लस्टर का विकास (वर्क शेड भूमि की व्यवस्था, अगर आवश्यक हो), इन्टीग्रेटेड टेक्सटाईल पार्क, अरबन हाट एवं प्रोसेसिंग इकाई आदि का विकास किया जाएगा। ऋण / सूद की माफी / अनुदान योजना को पॉवरलूम एवं हैण्डलूम बुनकरों के लिए और विस्तारित किया जाएगा।
8. इस नीति के अंतर्गत प्रावधानों के तहत देय सुविधाओं के साथ-साथ भूमि आवंटन आदि से संबंधित प्रक्रियाओं के निष्पादन हेतु विभाग द्वारा प्रक्रियाओं के सरलीकरण एवं समय-सीमा निर्धारण के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा।
9. किसी भी इकाई, नई अथवा कार्यरत, को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011 के प्रावधानों के तहत देय सुविधाएँ तभी प्रदत्त होंगी, जबकि उस इकाई में उक्त मद में देय सुविधाएँ, सरकार की किसी अन्य नीति के तहत प्राप्त नहीं किया गया हो। इकाइयाँ सुविधाएँ लेते समय इस आशय का घोषणा-पत्र प्रस्तुत करेंगे।
10. **आरक्षण नीति का अनुपालन :** नियोजन में सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन करने वाली इकाइयों को वर्तमान नीति के अनुसार मिलने वाली सुविधा से 10 प्रतिशत अधिक प्रोत्साहन राशि देय होगी। यह सुविधा कंडिका-2 (i) में वर्णित 600 (छः सौ) लाख रु. की अधिसीमा के अतिरिक्त होगी।
11. **अनुश्रवण एवं समीक्षा :** एक महीने के अन्दर सभी संबंधित विभाग एवं संगठन इस नीति के प्रावधानों को प्रभावी बनाने हेतु यथावश्यक अधिसूचनाएँ निर्गत करेंगे जो इस नीति के प्रभावी होने की तिथि से लागू होगा। राज्य सरकार द्वारा इसका समुचित रूप से अनुश्रवण किया जाएगा, जिससे राज्य सरकार इस नीति की मध्यावधि समीक्षा कर सकेगी।
12. इस औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में मिलने वाली प्रोत्साहन / अनुदान / सुविधा उन्हीं नई औद्योगिक इकाइयों पर लागू होगी, जो दिनांक 01 जुलाई, 2011 की तिथि से पाँच वर्षों के अन्दर व्यावसायिक उत्पादन में आयेंगी।
13. परिशिष्ट- II में दी गई सूची में वंचित उद्योगों को कोई प्रोत्साहन / अनुदान देय नहीं होगा।

14. इस नीति के तहत किसी भी प्रावधान की व्याख्या एवं समाधान के लिए प्रधान सचिव, उद्योग की अध्यक्षता में एक समिति होगी, जिसके सदस्य उद्योग निदेशक, निदेशक, तकनीकी विकास, वाणिज्य-कर विभाग एवं विद्युत बोर्ड के प्रतिनिधि (जहाँ आवश्यकता हो) एवं संबंधित औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के प्रबंध निदेशक होंगे।
 15. परिशिष्ट-I में दी गई संबंधित परिभाषाएँ इस नीति का अंश होगी।
 16. यह नीति 01 जुलाई, 2011 से लागू होगी तथा अगले पाँच वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी।
- आदेश : आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति बिहार गजट के विशेष अंक, सुविख्यात पत्रिकाओं और समाचार-पत्रों में प्रकाशित की जाए और सरकार के सभी विभागों / विभागाध्यक्षों और अधीनस्थ पदाधिकारियों के बीच परिचालित की जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

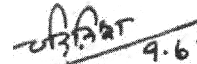

(सी.के. मिश्रा),

प्रधान सचिव, उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 691 / पटना, दिनांक- 09.06.2011

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 1000 (एक हजार) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(सी.के. मिश्रा),

प्रधान सचिव, उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 691 / पटना, दिनांक- 09.06.2011

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / वाणिज्य-कर आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग / प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग के अधीन सभी निगम / बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना / अध्यक्ष, बिहार विद्युत पर्षद्, पटना/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / निदेशक, तकनीकी विकास / निदेशक, उद्योग / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र / निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) विकास संस्थान, पटना / मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(सी.के. मिश्रा),

प्रधान सचिव, उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

परिशिष्ट-I परिभाषाएँ

1. प्रभावी तिथि :

प्रभावी तिथि से अभिप्राय वह तिथि है जब से इस नीति के प्रावधान प्रभाव में आए अर्थात् दिनांक 01 जुलाई, 2011 से बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011 पाँच वर्षों के लिए प्रभावी रहेंगी।

2. औद्योगिक इकाई / औद्योगिक प्रतिष्ठान :

औद्योगिक इकाई / औद्योगिक प्रतिष्ठान से अभिप्राय ऐसी इकाई / प्रतिष्ठान से है जो निम्नांकित श्रेणी में आने वाले निर्माण / प्रसंस्करण / सेवा उद्योग में संलग्न हो अथवा संलग्न होने वाला हो।

(क) समय-समय पर यथा संशोधित उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम-1951 की प्रथम अनुसूची में सूचीकृत उद्योग।

(ख) निम्नांकित बोर्डों / अभिकरणों के दायरे में पड़ने वाले उद्योग।

(1) लघु उद्योग बोर्ड

(2) क्वायर बोर्ड

(3) रेशम बोर्ड

(4) अखिल भारतीय हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प बोर्ड

(5) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग

(6) औद्योगिक विकास हेतु केन्द्रीय सरकार अथवा बिहार सरकार द्वारा गठित कोई अन्य अभिकरण।

(ग) अन्य श्रेणियाँ :

(1) खनन अथवा खनिज विकास।

(2) किसी भी प्रकार की मशीनरी अथवा वाहन अथवा नौका अथवा मोटर वोट अथवा ट्रैलर अथवा ट्रैक्टर के रख-रखाव, मरम्मत जाँच सर्विसिंग।

(3) औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक प्रांगण, समेकित आधारभूत संरचना विकास, निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क / निर्यात प्रोत्साहन जोन अथवा ग्रोथ सेंटर की स्थापना अथवा विकास।

(4) औद्योगिक विकास की अभिवृद्धि हेतु विशिष्ट अथवा तकनीकी ज्ञान अथवा अन्य सेवाएँ उपलब्ध कराना।

(5) उद्योग के लिए इंजिनियरिंग, तकनीकी, वित्तीय, प्रबंधन, विपणन अथवा अन्य सेवाएँ, अथवा सुविधाएँ प्रदान करना।

(6) सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार अथवा सम्पर्क तथा श्रव्य अथवा दृश्य केबल संचार सहित इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित सेवा प्रदान करना।

(7) पर्यटन।

3. विद्यमान औद्योगिक इकाई :

“विद्यमान औद्योगिक इकाई” से अभिप्राय है ऐसी औद्योगिक इकाई से है जो वाणिज्यिक उत्पादन में है।

4. नई औद्योगिक इकाई :

“नई औद्योगिक इकाई” से अभिप्राय है ऐसी औद्योगिक इकाई, जिसमें वाणिज्यिक उत्पादन कार्य दिनांक 01 जुलाई, 2011 से पाँच वर्षों के बीच आरंभ हुआ हो।

5. रुग्ण इकाई :

“रुग्ण इकाई” से अभिप्राय ऐसी औद्योगिक इकाई से है, जिसे रुग्ण औद्योगिक कम्पनियाँ (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के अंतर्गत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्रचना बोर्ड अथवा लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय शीर्षस्थ संस्था (स्टेट लेवल कमिटी) द्वारा अथवा वृहत् प्रक्षेत्रों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा रुग्ण घोषित किया गया हो।

6. अचल पूंजी निवेश :

“अचल पूंजी निवेश” से अभिप्राय है भूमि, संयंत्र एवं मशीनरी तथा स्थायी प्रकृति की उत्पादक परिसम्पत्तियों में किए गए निवेश।

7. विस्तार / आधुनिकीकरण / विशाखन :

किसी विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार / आधुनिकीकरण / विशाखन से अभिप्राय है उक्त विद्यमान इकाई में अचल पूंजी निवेश के अनवमूल्यित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिक राशि का संयंत्र एवं मशीनरी में अतिरिक्त पूंजी निवेश, जिसके फलस्वरूप आरंभिक अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता से इंफ्रीमेंटल उत्पादन क्षमता 50 प्रतिशत से कम न हो। प्रोत्साहन योग्य होने के लिए विस्तार / आधुनिकीकरण / विशाखन करने वाली इकाइयों को जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र अथवा प्रबंध निदेशक, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार जो लागू हो, को लघु एवं मध्यम उद्योग के संबंध में तथा उद्योग निदेशक / निदेशक, तकनीकी विकास को वृहत् उद्योग के संबंध में विस्तार / आधुनिकीकरण / विशाखन कार्य आरंभ करने के पूर्व सूचना भेजनी चाहिए। इस प्रकार की सूचना के साथ प्रस्तावित अतिरिक्त पूंजी निवेश की निश्चित अवधि दर्शाते हुए विस्तार / आधुनिकीकरण / विशाखन का विवरणात्मक प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए।

8. सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहत् एवं आनुषांगिक औद्योगिक इकाई :

ये ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जिसमें पूंजी निवेश की सीमा समय-समय पर तय करते हुए भारत सरकार के द्वारा इन्हें परिभाषित किया गया है।

9. उत्पादन की तिथि :

किसी औद्योगिक इकाई में उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि का तात्पर्य उस तिथि से होगा, जबसे इकाई वास्तव में उस सामग्री का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया हो, जिसके लिए वह निर्बंधित की गई हो। लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों के उत्पादन की तिथि के संबंध में संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र अथवा प्रबंध निदेशक, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य होगा। वृहत् उद्योगों के संबंध में निदेशक, तकनीकी विकास द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य होगा। उत्पादन की तिथि के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में उद्योग सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

10. विकल्प देने के संबंध में :

ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ, जो इस औद्योगिक नीति के लागू होने की तिथि को वाणिज्यिक उत्पादन में नहीं आई हैं, परंतु जिनमें 50 (पचास) प्रतिशत पूंजी निवेश किया जा चुका है, वैसी इकाइयों को यह सुविधा प्रदत्त होगी कि वे औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2006 अथवा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011 में से किसी एक के तहत लाभ ले सकते हैं। वे दोनों नीतियों के तहत आंशिक लाभ के हकदार नहीं होंगे। इस नई नीति के प्रभावी होने की तिथि से तीन महीने के अंदर इस प्रकार का लिखित विकल्प इकाई द्वारा उद्योग निदेशक को देना होगा।

परिशिष्ट-II

वंचित इकाइयों की सूची

- 32

27. लॉन्ड्री / ड्राईक्लीनिंग
28. फोटोग्राफी के स्टूडियो तथा प्रयोगशालाएँ
29. क्लिनिकल / पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाएँ / क्लिनिक
30. ब्यूटी पार्लर
31. वीडियो पार्लर
32. मालवाहक
33. वीडियो / ऑडियो कैसेट रिकार्डिंग, घड़ीसाज की दुकान, वाहन मरम्मत तथा सर्विसिंग केन्द्र
34. चूना भट्ठा
35. पेट्रोल पम्प
36. मादक द्रव्य एवं मादक पेय (ब्रिवरीज एवं डिस्टीलरी को छोड़कर)

(टिप्पणी)

राज्य सरकार को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि उपरोक्त सूची में समय-समय पर किसी प्रकार का परिवर्तन कर सके अथवा सूची में किसी भी इकाई के होने के संबंध में निर्णय ले सके।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011
लागू करने संबंधी प्रक्रियाएँ एवं संकल्प

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक- 2516 / पटना, दिनांक : 22.07.2011

प्रेषक,

सरकार के उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, पटना।
महानिरीक्षक, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, पटना।
उद्योग निदेशक, बिहार, पटना।
निदेशक, (ह.रे.), बिहार, पटना।
निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण, बिहार, पटना।
निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना।
उद्योग विभाग के अंतर्गत सभी निगम
(बियाडा / बी.एस.एफ.सी. / बिसिको / उद्योग मित्र), बिहार, पटना।
उद्योग विभाग के सभी पदाधिकारी,
सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र।

विषय- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011 के कंडिका-1 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क में छूट दिये जाने संबंधी प्रपत्र एवं प्रक्रिया का निर्धारण।

महाशय,

इस पत्र का मूल उद्देश्य निबंधन विभाग को निवेशकों द्वारा भूमि क्रय पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी / पंजीकरण शुल्क से छूट देने के लिए प्राधिकार पत्र निर्गत करने हेतु प्रक्रिया एवं आवेदन पत्र का प्रपत्र निर्धारण करना है।

- उद्योग विभाग का संकल्प संख्या-691 दिनांक 09.06.2011 द्वारा निर्गत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011 के कंडिका-1 के अन्तर्गत उत्पादन के पूर्व दी जाने वाली सुविधाओं में औद्योगिक भूखण्ड / शेड एवं प्राधिकार क्षेत्र के बाहर स्थापित होनेवाले उद्योगों आदि के लीज / बिक्री / अंतरण पर लगनेवाले स्टाम्प ड्यूटी / पंजीकरण शुल्क से टाईनी, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों को शत प्रतिशत (100%) छूट होगी। यह सुविधा प्रथम बार ही देय होगी अर्थात् किसी भी इकाई को उसके प्रथम उत्पादन के पूर्व यह सुविधा देय होगी और जिस भूखण्ड पर सुविधा दे दी गई है उस पर दुबारा दावा नहीं दिया जा सकता है, चाहे इकाई नई ही क्यों न हो। यदि संबंधित इकाई का बिक्री / हस्तान्तरण आदि किया जाता है तो ऐसी स्थिति में यह सुविधा पुनः देय नहीं होगी। यह सुविधा केवल नई इकाई को देय होगी।
- निबंधन विभाग के अधिसूचना के आलोक में प्राधिकार पत्र निर्गत करने के लिए उद्योग विभाग द्वारा प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है जो अनुलग्नक-I पर संलग्न है। इसी तरह से आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र का निर्धारण किया गया है, जो अनुलग्नक-II पर देखा जा सकता है।
- उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक नीति-2011 के कंडिका-1 के अनुसार उद्योगों की स्थापना हेतु स्टाम्प ड्यूटी / पंजीकरण शुल्क में छूट प्रदान किये जाने संबंधी राज्य पूंजी निवेश प्रोत्साहन पर्षद / जिला स्तरीय सिंगल विन्डो क्लियरेंस समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के संबंध में प्राधिकार पत्र निर्गत करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस प्रोत्साहन की सुविधा प्राप्त करने हेतु इकाई को संलग्न विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित करना होगा।

5. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 में यह भी प्रावधान है कि किसी कारणवश यदि औद्योगिक कार्य हेतु भूमि का निबंधन करा लिया जाता है तो ऐसी इकाइयों द्वारा भुगतान किया गया स्टाम्प ड्यूटी / निबंधन शुल्क छूट की प्रतिपूर्ति उत्पादन के बाद इकाई को की जायेगी इसके लिए प्रपत्र-I में आवेदक को आवेदन पत्र देना होगा।

विश्वासभाजन

 22/7/2011

सरकार के उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

अनुलग्नक-

1. निर्धारित प्रक्रिया
2. आवेदन पत्र का प्रपत्र।

अनुलग्नक-I

प्रक्रिया

उद्योगों की स्थापना हेतु स्टाम्प ड्यूटी / पंजीकरण शुल्क में छूट / प्रतिपूर्ति प्रदान किये जाने संबंधी प्रक्रिया का निर्धारण

1. औद्योगिक नीति, 2011 के कंडिका-1 के अन्तर्गत उत्पादन पूर्व (Pre-production) सुविधा के तहत औद्योगिक क्षेत्र के भूखंड / शेड / प्राधिकार क्षेत्र के बाहर स्थापित होने वाले उद्योगों के लीज / बिक्री / अंतरण पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी / पंजीकरण शुल्क से सूक्ष्म / लघु / मध्यम एवं वृहत उद्योगों को शत-प्रतिशत (100%) छूट का प्रावधान है। यह सुविधा प्रथम बार ही देय होगी अर्थात् किसी भी इकाई को उसके प्रथम उत्पादन के पूर्व यह सुविधा देय होगी और जिस भूखण्ड पर यह सुविधा दे दी गई है उस पर दुबारा दावा नहीं किया जा सकता है चाहे इकाई नई ही क्यों न हो। यदि संबंधित इकाई का बिक्री / हस्तान्तरण आदि किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में यह सुविधा पुनः देय नहीं होगी। यह सुविधा नई इकाई को ही देय होगी।
2. वैसी कार्यरत औद्योगिक इकाइयाँ जिनके द्वारा इकाई का विस्तार अथवा विशाखन किया जाता है तथा उनके उत्पादन क्षमता में 50 प्रतिशत की वृद्धि हो तो उनको भी मात्र विस्तारीकरण / विशाखन के लिए अतिरिक्त भूमि पर ही यह सुविधा प्राप्त होगी।
3. किसी कारणवश अगर उपरोक्त छूट इकाई द्वारा नहीं प्राप्त की जाती है और भूमि का क्रय किया जाता है तो उत्पादन के बाद (Post Production Stage) उपर्युक्त स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति उद्योग विभाग द्वारा की जायेगी।

उपर्युक्त प्रावधानों में मात्र ऐसे उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों / इकाइयों को आवश्यक भूमि के लिए स्टाम्प ड्यूटी / पंजीकरण शुल्क में छूट दी जाने संबंधी उद्योग विभाग द्वारा प्रक्रिया निम्न स्वरूप निर्धारित किया जाता है।

- i. उद्यमियों / इकाइयों द्वारा उद्योगों की स्थापना हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र को समर्पित किया जायेगा। एक करोड़ रुपये तक के निवेश वाली इकाइयों का आवेदन पत्र के आलोक में प्रस्ताव जिला में गठित जिला स्तरीय सिंगल विण्डो क्लियरेंस समिति अथवा राज्यस्तरीय समिति से अनुमोदित होना चाहिए।
- ii. इकाइयों / उद्यमियों से जिस तिथि को आवेदन पत्र प्राप्त होता है उसके पन्द्रह दिनों के अन्दर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, उद्योग निदेशक को सभी औपचारिकताएँ पूरी कर निश्चित रूप से अग्रसारित करेंगे। उद्योग निदेशक भी अपने स्तर से औपचारिकताएँ पूरी कर पन्द्रह दिनों के अन्दर प्राधिकार पत्र निर्गत करेंगे। इस संबंध में संबंधित पदाधिकारी त्रैमासिक प्रतिवेदन तैयार कर विभाग को भेजेंगे जिसकी समीक्षा राज्य स्तर पर की जायेगी।
- iii. आवेदन पत्र में उद्यमियों को उद्योग की स्थापना हेतु भूमि जिसके लिए पंजीकरण / निबंधन शुल्क में छूट Claim किया जायेगा, उसका पूर्ण ब्योरा यथा नक्शा (Layout Plan) फ़ैक्ट्री एरिया, ऑफिस एरिया आदि का जिक्र होगा।
- iv. उद्यमियों द्वारा दिया गया सूचना ही पर्याप्त होगा।
- v. राज्य सरकार को किसी भी इकाई द्वारा दी गयी किसी भी सूचना / तथ्यों की जाँच कराने का अधिकार होगा।

- 40

अनुलग्नक-II

प्रपत्र-I

Format

Application for claiming exemption ☐ Re-imbursement ☐ (Please tick appropriate box) of Stamp Duty & Registration Fee

1. Name & address of the company / unit-
(Regd. office & Factory location)
2. Name & address of Proprietor / Partner / Director / Managing Director-
3. Details of company registration-
4. Industrial Registration / Entrepreneur Memorandum-
5. Status of Unit (Micro / Small / Medium / Large)-
6. Whether it is a new unit or expansion / diversification unit-
7. Details of land to be purchased / already purchased-
(Location Village / Block / Khata / Khesra etc.)
8. Stamp duty and registration fee paid (if any)-
9. Claim for re-imbursement of stamp duty and registration fee-
(Please furnish evidence)
10. The Particulars furnished herein are in accordance with the records and are true to the best of my knowledge and belief. If I fail to make the required minimum investment and the land is used by me for other than industrial purpose the amount of exemption in the stamp duty and registration fee with interest shall be recovered from me by the department of Industries, Govt. of Bihar.

This is also certified that the land has not been sold / leased / transferred before for the same purpose in past and this is the first transaction of the land for the specified purpose.

Government Officials / authorized representatives will have exclusive right to visit the premises of the company / unit and ask for informations / clarifications as needed by them.

Signature of the applicant
(Name of the status of the signatory)

Documents enclosed:

1. E.M. Part-I / II
2. Schedule of the lands with land map earmarking the Industrial Plot
3. Layout plan
4. Affidavit for para-10 of the application.
5. Project Report

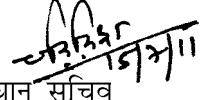
संकल्प

उपरोक्त अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया -

- (1) आवेदन - उपरोक्त वर्णित प्रोत्साहन / अनुदान प्राप्त करने के लिए सभी इकाइयों द्वारा अपना आवेदन विहित प्रपत्र (अनुलग्नक-I) में सभी आवश्यक कागजातों एवं चेक लिस्ट के साथ संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र / प्रबन्ध निदेशक, बियाडा को समर्पित करेंगे, जो प्राप्त आवेदन पत्र एवं संलग्न कागजातों की जाँच कर अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र के मामलों में उद्योग निदेशक एवं वृहत प्रक्षेत्र के मामलों में निदेशक तकनीकी विकास को अग्रसारित करेंगे। उपरोक्त सभी अनुदान के लिए एक ही आवेदन पत्र होगा।
- (2) महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र / प्रबंध निदेशक, बियाडा आवेदकों को आवेदन की प्राप्ति रसीद देंगे, जिसका नम्बर एवं तिथि आवेदन पत्र पर अंकित करेंगे। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र / प्रबंध निदेशक, बियाडा द्वारा अनुदान की अनुशंसा के क्रम में इकाई का निरीक्षण किया जायेगा।
- (3) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र की इकाइयों के लिए उद्योग निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित समिति एवं वृहत प्रक्षेत्र की इकाइयों के लिए प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा उपरोक्त प्रोत्साहन के लिए प्राप्त आवेदन पर समीक्षोपरान्त 21 (इक्कीस) दिनों के अन्दर निर्णय लिया जाएगा। संबंधित इकाइयों को उपर्युक्त समिति की बैठक की सूचना दी जायेगी तथा यदि उद्यमी चाहे तो वे बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं।
- (4) उपरोक्त दोनों समितियों द्वारा समीक्षोपरान्त स्वीकृत मामलों में समिति की कार्यवाही की निर्गत तिथि के 7(सात) दिनों के अन्दर उद्योग निदेशक द्वारा स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जाएगा।
- (5) स्वीकृत राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट / इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी कराकर इकाई को दी जाएगी।
- (6) उपरोक्त सभी प्रोत्साहन की कुल राशि 600.00 लाख रु. (छः करोड़ रुपये) से अधिक नहीं होगी परन्तु वृहत प्रक्षेत्र की इकाइयाँ जिनका पूंजी निवेश 500.00 करोड़ से अधिक हो के मामलों में पूंजीगत अनुदान की राशि 20% की दर से अधिकतम 30 (तीस) करोड़ रुपये तक देय होगी।
- (7) सभी संलग्न कागजात इकाई के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्वअभिप्रमाणित होंगे एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/ प्रबंध निदेशक, बियाडा द्वारा जाँचोपरान्त भेजे जायेंगे।
- (8) कम्पनी एक्ट के तहत निर्बंधित इकाई / साझेदारी इकाई के संदर्भ में उसके निदेशक मंडल / साझेदारों द्वारा किसी व्यक्ति को कार्य संपन्न करने हेतु नामित करने का प्राधिकार पत्र भी संलग्न करना आवश्यक होगा।

ज्ञापांक-2437 / पटना, दिनांक : 15.07.2011

प्रतिलिपि :- सभी विभागों / विभागाध्यक्षों / वाणिज्यकर आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग / प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग के सभी निगम / बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार / निदेशक, उद्योग / निदेशक, तकनीकी विकास / निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण / निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना / अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / निदेशक, एम.एस.एम.ई., पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना / मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट-I

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अन्तर्गत परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित औद्योगिक इकाइयों को भूखण्ड / शेड पर दी जाने वाली अनुदान, तकनीकी जानकारी शुल्क पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता, पूंजीगत अनुदान एवं गुणवत्ता अनुदान प्राप्ति हेतु

समेकित आवेदन पत्र

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,

बियाड़ा, पटना।

निदेशक

तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना

महाप्रबंधक,

जिला उद्योग केन्द्र,

.....

(क) आवेदक के इकाई की विवरणी:-

(1) इकाई का नाम :-

पता:- कार्यालय -

कार्यस्थल-

(2) इकाई के स्वत्वाधिकारी / साझेदारी / निदेशक / प्रबंध निदेशक का नाम एवं पूरा पता:-

(3) उद्यमी ज्ञापन-II / स्थायी निबंधन सं. एवं तिथि:-

(4) उत्पादित वस्तु का नाम:-

(5) इकाई की उत्पादन तिथि:-

(6) कंपनी निबंधन का विवरण:-

(अभिप्रमाणित प्रति संलग्न)

(7) कंपनी निबंधन के तहत कार्य सम्पन्न करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का नाम / पदनाम:-

(प्राधिकृत पत्र संलग्न)

(8) वैट / सी.एस.टी. निबंधन सं. एवं तिथि :-

(9) (i) दूरभाष-

(ii) ई-मेल पता-

(10) कुल पूंजी निवेश :-

(i) भूमि-

(ii) भवन-

(iii) संयंत्र एवं मशीनरी-

(iv) कार्यशाली पूंजी-

(11) निवेश के स्रोत :-

(12) इकाई का उत्पादन वंचित सूची (परिशिष्ट-II) में शामिल है अथवा नहीं :-

(13) इकाई का वर्गीकरण- सूक्ष्म ☐ लघु ☐ मध्यम ☐ वृहत् ☐ अति वृहत् ☐

(14) रोजगार :-

(i) प्रबंधकीय-

(ii) पर्यवेक्षकीय-

(iii) अर्द्धकुशल / अकुशल-

(ख) अनुदान दावा से संबंधित विवरणी एवं आवश्यक कागजात:-

(1) परियोजना प्रतिवेदन अनुदान:-

संलग्न है या नहीं

(i) परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने

वाले परामर्शी का नाम एवं पूरा पता-

(ii) यदि परियोजना प्रतिवेदन उद्योग विभाग से
मान्यता प्राप्त परामर्शी / उद्योग मित्र द्वारा तैयार
किया गया है तो उसका पत्रांक एवं दिनांक-

(पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न होना आवश्यक)

(iii) परामर्शी द्वारा लिए गए परियोजना शुल्क की राशि-

(शुल्क प्राप्ति रसीद संलग्न करें)

(iv) अनुदान दावा की राशि-

(v) **अनुलग्नक:-** - परियोजना प्रतिवेदन की अनुमोदित प्रति

- भुगतान की गई शुल्क प्राप्ति रसीद

- परामर्शी का निबंधन प्रमाण पत्र

(2) भूखण्ड / शेड पर दी जाने वाली अनुदान:-

(i) औद्योगिक क्षेत्र का नाम-

(ii) आवंटित भूखण्ड / शेड की विवरणी-

(a) मौजा का नाम / थाना नं.-

(b) खाता सं.-

(c) खेसरा सं.-

(d) प्लॉट नं. / भूखण्ड सं.-

(e) क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)-

(f) चौहद्दी :- उत्तर-

दक्षिण-

पूर्व-

पश्चिम-

(iii) कुल आवंटित भूमि का मूल्य-

(iv) भूमि / शेड का आवंटन पत्र का पत्रांक / दिनांक-

(v) आवंटित भूमि के लिए भुगतान की गई राशि-

(vi) भूखण्ड / शेड पर दी जाने वाली अनुदान दावा की राशि-

- (vii) **अनुलग्नक:-**
- भूमि आवंटन पत्र
 - भूमि प्राप्ति प्रमाण पत्र
 - मनी रसीद / अन्य प्रमाण पत्र
 - लीज एग्रीमेन्ट

(3) तकनीकी जानकारी शुल्क पर अनुदान :-

- (i) तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने वाले संस्थान / संगठन का नाम-
- (ii) प्राप्त तकनीकी जानकारी की संक्षिप्त विवरणी-
- (iii) संस्थान / संगठन द्वारा लिया गया शुल्क-
- (iv) तकनीकी जानकारी शुल्क पर अनुदान दावे की राशि-
- (v) **अनुलग्नक:-**
 - शुल्क की प्राप्ति रसीद
 - तकनीकी जानकारी की संक्षिप्त विवरणी

(4) पूंजीगत अनुदान :-

- (i) क्रय की गई संयंत्र एवं मशीनरी का विवरणी (सभी कर सहित)
- | नाम | राशि |
|-----|------|
|-----|------|

नोट - यदि आवश्यक हो तो अलग से शीट संलग्न करें।

- (ii) अनुदान के दावे की राशि -
- (iii) **अनुलग्नक** -
- क्रय की गई संयंत्र एवं मशीनरी का इनभाइस
 - अन्य प्रमाणक (परिवहन चालान / बैंक ड्राफ्ट / चेक / मनी रसीद)
 - चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित प्रमाणक

(5) गुणवत्ता प्रमाणन अनुदान -

- (i) गुणवत्ता प्रमाणन प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले संस्थान / संगठन का नाम एवं पता-
- (ii) गुणवत्ता प्रमाणन के लिए भुगतान किया गया शुल्क-
- (iii) अनुदान के दावे की राशि-
- (iv) **अनुलग्नक:-**
 - गुणवत्ता प्रमाण पत्र
 - भुगतान की गई शुल्क की प्राप्ति रसीद

(6) उपरोक्त सभी अनुदानों की कुल राशि :-

(अधिकतम छः सौ लाख रुपये परंतु 500 करोड़ रु. से अधिक पूंजी निवेश के मामले में पूंजीगत अनुदान की अधिकतम अनुमान्य राशि 30 करोड़ रु. होगी)।

घोषणा

एतद् द्वारा मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी जानकारी में दिये गये उपरोक्त विवरण एवं तथ्य सही है। यदि इसके बावजूद कोई तथ्य या विवरण गलत / असत्य पाया जाता है तो मेरे उपर उद्योग विभाग द्वारा लिए गये निर्णय मुझे मान्य होगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि यह अनुदान केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य सहयोगी संस्था से पूर्व में नहीं लिया गया है।

यह भी घोषणा करता हूँ कि क्रमांक 1 से 5 तक का कुल अनुदान राशि निर्धारित अधिसीमा के अन्तर्गत है।

आवेदक का हस्ताक्षर एवं तिथि

अन्य आवश्यक अनुलग्नक:-

- (i) उद्यमी ज्ञापन- II / स्थायी निबंधन प्रमाण पत्र/
विस्तार योजना की स्वीकृति
- (ii) इकाई का परियोजना प्रतिवेदन
- (iii) बिक्री कर क्लियरेंस प्रमाण पत्र
- (iv) **शपथ पत्र**- इकाई द्वारा यह घोषणा कि भूखण्ड / शेड अथवा संयंत्र एवं मशीनरी, जिसके लिए अनुदान का दावा किया गया है, का उपयोग औद्योगिक उत्पादन के लिए किया जाएगा और इकाई द्वारा इस योजना के अन्तर्गत प्राधिकृत पदाधिकारी के पूर्व अनुमति के बगैर स्थापना की तिथि से अगले पाँच वर्षों तक बिक्री, हस्तांतरण या अन्यत्र स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। ऐसा करने पर प्राप्त अनुदान की राशि निर्धारित सूद सहित उद्योग विभाग को वापस करूँगा।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

आदेश

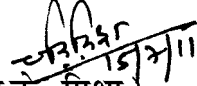
विषय:- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रक्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 अंतर्गत कंडिका 2(ii) परियोजना प्रतिवेदन अनुदान 2(iii) औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित औद्योगिक इकाइयों का भूखण्ड / शेड पर दी जानेवाली अनुदान 2(iv) तकनीकी जानकारी शुल्क पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता 2(vii) पूंजीगत अनुदान एवं 2(viii) गुणवत्ता प्रमाणन अनुदान के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन।

राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रक्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 अंतर्गत अनुमान्य उपरोक्त रियायतों, सुविधाओं एवं सहायता के कार्यान्वयन एवं विचारोपरांत स्वीकृति हेतु उद्योग निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में निम्न रूप से एक समिति का गठन किया जाता है:-

- | | |
|--|--------------|
| (1) उद्योग निदेशक, बिहार, पटना | अध्यक्ष |
| (2) निदेशक, तकनीकी विकास | सदस्य |
| (3) उप सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| (4) बिहार इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन के प्रतिनिधि | सदस्य |
| (5) बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि | सदस्य |
| (6) संयुक्त उद्योग निदेशक (प्रभारी प्रोत्साहन) | सदस्य |
| (7) उप उद्योग निदेशक (प्रभारी प्रोत्साहन) | सदस्य संयोजक |
| (8) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र | सदस्य |
| (9) विशेष आमंत्रित सदस्य (जहाँ आवश्यक हो) | सदस्य |

यह समिति औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के आलोक में निर्गत संकल्प संख्या-2437 दिनांक- 15.07.2011 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया एवं विन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगी एवं उनके अनुरूप कार्य करेगी।

2. समिति आवश्यकता अनुसार समय-समय पर विशेष आमंत्रित सदस्यों को आमंत्रित करेगी।


(सी.के. मिश्रा)

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-2442 / पटना, दिनांक : 15.07.2011

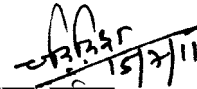
प्रतिलिपि:- उप सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। अनुरोध है कि प्रकाशित संकल्प की 500 प्रतियां उद्योग विभाग, बिहार सरकार को भेजी जाय।


प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-2442 / पटना, दिनांक : 15.07.2011

प्रतिलिपि- सभी विभागों / विभागाध्यक्षों / वाणिज्यकर आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग / प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग के सभी निगम / बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार / निदेशक, उद्योग / निदेशक, तकनीकी विकास / निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण / निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना / अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / निदेशक, एम. एस.एम.ई., पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना / मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
आदेश

विषय:- वृहत प्रक्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 अंतर्गत कंडिका 2(ii) परियोजना प्रतिवेदन अनुदान 2(iii) औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित औद्योगिक इकाइयों को भूखण्ड / शेड पर दी जानेवाली अनुदान 2(iv) तकनीकी जानकारी शुल्क पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता 2(vii) पूंजीगत अनुदान एवं 2(viii) गुणवत्ता प्रमाणन अनुदान के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन।

राज्य के वृहत प्रक्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अंतर्गत अनुमान्य उपरोक्त रियायतों, सुविधाओं एवं सहायता के कार्यान्वयन एवं विचारोपरान्त स्वीकृति हेतु प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में निम्नरूपेण एक समिति का गठन किया जाता है:-

- | | | |
|-----|--|--------------|
| (1) | प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना | अध्यक्ष |
| (2) | उद्योग निदेशक, बिहार, पटना | सदस्य |
| (3) | प्रधान सचिव, वाणिज्यकर विभाग, बिहार के प्रतिनिधि | सदस्य |
| (4) | बिहार इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन के प्रतिनिधि | सदस्य |
| (5) | बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि | सदस्य |
| (6) | निदेशक, तकनीकी विकास | सदस्य संयोजक |
| (7) | विशेष आमंत्रित सदस्य (जहाँ आवश्यक हो) | सदस्य |

यह समिति औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के आलोक में निर्गत संकल्प संख्या- 2437 दिनांक- 15.07.2011 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया एवं विन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगी एवं उनके अनुरूप कार्य करेगी।

2. समिति आवश्यकतानुसार समय-समय पर विशेष आमंत्रित सदस्यों को आमंत्रित करेगी।

(सी.के. मिश्रा)

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-2443 / पटना, दिनांक : 15.07.2011

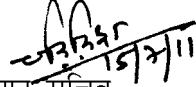
प्रतिलिपि:- उप सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। अनुरोध है कि प्रकाशित संकल्प की 500 प्रतियां उद्योग विभाग, बिहार सरकार को भेजी जाय।


प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-2443 / पटना, दिनांक : 15.07.2011

प्रतिलिपि- सभी विभागों / विभागाध्यक्षों / वाणिज्यकर आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग / प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग के सभी निगम / बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार / निदेशक, उद्योग / निदेशक, तकनीकी विकास / निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण / निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना / अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / निदेशक, एम. एस.एम.ई., पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना / मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

संकल्प

1. राज्य में बिजली की उपलब्धता में कमी के कारण उद्योगों की उत्पादन प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होता रहा है। इसका प्रतिकूल प्रभाव औद्योगिक उत्पादकता और राज्य के आर्थिक विकास पर पड़ा है।

2. अतः राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को विद्युत आपूर्ति की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 में कैपटिव पावर प्लांट / डीजल जेनरेटिंग सेट्स / गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत स्थापित करने वाली सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहत औद्योगिक इकाइयों को अनुदान देने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नांकित है:-

(I) उद्योगों द्वारा केवल औद्योगिक उत्पादन में व्यवहार के लिए कैपिटिव पावर प्लांट / डीजल जेनरेटिंग सेट्स/ गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के क्रय पर हुए व्यय की राशि पर निम्नानुसार अनुदान देय होगा।

(क) यह अनुदान राज्य के सभी औद्योगिक इकाइयों को कैपिटिव पावर प्लांट / जेनरेटिंग सेट की स्थापना में प्लांट एवं मशीनरी के क्रय पर हुए व्यय की राशि का 50% (पचास प्रतिशत) अनुदान के रूप में देय होगा।

(ख) कैपटिव पावर प्लांट / डी.जी. सेट का इकाई परिसर में स्थापना (Installation) व्यय पर कोई अनुदान अनुमान्य नहीं होगा।

(ग) यह सुविधा औद्योगिक इकाई के उत्पादन में आने के बाद देय होगी।

(II) अनुदान प्राप्त करने के लिए जेनरेटिंग सेट्स का नया और ग्रीन साइलेंट नेचर का होना चाहिए एवं साथ-साथ किसी ख्याति प्राप्त विनिर्माता के प्राधिकृत बिक्रेता / डीलर से क्रय किया गया हो। आयातित परन्तु नये सेट पर भी अनुदान देय होगा, परन्तु ग्रीन साइलेंट नेचर का होना आवश्यक होगा।

(III) यह अनुदान ऐसी सभी नई औद्योगिक इकाइयों (औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के परिशिष्ट-II में वर्णित इकाइयों को छोड़कर) को देय होगा जो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के परिशिष्ट-I की कंडिका-2 के अन्तर्गत परिभाषित है।

(IV) विद्यमान कार्यरत इकाइयों (Existing working Units) को भी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 लागू होने के बाद क्रय कर स्थापित की जाने वाली कैपिटिव पावर प्लांट या डी.जी. सेट पर यह अनुदान देय होगा।

(V) यह अनुदान कैपिटल पावर जेनरेशन हेतु गठित S.P.V. को भी देय होगा बशर्ते कि S.P.V. औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित इकाई हो अथवा उद्योग समूह के लिए गठित इकाई हो तथा उस S.P.V. के अधिकांश सदस्य उन इकाइयों से हो तथा उनके द्वारा औद्योगिक प्रांगण / औद्योगिक समूह में अवस्थित उद्योगों को विद्युत आपूर्ति की जाती हो।

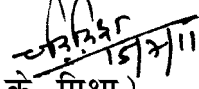
(VI) गैर पारम्परिक स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन करने हेतु प्लांट एवं मशीन पर हुए व्यय की राशि का 60% (साठ प्रतिशत) अनुदान उद्योग को देय होगा।

- (VII) इसके लिए कोई अधिसीमा निर्धारित नहीं की गई है। यह सुविधा विद्यमान इकाइयों को भी देय होगा बशर्ते मशीनों का क्रय एवं स्थापना औद्योगिक नीति के प्रभावी होने के बाद हो।
3. किसी इकाई को कितनी क्षमता के कैपटिव पावर प्लांट / डीजल जेनरेटिंग सेट्स की आवश्यकता होगी इसका निर्धारण का आधार बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा स्वीकृत लोड माना जायेगा। इकाइयाँ डीजल जेनरेटिंग सेट/ कैपटिव पावर प्लांट स्थापित करने के संबंध में एक लिखित सूचना पत्र विद्युत बोर्ड को देंगे।
 4. (क) सभी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयाँ आवेदन पत्र संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार को समर्पित करेगी जिसे वे 7 दिनों के अन्दर अनुशंसा सहित उद्योग निदेशालय को अग्रसारित करेंगे जिस पर निर्णय उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लिया जायेगा।
(ख) वृहत प्रक्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के मामले में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अन्तर्गत प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इकाई द्वारा संबंधित औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार या जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से उद्योग निदेशक को आवेदन समर्पित किया जायेगा।
 5. स्वीकृत पावर लोड से अधिक क्षमता के जेनरेटिंग सेट के अधिष्ठापन होने पर अधिकतम 150% (एक सौ पचास प्रतिशत) अनुपात में स्वीकृत पावर लोड के अनुसार अनुदान देय होगा।
 6. इस योजना का लाभ उठाने के लिए औद्योगिक इकाइयाँ उपर्युक्त पदाधिकारी के समक्ष अपना आवेदन पत्र परिशिष्ट-1 में दो प्रतियों में निम्नांकित कागजातों के साथ प्रस्तुत करेगी:-
(क) उद्यमी ज्ञापन-II की अभिप्रमाणित प्रति।
(ख) क्रय की गयी कैपटिव पावर प्लांट / डी.जी. सेट / गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का पूर्ण विवरण एवं संबंधित प्रमाणक की अभिप्रमाणित प्रति।
(ग) इकाई के औद्योगिक उत्पादन के लिए कैपटिव पावर प्लांट / डीजल जेनरेटिंग सेट / गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता के संबंध में विद्युत बोर्ड द्वारा स्वीकृत लोड का एग्रीमेन्ट की अभिप्रमाणित प्रति।
(घ) बिक्री कर क्लियरेंस प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
(ङ) शपथ पत्र जिसमें यह घोषणा हो कि कैपटिव पावर प्लांट / डीजल जेनरेटिंग सेट्स, जिसके बावत अनुदान का दावा किया गया है, द्वारा उत्पादित ऊर्जा का व्यवहार संबंधित औद्योगिक इकाई द्वारा औद्योगिक उत्पादन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजनार्थ नहीं किया जायेगा और यह कि इकाई द्वारा इस योजना के अन्तर्गत प्राधिकृत पदाधिकारी की पूर्व अनुमति के बगैर सेट्स स्थापना की तिथि से अगले पांच वर्षों तक बिक्री हस्तांतरण या अन्यत्र स्थानांतरण नहीं किया जायेगा। साथ ही साथ इकाई को यह भी घोषणा करना आवश्यक है कि इस परियोजना हेतु कहीं अन्यत्र से अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।
 7. औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के प्रबंध निदेशक तथा जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्रों एवं उसके साथ संलग्न कागजातों की गंभीरतापूर्वक जांच कर अनुदान की अनुमान्यता के संबंध में आश्वस्त होकर ही आवेदन अनुशंसित करेंगे। अनुशंसा के पूर्व स्थल निरीक्षण अनिवार्य है। इकाई से प्राप्त सभी अनुलग्नक संबंधित महाप्रबंधक / प्रबंध निदेशक अभिप्रमाणित कर ही अनुशंसित करेंगे।
 8. अनुदान प्राप्त करने वाली इकाइयाँ अपना त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन नियमित रूप से संबंधित जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक / प्राधिकार को भेजेगी।

9. उद्योग विभाग को यह अधिकार है कि समय-समय पर विभिन्न कोटि के उद्योगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इकाइयों को अनुदान स्वीकृत करे या प्राथमिकता निर्धारित करे।
10. अनुदान के दुरुपयोग करने पर अथवा इस संकल्प में विहित शर्तों के उल्लंघन करने पर इकाइयों से दिए गए अनुदान की पूरी राशि सूद सहित वसूली की जायेगी।
11. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिला / विकलांग वर्ग के उद्यमियों को 5% (पाँच प्रतिशत) अधिक अनुदान अनुमान्य होगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों / विभागाध्यक्षों और अधीनस्थ पदाधिकारियों को प्रेषित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

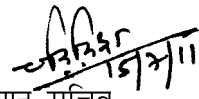

(सी.के. मिश्रा)

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-2438 / पटना, दिनांक : 15.07.2011

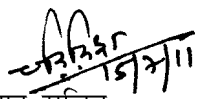
प्रतिलिपि- उप सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। अनुरोध है कि प्रकाशित संकल्प की 500 प्रतियां उद्योग विभाग, बिहार सरकार को भेजी जाय।


प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-2438 / पटना, दिनांक : 15.07.2011

प्रतिलिपि- सभी विभागों / विभागाध्यक्षों / वाणिज्यकर आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग / प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग के सभी निगम / बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार / निदेशक, उद्योग / निदेशक, तकनीकी विकास / निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण / निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना / अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / निदेशक, एम. एस.एम.ई., पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना / मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

SUBSIDY FORM

Form of application for grant of subsidy on purchase and the installation of Captive Power Plant / Diesel generating sets. (Vide Government of Bihar, Department of Industries resolution no. 691, dated the 09th June, 2011)

From,

.....

.....

To,

MANAGING DIRECTOR,
Bihar Industrial Area Development Authority,
Patna.

GENERAL MANAGER,
District Industries Centre.

.....

Dear Sir,

I,....., Son of.....
 Proprietor / Partner / Karta / Managing Director / Chairman on behalf of the undertaking known
 as.....hereby apply for grant of subsidy of
 Rs.....(Rupees.....) towards
 the capital investment made by the undertaking on purchase of captive power plant / diesel generating
 set for power supply for production purposes under the existing terms and conditions of the scheme.
 Necessary particulars are furnished below :

1. Name of the unit :
2. Address :
Office-
Tel. no., if any-
Factory-
Tele no., if any-
3. Constitution :
Proprietor / Partnership / Private Ltd. / Public Ltd., etc.
4. Name and address of the Proprietor/
Partners / Directors :
5. No. and date of license / IEM from Government of India / Registration issued by the Director of Industries or Competent Authority there under (attested copy of license / Certificates are enclosed).
6. Date of commencement of production / processing / servicing operation :

7. Items of manufacture, installed capacity, percentage of capacity utilisation, production and sales of the unit:
8. Capital structure :
 - A. Fixed capital investment-
 - (a) Land.....
 - (b) Building.....
 - (c) Plants and machinery.....
 - B. Working capital.....
 - C. Source of Finance.....

(if financial assistance is received from Banks / Financial Institutions, its break up, e.g. term loan, working capital loan etc. should be furnished).
9. Employment :
 - (a) Skilled.....
 - (b) Semi-skilled.....
 - (c) Unskilled.....
 - (d) Managerial and Supervisory.....
 - (e) Other categories.....
10. Power requirement :
 - (a) Present requirement (Max. demand)
 - (b) Permitted off-take (Max. demand)
 - (c) Average load factor of the unit.
 - (d) Source of supply.....
11. Details of power generating set (s) purchased and installed at the factory premises of the unit for generation of captive power for production purposes of the unit :
 - (i) Number and generation
capacity of each set purchased and installed before 01.07.2011 and on and after 01.07.2011.
Set's capacity, date of purchase and date of installation
 - (ii) Indigenous / imported whether the indigenous set manufacture by reputed company.
 - (iii) Name and address of supplier.
 - (iv) (a) Cost of purchase of Generating set(s)
(b) Cost of installation of generating set (s).
 - (v) Date (s) commissioning of the set (s) for commercial production of the unit.
 - (vi) Whether the total capacity of the installed generating set (s) is in excess of the power requirement of the unit for the purpose of industrial production; if not, the reason therefore.

12. Sources of finance to meet investment on purchase installation of the generating set (s) :
13. Amount of subsidy claimed in this application :
14. List of supporting documents / enclosures. This should include :
 - (i) A report from a Chartered Accountant, certifying the correctness of the statement and particulars furnished in this application.
 - (ii) Up-to-date sales tax clearance certificate.
 - (iii) An affidavit sworn before a 1st Class Magistrate / Notary to be effect that the captive power generating sets for which subsidy has been claimed, and not be used by the unit for any other than the purpose of industrial production of the unit and that the sets purchased and installed shall not be sold or transferred or shifted elsewhere within a period of five years from the date of installation without prior permission of the State Government or an officer authorised in this behalf.

Signature and status of the applicant
Seal of the applicant's unit.

Encl :-

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषय:- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को नई औद्योगिक नीति 2011 के अन्तर्गत कैपटिव पावर प्लांट / डीजल जेनरेटिंग सेट / गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की स्थापना हेतु देय अनुदान के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन।

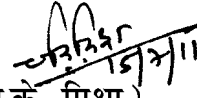
राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र उद्योगों की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011 के अंतर्गत अनुमान्य रियायतों, सुविधाओं एवं सहायता के कार्यान्वयन एवं विचारोपरान्त स्वीकृति हेतु उद्योग निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में निम्न रूप से एक समिति का गठन किया जाता है:

- | | |
|---|------------|
| (i) उद्योग निदेशक, बिहार, पटना | अध्यक्ष |
| (ii) उप सचिव, उद्योग विभाग | सदस्य |
| (iii) वाणिज्यकर विभाग के प्रतिनिधि | सदस्य |
| (iv) संयुक्त उद्योग निदेशक (प्रभारी प्रोत्साहन) | सदस्य |
| (v) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना | सदस्य |
| (vi) उप उद्योग निदेशक (प्रभारी प्रोत्साहन) | सदस्य सचिव |

2. यह समिति औद्योगिक नीति, 2011 के आलोक में निर्गत संकल्प संख्या- 2438 दिनांक : 15.07.2011 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया एवं बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगी एवं उनके अनुरूप कार्य करेगी।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों / विभागाध्यक्षों और अधीनस्थ पदाधिकारियों को प्रेषित किया जाय।

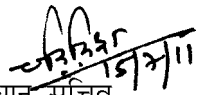
बिहार राज्यपाल के आदेश से


(सी.के. मिश्रा)

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-2444 / पटना, दिनांक : 15.07.2011

प्रतिलिपि- उप सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। अनुरोध है कि प्रकाशित संकल्प की 500 प्रतियां उद्योग विभाग, बिहार सरकार को भेजी जाय।


प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-2444 / पटना, दिनांक : 15.07.2011

प्रतिलिपि- सभी विभागों / विभागाध्यक्षों / वाणिज्यकर आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग / प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग के सभी निगम / बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार / निदेशक, उद्योग / निदेशक, तकनीकी विकास / निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण / निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना/ अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / निदेशक, एम. एस.एम.ई., पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना / मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

संकल्प

राज्य के वृहत प्रक्षेत्र उद्योगों की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011 के अंतर्गत अनुमान्य रियायतों, सुविधाओं एवं सहायता के कार्यान्वयन एवं विचारोपरान्त स्वीकृति हेतु प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में निम्न रूप से एक समिति का गठन किया जाता है:

- | | |
|---|------------|
| (i) प्रधान सचिव, उद्योग विभाग | अध्यक्ष |
| (ii) प्रबंध निदेशक, बियाडा (जहाँ आवश्यक हो) | सदस्य |
| (iii) प्रधान सचिव, वाणिज्यकर विभाग के प्रतिनिधि | सदस्य |
| (iv) सचिव, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के प्रतिनिधि | सदस्य |
| (v) निदेशक, तकनीकी विकास | सदस्य |
| (vi) उद्योग निदेशक | सदस्य सचिव |

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों / विभागाध्यक्षों और अधीनस्थ पदाधिकारियों को प्रेषित किया जाय।

(सी.के. मिश्रा)

ज्ञापांक-2445 / पटना, दिनांक : 15.07.2011

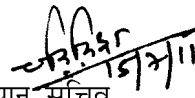
प्रतिलिपि- उप सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। अनुरोध है कि प्रकाशित संकल्प की 500 प्रतियां उद्योग विभाग, बिहार सरकार को भेजी जाय।

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-2445 / पटना, दिनांक : 15.07.2011

प्रतिलिपि- सभी विभागों / विभागाध्यक्षों / वाणिज्यकर आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग / प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग के सभी निगम / बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार / निदेशक, उद्योग / निदेशक, तकनीकी विकास / निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण / निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना / अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / निदेशक, एम. एस.एम.ई., पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना / मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

संकल्प

प्रेषक,

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना।

महाप्रबंधक

सभी जिला उद्योग केन्द्र।

विषय:- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों को वाणिज्यकर / वैट संबंधी प्रोत्साहन दिए जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर कहना है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 में एम.एस.एम.ई. / वृहत उद्योगों को वैट की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के आलोक में निम्नांकित रूप से दिशा-निर्देश निर्धारित किया जाता है :-

- (i) पात्र औद्योगिक इकाइयों को राज्य सरकार (उद्योग विभाग) द्वारा एक पासबुक (पेपर/इलेक्ट्रॉनिक) निर्गत किया जायेगा, जिसमें वित्त (वाणिज्यकर) विभाग को बिहार वैट के मद में भुगतान किए गए करों का ब्योरा रहेगा।
- (ii) पात्र औद्योगिक इकाइयों को महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र / प्रबंध निदेशक, बियाडा द्वारा पासबुक निर्गत किया जाएगा, जो इकाई के उत्पादन में रहने एवं कार्यरत रहने के आधार पर भुगतान का सत्यापन करेंगे।
- (iii) नई इकाइयों के लिए सरकार के खाता में जमा की गयी स्वीकृत वैट की राशि के विरुद्ध 80% (अस्सी प्रतिशत) प्रतिपूर्ति सभी श्रेणियों के उद्योगों को 10 (दस) वर्षों की अवधि के लिए किया जाएगा। प्रतिपूर्ति की अधिकतम राशि पूंजी निवेश का 300% (तीन सौ प्रतिशत) होगा।
- (iv) नई औद्योगिक इकाइयों को वैट के अन्तर्गत आउटपुट टैक्स में प्रवेश कर (Entry Tax) की राशि समायोजित होने की स्थिति में प्रवेश कर मद में भुगतान की गई राशि को वैट की 80% राशि की प्रतिपूर्ति में सम्मिलित किया जायेगा।
- (v) विभ्रेज एवं डिस्टिलरी की नई औद्योगिक इकाइयों को वैट की प्रतिपूर्ति मात्र 25% (पच्चीस प्रतिशत) की अधिसीमा तक ही की जायेगी, जो 10 (दस) वर्षों के लिए होगी एवं पूंजी निवेश के 300% (तीन सौ प्रतिशत) तक देय होगी।
- (vi) वर्तमान में कार्यरत (Existing Unit) औद्योगिक इकाइयों को भी स्वीकृत वैट राशि के विरुद्ध राज्य सरकार के खाता में जमा वैट / प्रवेश कर की राशि का 25% (पच्चीस प्रतिशत) प्रतिपूर्ति की जायेगी। यह प्रतिपूर्ति इकाइयों को लगातार पाँच वर्षों की अवधि तक ही अनुमान्य होगी।
- (vii) कार्यरत इकाइयों द्वारा विस्तार किए जाने पर उनको भी Expended Portion की सीमा तक ही अनुमान्य होगी।
- (viii) औद्योगिक इकाइयों को वैट की प्रतिपूर्ति करने में सुविधा हो इसके लिए प्रतिपूर्ति की राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बन्धित जिला के वाणिज्यकर विभाग के अंचल पदाधिकारी होंगे। अंचल पदाधिकारी का

दायित्व होगा की प्रतिपूर्ति की राशि की निकासी कर जाँचोपरान्त इकाई को भुगतान करेंगे एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक 3 (तीन) माह पर वाणिज्यकर आयुक्त के माध्यम से उद्योग विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

- (ix) औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 एवं उसके संकल्प परिपत्र एवं अधिसूचना आदि शर्तों को जो औद्योगिक इकाइयाँ पूरा करती हों वह पात्र इकाई माना जायेगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम तथा वृहत प्रक्षेत्र की इकाइयों को पात्रता प्रमाण पत्र प्रबंध निदेशक, बियाडा (बियाडा क्षेत्र के लिए) तथा जिला के लिए महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा निर्गत किया जायेगा। सम्बन्धित पदाधिकारी आवेदन पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर पात्रता प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। पात्रता प्रमाण पत्र में इकाई का कार्यरत होना औद्योगिक नीति 2011 के अन्तर्गत पात्रता एवं इकाई द्वारा कुल पूंजी निवेश का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक होगा।
- (x) इकाई को 10 वर्षों / 5 वर्षों (पुरानी इकाइयों के लिए) पासबुक निर्गत किया जायेगा, जिसपर इकाई के कार्यरत रहने का प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा अंकित किया जायेगा।
- (xi) वेट की प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग विभाग के द्वारा वाणिज्यकर विभाग को वित्तीय वर्ष में एक मुश्त राशि उपलब्ध कराया जायेगा तथा वाणिज्यकर विभाग अपने अंचल के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध करायेंगे तथा उनसे प्रत्येक 3 (तीन) माह पर उपयोगिता प्रतिवेदन प्राप्त कर उद्योग विभाग को उपलब्ध करायेंगे, ताकि आवश्यक बजट उपबंध कराया जा सके।

विश्वासभाजन

(सी.के. मिश्रा)

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 2446 / पटना, दिनांक : 15.07.2011

प्रतिलिपि :- उप सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। अनुरोध है कि प्रकाशित संकल्प की 500 प्रतियां उद्योग विभाग, बिहार सरकार को भेजी जाय।

(सी.के. मिश्रा)

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 2446 / पटना, दिनांक : 15.07.2011

प्रतिलिपि : सभी विभागों / विभागाध्यक्षों / वाणिज्यकर आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग / प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग के सभी निगम / बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार / निदेशक, उद्योग / निदेशक, तकनीकी विकास / निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण / निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना / अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / निदेशक, एम. एस.एम.ई., पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना / मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सी.के. मिश्रा)

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ANNEXURE-I

- (a) Name of the Units
Address
.....
- (b) Registration No. & Date under VAT :
- (c) Item of Registration
- (d) Item for which refund claimed (VAT & Entry Tax)
- (e) Date of Production
- (f) Period
- (g) Any refund claimed during the period (give details)
- (h) Admissible Amount

Signature of Issuing Officer
With seal

PASS BOOK

[illegible]

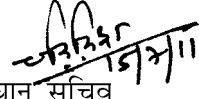
Note : The Pass Book must be signed by concerned Commercial Tax Officer in-charge of Circle.

संकल्प

66

ज्ञापांक- 2447 / पटना, दिनांक : 15.07.2011

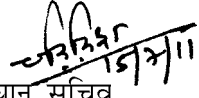
प्रतिलिपि :- उप सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। अनुरोध है कि प्रकाशित संकल्प की 500 प्रतियां उद्योग विभाग, बिहार सरकार को भेजी जाय।


प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 2447 / पटना, दिनांक : 15.07.2011

प्रतिलिपि- सभी विभागों / विभागाध्यक्षों / वाणिज्यकर आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग / प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग के सभी निगम / बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार / निदेशक, उद्योग / निदेशक, तकनीकी विकास / निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण / निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना / अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / निदेशक, एम. एस.एम.ई., पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना / मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

संकल्प

राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र उद्योगों की समस्या के प्रभावकारी निदान हेतु राज्य सरकार कृतसंकल्प है। पुनर्वास योग्य रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास हेतु बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अधीन अनुमान्य रियायतों, सुविधाओं एवं सहायता के अध्यधीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र की ऐसी इकाइयों के पुनर्जीवन हेतु उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में निम्न रूप से एक समिति गठित करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है:-

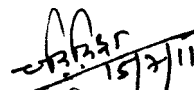
- आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों / विभागाध्यक्षों और अधीनस्थ पदाधिकारियों को प्रेषित किया जाय।

(सी. के. मिश्रा)

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-2448 / पटना, दिनांक : 15.07.2011

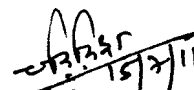
प्रतिलिपि- उप सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। अनुरोध है कि प्रकाशित संकल्प की 500 प्रतियां उद्योग विभाग, बिहार सरकार को भेजी जाय।


प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-2448 / पटना, दिनांक : 15.07.2011

प्रतिलिपि- उपरोक्त समिति के सभी सदस्यों / सभी विभागों / विभागाध्यक्षों / वाणिज्यकर आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग / प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग के सभी निगम / बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार / निदेशक, उद्योग / निदेशक, तकनीकी विकास / निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण / निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना / अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / निदेशक, एम.एस.एम.ई., पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना / मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

**बिहार सरकार
उद्योग विभाग**

संकल्प

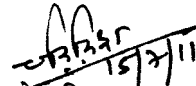
विषय:- वृहद क्षेत्र के रुग्ण उद्योगों के पुनर्वास हेतु प्रधान सचिव, उद्योग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन।

वृहद औद्योगिक प्रक्षेत्र के रुग्ण उद्योगों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार के औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अधीन प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है, जो वृहद प्रक्षेत्र में पुनर्जीवन की संभावना रखने वाले गैर बी.आई.एफ.आर. रुग्ण औद्योगिक इकाइयों एवं लोक उपक्रमों के लिए उपयुक्त उपाय करेगी। इकाइयों के पुनर्जीवन हेतु यथावश्यक तथा नीतिगत वक्तव्य में वर्णित बिन्दुओं समेत रियायतों एवं सुविधाओं की अनुशंसा यह समिति करेगी एवं अनुशंसाएँ अन्तिम निर्णय हेतु राज्य सरकार के समक्ष मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पहले से गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति के माध्यम से रखी जाएगी। समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

- | | |
|--|----------------|
| 1. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना | - अध्यक्ष |
| 2. वित्त आयुक्त या उनके प्रतिनिधि | - सदस्य |
| 3. वाणिज्य-कर आयुक्त, बिहार, पटना | - सदस्य |
| 4. सचिव, सांस्थिक वित्त, बिहार, पटना | - सदस्य |
| 5. अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत पर्षद, पटना | - सदस्य |
| 6. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम | - सदस्य |
| 7. राज्य स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति, पटना के संयोजक | - सदस्य |
| 8. महाप्रबंधक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, पटना | - सदस्य |
| 9. निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना | - सदस्य संयोजक |
2. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 की वृहद प्रक्षेत्र में रुग्णता के कंडिका (i) से (iv) में वर्णित प्रक्रिया एवं बिन्दुओं तथा नीतियों का अनुपालन यह समिति सुनिश्चित करेगी।
3. यह समिति इकाइयों के पुनर्जीवन हेतु यथावश्यक रियायतों एवं सुविधाओं की अनुशंसा करेगी जिस पर राज्य सरकार के समक्ष अंतिम निर्णय हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पहले से ही गठित राज्य स्तरीय उच्च प्राधिकृत समिति के माध्यम से रखा जायेगा।
4. समिति की बैठक हेतु किसी भी व्यक्ति को कोई भी भत्ता देय नहीं होगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों / विभागाध्यक्षों और अधीनस्थ पदाधिकारियों को प्रेषित किया जाए।

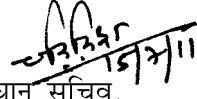
बिहार राज्यपाल के आदेश से


(सी. के. मिश्रा)

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 2449 / पटना, दिनांक : 15.07.2011

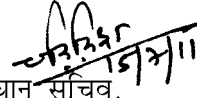
प्रतिलिपि- उप सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। अनुरोध है कि प्रकाशित संकल्प की 500 प्रतियां उद्योग विभाग, बिहार सरकार को भेजी जाय।


प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 2449 / पटना, दिनांक : 15.07.2011

प्रतिलिपि- उपरोक्त समिति के सभी सदस्यों / सभी विभागों / विभागाध्यक्षों / उद्योग विभाग के पदाधिकारी / अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत पर्षद / बिहार राज्य वित्तीय निगम, पटना / बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम / वाणिज्य कर आयुक्त, बिहार, पटना / प्रबंधक, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, पटना / निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान, पटना / मुजफ्फरपुर / राज्य स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति, पटना / बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, पटना / रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पटना / भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, पटना / बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, पटना / सी.आई.आई. बिहार क्षेत्र, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

INDUSTRIAL POLICY

2006

INDUSTRIAL INCENTIVE POLICY BIHAR - 2006

Resolution

SUBJECT : INCENTIVE POLICY-2006 FOR ACCELERATED INDUSTRIAL GROWTH OF THE STATE

Today there is a requirement to provide a new industrialised shape full of industries to Bihar State. There is a need to establish new industries and to revive the sick and closed units of the state. For this purpose favourable environment should be created to attract the investors of state and from abroad. In this connection the Industrial Policy - 2003 has been reviewed. After reviewing the policy, a decision has been taken to prepare a new industrial policy in the present circumstances so that there may be a balanced industrial growth in the state. In the light of the aforesaid facts a new Industrial Incentive Policy - 2006 has been prepared in consultation with Bihar Industries Association, Bihar Chamber of Commerce, Confederation of Indian Industry and all concerned Government Departments. In the preparation of this policy the Industrial policies of different states have been kept in view. Under this Industrial Incentive Policy- 2006 there are provisions for granting pre production incentive of subsidy/exemption from stamp duty and registration fee and post production incentive of grant/exemption for preparation of project reports, purchase of land/shed, technical know-how, captive power generation/diesel generating set, quality certificate. VAT, luxury tax, electricity duty, conversion fee, market fee etc. With the implementation of this Industrial Incentive Policy- 2006, it is expected that there will be growth in the per capita income of the state and industrial growth as well as accelerated employment opportunities.

1.2 STRATEGY :

- (i) To create favourable circumstances in order to establish industries in the State so that among the investors, there may be positive communication.
- (ii) Bihar Single Window Clearance Act - 2006 - To promote all round development of the state and industrial growth rapid clearance procedures for establishing industries, to issue license and certificates, to provide a congenial atmosphere to the investors of Bihar state and in this regard and for other concerned subjects Bihar Single Window Clearance Act - 2006 has been enacted.
- (iii) Bihar Infrastructure Development Enabling Act- 2006 - To provide for rapid development of physical and social infrastructure in the State and to attract private sector participation and to provide for a comprehensive legislation for designing, financing, construction, operation, maintenance of infrastructure projects, so that administrative and procedural delays are reduced, for identifying generic project risks, Bihar Infrastructure Development Enabling Act, 2006 has been enacted.
- (iv) In order to simplify the inspection of factories, provision of self-certification will be made.
- (v) Industrial growth is adversely affected due to the complicated labour laws. Such labour laws will be made simple and development oriented.

- (vi) Human resources will be developed in such a way, which can promote and create industrialisation of high degree. Besides existing different institutions will be strengthened to improve skill.
- (vii) Land Bank- To meet the requirement of land for industries and development schemes, Land Bank will be established in the state. By this Bank, Land will be made available according to the requirements to different industries and for development schemes.
- (viii) Marketing arrangements will be made for small, tiny, cottage industries, handloom and handicraft.
- (ix) For the creation of the basic facilities of international level, to enhance capital investment in the industrial areas and invite the private sector for investment and to encourage public private partnership for this purpose.
- (x) Development of Infrastructure.
- (xi) In order to revive sick units, to identify such units and to suggest necessary remedial measures and to prevent sickness by developing a district level monitoring system.
- (xii) To develop handicraft, handloom, khadi, silk and village industries.

Incentives/exemption facilities for Industries in Bihar to accelerate Industrial development and to attract investments.

1. PRE - PRODUCTION INCENTIVES :

Stamp duty and Registration fee:

Tiny, small, medium and large scale industries which are to be established in the industrial area/ shed and outside the area of the Authority will enjoy the full (100%) exemption in stamp duty and registration fee in lease / sale / transfer. This facility will be granted only for the first time and thereafter will not be granted.

2. POST-PRODUCTION INCENTIVES :

(i) Project- Report Incentive:

Reimbursement of the cost incurred in the project report preparation by the industrial units at the rate of 50% subject to a maximum of Rs.75,000/- will be made available provided, the project report is prepared by any of the firms recognised by the Industry Department. The reimbursement will be made to the unit after commencement of the production.

(ii) Incentive granted on land/Shed:

The Industrial Units located in Bihar Industrial Area Development Authority / Export Promotion Industrial Park / Food Park / Agri Export Zone would be eligible for the following incentive / subsidy. These facilities / concession to the industrial units will be made available only after the commencement of production.

Sl. No.	Industry	Grant
1.	Small/Tiny units/Financial Limit.	50% or 7.50 lacs (Maximum)
2.	All large/Medium/Mega units/Financial limits	25% or 15 lacs (Maximum)

(iii) Financial assistance for Technical-know-how:

If an entrepreneur obtains Technical Know-how from any recognised National research center/ laboratory or institution to establish or to expand his industry, he will be reimbursed 30% (maximum Rs. 15.00 lacks) of the fee paid to the institution/organisation for the technical know-how. This facility will be provided to the unit after commencement of production.

(iv) Incentive Grant for capital investment on Captive Power Generation/Diesel Generating Set:

50% (Fifty percent) of the amount Spent on plant and machinery in the establishment of Captive Power Generation/Diesel Generating set will be granted to the industry. No upper limit for this amount has been fixed. This facility will be made available after the unit comes into production.

(v) New industrial units will be granted relief from payment of electricity duty under the Bihar Electricity Duty Act, 1948 for the generation and for own consumption of electricity from D.G. Set and Captive Power Units.

(vi) Subsidy / Incentive on VAT :

This facility will be available to Small / large / medium industries. The industrial unit will get a passbook from the State Government in which the details of the tax paid under Bihar VAT would be entered and verified by the commercial Taxes Department in the form prescribed in Appendix - III. The Director, Industries will be authorised to pay the incentive amount on the basis of the verification. The new Units will avail 80% reimbursement against the admitted VAT amount deposited in the account of the Government, for a period of ten years. The maximum Subsidy amount is payable 300% of the capital Invested.

Clarification : The incentive would not be payable on the amounts imposed as penalty and the difference of amount between tax assessed and accepted under the Central Sales Tax/Bihar Value Added Tax Act,2005 and Bihar Entry Tax Act.

(vii) Zero VAT :

Zero VAT means the production of items, which do not attract VAT. Such units which produce items attracting zero VAT and Pay income tax would be eligible for incentive upto a maximum utilization of 70% of the installed capacity (maximum limit) as per para (vi) above. Incentive will be payable after the inspection/recommendation by a committee constituted under the chairmanship of the Director Industries on the basis of inspection and recommendation by technical officer of the Department.

(viii) Besides aforesaid subsidy / concessions, the following exemptions will be provided :

- a. 100% exemption for seven years in luxury tax for seven years
- b. 100% exemption in electricity duty for seven years.
- c. 100% exemption in conversion charge.
- d. 100% exemption in market Fee for seven years.

(ix) Facilities granted for the units working under adverse situation:

Such working units which have been working under adverse situation for years will be reimbursed 25 percent of the deposited VAT amount in the account of state government against admitted VAT amount. This reimbursement will be admissible for five years continuously.

(x) Industrial Rehabilitation Fund :

In order to revive the sick and closed industry, with the co-operation of the Commercial Banks, the State Government and Bihar Industry Association, a corpus fund will be created.

(xi) S.C / S.T / Women / Handicapped :

- a. Under this category, entrepreneurs will avail 5% additional grant/exemption/subsidy than the limit fixed under this policy.
- b. Up to a turnover limit of Rs.30 lakhs per annum S.C / S.T. / Women / Handicapped category entrepreneurs who run small and tiny industries will avail 100% subsidy of the deposited amount in the account of Government in the form of VAT for a period of ten years.

(xii) Exemption from AMG / MMG :

Working units at present and new units will avail exemption from AMG / MMG from the date of declaration of the New Industrial Policy. This facility will be granted for five years.

(xiii) Central Sales Tax (CST) :

Only 1% CST will be payable on the items produced by the registered small and medium units in Bihar.

3. INDUSTRIAL SICKNESS :

3.1 Rehabilitation of Sick Units

Industrial sickness is a part of the process of industrialisation. It leads to unemployment, blockage of capital, loss of state revenue and non-utilisation of assets. Hence it is necessary to take proper steps in order to rehabilitate the sick industries. As such govt. is concerned about this and would take the following steps to stem sickness and revive sick industries.

3.2 Small Sector

(i) State Level Committee :

For the rehabilitation of small industry a State Level Committee under the chairmanship of Director of Industries will be constituted. Its members comprise representatives from the banks, financial institutions, Reserve Bank of India, Industries Association, experts and Government.

- (ii) The above committee would be empowered with necessary statutory powers in order to rehabilitate the sick industry so that approved rehabilitation package may be implemented effectively.
- (iii) The guidelines of the Reserve Bank of India / IDBI / SIDBI would be relied upon to identify sickness in sick and small units. Appropriate rehabilitation package would be approved for their rehabilitation.
- (iv) The sick industries being revived will not require sickness certificate on an annual basis, instead the revival package shall specify the period of revival of sick units.
- (v) The industry declared sick by the State Level Committee would be eligible to receive reliefs and concessions from banks and financial institution as per instructions of RBI. These concessions and reliefs will be considered to be given within a definite time frame.

- (vi) After the identification of sickness within a prescribed time frame the rehabilitation package would be prepared and the state level institutions would monitor the sick industries and their rehabilitation.
- (vii) Those sick and closed units which have availed the benefits of any Industrial Policy in the past can avail even second time the facilities under this policy. If any sick or closed unit wants to avail the benefits under the Industrial Policy for the second time it will avail only the difference between the prior availed amount and the proposed amount under new policy. But this facility for rehabilitation to the unit will be made available only on the recommendation of the concerned committee constituted by the State Government. Such facility to the unit can be made available maximum of two times only.

(viii) Facility provided to the sick and closed units:

Exemptions from Annual Minimum Guarantee (AMG), Monthly Minimum Guarantee (MMG) and Delayed Payment Surcharge (DPS) would be available to the unit from the date of declaration of the unit as a sick unit. This facility would be admissible for a period of five years.

3.3 Sickness in Medium and Large Industries:

- (i) A committee would be constituted under the chairmanship of Secretary Industry to explore the possibility and determine remedies for the revival of medium and large scale industries and Public Sector Undertakings (PSUs) which are sick and not referred to the BIFR and have a potential for revival. The recommendations of the above committee detailing the reliefs and concessions shall be placed for approval before the high-powered committee existing under the chairmanship of the Chief Secretary.
- (ii) The rehabilitation package envisaged by BIFR /IRB I/BICICO /BSFC /Bank and state level inter institutional committee shall be placed before the committee under the chairmanship of the Secretary, Industry for consideration and recommendation of Government.
- (iii) Sick Industry means such industry, which has been registered by the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR).
- (iv) Decision regarding closed industrial units shall be taken by a State Level Committee constituted under the chairmanship of Secretary Industries Department.
- (v) Those sick and closed units which have availed the benefits of any Industrial Policy in the past can avail even second time the facilities under this policy. If any sick or closed unit wants to avail the benefits under the Industrial Policy for the second time it will avail only the difference between the prior availed amount and the proposed amount under new policy. But this facility for rehabilitation to the unit will be made available only on the recommendation of the concerned committee constituted by the State Government. Such facility to the unit can be made available maximum of two times only.

(vi) Facilities to sick and closed units:

Exemption of Annual Minimum Guarantee (AMG), Monthly Minimum Guarantee (MMG) and delayed payment surcharge to the unit will be granted from the date of declaration of unit as a sick unit. This facility will be available for five years.

4. FACILITIES FOR EXPANSION-DIVERSIFICATION AND MODERNISATION OF UNIT :

Those units undergoing Expansion/Diversification/Modernisation will be eligible for incentives, upon their incremental production as described in Para 2.

5. INCENTIVE ON QUALITY CERTIFICATION :

75% of cost incurred in obtaining certificate of I.S.O. standard (or equivalent) from reputed national/international level organizations, would be reimbursed by the State Government.

6. INFORMATION TECHNOLOGY MISSION:

6.1 The State Government would launch an I.T Mission for the development of Information Technology Industries with the following objectives:

- (i) Economic Development.
- (ii) Human Resource Development
- (iii) To provide simple, effective and transparent administration.
- (iv) State of the Art Communication System

6.2 The State Government will provide the following relief / incentive to the Information Technology Sector for its rapid development. It has been observed that several rules and regulations applicable to industry need not be required for the I.T. industry. As such, there would be a provision of self certification and software units would be exempted from the following:

- (i) Pollution Control Act to be effective only as per Govt. of India guidelines.
- (ii) Legal Power Cuts.
- (iii) Zoning Regulations in respect of location.

The following exemptions under the relevant Acts will be applicable to the I.T industries:

- (i) The I.T. Industry will be added in schedule-1 of the Bihar Shops and Establishment Act 1953 and concessions under sections 7,8 and 12 (I) shall be extended to it. By this the industry would be given exemption from the provisions relating to the hours of business and weekly closure.
- (ii) The hours of work for women employees would be relaxed under section 66 of the factories Act, 1948. Accordingly for I.T. establishments, Women would be able to work between 5 Am and 10 Pm instead of 6Am to 7 Pm in such establishments.
- (iii) I.T industry will be provided with exemptions under section 87 of the Employees State Insurance Act 1948.
- (iv) The information Technology industry will be added as an independent employment in the schedule of minimum wages Act 1948 so that the workers may be classified separately.

6.3 Information Technology and Biotechnology industries established in the state would qualify for the incentives under para-2 of the policy. All incentives applicable to industries would also be automatically available to I.T. and Biotechnology Industry.

6.4 The Industry Department will promote Biotechnology and Information Technology on priority basis in industrial areas.

7. HANDLOOM SECTOR :

- (i) Electricity Tariff- In view of the state power loom to be competitive with the power loom sector of other states, there will be a provision of electricity grant of 75 paise per unit of in electricity tariff.
- (ii) Quality power supply- will be made available for power looms.
- (iii) Workshop-cum-residence scheme for weavers- In weavers dominated area, scheme of construction of common facility centre and in case weavers do not have the room, land, construction of Government shed would be implemented. All the facilities available under Cluster Development Programme would be available to weavers. Arrangements for training under the scheme would be made.
- (iv) Establishment of Integrated Textile Park- Textile Park will be established in the State. By this improvement and design, quality up-gradation and assistance in marketing would be available to the weavers.
- (v) Establishment of Urban Haat (market)- An Urban Haat will be established in Patna where there will be provision for sale of the handloom and handicraft products.
- (vi) Revival of Central Processing Plants -State Government will revive the central processing plant Biharsharif and Dye and Finishing plant, Darbhanga. In these, the weavers may avail the facilities of dying, finishing and processing of their products.
- (vii) Reimbursement of loan due of the weavers- Scheme of reimbursement of old loan dues and interest from weavers in the State would be implemented.

8. IMPLEMENTATION OF RESERVATION POLICY :

Those units which comply with the Reservation Policy of the Govt. of Bihar will be given an additional 10% over and above the fiscal incentives for which they are eligible under this Policy.

9. MONITORING AND REVIEW :

All concerned departments and organizations would issue necessary follow up notifications within a month to give effect to the provisions of this Policy. This will be duly monitored by Government so that the State Government may carry out a mid - term review of this Policy.

- 10. The incentives / subsidies / relief's outlined in this policy shall be available to only such new industrial units which commence commercial production within five years from 01.04.2006.
- 11. Industries mentioned in the negative list in Annexure - II would not be eligible for any incentive / subsidy.
- 12. For incentives contained in this Policy a committee would be constituted under the Chairmanship of Secretary Industries with the Director of Industries, Director Technical Development, a representative each of the Commercial Taxes Department, and Bihar State Electricity Board (wherever necessary) as well as the concerned M.D of the Industrial Area Development Authority as its Members. This Committee would decide on post-production incentives to be given to new units

13. The definitions given in the Annexure to this policy shall be treated as part of this policy.

Order : It is ordered that a copy of the resolution should be sent for publication in the special edition of the Bihar Gazette, Reputed Journals and Newspapers and be circulated among all the Departments / Departmental heads and Subordinates officials of the Government.

By the Order of the Governor of Bihar

Sd/-

(S. Vijayaraghavan)

Industrial Dev. Commissioner,
Bihar, Patna.

Memo No: 1162, Patna, Dated 15 / 07 / 06

Copy with enclosure forwarded to the Superintendent, Government Press, Gulzarbagh, Patna for its publication in the special edition of Bihar Gazette.

By the Order of the Governor of Bihar

Sd/-

(S. Vijayaraghavan)

Industrial Dev. Commissioner,
Bihar, Patna.

Memo No: 1162, Patna, Dated 15 / 07 / 06

Copy with enclosure forwarded to all Departments / Departmental Heads / Commissioner, Commercial Taxes, Department of Commercial Taxes / Managing Director, All Corporations under Department of Industry / Bihar Industrial Development Authority/ Chief Executive Officer, Bihar Khadi Village Industries Board Patna / Chairman, Bihar State Electricity Board, Patna / All Commissioners/ All District Magistrates / All Deputy Development Commissioners / All General Managers, District Industry Office / Director, Technical Development / Director, Industry / Resident Commissioner, Bihar Bhavan, New Delhi / Director, Small Scale Industries Service Organization, Patliputra Colony, Patna / Muzaffarpur for information and needful action.

By the Order of the Governor of Bihar

Sd/-

(S. Vijayaraghavan)

Industrial Dev. Commissioner,
Bihar, Patna.

ANNEXURE-I

Definitions:

- 1. Effective date :** "Effective date" means the date on which the provisions of this Policy come into force i.e. 01.04.2006. This Policy will remain in force for 5 years from the date of issue of orders.
- 2. Industrial Unit/Industrial concern :** 'Industrial unit / concern' means any unit / concern engaged or to be engaged in manufacturing / processing / servicing industry under the following categories:
 - a) Industries listed under the First Schedule of the Industries (Development and Regulation) Act 1951 as amended from time to time.**
 - b) Industries falling within the purview of the following Boards / Agencies :**
 - (1) Small Industries Board
 - (2) Coir Board
 - (3) Silk Board
 - (4) All India Handloom and Handicrafts Board.
 - (5) Khadi and Village Industries Commission.
 - (6) Any other agency constituted by the Government of India or Government of Bihar for industrial development.
 - c) Other categories :**
 - (1) Mining or development of mines
 - (2) The maintenance, repair, inspection or servicing of machinery of any description or vehicles or vessels or motorboats or trailers of tractors.
 - (3) The setting up or development of an Industrial Area, Industrial Estate, Integrated Infrastructure Development Export Promotion Industrial Park, Export Promotion Zone or Growth Centre.
 - (4) Providing special or technical knowledge or other services for the promotion of industrial growth.
 - (5) Providing Engineering, Technical, Financial, Managerial, Marketing or other services or facilities for industry.
 - (6) Providing services relating to Information Technology, Telecommunication or electronics including satellite linkage and audio or visual cable communication.
 - (7) Tourism.
- 3. Existing Industrial Unit:**

"Existing Industrial Unit" means an industrial unit which is in commercial production.
- 4. New Industrial Unit:**

"New Industrial Unit" means an industrial unit in which commercial production has commenced within five years from 01.04.2006.

5. Transferred Unit :

"Transferred unit" means an industrial unit whose ownership / management has been transferred as per the provisions of the State Financial Corporation Act, 1951 or has been transferred with the approval of Financial Institutions / Banks.

6. Sick Unit :

"Sick unit" means an industrial unit declared sick by the Board for Industrial and Financial Reconstruction under the Sick Industries Companies (Special Provision) Act, 1985 or by the State Apex Committee for SSI headed by the Director of Industries or the High Level Empowered Committee headed by the Chief Secretary for large and medium sector.

7. Closed Unit :

"Closed unit" means an industrial unit which has been continuously closed since the last five (5) years from the date of eligibility for applying for incentive under this Policy. Closed means that there should have been no commercial production. The declaration of the unit being "closed" shall be certified as mentioned in Para 3 of this policy.

8. Expansion / Modernisation / Diversification :

"Expansion/Modernisation/ Diversification of an existing unit' would mean additional fixed capital investment in plant and machinery to the extent of 50% or more of the undercoated value of fixed capital investment in the existing unit leading to incremental production capacity which would not be less than 50% of the initial installed capacity. In order to qualify a unit undertaking expansion/modernisation/ diversification should send prior intimation to the General Manager, District Industries Centers or the Managing Director, Bihar Industrial Area Development Authorities & Deputy Commissioner Commercial Taxes, as the case may be in respect of Small Scale Industry or the Director of Industries/Director, Technical Development and Commissioner,

Commercial Taxes in case of medium and large industries before undertaking such expansion/modernisation/diversification Programme. Such intimation should be accompanied by detailed expansion/modernisation/diversification proposal giving the specific period of proposed additional investment.

9. Fixed Capital Investment :

The 'Fixed capital investment' means an investment made in land, building, plant and machinery as well as productive assets of permanent nature.

10. Small Scale Industry :

A "Small Scale Industrial Unit" is an Industrial unit in which capital investment has been made upto the limit specified by the Government of India time to time.

11. Ancillary Industrial Unit :

An "Ancillary Industrial Unit" is an industrial unit in which capital investment has been made upto the limit specified by the Government of India time to time.

12. Date of Production :

The "date of production" of an industrial unit shall mean the date on which the unit actually commences commercial production of the item for which the unit has been registered. As regards the date of production of a SSI unit, the certificate issued by the respective General Manager, District Industries Centre of Managing Director, Industrial Area Development Authority would be valid. In case of any dispute regarding the date of production, the decision of the Director on Industries shall be final. In case of large and medium industries the certificate issued by the Director Technical Development would be valid. In case of any dispute regarding the date of production, the decision of the Industrial Development Commissioner/Secretary Industries shall be final. Those industrial units which commence in production on 01.04.2006 or thereafter, but whose capital investment is prior to 01.04.2006 would be eligible under Industrial Incentive Policy, 2003 (in case they qualify) or under the New Policy as alternative. The units will not be entitled to part benefits of both the policies. Three months from the date of publication of the notification in the Bihar Gazette of this Policy, the units will have to give in writing to Director Industries or Director, Technical Development indicating the preferred alternative.

ANNEXURE-II

List of Industries Not Eligible For Incentives:

1. Rice Huller
2. Flour Mills (Including Besan, Dal & Chura Mills) of less than 50 TPD Capacity.
3. Condiments (Masala & Papad) Mills
4. Confectionery (Excluding Mechanised Confectionery)
5. Preparation of Sweetmeat & Salted Snacks.
6. Bread Manufacturing (Except Mechanized Bakery)
7. Production of Ice Candy and Ice Food.
8. Manufacturing and Processing of Betel Nut.
9. Fireworks and Crackers Units
10. Coal / Coke Screening
11. Firewood and Charcoal Manufacture
12. Painting and Spray Painting Units
13. Fertilizer Mixing Plants.
14. Brick Manufacturing Units (Except Units Engaged in Manufacturing Refractory Bricks and Bricks from Fly Ash, Red Earth, Raw Industrial Waste Material).
15. Manufacture of Tarpaulins Made of Canvas
16. Saw Mills and Wood Sawing

17. Furniture and Wood Sawing.
18. Drilling Rings, Bore Well and Tube Well Establishing Units.
19. Tea Blending/Mixing Units.
20. Units Connected with Cutting of Raw Tobacco and Gul Related Products and Guraku
21. Bottling and Repackaging of Drugs/Pharmaceuticals/Chemicals without Processing and value addition (Excluding formulation and manufacturing units)
22. Book Binding
23. Rubber Stamp Making
24. Notebook and Envelope Making.
25. Photo Copying
26. Stenciling Units
27. Processing of Stencil Papers.
28. Distilled Water Manufacturing Units.
29. Tailoring (Except Readymade Garment Manufacturing Units)
30. Sewing of Socks with Woven Cloth and their Repacking.
31. Laundry/Dry Cleaning.
32. Photography/Studio Labs.
33. Clinical/Pathological Laboratories/Nursing Homes/Clinics
34. Beauty Parlours.
35. Video Parlours
36. Goods Transport.
37. Video/Audio Cassette Recording/Watch Repairing / Vehicle Workshop and Service Stations.
38. Lime Kilns.
39. Petrol Pumps.
40. Narcotic Drugs.

Note :

1. Government reserve the right to make any changes in the above negative list.
2. The decision of Government whether a unit falls in the Negative list or not, shall be final and binding.

ANNEXURE - III

**FORMAT OF PASSBOOK AS DETAILED IN PARA 2(VI)
OF THE INDUSTRIAL INCENTIVE POLICY 2006.**

1	2	3	4	5	6	7	8
Sl. No	Month	Amount of Tax admitted under BVATA*/ CSTA*/BETA*	Amount paid against the amount admitted under BVATA*/ CSTA*/BET*	Main/ Subsidiary headings under which admitted amount deposited	Challan no. & date with Name of Treasury	Name & Designati on of certifying officer	Signature with date & seal
Total							





INDUSTRIAL POLICY

1995



INDUSTRIAL POLICY-1995

INTRODUCTION

1. Bihar has immense potential to emerge as the most industrialised state in India. It also is endowed with resources such as surface and ground water, fertile land, disciplined and skilled man power etc., So very essential for the establishment of industries.
2. The changes taking place in the economic policies of the country, the vast internal market, being the bordering state of Nepal, abundance of natural resources and a stable Government have created a natural attraction both for the Indian and the foreign investors for investment in the state.

The State Government firmly believe in maximizing capital investment in the state for its accelerated economic development as also for generation of employment and incomes. The State Government is committed to create an environment conducive to growth of industries in the state. While not given to encouraging rank consumerism and production of luxury goods for conspicuous consumption the Government is determined to encourage investment in the industries based on State's agro-climatic and mineral resources as also in development of infrastructure.

3. In the context of changes taking place in the economic scenario at the international as also the national level in the country and the competition amongst various countries and the states in India for investments it has been considered essential to formulate a new Industrial Policy for attracting private investment including foreign investment, in identified Thrust Areas as also for creation of essential infrastructure including for power generation.
4. In this context it is imperative for the State Government Bihar to restate its policy on vital issues concerning industrial development. The aims and objectives of the new policy are to:
 - ❑ Create an environment for optimal utilization of State's agro climatic, mineral and human resources;
 - ❑ Provide quality infrastructure for accelerated industrialisation of the State;
 - ❑ Attract investment to generate economic activities employment, incomes and growth;
 - ❑ Revive potentially viable and closed industries;
 - ❑ Boost exports of goods in production of which the State enjoys comparative advantages; and
 - ❑ Simplify procedures to expedite and impart transparency in decision making.
5. The Government have already taken several significant steps for expediting clearances, providing assistance and redressing of grievances of industrial units at various levels of contact:-
 - ❑ Single Window System at the district level with the Collector as its chairman has been formed to provide assistance and coordination with concerned departments. Similar provision has been made at the level of Industrial Area Development Authorities;
 - ❑ State level Single Window System under the chairmanship of Industrial Development Commissioner has become operational to expedite clearances to industrial projects;
 - ❑ An Empowered Committee under the chairmanship of Chief Secretary comprising concerned Departmental secretaries for co-ordination and expediting decision making relating to investment proposals has been formed;

- ❑ The Chief Minister would meet entrepreneurs and industrialists in "Open House" at regular intervals for redressing their grievances and solving problems in implementation of their projects and running of their industries.
- ❑ It has also been decided to constitute an Investment Promotion Board under the chairmanship of the Chief Minister with Ministers concerned with providing various infrastructure inputs and incentives to stimulate private including foreign investments in Bihar.

6. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT :

A State which provides the best advantage to the investors in the form of developed infrastructure and friendly atmosphere attracts large investments both from within and outside the country. What is therefore of utmost importance is to provide world class infrastructure for establishment and operation of industries besides creating quality social and financial support services. The state has accepted the concept of Build-Operate-Transfer (BOT) and would evolve comprehensive guidelines for various modes of construction/operations/financing of infrastructure projects.

6.1 INDUSTRIAL AREAS

The State has three Industrial Area Development Authorities with headquarters at Patna, Darbhanga and Muzaffarpur. These Authorities are responsible for acquisition of land, development of infrastructure facilities, like road, drainage, water supply, public utilities etc. Within their jurisdiction Presently Industrial Areas and Industrial Estates all over the State are being managed by these Authorities.

- 6.2** The infrastructure facilities in these Areas and Estates will be upgraded and maintained at an efficient level. Supporting facilities in the Industrial Areas in terms of transportation linkages, housing facilities, telecommunication, etc. would be strengthened and new facilities wherever required would be provided.

6.3 GROWTH CENTRES

Growth Centers at Gidha (Bhojpur), Purnea, Aurangabad and Khagaria are in an advance stage of development. Five mega Growth Centres at Bhagalpur, Begusarai, Darbhanga, Chapra and Muzaffarpur have been taken up during the current five Year Plan for creating modern infrastructure facilities. Each Growth Centre envisages an investment of Rs. 30.00 to 40.00 crores. The locations have been selected keeping in view the advantages of market and availability of infrastructural inputs like land, water, power communications etc.

6.4 INTEGRATED INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT (IID)

With a view to providing industrial plots/sheds with suitable infrastructures to SSI, Agro based and rural industries at a reasonable price three projects at Fatwah (Patna), Kumarbagh (West Champaran), Alamnagar (Madhepura) have been formulated. Each Centre envisages an investment of Rs. 5.00 crores on development of infrastructures. Other locations in the State will also be taken up for development during this plan period.

- 6.5** Gidha (Bhojpur) Growth Centre has been earmarked for plastic and chemical Industrial units. Special Zones would also be carved out in other Growth Centres and Industrial

Areas for specific industries such as chemicals, petrochemicals, tanneries etc. to facilitate setting up to common facilities.

6.6 EXPORT PROMOTION INDUSTRIAL PARK(EPIP)

Export promotion Industrial park (EPIP) is a centrally scheme and aim at building up of infrastructure facilities of high standards required for establishment of export oriented units. The State Government have decided to set up Park(EPIP) at Hazipur, EPIP, Hazipur envisages infrastructure facilities of international standards. The State Government would encourage setting up of Gen Industrial parks at Patna for exports.

6.7 EXPORT PROCESSING ZONE (EPZ)

With a view augmenting infrastructure facilities for export production the State Government would invite sector for setting up of Export Processing Zone in the State Necessary assistance including for acquiring land on outright purchase or long term lease of 90 years and other facilities would be extended by the State Government to entrepreneurs coming forward to set up EPZ at a suitable location in the state.

6.8 SOFTWARE / HARDWARE TECHNOLOGY PARK (STP/HPT)

Besides these the Government will also encourage development of Software/Hardware Technology Park at Patna and other suitable location in the state in the Private/Joint Sector.

6.9 AIR CARGO COMPLEX

Bihar Has considerable potential for export of agriculture/horticulture products, leather goods, silk, handloom, handicrafts, shellac, ceramics, besides handtools, cutting tools, forging, industrial fastners and automobiles components etc. However achievements on export fronts so far have not been commensurate with the potential of the state. One of the major reason has been attributed to the absence of infrastructure such as Air Cargo complex in the state. The State Government have decided to promote establishment of export infrastructures such as Air Cargo complex at Patna IX Plan period.

6.10 The State would encourage Financial Institutions and Private Sector to establish the maintain industrial Growth centres/Industrial Areas/ EPIP/EPZ and such other infrastructure projects.

7. LAND :

7.1 LAND/SHED IN GROWTH CENTRES/INDUSSTRIAL AREAS/E.P.I.P. ETC

Land/sheds in growth Centres, Industrial Areaa etc. would be allotted to entrepreneurs for setting their industrial units on lease of 90 years with option for renewal.

The rent payable for the land would be subject to revision after every 20 years.

The predetermined cost of developed land/shed will be realised in easy instalments. The entrepreneur shall have the right to mortgage the land/ shed with the Financial institutions/ Banks. No separate permission will be required either of the Government or the Industrial Area Development Authority for mortgaging the leased land to the Financial institutions/ Banks within the lease period for securing term loan/working capital loans for the Units

could also be purchased by BSEB on mutually agreed terms. Besides large industrial units consortium of industrial Enterprises in growth centers/industrial areas will be allowed to setup power generating units as well as to take over distribution of power in such industrial complex with the concurrence of the B.S.E.B.

9.3 INSTALLATION OF DIESEL GENERATING (DG) SETS

Entrepreneurs will be permitted to use D.G. sets. The units desirous of using D.G. sets upto 500 KVA alongside BSEB power connection or after the termination of power connection will be required only to inform the BSEB of their intention in this regard. An entrepreneur wanting to set up a DG set of capacity beyond 500 KVA will be accorded permission by B.S.E.B. within a month of his submitting such an application.

9.4 PRIORITY TO INDUSTRIAL CONNECTION

With a view to facilitating timely start up of an industrial project, over-riding time bound priority would be given to L.T./H.T. Industrial connection.

9.5 POWER TARIFF

Power tariff would be reviewed and simplified to provide power at tariff comparable with neighboring states to industrial units.

9.6 POWER INCENTIVE

Exemption from payment of minimum guarantee charge for new industrial units having connected load upto 500 KVA.

- ❑ Exemption from Electricity Duty for 5 year on captive power generation upto 25 MW for own consumption to new industrial units.
- ❑ Loads upto 99 H.P. to be made available on L.T. for new connection to industrial units.
- ❑ Special arrangements for expeditious clearance for rebate for non supply of power to industrial undertakings.

10. TELECOMMUNICATION :

The State of Bihar with about ten percent of country's population offers one of the biggest opportunities in the country for undertaking development of telecommunications. In the recent past Bihar has achieved a significant improvement in the telecommunication service and facilities. All the district headquarters, cities and important industrial locations in the State are now connected with STD/ISD facilities. Bihar figures in the first five states in the country in terms of revenue per Direct Exchange Line (DEL). An ambitious programme to connect every panchayat headquarter with telephone facility during IX Five Plan has been drawn up by Bihar Telecommunication Circle.

10.1 RADIO PAGING SERVICE

In the first phase Patna has been taken up for providing Radio Paging Services. Voice-Mail Service is also planned to be provided on an experimental basis along with Radio Paging Service for subscribers in Patna. Radio Paging Services in the entire State are also being contemplate.

10.2 OTHER VALUE ADDED SERVICES

The State Government would encourage creation of Electronic Mail and other value added services at major industrial and Business Centers in the State, Data transmission, V-SAT Satellite services, Video Text & Conferencing facilities coupled with Radio Mobile telephones in all Growth centers and major Industrial Areas would also be covered under this programme on priority basis.

10.3 PRIVATE INVESTMENT IN TELECOMMUNICATION SECTOR

The State Government acknowledges the need to induct private investment in this sector to speed up the process of linking up rural areas with business centers in the State and outside and also to upgrade the existing system in key areas to that of international standards. The Government will therefore encourage telecom companies to set up basic services in the state specially in the rural hinterland of the State as well as areas that are emerging as industrial centers. Current market exists in Bihar for Small sized swathing equipments, In-dial PABXs, Transmission & Optical Fibre Systems alongwith telephone instruments.

11. TRANSPORT :

11.1 CONVERSION TO BROAD GAUGE

The state has extensive and well development railway system providing vital links to industry and tourism with important cities and Ports in the country. The State will pursue the proposed programmes of conversion of Narrow/Meter gauge lines into broad gauge in different sections in Bihar. It is expected that conversion of Muzaffarpur-Narkatiagaj via Bettiah Meter gauge line would open up the Northern region for development A proposal supported by RITES techno-economic analysis for conversion of conversion of Narrow gauge between Dehri-on-Sone-Pipradhi Via Banjari and extending it to Jharkhand and finally to Bhavnathpur with a bridge over river Sone, has been submitted to Government of India. This would offer facilities for establishment of a couple of new large Cement Plants as well as expansion of existing cement plants in the area. Conversion and extension of Bhagalpur Mandar Hill Railway line to Rampur Halt via Dumka would be done. A Direct rail link to Haldia Port from important commercial centers in the State would greatly facilitate Export efforts. A railway bridge over the Ganges at Digha would similarly prove to be a boon for North Bihar.

11.2 ROAD NETWORK

Special attention will be paid to improving the existing network and providing new road linkages/by-passes with bridges over rivers to facilitate quick movement of raw materials and finished good. There is a need for construction of network of quality roads in the North Bihar to realize the vast potential that exists in the region for development of Industries and business. As the fund requirement in this sector is vast and the resources available with the Government cannot meet the demand in the short run the State would open this sector also to Private Sector investment on Build-Operate-Transfer concept. The State would also encourage private sector involvement in maintenance of roads and bridges.

11.3 INLAND WATER TRANSPORT

There are large number of rivers in Bihar which could provide links to various important cities of the country and link to Haldia Port. Rivers with the total navigable length of over 1300 km in the state can also connect various parts of the state. The State would encourage development of inland transport with involvement of central agencies and private sector.

11.4 AIR TRANSPORT

Patna in Bihar is connected with Delhi, Calcutta, Bombay, Lucknow and Varanasi by scheduled air services. Private Airlines would be encouraged to run Air Taxi/Cargo Services by using the existing air strips in various towns of the State and also run Air Services to the important cities like Patna, Gaya, Bhagalpur, Muzaffarpur, Darbhanga, Purnea etc. and also linking them with Delhi, Calcutta, Bombay and other major commercial centers in the country. Considering substantial tourist from Buddhist countries Gaya may be brought on the Air Map and connected to Varanasi and Calcutta.

12. STATE FINANCIAL INSTITUTIONS :

Bihar Industrial Credit and Investment Corporation (BICICO) and Bihar State Financial Corporation (BSFC) are the main State level Institutions providing term leading facilities to industrial entrepreneurs. Banks have also shown increasing interest in term lending to industrial units. The State Institutions would be restructured and strengthened to meet the growing financial and mercantile needs of entrepreneurs. Although Government have been nominating representatives of Associations of industrial enterprise and Chambers of Commerce in the Board of these Institutions a need has been felt to further strengthen the Board with induction of greater number of competent professionals and representative of Chambers and Industries with proven track record. Specific criteria would be laid down for choosing professionals. Representatives of Department of Institutional Finance Would be inducted in the Board of FI. These Financial Institutions will also provide services such as leasing finance, loan syndication, consultancy, merchant banking, entrepreneurial, skill development and support for technology upgradating to the industries in the State They would also be encouraged to establish a Venture Capital Fund for the entrepreneurs in the State.

13. SOCIAL INFRASTRUCTURE :

Besides physical infrastructures excellent social facilities like housing, schools, colleges including technical and professional institution hospitals including those providing super specialist health services, Market complexes, Recreation Centers, etc. would be created in the Growth Centers/Industrial Areas/Industrial Township/Private Sector involvement in creating and managing such facilities in Growth Centre/Industrial Areas/Industrial Townships would be encouraged.

14. ENVIRONMENT & POLLUTION CONTROL CLEARANCE :

The State Pollution Control Board would accord approvals/clearances/NOC within 45 days of filing of application. The Board has made organisational arrangement for granting the required clearances.

15. IDENTIFICATION OF THRUST INDUSTRIES :

Industries which can build upon and utilize the resources and advantages of the State would be identified for development. Important criteria for determining the suitability of thrust industries to be identified for accelerated development in the State will be :

- (a) Raw Material availability.
- (b) Market.
- (c) Man power resources.
- (d) Linkage with larger units e.g. Steel/Automobile/Power/Mining Sectors etc.
- (e) Sustainability concerns.

15.1 The following Industries have been identified as thrust industries for priority development in State

- (i) Mineral based Industries
- (ii) Metallurgical Industries.
- (iii) Engineering Industries
- (iv) Power Generating & Allied Industries
- (v) Non conventional energy
- (vi) Telecommunication.
- (vii) Electronics/Computers
- (viii) Consumer durables
- (ix) Plastics
- (x) Pharmaceuticals/Drugs
- (xi) Leather
- (xii) Aquaculture
- (xiii) Livestock based Industries such as Poultry, Meat processing etc.
- (xiv) Industries based on waste recycling and eco-friendly raw materials and processes.
- (xv) Environmental protection technologies
- (xvi) Commercial/Industrial Afforestation
- (xvii) Health Services
- (xviii) Food & Food processing , Dairy, Fruits & Vegetable Processing, Tissueculture Products, Seeds and Planting Materials, Bio-Technological Processes & Products. Post Harvest Technologies.
- (xix) Agro based industries, Sugar, Alcohol & Molasses Cattle feed, Jute, Paper, Tea cultivation, processing & Packaging, Floriculture, Sericulture.
- (xx) Tourism

15.2 HANDLOOM

Handloom is another labour intensive cottage industry engaging weavers in the State. Valuable foreign is also being earned through export of handloom products. Several development schemes are being run for providing loom, subsidized yarn, working capital training, improved designs and marketing assistance to families engaged in production of handloom fabrics. Government would ensure better targeting in various programme for welfare of weaver families such as Health Programmes, Workshed cum husing, thrift fund, Insurance etc. Regional Handloom Weavers Co-operative Unions and Primary Weavers Co-operative societies will be reactivated and strengthened for increased quality production of handloom goods. The State will endeavour to take full advantage of the potentialities of the handloom sector for employment generation as well as for exports.

15.3 HANDICRAFT

Handicraft sector holds distinctive significance in the present economic scenario of the State since it provides vast scope of employment for the weaker sections of the weaker sections of the society. The State will strive to ensure provision of technical training. Improved tools design, raw material bank finance and marketing assistance to give a major thrust to the growth of this sector. The age old traditional handicraft of Bihar enjoy a special status in the State economy. Some of the handicrafts like Madhubani paintings and sikki works have achieved world wide distinction for their extra-ordinary craftsmanship and artistic value. Main handicrafts of the State are : Madhubani painting sikki, terracotta, kashida work cane & bamboo work Block printing & Screen printing wooden toys wood carving stone ware, weaving Brass Metal papiermach, Jari work, Doll making, Tikuli work, Lackerware Leather goods etc.

15.4 SMALL SCALE INDUSTRIES

The State Government is committed to make special efforts for accelerated development of small and cottage industries. Preference will be given to products of these industries in Government purchase.

15.5 KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES

Khadi and Village Industries sector provides employment to a large section of people in the state. The weaker sections of society namely the scheduled castes, scheduled tribes and women derive maximum benefit from opportunities in this sector. The development effort in the Khadi and village Industries sector in the State are being spearheaded by the Bihar State Khadi and Village Industries Board. Funds for such development programmes are made available primarily by the khadi and Village Sector in the State. Khadi and Village Industries will be accorded high priority with a view to promoting a self reliant rural economy and decentralized process of growth.

16. EMPLOYMENT PROGRAMME :

The Prime Minister's Rojgar yojana had led to the establishment of large number of micro enterprises in the rural as well as urban areas of State. Efforts will be made to ensure sufficient flow of capital through commercial banks for new-ventures in industry, business and service sectors under this programme. The District Industries Centre throughout the State will be charged with the primary responsibility for effective implementation of this programme through the Banks for creating self-employment opportunity for the unemployed youth in the State.

17. SCHEDULED CASTE, SCHEDULED TRIBE AND TECHNICAL ENTREPRENURS

Infrastructural facilities would be made available to the scheduled caste, scheduled tribe, technically qualified entrepreneurs and people of weaker section engaged in traditional crafts like pottery, blacksmith, carpentry, shoemaking, fisheries, weaving bangle making etc. on priority basis. These categories of entrepreneurs will also get priority in allotment of available raw material and financial assistance.

18. MARKETING ASSISTANCE :

Stores Purchase Preference Rules have been in operation in the State Since 1975 to give assistance to small, medium and large industries in marketing their products. These Rules and Amendments made there to shall remain in vogue as before.

19. EXPORTS :

In the changing economic scenario the State relises the importance of exports for economic development and therefore, proposes various measures to boost export from Bihar. At present large quantities of leather, silk as also manufactured items are exported from the State. With a view to giving a boost to exports the Government proposes to form a Stage level Export Development Council which will be headed by the Minister, Industries with wide representation from the Industry and commerce. This Council will be the main body to direct, promote and monitor all the export related activates in the State.

19.1 EXPORT PROMOTING MEASURES

- i) Bihar is the largest grower of fruits and vegetables in the country. Opening an air cargo complex at Patna would give the desired fillip to the export of vegetables as well as fruits from Bihar. The State will seek the assistance of the Government of India for establishing Inland Container Depots (ICD) at Patna, and Bhagalpur.
- ii) Export Promotion Industrial Park (EPIP) to be set up at Hajipur with the assistance from the Government of India will provide high quality Infrastrue facilities for export oriented units.
- iii) In view of the recent announcement of Government of India, allowing setting up of Export Processing Zones (EPZS) in private sector, the State Government have decided to encourage private sector in establishing the EPZ(s) in the State.
- iv) 100% EOUS and the units set up in EPIP/EPZ would be given overriding priority for power connection. These units would also be exempted from power cuts to the extent possible.
- v) A scheme for Export Awars would be introduced for large, Medium and small industries as also Merchant Exporters in various commodities.
- vi) The State Government will assist Industries Association and Chamber of commerce in setting up a Trade centre in the State.
- vii) Training and Design Centers for Leather, Agro-Processing, Silk etc. will be set up at suitable locations to meet the increasing requirements of trained manpower for export production.

- viii) The local University and Management Institutions would be encouraged to introduce course in foreign trade.
- ix) The State Government through the appropriate agencies shall organise workshops, seminars and training programmes for the Exporters.

19.2 INCENTIVES FOR EOUS

- i) 100% EOU or units set up in EPIP/EPZ will be given overriding priority in allotment of land/shed, water and power connection, financial assistance etc.
- ii) Exemption from Marketing Board levies and other local taxes.
- iii) Declaration of Export Oriented Units as Essential Services/Public Utilities service.
- iv) State Government would take supportive view in operation of relevant labour laws to facilitate export production.

20. FOREIGN INVESTMENT :

Foreign investment and technology by Overseas Corporate Bodies (OCBS) and (NRIS) would be encouraged in selected sectors, such as infrastructure, power, telecommunication and frontier technologies in field of non-renewable energy sources environmental protection, food processing, bio-technologies; tissue culture, pharmaceuticals (Life saving drugs) etc. on mutually advantageous basis.

20.1 NRI investment with a minimum contribution of 50% in safe capital of the venture would make the unit entitled for all benefits extended to a EOU.

21. REVIVAL OF SICK UNITS :

The continuing problems of Industrial sickness is a matter of great concern for the Government. Closure of Units leads to unemployment and locking up of capital deployed in such ventures. The State Government is determined to take effective measures and to render all possible assistance for the amelioration of this malaise.

21.1 INDUSTRIAL SICKNESS IN SSI SECTOR

The State Government proposes to take the following measures for the revival of SSI Units:

- i) There are scores of medium and small scale units which are sick but have the potential of becoming viable. For such SSI Units which are outside the purview of the Bureau of Industrial and Financial Reconstruction (BIFR), the State Government proposes to form an apex body on the lines of BIFR with Director of Industries as its Head to consider their revival.
- ii) The State level apex body for rehabilitation of sick industry would be vested with adequate powers so that it can effectively implement management and financial restructuring.
- iii) The sick SSI units would be identified as per guidelines given by RBI/IDBI. Appropriate packages of reliefs and concessions for such units would be approved for their revival.

ANNEXURE

DEFINITIONS :

1. Effective Date

Effective date means the date on which the provision of this policy come into force i.e. September 1, 1995. This policy will remain in force till the new Industrial Policy is announce.

2. Industrial Unit/Industrial Concern

Industrial unit/concern means any unit/concern engaged for to be engaged in manufacturing/processing/servicing industry belonging to the following categories;

- a) Industries listed under the First Schedule of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 and amended from time to time.
- b) Thrust industries listed in para 15 of the Policy Statement.
- c) Industries falling within the purview of the following Boards/Agencies:
 - i) Small Scale Industries Board
 - ii) Coir Board
 - iii) Silk Board
 - iv) All India Handloom and Handicrafts Board.
 - v) Khadi and Village Industries Commission.
 - vi) Any other agency constituted by the GOI or GOB for industries development.

d) Other Categories:

- i) Mining or development of mines
- ii) The maintenance, repair, testing or servicing of machinery of any description or vehicles or vessels or motor boats or trailers or trailers or tractors.
- iii) The setting up or development of an Industrial Area, industrial Estate, Integrated Infrastructure Development, Export Promotion Industrial Park, Export Promotion Zone or a Growth Centre.
- iv) Providing special or technical knowledge or other services for the promotion of industrial growth.
- v) Providing Engineering, Technical, Financial, Management, Marketing or other service or facilities for industry.

Explanations

- i) If any doubt arises as to whether a unit/concern is an industrial unit/industrial concern or not for the purposes of this policy the same shall be referred to the Department of Industries, Government of Bihar and the decision of the Commissioner and Secretary, Department of Industries in this regard shall be final.

3. Existing Industrial Unit

Existing Industrial Unit means an industrial unit which has gone into production before the effective date.

4. New Industrial Unit

New Industrial Unit means an industrial unit which has come into production between 1st September 1995 till the new Industrial Policy is announced.

5. Transferred Unit

Transferred unit means an industrial unit whose ownership/management has been transferred in pursuance of provisions of the State Financial corporation Act, 1951 or transferred with the approval of Financial Institution/Bank.

6. Sick Unit :

Sick Unit means an industrial unit declared sick by the Board for Industrial and financial reconstruction under the sick Industrial companies (Special Provision) act, 1985 or by the Apex Body headed by the Director of Industries for SSI of the High Level empowered Committee headed by the Chef Secretary for large and medium sector.

7. Expansion/Modernisation/Diversification

Expansion/Modernisation/Diversification of an existing Industrial Unit would mean additional fixed capital investment in plant and machinery of 50% or more of the undercoated value of fixed capital investment in the existing unit leading to incremental production capacity which would not be less than 50 % of the initial installed capacity. Intimation should be accompanied by detailed expansion/modernization/diversification proposal giving periods of proposed additional investment.

8. Fixed capital investment

The fixed capital investment means investment made in land, building and plant and machinery and productive assets of permanent nature.

9. Small Scale industry (SSI)

A Small scale industrial Unit is an Industrial unit with an investment upto a maximum of Rs. 1.00 (one) crore on Plant & Machinery.

10. Ancillary Industry

An Ancillary Industrial unit is a unit with an investment up to a maximum of Rs. 1.00 (one) crore on Plant & Machinery and so declared by a competent authority.

11. Date of Production

The date of start of production of an industrial unit shall mean the date on which the unit actually starts commercial production of the item for which the unit has been registered. As regards the date of production of a SSI unit, the certificate issued by the respective General Manager, District Industries Centre or Managing Director, Industrial Area Development Authority will be accepted. In case of any dispute in the date of production the decision the Director of Industries in this regard shall be final.

In case of large and medium Industries the certificate issued by the Director of Industries/ Director Technical development shall be accepted. In case of any dispute in the date of production the decision of the Industrial Development Commissioner shall be final.

The Industrial units which have come into commercial production on or after 01.09.1995 but had made substantial fixed capital investment prior to 01.09.1995, will have the option to avail of the package of incentives/assistance as provided in the Industrial Incentive Policy 1993 (provided the unit is eligible under that Policy) or under this industrial incentive Policy. They will not be entitled to partial benefits from both these policies. The option must be given in writing to the Director of Industries or Director, Technical Development within 3 months of the date of notification of this policy in the Bihar Gazette.

12. Classification of Districts

Depending upon the industrial backwardness of different areas, the districts have been classified into the following two categories:

Category - "A"

Purnea, Kishanganj, Araria, Saharsa, Supaul, Madhepura, Khagaria, Darbhanga, Madhubani, Samastipur, Muzaffarpur, Vaishali, East Champaran, West Champaran, Sitamarhi, Sheohar, Saran, Siwan, Gopalganj, Bhagalpur, Banka, Munger, Shekhpura, Lakhisarai, Jamui, Nawadah, Jehanabad, Aurangabad, Bhojpur, Buxar, Bhabhua, Nalanda.

Category - "B"

Patna, Rohtas, Gaya, Katihar, Begusarai.



INDUSTRIAL INCENTIVE POLICY

1993

INDUSTRIAL INCENTIVE POLICY- 1993

RESOLUTION

FOR RAPID GROWTH OF INDUSTRIES IN THE STATE OF BIHAR

With the objective of accelerating the industrial progress in the state industrial incentive policy was announced by the state government vide its resolution no. 13730 dt. 01.09.1986, the period of which was extended upto 31.03.1993 vide its Resolution. No. 1810 dt. 21.02.90. It has been experienced that desired industrial progress has not been achieved in all the districts of this state. It has also been felt that in the Context of new industrial policy 1991 of the centre and with the withdrawal of freight equalization policy, these industrial incentives require new dimensions to achieve balanced industrial growth in a planned manner so that the natural & human resources of the State are fully utilized and developed and the opportunities for employment are progressively increased.

1. In the light of above mentioned facts, the state Govt. Has decided to introduce a new industrial policy. The provisions of this policy are as follows. :-
 - (a) This industrial policy shall be applicable to those industrial units which would come into production from 01.04.1993 to 31.03.1998. In regard to date of production of small Industrial units, the certificate issued by the respective General Manager, District Industry centre or Managing Director, Industrial Area Development Authority will be considered. In case of any dispute in the date of production the decision of the Director of Industries shall be final. In the case of Large & Medium Industries the certificate issued by the Director, Technical Development / Director of Industries shall be considered.
 - (b) Units coming into production before 01.04.1993 shall be entitled to the benefits for the period as announced by the previous incentive policy. The entrepreneurs who have invested capital for the establishment of industry on the basis of previously announced incentive benefits before 01.04.93, but could not begin production till 31.03.1993 will have to give in writing to the Director of Industries within 30-days from the date of issue of this resolution, whether they want to avail of the benefits as announced by the previous incentive policy or the benefits of the new industrial policy, which has come into effect from 01.04.93. These entrepreneurs shall be entitled either for the complete package of the benefits announced by the previous incentive policy or for the package of benefits announced by the new industrial policy which came into effect from 01.04.1993. But they will not be entitled for the partial benefits both from the previous incentive policy and from the new incentive which came into effect from 01.04.93.
 - (c) The industrial units mentioned in the Annexure-III of this incentive resolution shall not be entitled for any incentive benefits. Whether any industrial unit comes in the list of Annexure III, the explanation of the state government on this point shall be final.
 - (d) Merely change in the name of proprietorship or change in the name of any industrial unit will not make the unit a new industrial unit and as such the industrial unit shall not be entitled for the prescribed incentive benefits.
 - (e) The central Government Undertakings or the state Government Undertakings or such Undertakings in which the share of the state Government or the Central Government or both is more than 50% shall not be entitled for any incentive benefits under this resolution.

- (f) The state Government may make change or amendments in the industrial incentive policy of this resolution after making evaluation from time -to- time.
- (g) The reservation policy will be applicable for the sanctioning of capital subsidy. It will also be applicable for the loans sanctioned by the State Financial Corporation and the State Credit & Investment Corporation.

In regard to the reservation policy the detailed order shall be issued separately.

2. The Industrial Units coming into the production between 01.04.93 and 31.03.98 shall be entitled for the following benefits.

I. SUBSIDY :

- A) Subsidy on the cost of preparation of Feasibility Report/project Report.
- B) Subsidy on Technical know-how Free.
- C) Capital investment Subsidy.
- D) Subsidy for power consumption.
- E) Subsidy for purchase and installation of Diesel Generating sets.
- F) Subsidy for modernisation and improvement in productivity / quality in small scale unit.

II FINANCIAL ASSISTANCE :

- A) Financial assistance from Bihar state Financial corporation and Bihar state credit & Investment corpn.
- B) Assistance in getting Financial assistance from All India Financial Institutions.
- C) Assistance in getting Financial assistance and working capital from Nationalised Banks and Financial Institutions.
- D) Seed Money assistance under state Aid to Industries Act.
- E) Recommending applications for purchase of machineries under hire purchase scheme of National Small Industries Corporation.
- F) To participate in the purchase of share capital.

III EXEMPTION IN SALES TAX/DEFERMENT FACILITY :

- A) Stores purchase preference in Government Department and Public Sector undertakings.
- B) Assistance for rehabilitation of closed and sick industrial units.
- C) Assistance to such units which are upgraded from small scale units to medium size industries.
- D) Shed/land allotment and infrastructural assistance in Industrial Estate / Industrial Areas.
- E) Special incentive for scheduled castes / scheduled tribes and technically qualified entrepreneurs.

3. SUBSIDY - Subsidy on the cost of preparation of feasibility / project report :

Generally Industries Department gets feasibility/Project Report prepared. Such reports are made available to entrepreneurs free of cost.

If feasibility report/project reports are not available in the Industries Department and if it is found necessary for entrepreneurs to get such reports prepared. It may be prepared by the registered consultants / reputed consultants for which following financial assistance will be provided.

- a) The cost of preparation of aforesaid reports in respect of small scale industries will be reimbursed subject to a limit of 1% of the fixed capital investment or Rs. 20,000/- whichever is less.
- b) For the projects with fixed capital investment of less than Rs. 1 Crores, the cost of preparation of the report would be reimbursed, subject to maximum of 1% of fixed capital investment or Rs. 50,000/- whichever is less.
- c) For the projects with fixed capital investment of more than Rs. 1 Crore, the reimbursable amount of the project report would be limited to ½% of the fixed capital investment subject to a maximum of Rs. 3 lakh.

75% of the reimbursable amount on project reports/feasibility reports would be paid after the term loan is sanctioned by the financial institution for the scheme and 25% would be reimbursed after the units come into production.

If after disbursement of subsidy, the entrepreneurs do not implement the scheme, necessary legal steps will be taken for recovery of the disbursed amount along with 10% of annual interest. Entrepreneurs availing of aforesaid facility will have to execute an agreement at the time of filling application for the grant of subsidy.

4. SUBSIDY ON TECHNICAL KNOW-HOW FEES :

- 1) A subsidy @ 75% on the lump sum technical know-how fees charged by the National Research & Development Corporation and National Research Laboratories and organizations recognised by the Government imparting technical know-how will be available to industrial units subject to a maximum of Rs. 30,000/-
- 2) For scheduled caste/scheduled tribe entrepreneurs this assistance will be 90% the cost, subject to a maximum of Rs. 40,000/-

5. CAPITAL INVESTMENT SUBSIDY :

In view of the existing industrial development of the different districts of the state, establishment of industrial growth centers to develop Special type of industries districts of the state have been put into two categories. New small Industrial units coming into production between 01.04.93 and 31.03.98 having an investment upto a maximum of Rs.60 lakhs on plant and machinery and ancillary industrial units with an investment upto a maximum of 75 lakhs on plant and machinery shall be entitled for a capital subsidy up to 15% on the investment on plant & machinery till the date of production.

- 1) Small / Ancillary Industrial Units established in the districts, namely, Saharsa, Supaul, Madhepura, Purnea, Kishanganj, Araria, Khagaria, Samastipur, Darbhanga, Sitamarhi, Muzaffarpur, Vaishali, Chapra, Siwan, Gopalganj, East Champaran, West Champaran, Bhagalpur, Banka, Nawada, Munger, Jamui, Dumka, Deoghar, Godda, Madhubani, Sahebganj, Nalanda, Bhojpur, Buxar, Bhabhua, Jahanabad, Aurangabad, Daltanganj, Chatra, Lohardaga and Gumla are entitled to capital Subsidy at the rate of 15% of

investment on plant and machinery or Rs. 7.5 lakhs whichever is less. In the aforesaid districts, industrial units located in the Growth Centres, industries (Pioneer) established by the NRI, pioneer industries, industrial units set by members of S.C. / S.T. Entrepreneurs, and 100% export oriented units will get additional 5% capital subsidy i.e. Such industrial units in these districts will get capital subsidy to the tune of 20% of investment in plant and machinery or Rs. 10 lakhs whichever is less.

- 2) In the following districts of the state viz, Patna, Gaya, Katihar, Begusarai, Rohtas, Garhwa, Dhanbad, Bokaro, Giridih, Hazaribagh, Ranchi, West Singhbhum and West Singhbhum, new industrial units will get capital subsidy to the tune of 15% or 5 lakhs whichever is less on the total investment on plant & machinery.

Industrial units established in the Growth Centres, Industrial units established by N.R.I., Pioneer industries, Industrial units of scheduled Casts/Scheduled Casts/Scheduled Tribe and 100% export Oriented units will get additional capital subsidy i.e. such industrial units in these districts will get capital subsidy to the tune of 20% of investment on plant & machinery subject to a maximum of Rs. 7.5 lakhs.

- 3) There is a provision of additional capital subsidy of 10% (subject to a maximum of Rs. 10 lakhs) for equipments for energy conservation subject to the condition that equipments are installed as per the approved scheme of Energy Conservation Department/Authorised Organisation of Govt. of India.
- 4) Capital subsidy will be available for expansion/diversification but the maximum amount of capital subsidy will be calculated on the basis of the subsidy available for the original scheme including expansion/diversification entitled for the district in which the industry is established. It means that the capital subsidy for the different districts will be limited to Rs. 5 lakhs to Rs. 10 lakhs as explained above. Expansion and diversification of the industrial units have been defined in Annexure-land only such units are entitled for capital subsidy under the expansion/diversification scheme.
- 5) On introduction of Central Capital investment subsidy, the State Capital Investment subsidy will be understood to have been modified to that extent and the state investment subsidy will not be applicable to that extent.
- 6) Industries indicated in Annexure-III will not be entitled for capital investment subsidy.

6. SUBSIDY ON POWER CONSUMPTION :

Industrial units coming into production between 1.4.93 to 31.3.98 and units defined under expansion and diversification will get the following incentive for five years from the date of production/of such expansion/diversification.

- i) Exemption from payment of minimum guarantee charge for the units having connected load upto 500 KVA.
- ii) a) The industrial units with an investment upto 75 lakhs on plant & machinery will get power subsidy @ 18 paise per unit.
b) The industrial units with an investment on plant & machinery above 75 lakhs and upto 15 crores will get power subsidy @ 15 Paise per unit.

- c) Industrial unit as mentioned in para (A) & (B) above coming under the Defined Expansion/Diversification provisions will get power subsidy only for additional consumption of electricity which will be necessary for expansion or additional consumption of electricity which will be necessary for expansion or additional real production. Expansion capacity will be computed on the basis of maximum annual production in three years prior to the expansion.

iii) Industrial units mentioned in Annexure-III will be not be entitled for this incentive.

7. SUBSIDY FOR PURCHASE AND INSTALLATION OF DIESEL GENERATING SETS:

- (i) Industrial units coming into production between 1.4.93 to 31.3.98 (with investment upto 15 crores on machinery & plants) will get 25% subsidy on purchase and installation of Diesel Generating sets. However, the maximum limit of the subsidy for this purpose, in Rs. 750 lakhs. If any industrial unit which has not availed of the subsidy for the purchase of Diesel Generating sets, shall be entitled for the prescribed subsidy for the purchase of diesel Generating Sets after expansion/diversification.
- (ii) Industrial mentioned in Annexure-will not be entitled for this subsidy.
- (iii) The entrepreneurs will be allowed to use D.G. sets without any restriction.

The entrepreneurs desirous of using D.G. sets, along with the power connection or after the termination of power connection, will be required only to inform the Bihar State Electricity Board.

Amendment of this effect in the Electricity Act/Rules will be done by the Deptt. Of energy, Govt. of Bihar.

8. SUBSIDY FOR MODERNISATION AND IMPROVEMENT IN PRODUCTIVITY AND QUALITY IN SMALL SCALE UNITS:

The following incentives are provided to the small scale industrial units for their modernisation and improvement in productivity and quality.

- (i) Coston the study of modernization and improvement in productivity and quality will be reimbursed on the basis of actual cost borne by the unit. The maximum limit of this subsidy is Rs. 10,000/-. This subsidy will be paid after the actual modernization and improvement in productivity and quality is brought by the concerned unit.
- (ii) Assistance will be rendered for additional term loan and working capital from the commercial banks/Bihar state Financial Corporation/Bihar State Credit & Investment Corp./Industrial Development Bank of India for modernization of the unit.
- (iii) 15% of the capital subsidy will be made available for the installation of additional machinery for improvement of productivity and quality subject to a maximum of Rs. 1 lakh for each unit. But this capital subsidy will be within the limits of maximum meant for the districts mentioned in category-A and in category-B.
- (iv) In the aforesaid scheme for the purchase of machineries, financial assistance will be made available from Bihar State Financial Corporation or commercial Organisation/ All India Financial Institutions/Nationalised Bank.

- (v) For the installation of machines to get I.S.I mark small scale industrial units will get 50% subsidy on the capital employed for such machines subject to the limit of Rs. 50,000/- or 50% whichever is less. This subsidy will be available after I.S.I mark is obtained by the unit. This subsidy shall be within the overall limits of the capital subsidy prescribed for the different districts and different locations/categories.
- (vi) After implementation of the modernization scheme, the raw material which is supplied by the industries Department/Bihar State Small Industries Corporation will be allotted 20% extra for two years on the basis of actual utilization for the previous three years.
- (vii) Recommendations will be made for the additional provision of electricity for the running plant and machines under modernisation sation programme.

9.1 FINANCIAL ASSISTANCE:

Term loan facility is available through BSFC & BICICO for such approved projects of those industrial units having letter of intent/Registration/Industrial Entrepreneurs Memorandum/Bihar State Financial Corporation Provides upto a maximum of Rs. 60 lakh of financial assistance to small and medium scale industries and Bihar State Credit & Investment Corpn, provides upto a maximum of Rs. 90 lakhs of financial assistance to small, medium and large industries. Bihar State Corpn. And Bihar State Credit & Investment Corporation have framed rules for this purpose. Under those rules financial assistance is rendered to entrepreneurs. Aforesaid financial assistance is also available for the industrial units going for expansion and diversification.

All India Financial institutions and nationalized bank also provide financial assistance to entrepreneurs for industrial projects of the State. The concerned of the Industries Department and Corporations under the administrative control of Industries Department assist the entrepreneurs to obtain financial assistance form the financial institutions.

In order to run industrial units smoothly, facilities of working capital are provided by the Nationalised banks. Working capital loan-application are recommended to the Nationalised Bank and financial institutions. The Deptt. Of Industries helps the entrepreneurs in obtaining woking capital from the Nationalised Bank/Financial institutions.

9.2 SEED MONEY:

The entrepreneurs have to arrange for their share capital for the loans snctioned by the Nationalised bank/financial institution. It is observed that entrepreneurs are unable to arrange the quantum of this own share as required by the nationalized bank/Financial institution and there for, they face difficulties in obtaining loans from the financial institutions. In order to remove this difficulty of the small entrepreneurs, 50% of the entrepreneur's share as required by the nationalized bank/financial institution or 10% of the capital investment (whichever is less), seed money assistance is provided by the Industries Department subject to a maximum limit of Rs. 1,12,500/-. This is sanctioned under the State Aid to Industries Act by the Director of Industries/Managing Director of Bihar State Financial corporation/industries Area Development Authorities/General Manager of District Industries Centers.

An interest of 10% per annum will be charged on seed money. The conditions for the return of interest and installments shall be fixed by the authority competent to sanction seed money. A discount of two per cent will be given on interest if the interest and instalments are paid in time

as per the prescribed condition. But a penal interest of 5% will be charged if the interest and installments are not paid back in time.

9.3 PURCHASE OF SHARES:

To promote industries, Bihar State Industrial Development Corporation, Bihar State Pharmaceutical & Chemical Development Corporation, Bihar State Electronics Development Corporation, Bihar State Textile Corporation, Bihar State Credit and investment Corporation and Bihar State financial Corporation participate in the equity of the industrial units. The shares of the industrial unit under this scheme are purchased for participation as joint sector or assisted sector. This scheme will continue as before.

10. FACILITY FOR SALES TAX DEFERMENT:

This scheme is application to new industrial unit coming into production between 01.04.93 and 31.03.98. Besides, this scheme is applicable to those units which are defined in Annexure-I for expansion and diversification for the 01.04.93 and 31.03.98.

For this scheme industrial units have been defined in Annexure-II.

The facility of deferment is admissible only to the units whose investment plant and machinery is not more than Rs. 15 Crores.

10.1. FACILITY OF SALES TAX DEFERMENT ON FINISHED GOODS:

CATEGORY - "A" :

Purnea, Kishanganj, Araria, Saharsa, Madhepura, Khagaria, Darbhanga, Madhubani, Samastipur, Muzaffarpur, Vaishali, East Champaran, West Champaran, Sitamarahi, Saran, Siwan, Gopalganj, Dumka, Deoghar, Godda, Sahebganj, Bhagalpur, Banka, Munger, Jamui, Nawadha, Jehananbad, Aurangabad, Bhojpur, Buxar, Bhabhua, Nalanda, Lohardegga, chatra, Daltanganj and Gumla.

CATEGORY - "B" :

Patna, Rohtas, Gaya, Katihar, Begusarai, Ranchi, East Singhbhum, west Singhbhum, Hazaribagh, Giridih, Dhanbad, Garhwa and Bokaro.

The facility of Sales tax Deferment shall vary from 100% to 150% of investment in fixed assets of the unit. For the large and medium industries located in 'A' category Districts, the facility of sales tax deferment shall be upto a maximum of 150% of its investment in fixed assets of 10 years from the date of production, which ever is earlier. For the large and medium industries in Category 'B' districts, the facility of sales tax deferment shall be limited to 125% of investment in fixed assets or 8 year, from the date of production, whichever is earlier.

For the small scale industries, the facility of sales tax deferment shall be 25% more than what is admissible for the large and medium industries i.e. to say the extent of sales tax deferment for small scale industries in 'A' Category will be limited to 175% of the investment in fixed assets or 10 year whichever is earlier. In the same way, the sales tax exemption/deferment for small scale units in 'B' category districts shall be limited to 125% of investment in fixed assets or 8 years, whichever is earlier.

- i During this period the facility of sales tax deferment starting from 100% in the first year shall go down gradually in coming years. The facility of sales tax deferment shall be available to the industrial unit coming into production between 01.04.93 and 31.03.98 in the following manner.

The extent of sales tax deferment every year for the units in the two categories of district is given below:-

Table

New Units	For 'A' Category districts (percentage of sales tax due)	(percentage of sales tax due) For 'B' Category districts
1st year	100	100
2nd year	100	100
3rd year	90	90
4th year	90	70
5th year	80	60
6th year	80	40
7th year	70	30
8th year	50	10
9th year	30	-
10th year	10	-

- iii. This scheme shall be applicable to those units which come into production between 01.04.93 and 31.03.98.
- iv. The facility of sales tax exemption/deferment will be available to the expanded/diversified unit on its actual expansion and diversification and in the same way as applicable for the new industrial units. In such case the same procedure will be adopted and the same restrictions will be applicable which are made applicable by the State Govt. for the new industries. The benefit of deferment of sales tax will be applicable on sales tax payable on extra production, which will be at least 50% of the original production, due to such expansion/diversification.
- v. To avail of the facility of sales tax exemption/deferment, it will not be necessary to get the unit registered under the factories Act.
- vi. The facility of sales tax exemption/deferment, it will not be available to the units mentioned in Annexure-III of this Policy.
- vii. The facility of sales tax exemption/deferment shall be applicable to the industrial units only under conditions as specified under Annexure-II of this policy.

10.2. FACILITY OF SALES TAX EXEMPTION / DEFERMENT ON FINISHED PRODUCTS:

The facility of exemption from payment of sales tax on finished products in lieu of deferment shall be admissible only to the industrial units mentioned in Annexure-VI of this policy. This

facility would be available to those units only which have capital investment of not more than Rs. 15 crores in plant & machinery. The sales tax exemption benefit for the districts under category 'A' (para 10.1) would be for 10 years and for the districts under category 'B' (para 10.1) would be for 8 years. All other industrial units which enter into production between 01.04.93 and 31.03.98 will get only this facility of deferment of sales tax payable on finished goods. It means that the units going into production between 01.04.93 and 31.03.98 except those mentioned in annexure VI, shall have the facility of deferment of sales tax only as per the rules.

10.3 The amount involved in sales tax deferment will be repayable within a period of thirteen year from the date of initiation of deferment. In 'A' category, districts where the facility of deferment is available for a period of 10 years, the amount of sales tax involved shall have to be repaid by the unit within a period of three years in equal yearly installments. Similarly in 'B' category districts the amount of sales tax involved shall have to be repaid within 5 years in equal yearly installments. This means that both in category 'A' and 'B' district, the amount of sales tax involved in deferments shall be realized within 13 years from the date of initiation of the deferment.

10.4 SALES TAX EXEMPTION ON THE PURCHASE OF RAW MATERIAL:

- (i) This facility will be admissible to the industrial units mentioned in Annexure-V in the following manner:
 - a) Industrial Units coming into production between 01.04.93 and 31.03.98 whose investment on plant & machinery does not exceed Rs. 15.00 Crores shall be entitled for this facility for a period of seven years from date of production.
 - b) Such old industrial units shall continue to enjoy the existing facility of purchase of raw material on concessional rate of tax as announced and made applicable by the Sales Tax Department as before.

10.5 OTHER FACILITIES:

MARKETING ASSISTANCE:

A Stores purchase preference rule has been applicable since 1975 to give assistance to small, medium and large industries and to help them in marketing their products. This has undergone various amendments from time-to-time.

To help the industrial units in marketing their products, the aforesaid stores purchase preference rules and the amendments made thereto shall remain in vogue as before. The state Government shall have the right to make changes in the Stores purchase preference rules from time-to-time.

12. REHABILITATION OF SICK & CLOSED UNITS:

The State Government shall accord recognition as sick unit to the large and medium industries which are declared sick by B.I.F.R. Such sick and closed large and medium industries for whom a rehabilitation package has been prepared by B.I.F.R and which have been declared as relief undertaking shall be entitled to have the following facilities for their rehabilitation.

- i. Certain facilities connected with the payment of sales tax, power reduction, payment to laborers, recovery of income tax permission to sell surplus lands to the sick and closed

industrial units located in the urban areas and similar other facilities, are often included in the rehabilitation package prepared by B.I.F.R. for the rehabilitation of large and medium sick industrial units. Unless the State Government decide otherwise, the facilities of sales tax exemption/deferment can be made applicable to the sick and the facilities of sales tax exemption/deferment can be made applicable to the sick and closed large and medium industrial units, as admissible under this policy. For the purposes of the computation of the extent of sales tax exemption/deferment to such sick and closed industrial units, their investment in fixed assets will be assumed as to what has been shown in the rehabilitation package prepared by the B.I.F.R. as the original investment in fixed assets. All other facilities shall be given to the sick and closed large and medium industrial units only when the committee constituted under the Chairmanship of Development commissioner/Chief Secretary makes recommendations for the same and which are approved by the State Government.

- ii. For the rehabilitation of sick and closed small industries units, necessary recommendation/ decision shall continue to be taken after due consideration in the State Level Review Committee constituted under the Chairmanship of the Director of Industries and that of the State Level Inter Institutional Committee Constituted under the Chairmanship of the Industrial Development Commissioner. For the rehabilitation of sick and closed small industrial units, the industries Department will do the necessary monitoring and based on the merits of various units, it will take steps for the rehabilitation of these units with assistance from the financial institutions/the Department.

Such closed and sick industrial units which have once availed of the facility of sales tax exemption/deferment under a rehabilitation package prepared by B.I.F.R. shall not get the same facility again if the turn sick or are closed again. This will also apply to other facilities given to such sick and closed industrial units which have once availed of such facilities in the past.

13. FACILITIES ADMISSIBLE TO SSI UNIT GOING INTO MEDIUM SCALE:

To motivate small Industrial Units for turning into medium scale units the State Government shall provide the following facilities to such units after turning into medium scale, for two years from the date of registration of Entrepreneur memorandum.

- a) Such industrial unit shall continue to get, get as before, the allotment of raw materials according to their requirements. Besides this the application for extra raw materials shall also be recommended.
- b) Such industrial units shall get the benefits under Stores Purchase Preference rules which are admissible to small industries on the basis of merit.
- c) Such industrial units will also get power subsidy which is admissible to small industries, for two years or balanced period of admissibility whichever is earlier.

14. FACILITIES FOR ALLOTMENT OF LAND/SHED IN THE INDUSTRIAL ESTATES/ AREAS:

For rapid growth of industrialization, the state Government has established industrial Area Development Authorities. The Industrial Area Development Authorities have been established in Patna, Darbhanga, Muzaffarpur, Bokaro, Ranchi and Adityapur. These Industrial Area

Development Authorities acquire lands, develop them and make them available to entrepreneurs on payable installments for establishment of make them available to entrepreneurs on payable installments for establishments for establishment of industrial units under the existing rules of the Authority. Besides this, with the help of the concerned Authorities, built-up sheds are also allotted to the entrepreneurs.

- (i) Sheds and lands in Industrial Estates/Areas would be given on a lease of 30 years to the entrepreneurs for the establishment of Industrial Units. The cost of plots and sheds given to the entrepreneurs in industrial areas/estates would be realised with interest in 10 years on easy instalments. Installments would be paid in first two years at the rate of 5 percent per annum of the total cost of the plot, in subsequent two years at the rate of 7 percent per annum of the total cost of the plot and the remaining cost in six years in equal installments
- (ii) The prescribed installments of plots and shed will be paid every months by the entrepreneurs otherwise additional rate of interest will be charged.
- (iii) If the cost of the allotted shed/land of the Authority is included in the term loan for which the unit obtains from financial institution/banks, in such cases the loanee has to pay directly to the Authority the cost of the shed/land of the Authority (Industrial Area Development Authority).
- (iv) If the entrepreneur fails to pay fixed installments of the loan obtained from financial institution/banks or fixed installments of the cost of shed/land of authorities, the lease deed of shed/land may be terminated.
- (v) The Entrepreneurs shall have the right to mortgage the land with the financial institutions/ Bank which has been leased by the Authority. No separate permission will be required either of the Govt. or of the Authority for mortgaging the leased land to the financial institutions/banks provided the unit is taking loan for the unit for which the land has been allotted. Duration of mortgage shall not exceed the period of lease.
- (vi) In areas where industrial state/area have not been established, the Government may acquire land for an entrepreneur either at the cost of the entrepreneur or at its own cost, If the land is acquired at the cost of Government, the amount will be realised in prescribed installments along with the interest.
- (vii) Government will encourage establishment of Industrial Estate in private sector through co-operative Societies of Public limited companies.
- (viii) Plots in industrial areas/estates will be leased out if it is most than 2% of the total cost of the project on long term basis to large and medium sector entrepreneurs. Price of the land will be realised in ten annual installments, 5 percent of the cost will be realised in each of the first two years and the remaining amount in the 8 equal installments. In this way, the Government will realize the cost of land with interest (in installments) as per rule.

Possession will be given only after the 1st instalment has been paid.

The Govt. provides all basic infrastructural facilities through the concerned Authorities in the land acquired for industrial areas and estates. The expenditure incurred by the Government on infrastructural facilities will be realised from entrepreneurs on easy installments along with the cost of land/building/sheds.

(ix) **Government land** : wherever available, Govt. land may also be leased out as per rule, to the entrepreneurs for establishment of industries.

15. SPECIAL FACILITIES TO SCHEDULED CASTES/SCHEDULED TRIBES/ TECHNICAL ENTREPRENEURS:

The special Facilities would be made available to the scheduled castes, scheduled tribes and technically qualified entrepreneurs on priority basis. These category of entrepreneurs will get priority in allotment of available raw materials, sheds/plots and other financial assistance.

16. 100% EXPORT ORIENTED UNITS:

Provision has been made to give special facilities to 100% export oriented units and such units will get other benefits on priority basis. Facilities as land/shed, water, power and financial assistance, etc., shall be provided to such units on priority basis.

To assist the Electronic units in marketing and production the electronic Development Corporation has been established. The Corporation will continue to assist the electronic units as before.

17. RAW MATERIAL DEPOT:

The SSI units often face difficulties in obtaining controlled Raw material. To supply different types of controlled raw materials to the small scale units of the State, raw material depots have been established by the Bihar State Small Scale Industries Corporation through such depots raw material is supplied to the SSI units. The scheme will continue as before.

18. DATA BANK:

To make available various type of industrial information at one place, data bank has been established in the Deptt. Of Industries through which entrepreneurs are given all available information and proper guidance for establishing industry, free of charge. These benefits will continue as before.

19. GROWTH CENTRES:

With the help of Government of India and Industrial Development Bank (IDBI) Growth centers have been established in several district of the State, the unit established in such growth centers shall be provided with 5% additional capital subsidy.

20. SPECIAL INCENTIVES TO NON-RESIDENT INDIANS:

Provision has been made to give special capital subsidy to the units established by Non-Resident Indians in the State. Besides this the "Single Window System" has been established to assist Non-Resident Indian. N.R.I.S. are allotted shed/land in Industrial areas/Estates on a priority basis. They are also provided Electricity and other facilities for the establishment of the industry on priority basis.

21. SPECIAL ASSISTANCE TO SMALL VILLAGE/COTTAGE INDUSTRIES:

The Government making special efforts for the promotion and development of small, village and cottage industries. Preference will be given to products of small scale and village industries in government-purchase so that products of the small scale and cottage industries get price preference.

The SSI units have to get their assets mortgage for taking loan under the State Aid to Industries Act. Already there is an exemption from the payment of stamp duty and registration fee mortgaging prosperities upto the value of Rs. 50,000 for this purpose. This scheme will continue as before.

22. The State Khadi Gramodyog Board has been working for the development of khadi, Village and Cottage Industries. State Khadi Gramodyog Board will utilise the fund from Khadi Gramodyog Commission of Govt. of India and State Government will render all oriented schemes of the Khadi gramodyog Board.

23. EFFECTIVE MONITORING:

For the effective monitoring of speedy execution and quality control toward industrialization, Committees have been set up at State level, Authority level, and District level.

24. To avail these incentive facilities, industrial Units will have to register themselves in the office of the concerned district Industries Centres and Industrial Area Development Authorities and Director of Industries will be obtained in the cases of expansion and diversification.
25. This incentive resolution will come into force from 1st April 1993. All Bihar Gazette and in Reputed journals and Newspapers and circulated to all Deptts. Of Govt/Head of the Department.

By order of the Governor of Bihar.

Sd/-

(S.N. SINHA)

Commissioner-Cum-Secretary.

Department of Industries, Bihar, Patna

Memo No. 4847 Patna, dated 10-06-1993

Copy to the Resolution with enclosures forwarded to the Superintendent, Government Press, Gulzarbagh, Patna for publication in the special issue of the Bihar Gazette.

It is also requested to make available to the department 1000 (One thousand) copies of the published Gazette.

Sd/-

(S.N. SINHA)

Commissioner-Cum-Secretary.

Department of Industries, Bihar, Patna

Memo No. 4847 Patna, Dated 10.06.1993

Copy with enclosures of the Resolution forwarded to all Head of the Departments of all state Govt./Commissioner, Sales Tax Departments, Govt. Of Bihar, Patna/Regional Development Commissioner, Audrey House, Ranchi/Managing Director of all Corporations under Industries Deptt. Govt. of Bihar/Managing Director, All IADAS/Chief Executive Officer, Bihar, State Khadi & Gramodyog Board, Patna/Chairman, Bihar State Electricity Board, Patna/All Divisional Commissioners/All District Magistrates/Deputy Development Commissioners/All Regional Offices, Deptt. Of Industries/Director, Technical Directorate/Director, Handloom and Sericulture Directorate, Patna/Resident Commissioner, Bihar Bhawan, New Delhi/Director, SISI, Office of the Govt. of India, Patna/Ranchi/Muzaffarpur for information and necessary action.

Sd/-

(U.N. Panjiar)

10.6.93

Addl. Industrial Dev. Commissioner,
Deptt. Of Industries, Bihar Patna.

N.B. In case of any dispute the Industrial Policy 1993 in Hindi (gyapank 4847, Patna Dated 10.6.1993) will prevail upon.

ANNEXURE-1

Expansion/Diversification

In case of large and medium industries the unit will be given recognition for expansion and diversification only if the unit expands its production capacity by atleast 50% of the maximum production capacity attained during the initial date of production to the expansion 50% in plant and machinery of its original investment in fixed assets.

The additional capital subsidy will be admissible to the unit only after the satisfaction of the Director of Industries about the installation of additional plant and machinery and about the production capacity attained by the unit from the date of production to the date of expansion. But the maximum amount of capital subsidy admissible to any unit will be on the total of original project and expanded/diversified scheme subject to the ceiling fixed for the concerned district/place. It shall be compulsory for all industrial units to obtain prior approval of the Director of Industries before the actual expansion/diversification under this scheme.

- (i) It has been decided for the small industrial units that such industrial units which expand their installed/registered capacity by atleast 50% shall be treated as expanded unit. Such units will have to get recommendation from competent authority before expansion and certificated about actual expansion after such expansion/diversification. Such units shall be eligible to get capital subsidy on the basis of actual investment in additional fixed assets as per rules.
- (ii) In cases of expansion and diversification state capital subsidy will be admissible only if the unit gets prior approval from the Director of Industries regarding expansion/diversification.

ANNEXURE-II

DEFINITION OF INDUSTRIAL UNIT IN THIS SCHEME

- (1) The Industrial unit under this Scheme shall be such units.
 - (a) Which are registered permanently by the deptt. of Industries/Industrial Area Development Authority/Handloom Directorate as small/handloom/handicraft unit.

Or

Which has got License/Letter of Registration/Entrepreneurs memorandum from the Government of India.

Or

Which have got Letter of Intent/Industrial License from controller of Iron & Steel or Textile Commissioner or Director of Sugar of Government of India.

Or

Which has taken term loan of working capital loan for its establishment from the State Govt. Financial Corporation or any Central or State Financial Institution or any Scheduled Commercial Bank of Khadi Gramodyog Commission or Bihar State Khadi Gramodyog Board.

Or

Which has taken machines on hire purchase basis from National Small Scale Industries Corporation or Bihar State Small Scale Industries Corporation or Scheduled Commercial Bank.

Or

Which has taken land or building on hire purchase basis or after cash payment from the Directorate of Industries or Industrial Area Dev. Authority.

Or

Such unit/factory or work shed is located in any district of the state.

And

Such plant, machinery and equipment in that factory or workshop which has never been utilized earlier in any factory or workshop in India or which has not been acquired for the aforesaid purpose which are located at the same place where an industrial unit manufacturing the same item was located earlier or which I is located at a near by place whose owner has any interest as proprietor/partner/agent/promoter/director with the previous company or which is connected as shareholder or holding company or subsidiary company as defined in the Company Act. 1956.

(2) FIXED CAPITAL INVESTMENT :

The fixed capital investment of unit means the investment in land, building and such new plant and machinery of the unit which have been purchased from its original manufacturer or distributor or authorized agent or authorized stockiest/merchant and which have not been purchased earlier for any other factory or workshop in the country.

This is subject to the condition that :-

- (a) That portion of fixed capital investment in land, building or both shall be computed for the purpose of payment of state capital subsidy whose evaluation has been duly approved by a Chartered Accountant or chartered Engineer which is absolutely essential for the establishment of the factory and workshop in the opinion of Deptt. of Industries.
- (b) For the purpose of the computation of the state capital subsidy the expenditure incurred on land and building shall in no case be more than the expenditure on plant and machinery in that industrial unit.
- (c) In case of delayed execution of the scheme any extra expenditure made over and above the original approved scheme shall not be admissible for the payment of state capital subsidy. Additional investment made over and above the original approved scheme owing to the delayed implementation of the scheme shall not be treated as investment in fixed assets.
- (d) If an industrial unit is located on a land or in Building which is already in possession of the entrepreneur the owner/partner/director of the unit or that of the holding company which owns that unit and if that land or building has been shown as the equity contribution of the entrepreneur only such valuation of the land and building shall be accepted for the computation of state capital subsidy which is approved by an acknowledged property valuer or architect engineer, subject to the condition that no capital subsidy has been taken by such unit earlier.

(3) DATE OF START OF PRODUCTION :

The date of start of production of an industrial unit shall mean the date on which the unit actually starts commercial production according to its original approved scheme. That is to say that the item for which the unit has been registered the date of commercial production of such item shall be taken as the date of production of that unit. If trial production is required before the start of commercial production, then the date on which it actually starts the commercial production shall be fixed to be the date of production of such unit. The report of the Director of Industries/Director Technical Dev. Shall be considered final in regard to the date of production of a new unit or after expansion/Diversification.

ANNEXURE-III

Industrial Unit which are not Eligible for any Incentive under the Scheme.

1. Hotel (Including Restaurant and Motel)
2. Saw Mill.
3. Brick Kiln.
4. Lime Stone Production.
5. Stone Crushing.
6. Wood and wood based industries.
7. Flour Mills (Including Roller Flour Mill. Ata Chakki etc.)
8. Oil Mill.
9. Pulse Mill.
10. Rice Mill
11. Coal and Coke Manufacturing Unit (Excluding the Units Producing special smokeless fuel)
12. Ice Factory.
13. Blending of Liquors etc.
14. Re-Packaging of Tea, Salt, Spices, etc.
15. Chilly Grinding and Spices grinding.
16. Veneering and Plywood Industry.
17. Such other industrial units which are Notified for the aforesaid purpose from time to time

- NOTE :**
1. The State Government will have the right to make any change in the above list time to time.
 2. Whether an Industry comes under the aforesaid category the State Govt. will be the final authority to decide it.

ANNEXURE - IV

CONDITIONS FOR SALES TAX EXEMPTION / DEFERMENT :

Under the Scheme the facility of sales tax exemption/deferment shall be given Subject to the following conditions :-

- (i) The unit has been established in such a building which is in possession of its owner/entrepreneur or its partner or Director or is in possession of Holding Company and the same has been shown as an asset to that unit for its usage. In case the Factory/Workshop of unit is situated on a land or building which has been taken on lease than the benefits shall be available only when that land or building or both has been taken on registered lease for 15-years or more. This lease must be in favour of that unit/firm or its partner or Director or Holding Co. and which has been shown as assets to that unit for its usage.
- (ii) Power connection (including other power generating equipments) :
If the power connection is not in the name of its Owner/partner/Director Holding Company and it is in the name of some one else than the facility of sales tax exemption in its name or it has been transferred in the name of its Owner/Partner/Managing Director or Holding Company within three months from the date of production.
- (iii) If any change takes place in the organizational structure of an unit/firm due to change in the Ownership as a result of increase/decrease of share holders or change from partnership to a limited company or Pvt. Co. to a Public Ltd. Co. or change in the Directors then the facility of sales tax exemption/deferment may be continued, subject to the condition that, such kind of reorganized unit/firm gets itself registered after making application for registration in the stipulated period provided under Sales Tax Act/Rules of the State Govt. after completing other formalities (which includes the formalities of security as required by the Sale Tax Assessment Officer) and if that previous unit/firm has the benefits of deferment it should produce again the agreement relating to the 1st or 2nd charge on the property of new unit/firms after such change within one month. But in any condition the facility of deferment/exemption shall not exceed the limit of the fixed percentage of fixed capital investment or limit of total period as prescribed prior to the reorganization.
- (iv) If any new unit is eligible for sales tax exemption/deferment under this scheme and provision of the rules and has purchased an old machine or has installed on hire-purchase scheme during the period of sales tax exemption/deferment then the facility of sales tax exemption/deferment will end from the date of installation of such machine. If a unit purchases a new machine or install it on hire purchase scheme then the facility of sales tax exemption/ deferment will not be withdrawn.
- (v) It shall be compulsory for an unit for availing the facility of sales tax exemption/deferment to submit an application in prescribed proforma fulfilling all conditions with the Managing Director, Industrial Area Development Authority of the General Manager, District Industries Centre giving details of previously selected facility. This facility shall be admissible only when an industrial unit :-
 - (a) has fulfilled all conditions defined for a new unit.
 - (b) has also fulfilled all other conditions necessary for admissibility of this facility under this scheme.

- (vi) If any unit keeps the production continuously closed for more than six months and if the Director of Industries and Commissioner Commercial Taxes are satisfied that it is due to reasons other than the natural calamity or due to conditions beyond its control such unit shall not be entitled for the facility of sales tax exemption/deferment from date of closure of production but if the Director of Industries and commissioner Commercial Taxes are satisfied about the condition then six month but the period for which it has remained in production shall be considered a full year for the purpose of calculation of eligiblty period.

It the unit is closed temporarily for less than six months and there after restarts production then the facility for exemption/deferment will continue but that period for which it has been closed shall be included in eligiblty period.

If it is necessary for a new unit, after trial production to obtain the permission or approval for any facility from the Government before commencing commercial production and the production has been closed or delayed for more than six months in production due to delay in obtaining such permission or license than due to this reason only facility of exemption/deferment will not be withdrawn from a new unit.

- (vii) Such Industrial Units Which are defaulter under the loan scheme of BSFC/BICICO and under the Sales Tax Act of the State Government shall not be entitled for the facility of sales tax exemption/deferment.

Facility for units which have been taken over after being declared sick after the sanction of Sales Tax exemption/deferment :

If any unit which has been financed by the Government approved financial institutions and fulfills all conditions of sales tax exemption/deferment becomes sick before the end of prescribed period meant for sales tax exemption/deferment and if such unit is sold to another entrepreneur after being taken over by the financial institution then such sick unit shall also be entitled for the facility of sales tax exemption/deferment for the remaining period after the units is closed besides this the sick/closed Besides this the sick/closed unit (old one) shall not be eligible for sales tax exemption/deferment for the remaining period after from the date of close of production.

Option for the facility of sales tax deferment/exemption :

It will be open to all small medium and large scale units mentioned in Annexure-VI covered under scheme to make use of facility of sales tax deferment or exemption. It is necessary for a unit to make a clear option in his application form regarding sales tax exemption or deferment once an option is made no change will be allowed thereafter.

Under this scheme the facility of sales tax exemption/deferment will be provided with the following conditions.

- (i) This facility would be available to those units mentioned in Annexure VI under this scheme who will produce their scheduled forms within the stipulated period under this Sales Tax Act of State Government.
- (ii) This Facility will be available to established units/entrepreneurs on such sales which is eligible under this scheme and which has been accepted in scheduled forms by the industrial

unit for the stipulated period related to that tax or shall be limited to prescribed percentage of investment on basic capital

- (iii) In the beginning the payment of due tax can be recommended for deferment for the prescribed period of the industrial unit or the percentage of financial limit whatever be the condition till the fixation of tax related to the period mentioned in scheduled form is not completed.
- (iv) The payment of deferred amount by the industrial unit will start from the next year after the end period of deferment is over and shall be completed within the stipulated period in equal installments. To avail the facility of deferment the industrial unit has to mortgage enough property in the form of first or second charge for the amount of deferred tax in favor of the State Govt.

Facility for sales tax exemption/deferment on expansion/diversification :

- A. On expansion/diversification the unit will be given sales tax deferment/exemption only when it made expansion/diversification as defined Under diversification in the case of the units starting the production of new items the facility of deferment/exemption will be admissible only to the sale of such manufactured commercial goods which have not been produced by them previously But it will be done on condition that in expansion/deversification at least 50% of the basic capital investment is made as additional capital investment.
- B. For expansion/diversification the unit will have to purchase all the machine plants and equipments from reputed firms or their distributors or authorised agents or dealers the same should have not been used previously in factories or workshops any where in India or have not been acquired for this purposed. The cost of old boiler or generators will not be included within additional capital investment but the use of old boilers and generators will be admissible for the purpose.
- C. The procedure for granting the facility of sales tax exemption to the above units will be the same as has been determined in the case of new industrial units and this exemption facility will be admissible only as per Rules & Regulations made under the State Govt. Sales Tax Act.
- D. If the expansion/diversification has been made on the basis of hire purchase machine then the following conditions have to be fulfilled :
 - 1. Machines should be new i.e., they should not have been used anywhere in India and also have not been acquired for use in any other factory/workshop in India.
 - 2. Machines have been taken on hire-purchase basis from any public financial institution :
 - 3. The payment made for the purchase of machines from the said public financial Institution will be included within the capital investment made for other new machines/plants installed by the unit for expansion/diversification But the facility to the unit will be admissible only when the concerned entrepreneurs produce certificate of no dues every year to the concerned Sales Tax officer as per the terms of hire - purchase.

Collection/Realisation of Sales Tax by the unit

It will be the option of the unit to collect sales tax and deposit it to the sales tax department till final decision is made on its application for exemption of sales tax. If the unit deposits sales tax and is allowed for sales tax exemption after the final decision in that case the unit will be entitled to enjoy the facility of sales tax exemption for the stipulated period from the date fixed in the final order or the State Govt. may return within the framework of the sales Tax Act the sales tax amount deposited by the unit. In case the application for sales Tax exemption of the unit is rejected after due consideration then the unit will be responsible for payment of sales tax for the whole period whether it has been collected by the unit or not. The unit shall not get any benefit even in the case where it has not collected sales tax in anticipation to the approval of its application for sales tax exemption. In case the deferment of sales tax is allowed the unit will get refund of all the sales tax amount deposited so far.

LIST OF INDUSTRIES ELIGIBLE TO PURCHASE RAW MATERIALS WITHOUT PAYMENT OF SALES TAX.

1. Bicycle, Tricycles, Perambulators and accessories and part thereof.
2. Glass and glassware including optical glass in all forms.
3. Oil extracted by solvent extraction process.
4. All kind of packing materials (including utensils and containers)
5. Rubber and rubber products.
6. Pencils
7. Paints, Varnish, Enamels, Thinners and allied surface coating products and constituents thereof
8. Pressure cookers and parts thereof.
9. Vitreous enameled products.
10. Sports goods including sports shoes and playfield and gymnasium equipment.
11. All Kinds of batteries and their parts.
12. Electric furnace and their parts and accessories.
13. (a) Lighting fixtures for use with bulbs excluding tubes & mercury lamps :-
 - (i) Bulbs, Tubes, or Mercury vapor lamps.
 - (ii) Wooden boards, Switches, External wiring and all other material like Batons, Cleats, Clips etc.
- (b) Accessories of lighting fixtures, namely, chokes, starters, starter-seats holders and condensers for power.
14. Measuring and Controlling Equipment and Photo electric cells, Heating Elements, Resistance wires, Regulators and Gauges for measuring equipments.
15. X-ray Infrared and high frequency equipment and other component parts for medical and industrial application.
16. Rexing linoleum and flocked velvety, plastic cloth.
17. Tooth powder and toothpaste.
18. Small tools, cutting tools, portable power tools and other workshop tools.
19. All kinds of buttons.
20. Canvas shoes.
21. Electric switchgear and motor starter.
22. Miniature and auto bulbs.
23. Hosiery products.

24. Fountain pens, Ball pens, Artist pens.
25. Earthenware crockery.
26. Stoneware crockery.
27. Porcelain crockery excluding hospital stonewares.
28. Stone wares including hospital stonewares.
29. Electrical porcelain that is to say insulators and pressed electric porcelain.
30. Chemical porcelain
31. Technical porcelain.
32. Porcelain tiles.
33. Mentha oil (on the purchase of Mentha sherb)
34. Menthol (on the purchase of Mentha oil)
35. Nuts, Bolts and Screws.
36. Rice (on the purchase of paddy)
37. Vansapati.
38. Exercise books
39. Cast Iron Manhole covers & frames, cast iron weights and cast iron pipers and fittings.
40. Woolen Sweaters and Cardigans.
41. Atta, Maida & Suji Manufactured by Roller Flour Mills (on the purchase of wheat from the Food Corporation of India)
42. Leather Board (on the purchase of leather cuttings)
43. Carpets (on the purchase of hand spun woolen fibre, popularly known as Dasi kali)
44. Harrows (on the purchase of Steel dies).
45. Bakery products (on the purchase of Atta, Maida of Suji)
46. Iron and steel, as defined in section 14 of the central Sales Tax Act, 1956.

ANNEXURE - VI

1. Electronics and Telecommunication Industry.
2. Agriculture, Fruit and Vegetable bases Industry.
3. Vanaspati Ghee and Refined oil.
4. Bicycle.
5. Leather based Industry.
6. Life saving Drugs.
7. Iron & Steel based Industry.
8. Special Smokeless Fuels bases on coal.

INDUSTRIAL INCENTIVE POLICY

1986

- 1.7** The Central Government have categorized the districts into A, B and C categories and the rate of Central Capital Investment Subsidy depends on this categorization. This categorization needs revision. Even in the so-called developed districts, there are areas where there is no industry at all. The State Government, therefore, feels that the unit should be subdivision. The State Government has made recommendation to the Central Government on this line. Till a decision in this regard is taken by the Government of India, the State Government feels that in certain subdivisions, where the level of Industrial development is very low, the same facilities should be extended as are admissible in 'A' category districts irrespective of the fact whether such a subdivision is in category 'A' or not. Government will determine the criteria to identify such subdivision.
- 1.8** To channelize energy of our young educated people in industrial activity, State Government will give them special incentives to attract them to industries. Scheduled Castes and Scheduled Tribes will continue getting special attention. As a legacy of the past, the educated young people are shy to take to industries. To encourage them, special incentives will be given to them in different forms.
- 1.9** The state Government attaches utmost importance to quick clearance of proposals received from entrepreneurs and removal of difficulties faced by them. To achieve this and to help the entrepreneurs to have a correct choice of industries to be set up, 'Single Window System' has been established at different levels. At the level of the districts, a committee has been set up headed by the District Officer with representatives from Electricity Board, Commercial Taxes Department, Labour Department, Financial Institutions and Banks to advise and help the entrepreneurs. A similar Committee has been set up at the level of Industrial Development Authority and finally, there is a Committee at the State headquarters with Chief Secretary as the Chairman, Officers from various departments and organisations concerned with the development of industry in the State are on the committee. The decisions taken by this committee will be binding on all departments and organisations.
- All promotional institutions and bodies will be housed in Udyog Vikas Bhawan and a team of officers will be working there every day under the "Single Window System" scheme to help entrepreneurs. The Industrial Development Commissioner alongwith senior officers from the Industries Department/Corporations/Financial Institutions/Banks/Boards will also be available there on fixed days to help and advise them.
- A Data Bank and an Industrial Library etc. will also be set up for giving necessary assistance to the entrepreneurs.
- 1.10** 100 percent export oriented industries will get priority treatment.
- 1.11** Due attention will also be given to improvement in quality of goods produced so that they are competitive and are to the full satisfaction to the consumers. Suitable incentives will be provided to promote services connected with promotion of tourism in the State. Suitable arrangements at the State, districts and Industrial Area Development Authorities levels have been made for proper and regular monitoring of projects and schemes.
- 1.12** The State Government have established 6 Industrial Area Development Authorities in the State and it will be State Government's endeavour to build suitable infrastructures through these agencies.

1.13 It is State Government's hope that with these incentives there will be adequate response from industrialists within the country or Indians living abroad. Similarly, the educated young men and women will take advantage of the opportunities and take to industry to earn their own living and promote the economic growth of the State.

2. Concessions and Incentives

2. The incentives and concessions which the Government will consider giving to the industries in the next five years with effect from 1st September 1986 are as follows:-

2.1 Concessions and Subsidies-

- (a) Subsidy on the cost of preparing feasibility/Project Report.
- (b) Subsidy on Technical know-how fee.
- (c) Seed money assistance.
- (d) Capital investment subsidy.
- (e) Subsidy on electricity consumption.
- (f) Subsidy on the purchase and installation of generating sets.
- (g) Sales tax relief.

2.2 Other Financial Assistance-

- (a) Guarantee of loans.
- (b) Under writing and purchase of shares.
- (c) Sponsoring of the hire purchase applications to the National Small Industries Corporation.
- (d) Seed Money under the State Aid to Industries Act.
- (e) Helping the industries in obtaining credit facilities from nationalised banks and other financial institutions.
- (f) Exemption from the payment of stamp duty and registration fee for mortgage bonds on loans and seed money upto Rs. 50,000 under the Bihar State Aid to Industries Act.
- (g) Loans from Bihar State Financial Corporation and Bihar State Credit and Investment Corporation.
- (h) Advance payment to the extent of 75 percent to 80 percent to the suppliers of machinery on hire purchase basis on production of R/R provided they are registered with NSIC or the Industries Department (Bihar) and are from standard manufacturers.
- (i) Participation in equity finance in deserving cases.

2.3 Marketing Assistance-

- (a) Stores Purchase Price Preference Rules.
- (b) Quality Control.

- 2.4 Incentive for Diversification/Expansion.
- 2.5 Assistance for the rehabilitation of Sick/closed units.
- 2.6 Incentive to SSI growing into medium industries.
- 2.7 Water rate.

3. Infrastructural Assistance

- 3.1 For Small-scale and Tiny Industries- (a) Sheds in Industrial Estates/Industrial Areas would be made available to the new small-scale units on concessional rate of rent at 50 percent for the first five years from the date of allotment after which full rent will be payable.

Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Graduate entrepreneurs/entrepreneurs having diploma in any technical branch or in business management and entrepreneurs having tiny units (a maximum of Rs. two lakhs in fixed assets) will pay only 25 percent of the rent for the first two years, 50 percent of the rent for the next three years and full rent thereafter.

- (b) Sheds would also be available for outright purchase or on hire purchase basis on payment of 5 percent of the cost in each of the first two years, 7 percent of the cost in each of the next two years and rest of the cost in the next eight years in equal installments. Cost payable by Scheduled Caste/Scheduled Tribe and other entrepreneurs as mentioned in (a) above or by entrepreneurs having tiny units or in respect of units in 'A' category districts will be at the rate of 5 percent each in the first three years, 7 percent each in the next three years and the remaining amount in the next eight years. The rate of interest will be 5 percent with 2 percent rebate for timely payment.
- (c) The developed land in Industrial Area/Estates would be given on lease for 99(ninety nine) years and the cost and interest will be realised in installments in the same manner as mentioned in (b) above.
- (d) In calculating the cost of shed as in (b) or land as in (c) above, a rebate of 25 percent will be admissible in 'A' category, 20 percent in 'B' & 'C' categories and 15 percent in remaining districts.
- (e) Installments for shed/land will be paid every six months, by the 30th of September and 31st of March. 2 percent penal rate of interest will be charged if the installment is not paid by the due date.
- (f) If any loan has been obtained by a unit from any financial institution/bank and the cost of the shed/land is one of the components of loan, the amount of loan received on account of such shed/ land will straightway be paid to the Authority concerned notwithstanding the number of installments fixed. The number of installments will thereafter be suitably adjusted.
- (g) If a unit fails to pay the amount received from financial institution/bank towards the cost of shed/land after having received disbursement for such shed/land from financial institution/bank or on the expiry of the repayment period(where such loan has not been sanctioned by a financial institution/bank), the lease with respect to the shed/land will be liable to be cancelled.
- (h) Where an estate/area has been developed by taking loan from financial institution/bank

4. Concessions and Subsidies

SUBSIDY ON THE COST OF PREPARATION OF FEASIBILITY REPORTS/ PROJECT REPORTS

4.1 Feasibility Reports available in or prepared by the Industries Department will be supplied free of cost. Generally no subsidy will be admissible for the preparation of such project reports/feasibility reports as are available in the department, but in special cases where it is felt that in spite of the availability of such reports, for a particular industry, it is essential to get a special report prepared and in all other cases where no such report is available in the department, subsidy will be admissible on the following scale:-

- (i) The cost of the preparation of reports in respect of Small-Scale Industries will be reimbursed subject to a limit of 1 percent of the fixed capital investment or Rs.20,000 whichever is less. The limit of Rs. 20,000 will not apply in category (A) districts as also in respect of units set up wholly by Techno-entrepreneurs/diploma holders in any technical branch or in Business Management/Scheduled Caste/ Scheduled Tribe entrepreneurs and entrepreneurs of the first generation in any part of the State.
- (ii) For the projects with fixed capital investment of less than Rupees one crore, the cost of the preparation of the report would be reimbursed subject to a maximum of one percent of the fixed capital investment or Rs. 50,000 whichever is less.
- (iii) For the projects with fixed capital investment of more than rupees one crore, the reimbursable amount would be limited to half percent of the fixed capital investment subject to a maximum of Rs. 3(three) lakhs.
- (iv) 75 percent of reimbursable amount would be paid after the term loan is sanctioned by the Financial Institution and 25 percent after the project is set up.
- (v) If after disbursement of subsidy, the entrepreneur does not implement the scheme, necessary legal steps will be taken for recovery of the disbursed amount alongwith interest at the rate of 12 percent.
- (vi) Entrepreneurs availing of this facility will have to execute an agreement at the time of filing application for grant of subsidy.

4.2 Subsidy on technical know-how fee- A subsidy at the rate of 75 percent of the lump-sum know-how fee charged by the National Research and Development Corporation and National Research Laboratories and Organisations recognized by the Government imparting technical know-how, will be available to small industrial units subject to a maximum of Rs. 30,000.

The reimbursement of subsidy will be made on sanction of loan.

5. Capital Investment Subsidy

Some districts of this State have been categorized as 'A', 'B' and 'C' backward districts by the Government of India vide their notification issued on 27th April 1983. In these districts, Central Capital Investment subsidy is admissible to the industrial units. In the remaining districts, as also in category 'C' districts, State Capital Investment subsidy is admissible.

The scale of Central/State Capital Investment subsidy is as follows:-

- (a) Category 'A'(No Industry) Districts (Central Capital Subsidy)- Under this category are the districts of Nalanda, Aurangabad, Bhojpur, Khagaria, Purnea, Saharsa and Madhepura. For these districts, Central Capital Investment subsidy at the rate of 25 percent subject to a maximum of Rs.25 lakhs is admissible to an industrial unit on fixed capital investment made on or after 1st April 1983.
- (b) Category 'B' districts(Central Capital Subsidy)- In this category are eleven districts viz., Bhagalpur, Darbhanga, Madhubani, Samstipur, East Champaran, West Champaran, Palamau, Dumka, Deoghar, Sahebganj and Godda. In these districts, Central Capital investment subsidy at the rate of 15 percent is admissible to an industrial unit subject to a maximum of Rs. 15 lakhs.
- (c) Category 'C' districts(Central and State Capital Subsidy)- In this category there are districts viz., Gaya, Nawada, Gopalganj, Begusarai(except Central subsidy at the rate of 10 percent of the investment made on fixed capital assets on or after 1st April 1983 is admissible to an industrial unit subject to a maximum of Rs. 10 lakhs investment made prior to 1st April 1983 will not qualify for the subsidy. Besides this and additional amount of 5 percent of the investment on the fixed assets made on or after 1st April 1983 will be admissible to the industrial unit subject to a maximum of making a total of 15 percent subject to a maximum of Rs. 15 lakhs.
- (d) Districts other than those falling in 'A', 'B' and 'C' categories (State Capital Subsidy) - In the following districts of the State viz., Patna, Katihar, Rohtas, Hazaribagh, Dhanbad, Giridih, Ranchi, Gumla, Lohardagga and Singhbhum and Barauni Block of Begusarai district, State Capital Investment Subsidy at the rate of 15 percent of the fixed capital Investment will be admissible to all new industrial unit coming into production on / or after the 17th November 1980 subject to a maximum of Rs. 15 lakhs.

- Note:-** (1) The Central Capital subsidy including the categorization of districts is subject to modification as may be made by the Government of India from time to time.
- (2) Where additional Central Subsidy is available in 'B' and 'C' districts on the ground of the unit being a nucleus plant, the state subsidy will be reduced that extent.
- (3) If in the opinion of the state government, the level of industrial development in a particular subdivision is so low that accelerated assistance is necessary for its industrial growth, the State Government may grant State Capital Subsidy in such a subdivision as admissible in 'A' category districts at present. For this purpose, the State Government will lay down suitable guidelines in consultation with Planning & Finance Department of the State Government based on objective criteria.

6. Seed Money

In several cases entrepreneurs are not in position to invest requisite amount of promoters' contribution. To help such entrepreneurs, the following schemes are in operation:-

- (1) Seed Capital assistance from Financial Institutions as a part of the promoters' contribution.
- (2) Seed money loan given through DIC and Industrial Area Development Authority, wherein loan is sanctioned on easy terms to entrepreneurs to meet a part of the promoters'

7. Relief in Respect of consumption of electric power

- 8. Subsidy of purchase and installation of captive Diesel/K. oil Genrating Sets.**

- 142

- 8.3 Atta Chakkies, Hullers, cold storage, Hotal, Cinemas will not be eligible for the subsidy on purchase and installation of captive diesel/K. oil Generating get.

9. Sales-tax Relief

- 9.1 Sales Tax Relief on purchase of raw materials (whether processed or unprocessed).-Large, Medium, Small and Tiny industrial units going into production on or after 1st September 1986 will have the option either to avail of total exemption from payment of sales tax on the purchase of raw materials (whether processed or unprocessed) or to get set-off of the amount paid as Bihar Sales Tax payable on the sales of finished products. This facility will be available to the industrial units for a period of 5 (five) years on such raw-materials in respect of which facility of exemption of set-off is at present available under existing Government orders.
- 9.2 Interest-free Sales Tax loan-Large, Medium, Small and Tiny industrial units going into production on or after 1st September 1986 will get interest-free sales tax loan without security equivalent to the Bihar Sales Tax paid after set-off, if any and the amount realised by the State Government under Central Sales Tax Act will also be included for computing the amount of interest-free loan. This concession will be available for a period of 5 (Five) years from the date of commencement of their production.
- (a) In case of small and tiny industrial units, the amount of loan will be subject to a maximum of Rs. 10 (Ten) lakhs for the total eligibility period of 5 (five) years. In respect of 'A' category districts the maximum limit will be Rs. 15 (Fifteen) lakhs.
- (b) In case of large & Medium industries, the maximum limit of sales tax loan will be 10 percent of the initial investment in fixed assets, subject to a maximum limit of Rs. 25 (twentyfive) lakhs for the total eligibility period of 5 (five) years. In case of industrial units located in 'A' category districts, this limit will be Rs. 30 (Thirty) lakhs for the total eligibility period of 5 (five) years.

Note- (a) Investment in fixed assets means investment in land, building, plants, machinery. The valuation of such investment will be as indicated in the balance sheet duly audited and verified by an approved Chartered Accountant for the financial year for which the concession is being claimed.

- (b) In case of small scale industries, if in any particular year a unit does not pay a minimum of Rs. 5,000 (Five Thousand) as sales tax on the sales of finished products after set-off if any the unit will not be entitled to sales tax loan for lesser amount so paid However the amount so paid will be carried forward sales tax loan and the unit will be entitled to sales tax loan, if the sales tax paid amounts to at least Rs. 5,000 (Five Thousand).
- (c) The repayment of the sales tax loan will commence from the 6th year of the loan taken and will be repaid in five annual equal instalments. In case of default, interest at the rate of 16 percent per annum will be charged.
- (d) Only such industrial units will be entitled to sales tax loan as are registered with the Department of Commercial Taxes for Payment of sales tax.
- (e) The unit which went into production before 1st September 1986 but which have not completed the period of eligibility for such concessions available to them in resolution

no. 1158 dated the 20th January 1981 of Industries Department, will get such concessions for the remaining period of their eligibility according to Resolution no. 1153, dated the 20th January 1981.

10. Other Financial Assistance

10.1 Small/Tiny Industris. - The Small/Tiny Industrial units will continue to get the following assistance on merit :-

- (a) Guarantee for loans.
- (b) Under-writing and purchase of shares.
- (c) Seed Money under Bihar State Aid to Industries Act.
- (d) Sponsoring of the Hire-purchase application with the National Small Industries Corporation
- (e) Assistance to Industries in obtain credit facilities from Nationalised Banks and Financial Institutions.
- (f) Loans from Bihar State Financial Corporation.
- (g) Seed Money up to Rs. 50,000 (Fifty Thousand) under Bihar State Aid to Industries Act will remain exempted from payment of stamp duty and registration fee for mortgage bonds thereof and the existing relaxation in respect of interest and security for loans under Bihar State Aid to Industries Act will continue.

10.2 Larger and Medium Industries - The Government will continue to consider favourable under-writing of share, participation in equity, grant of loans and guarantee for loan raised by industries in suitable cases. Financial institutions of the State i.e., Bihar State Financial Corporation and Bihar State Credit & Investment Corporation will continue to advance term loans in suitable cases. In order to enlarge the area of coverage the sanctioning limit of the Bihar State Credit and Investment corporation has been raised Rs. 60 (Sixty) lakhs to Rs. 90 (Ninety) lakhs.

11. Marketing Assistance

11.1 The State Government have made rules with regard to the purchase of products of small scale/larger and medium scale units and joint sector units located in the State. The rules will be reviewed with a view to make them more effective and equitable in respect of the products of different sectors. Suitable steps will be taken to ensure timely payment of price to the units selling their products to Government Department/Organisations. A high level Committee has been set up by the Department of Industries to keep watch on the purchase made of Government Department/corporations/Board/Authorities, etc.

11.2 In order to remove the difficulties faced by small-scale and tiny sector units in marketing their products, the State Government will provide marketing consultancy and disseminate marketing intelligence. The agencies like the Bihar State Export Corporation and State Electronics Development Corporation will be properly geared to provide these service.

11.3 In order to make small scale units quality conscious and improve the quality of its products, the State Government will reimburse 25 percent of the cost of the plant and equipments of the testing laboratories set up by the units, subject to maximum of Rs. 6,000 (Six Thousand)

11.4 50 percent of the expenditure incurred by the SSI units in obtaining ISI/quality marking certificate will be reimbursed by the Government subject to a maximum of Rs. 2,000 (Two Thousand) per annum.

12. Water rate

If an industry takes water from a source maintained by the Government water will be supplied to it on 'No Profit No Loss' basis.

13. Promoting Khadi and Village Industries

13.1 All-out efforts will be made for development of khadi and village and Cottage industries. Through Special Component schemes and the scheme for the employment of educated youth a network of village and cottage industries would be established particularly in the rural areas. Government will welcome the participation of voluntary agencies working in the field of rural development of village and cottage industries and their number would increase in subsequent years. Proper co-ordination would be established between the Department for the purpose. A High Power Co-ordination Committee has been set up under the Chairmanship of the Development commissioner. This Committee will pay attention to various aspects of cottage and village industries including availability of raw materials/and marketing. Khadi Board will be particularly activated. There will be careful selection of the trades on which they should concentrate. Adequate attention will be given to field work through proper supervision and monitoring.

13.2 Government will bring about necessary structural changes at appropriate levels so that there is accelerated growth of handloom and sericulture in the State and the Village and cottage Industries come up in a big way. Particular attention will be given to inspection and monitoring and there will be adequate delegation of administrative and financial powers for quick implementation of various programmes.

14. Assistance for rehabilitation of sick and closed Units

The State Government will consider extending such concession and assistance as may be necessary to registered sick industries for their revival and rehabilitation keeping in view the policies of the Government of India and the Financial Institutions in this regard. Such facilities, however will not be available to units which have become sick because of managerial lapses. The State Government will monitor the rehabilitation programme of units in this category. The State government will consider extending such concessions, reliefs and incentives as may be considered necessary for revival and rehabilitation of a sick unit by the agencies concerned with the rehabilitation programme, namely Banks, Financial Institutions and Government organisations etc. and such assistance will be available for a limited period only.

15. Incentive for Expansion or Diversifications

Incentives will be allowed to old units for expansion or diversification. Expansion implies an increase of at least 25 percent of the (rated) capacity of the unit for the items for which it is registered. Diversification implies production of a new item or items not envisaged in the

project report on which such loan was sanctioned or not capable of being manufactured by existing machinery. The incentives will be available on the following conditions :-

- (a) The expansion/diversifications programme has been duly registered and approved by the competent authority prescribed by the Government.
- (b) The facilities relating to sales tax as mentioned in paragraphs 9.1 and 9.2 will be available for a period of 5 (five) years from the date of commencement of production after expansion/diversification and shall be limited to the extent of expansion/diversification.
- (c) In respect of incentives relating to power consumption incentive will be admissible on the additional consumption of power relating to production purposes consequent upon expansion/diversification of unit. The facility will be available for a period of 5 (Five) years from the date of commencement of production after expansion/diversification and shall be limited to the extent of expansion/diversification.

16 Facilities to SSI Units grow in into medium Industry

In order to encourage small-scale industries to develop and convert themselves as medium scale industries the State Government will give them the following incentives for the first two years of their conversion and registration as a medium scale industry :-

- (a) Allotment of raw materials as before. They should in the meanwhile make efforts to obtain raw materials from DGTD.
- (b) Stores Purchase Preference as to SSIs in Government purchase.
- (c) Facilities regarding power consumption as admissible to SSI units for a period of two years or for the remaining period of eligibility whichever is earlier.

17. Special Facilities to non-resident Indians

With a view to attracting investment by non-resident Indians (NRIs). Government has set up a single window system as one point contact service for such entrepreneurs. Industrial plots already developed and being developed in industrial areas/estates will be made available to them on a priority basis. Power connection to units promoted by NRIs will be sanctioned on priority basis. BSIDC/Bihar State Pharmaceutical and Chemical Development Corporation/Bihar State Electronic Development Corporation will participate in the equity of NRIs in suitable cases. Loans and other facilities will also be made available to such entrepreneurs on priority basis.

18. Special facilities to 100 percent export oriented Units

Units established in the State of Bihar which fall within the definition of 100 percent export-oriented units as laid down by the Central Government are eligible for various incentives announced by the Central Government. These units will have the facility of sanction and disbursement of assistance on a priority basis. Power connection and land will also be made available to them on a priority basis.

19. Special facilities for Electronics Industries

19.1 Raw materials used for the manufacture of Electronic goods and the electronics goods manufactured in the State will be exempted from sales Tax for a period of five years (effective from 1st September 1986). Only such raw materials and such electronics products

will get this concession as are approved and notified as electronics raw materials and electronics products by the Department of Electronics, Government of India.

19.2 Market Assistance to Electronics Industries :- Since this sector is still to develop in the State there is an obvious handicap of market goodwill. It is therefore necessary to have a central agency for marketing the goods manufactured by the Small and Medium units which should also anticipate the future trends and undertake the necessary market research. It has therefore been decided to consider setting up a marketing division with the State Electronics Development Corporation which will act as marketing agency for these units and provide professional marketing intelligence and expertise.

19.3 Technical Support Services :- Another strategy to achieve overall development of electronics in the State would be to provide technical support services to small and medium Centre Patna. The testing facilities for standardisation. It is also decided to consider setting up a new EITDC centre at Ranchi with assistance of Electronics Commission, Government of India to meet the growing needs of Small/Medium Electronics Units and to help them in upgrading their product quality.

19.4 Raw material depot- The Government is aware of the difficulties faced by the small entrepreneurs in respect of raw materials. Hardly an electronics hardware is manufactured in Bihar and the entrepreneurs have to depend on markets mostly in Bombay and Delhi. Therefore, it has been decided to consider opening a raw material depot particularly for critical materials with a suitable mechanism which would be accessible to all entrepreneurs.

19.5 Man Power development centre. - The Government has also decided to consider setting up a manpower development centre for electronics at Patna to meet the increasing demand for qualified electronics technicians in collaboration with Tele-Communication India Ltd., a Government of India undertaking More such centres would be set up in coming years in different parts of the State.

19.6 Computer Service - Under the NIC's plan for data processing, Patna may be considered for being equipped with a medium capacity computer system hooked on to the NIC's Computer Net Work.

20. Promotional activities

The Government are also considering the following :-

- (a) **Data Bank** - To set up a Data Bank to make available all industrial and market statistics and technical information to entrepreneurs under one roof.
- (b) **EDP** - To establish an institute for Entrepreneurs desirous of entering into industrial activities, Graduate or Diploma holders women scheduled caste and scheduled tribes first generation entrepreneurs will be given preference in getting such training.
- (c) **Electronic city.** - To set up two Industrial Estates exclusively for electronics. These Estates would be provided with suitable industrial sheds and raw materials bank and common facilities like upto date testing facilities and necessary assistance in standardisation and quality control of electronics goods.

- (d) **Science and technology entrepreneurs park (step)** - To set up a special complex at Ranchi for development of high technology based industries in the State. This centre will be set up as a nucleus for transfer of high technology from other developed countries to the entrepreneurs in the State keeping in view the local needs of transfer assimilation and upgradation of high technology within the resources constraints. It will aim at providing the answer to the long felt need of many scientists technologists and non-resident Indians.
- (e) Growth centres and infrastructural facilities in 'no industry districts' - The State Government with suitable assistance from the Government of India and the IDBI, will develop growth centres in 'No Industry Districts' so that industries are attracted in these areas and there is proper industrial growth. The districts selected for the purpose are : Purnea, Khagaria, Saharsa, Madhepura, Nalanda, Aurangabad and Bhojpur. All infrastructural facilities like road water electricity school Post Office etc. will be provided and the centre would be over an area of 200 acres if feasible at places selected for the purpose in these districts.

21. **Effective monitoring**

For effective monitoring of the developmental activities in the Industrial sector committees have been set up at the State Authority and District levels which will meet periodically and take appropriate action for setting up new industries and to ensure their smooth running. A suitable reporting system has been set up for the purpose.

22. No. Department of the Government will issue any instruction or order varying/changing/modifying any of the provisions contained in this Resolution without prior consultation with the Department of Industries.

ORDER - Ordered that a copy of the Resolution be published in the Bihar Gazette and in reputed journals and news papers and circulated to all departments of Government/Heads of the Department and Subordinate offices.



सामग्री खरीद अधिमानता नीति

2002

(संशोधित-अप्रैल 2007 तक)

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
संकल्प

विषय :- सामग्री खरीद अधिमानता नीति - 2002

“चूँकि उद्योग खासकर कुटीर एवं लघु उद्योग बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देकर देश एवं राज्य की अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं और केन्द्रीय तथा राज्य सरकार दोनों की नीति है कि इन उद्योगों को बढ़ावा दिया जाय, अतः बिहार राज्य में भी केन्द्रीय तथा कतिपय अन्य राज्य सरकारों की तरह लघु तथा कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित सामग्री को सरकारी क्रयों में प्राथमिकता एवं मूल्य अधिमानता देने का राज्य सरकार का निर्णय एवं निर्देश जुलाई, 1956 से ही रहा है। जुलाई, 1956 में उद्योग विभाग की संकल्प संख्या 726, दिनांक 30, जुलाई, 1956 एवं संकल्प संख्या 7285 दिनांक 6 जून 1984 में इस तरह की प्राथमिकता एवं मूल्य अधिमानता के संबंध में कतिपय निर्देश निर्गत किये गये थे। पिछले वर्षों के अनुभव से यह पाया गया कि अपेक्षित उद्देश्य की सिद्धि के लिये वर्तमान सामग्री खरीद अधिमानता नियमावली के तत्संबंधी निर्देशों में आवश्यक संशोधन कर इसे विशेष प्रभावकारी बनाने की जरूरत है। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य के वृहत्/मध्यम उद्योगों द्वारा उत्पादित सामग्री को क्रयों में बाहर के उद्योगों की तुलना में, प्राथमिकता एवं अधिमानता दी जाए।

2. तदनुसार अब यह निर्णय लिया गया है कि सभी विभागों/निगमों/प्राधिकारों/पार्षदों/स्वायत्त संस्थाओं द्वारा सामग्री क्रय में बिहार राज्य में अवस्थित उद्योगों को तात्कालिक प्रभाव से निम्न रियायतें दी जायेंगी एवं निम्न सभी प्रावधान लागू होंगे :-

(1) प्रत्येक विभाग द्वारा जो भी निविदायें निकाली जायेगी उनमें यह प्रावधान अनिवार्य होगा कि सभी निविदायें बिहार में स्थित इकाइयों या राज्य के बाहर उत्पादन इकाइयों के स्थानीय कॉरपोरेट कार्यालय/स्थानीय कार्यालय/एजेंट/प्राधिकृत डीलर द्वारा, जो बिहार वाणिज्य-कर में निर्बंधित हो, द्वारा ही दी जायेगी ताकि, जहाँ एक ओर, बिहार राज्य को वाणिज्य-कर आदि जैसे सभी देय कर प्राप्त हो वहीं, दूसरी ओर, निविदा में भाग लेनेवाली सभी इकाइयों पर बिहार राज्य में देय कर समरूप लागू हो और बिहार राज्य में स्थापित इकाइयों को, राज्य के बाहर की इकाइयों की तुलना में, कर-असमानता के आधार पर कोई नुकसान हो।

टिप्पणी : राज्य स्थित इकाई से अभिप्राय वैसी उत्पादन-इकाई से है जो बिहार राज्य में अवस्थित एवं निर्बंधित हो।

(2) राज्य सरकार के सभी विभागों/निगमों/पार्षदों/प्राधिकारों एवं स्वायत्त संस्थानों द्वारा क्रय की जानेवाली सामग्रियों में, (i) राज्य में अवस्थित एवं निर्बंधित वृहत्/मध्यम उद्योगों (लोक क्षेत्र उपक्रमों सहित) द्वारा उत्पादित ऐसी सामग्रियों को, बिहार राज्य के बाहर स्थित वृहत्/मध्यम उद्योगों द्वारा उत्पादित सामग्रियों की तुलना में अधिकतम दो प्रतिशत तक मूल्य अधिमानता दी जाय : तथा (ii) बिहार राज्य में अवस्थित एवं कार्यरत स्थायी निर्बंधित लघु उद्योगों को लोक उपक्रमों/निगमों/खादी बोर्ड द्वारा ऐसी उत्पादित सामग्री सहित, राज्य के बाहर स्थित वृहत्/मध्यम तथा लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित सामग्री की तुलना में अधिकतम 7 प्रतिशत तक मूल्य अधिमानता दी जाय।

(3) यदि राज्य स्थित दो या अधिक इकाइयों द्वारा निवेदित दर या अधिमानता दिये जाने की स्थिति में उनका दर, समान होता है तो क्रयादेश उन सभी के बीच, उनकी उत्पादन क्षमता के आधार पर, समानुपातिक विभाजित किया जायेगा।

(4) (i) सभी निविदाएँ स्थानीय करों को सम्मिलित करते हुए (inclusive of all local taxes) FOR destination के आधार पर प्राप्त की जायेगी।

- (ii) उपर्युक्त के अधीन, जब कभी राज्य के बाहर की इकाई से सामग्री की खरीद की जायेगी तो ऐसे क्रयादेश के विरुद्ध सामग्री की आपूर्ति उसकी स्थानीय शाखा/एजेंट/प्राधिकृत डीलर के माध्यम से ही की जायेगी और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस खरीदगी के विरुद्ध बिहार राज्य के देय करों का भुगतान कर दिया गया है।
- (iii) सामग्री की आपूर्ति के पश्चात् भुगतान के समय क्रेता विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि आपूर्तिकर्ता ने देय वाणिज्य-कर का भुगतान कर दिया है एवं उसकी सूचना वाणिज्य-कर विभाग भेज दी जाय।
- (iv) निविदाओं की तुलना एवं क्रयादेश निर्गत करने की प्रक्रिया में राज्य स्थित इकाइयों को मात्र मूल्य पर ही अधिमानता देय होगी, सामग्री की गुणवत्ता एवं आपूर्ति हेतु समय-सारिणी में किसी तरह की छूट नहीं होगी।
- (5) सामग्री खरीद अधिमानता नीति के अन्तर्गत अलग से निबन्धन की आवश्यकता अब नहीं होगी और उस प्रक्रिया को अब समाप्त समझा जायेगा। राज्य अवस्थित सभी स्थायी निर्बाधित तथा उत्पादनशील इकाइयों को सामग्री खरीद अधिमानता नीति का लाभ उन सामानों के लिये मिलेगा जिसके लिये वे निर्बाधित हैं।
- (6) बिहार की इकाइयों को उपर्युक्त प्राथमिकता एवं अधिमानता संबंधी सुविधायें देने के साथ-साथ यह भी राज्यहित में है कि सामग्री की खरीद ऐसी इकाइयों से ही की जाये जो गुणवत्ता के लिये राष्ट्रस्तरीय प्रचलित/मान्य मानकों का पालन करते हों। निविदा में यह शर्त अंकित की जाये कि जिन वस्तुओं की गुणवत्ता संबंधी राष्ट्र/अन्तर्राष्ट्रीय मानक उपलब्ध है उनकी आपूर्ति में उन स्थापित मानकों (यथा आई. एस. ओ., आई. एस. आई., एगमार्क आदि द्वारा निर्णीत) का सम्पूर्ण अनुपालन होना अनिवार्य होगा। निविदाएँ आमंत्रित करने में यह अनिवार्य रूप से शर्त अंकित करनी होगी कि तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदायें निविदा खोलने के पश्चात् संगत निविदा-शर्तों के तहत जिनकी तकनीकी निविदा स्वीकार्य/अनुमान्य होगी, मात्र उन्हीं की वित्तीय निविदा खोली जायेगी और तदुपरन्त क्रयादेश से संबंधित समुचित निर्णय लिया जायेगा।
- (7) सरकारी ठेके के लिये बिहार स्थित लघु उद्योग इकाइयों को “अर्नेस्ट मनी” देने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें सामान्य जमानत की मात्र 20 प्रतिशत राशि ही जमा करनी होगी। ऐसी इकाइयाँ जो क्रयादेश प्राप्त होने के उपरान्त उसकी शर्तों के अधीन आपूर्ति नहीं करती है उन्हें “ब्लैक लिस्टिंग” करने की कार्रवाई की जायेगी।
- (8) प्रत्येक विभाग/निगम/पर्षद/प्राधिकार/स्वायत्त संस्थान जिला स्तर तक क्रय समिति गठित करेंगे जिनकी अनुशंसा के आधार पर क्रय हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा नियमानुसार निर्णय लिया जा सकेगा।
- (9) लघु औद्योगिक इकाइयों को सामग्रियों की आपूर्ति के लिये क्रेता विभाग क्रयादेश की प्राप्ति की तिथि से, कम से कम 30 दिनों का समय देगा, बशर्ते सक्षम स्तर पर आपूर्ति-अवधि के संबंध में, कार्यहित में कोई अन्यथा निर्णय नहीं लिया गया हो।
- (10) क्रयादेश की प्रतिलिपि उद्योग विभाग को यथाशीघ्र भेजी जायेगी और उसकी एक प्रति क्रय करने वाले विभाग के सूचना-पट पर प्रकाशित की जायेगी।
- (11) (क) यदि किसी निविदादाता को किसी विभाग/निगम के क्रयादेश अथवा उसमें निहित किसी निर्णय अथवा अंश के विरुद्ध कोई शिकायत हो, तो वह सूचना-पट पर क्रयादेश प्रकाशित होने के 10 दिनों के अंदर 500 रु. शुल्क एवं 1000 रु. अर्नेस्ट मनी जमा करते हुए औद्योगिक विकास आयुक्त/उद्योग सचिव के कार्यालय में शपथ-पत्र सहित अपनी आपत्ति दो प्रतियों में अपीलीय समिति के विचारार्थ दायर कर सकेगा। शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि अप्रत्यर्पणीय होगी।

अपीलीय समिति का गठन निम्नवत होगा :-

(1)	औद्योगिक विकास आयुक्त/उद्योग सचिव	-	अध्यक्ष
(2)	वित्त विभाग द्वारा मनोनीत एक वरीय पदाधिकारी	-	सदस्य
(3)	निविदा मांगने वाले संबद्ध विभाग/निगम/पर्षद/ प्राधिकार/स्वायत्त संस्था द्वारा मनोनीत एक वरीय पदाधिकारी	-	सदस्य
(4)	निविदित सामग्री का एक तकनीकी विशेषज्ञ (जिसका चयन अध्यक्ष करेंगे)	-	सदस्य
(5)	निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग	-	सदस्य-सचिव

- (ख) अपीलीय समिति का निर्णय मंत्री, उद्योग की सहमति प्राप्त कर संबंधित विभाग/निगम/पर्षद/प्राधिकार/स्वायत्त संस्था को सूचित किया जायेगा। यह निर्णय अंतिम होगा तथा इसका कार्यान्वयन संबंधित विभाग/निगम सुनिश्चित करेगा।
- (12) (क) उद्योग विभाग अपेक्षा करेगा कि प्रत्येक विभाग/निगम/पर्षद/प्राधिकार/स्वायत्त संस्था अपनी कार्य योजना एवं अपनी आवर्तक आवश्यकताओं के संबंध में उद्योग विभाग के साथ यथासंभव वार्षिक तौर पर विचार-विमर्श कर ताकि उद्योग विभाग स्थापित उद्योगों को तत्संबंधी सूचना देकर उन्हें उन सामानों का उत्पादन करने का अवसर दे सके और आवश्यकतानुसार नई इकाइयों को भी स्थापित करने, कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई कर सके।
- (ख) वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में प्रत्येक विभाग/निगम/पर्षद/प्राधिकार/स्वायत्त संस्था उद्योग विभाग को सूचना भेजेगा कि वह प्रतिवर्ष, राज्य के बाहर से कौन-कौन सी सामग्री, कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का क्रय करता है और खासकर गत वर्ष उनके द्वारा किस सामग्री का कितना क्रय किया गया, ताकि उद्योग विभाग उस वस्तु के उत्पादन की व्यवस्था राज्य में ही यथासंभव करा सके। उक्त भेजी गई सूचनाओं में किसी परिवर्तन की स्थिति में, विभाग द्वारा संगत जानकारी उद्योग विभाग को ससमय दी जायेगी।
- (ग) उद्योग विभाग प्रतिवर्ष विभिन्न सामग्रियों के लिये लघु, मध्यम एवं वृहत् उद्योगों की निदेशिका (डाईरेक्ट्री) तैयार करेगा जिसमें उन इकाइयों की उत्पादन क्षमता भी अंकित होगी।
- (13) इस नीति के कार्यान्वयन के क्रम में उत्पन्न विशिष्ट कठिनाइयों के समाधान हेतु वित्त विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त कर, उद्योग विभाग निर्णय लेकर संबंधित कार्यालयों/व्यक्तियों को संसूचित करेगा जो अंतिम होगा।
- (14) उपर्युक्त प्रावधानों को निगमों/पर्षदों/प्राधिकारों/स्वायत्त संस्थाओं में तात्कालिक प्रभाव से लागू करने के लिये संबंधित सभी प्रशासी विभाग अपने स्तर से आवश्यक, औपचारिक निदेश निर्गत करेंगे।

इस आदेश के निर्गमन की तिथि से इस विषय पर पूर्व में निर्गत सभी आदेश और बिहार खरीद अधिमानता नियमावली, 1975 (समय-समय पर यथा-संशोधित) अवक्रमित समझे जायेंगे।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा उसकी एक प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/निगम/पर्षद/प्राधिकार/स्वायत्त संस्थाओं/सम्बद्ध)

अधीनस्थ कार्यालयों/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं अनुकूल कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह./-

(अशोक कुमार)

सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक-3514 /पटना, दिनांक- 28.09.2002

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, पटना को बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

ह./-

(अशोक कुमार)

सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक-3514 /पटना, दिनांक- 28.09.2002

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/विकास आयुक्त/सचिव, मंत्रिमण्डल एवं समन्वय विभाग/वाणिज्य-कर आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग/सभी औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार /अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत पर्षद, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उप-विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय उद्योग निदेशालय/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, पटना/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(अशोक कुमार)

सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक-3514 /पटना, दिनांक- 28.09.2002

प्रतिलिपि - सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(अशोक कुमार)

सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार
वित्त विभाग

अधिसूचनाएँ

“चूँकि उद्योग विभाग के ज्ञापांक 3514 दिनांक 28.09.2002 द्वारा संकल्प के रूप में निर्गत “सामग्री खरीद अधिमानता नीति, 2002” में कतिपय महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं और इसके तहत सभी विभागों/निगमों/प्राधिकारों/पर्षदों/सेवायुक्त संस्थाओं द्वारा सामग्री क्रय में बिहार राज्य में अवस्थित उद्योगों को तात्कालिक प्रभाव से कतिपय रियायतें देने का निर्णय लिया गया है तथा सामग्री खरीद अधिमानता नीति, 2002 में किये गये संशोधन एवं दी गई रियायतों के फलस्वरूप बिहार वित्त नियमावली के परिशिष्ट-8 की प्रस्तावना, परिशिष्ट-8 का नियम 2 एवं नियम 129 का संशोधन करना अपेक्षित है, इसलिए अब बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 58 की उपधारा (1) एवं (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार वित्त नियमावली को संशोधन करने हेतु राज्य सरकार निम्नलिखित बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2002 बनाती है:-

बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली - 2002

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ:-

- (1) यह नियमावली बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2002 कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार वित्त नियमावली के परिशिष्ट-8 की प्रस्तावना का प्रतिस्थापन:-

बिहार वित्त नियमावली के परिशिष्ट-8 की प्रस्तावना निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:-

“राज्य सेवाओं के लिए अपेक्षित सामग्रियों को खरीद इस तरह की जाय कि मितव्ययिता और कार्यकुशलता की अपेक्षाओं की सुरक्षा करते हुए बिहार में अवस्थित उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिले। इस निमित्त उद्योग विभाग को सामग्री खरीद अधिमानता नीति-2002 के अनुरूप, राज्य सरकार के सभी विभागों/निगमों/पर्षदों/प्राधिकारों एवं स्वायत्त संस्थाओं द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्रियों में, राज्य में अवस्थित एवं निर्बंधित वृहद्/मध्यम उद्योगों (लोक क्षेत्र उपक्रमों सहित) द्वारा उत्पादित ऐसी सामग्रियों को, बिहार राज्य के बाहर स्थित वृहत्/मध्यम उद्योगों द्वारा उत्पादित सामग्रियों की तुलना में, अधिकतम 2 (दो) प्रतिशत तक मूल्य-अधिमानता दी जायेगी। इसी प्रकार, बिहार राज्य में अवस्थित एवं कार्यरत स्थायी निर्बंधित लघु उद्योगों को राज्य के बाहर स्थित लघु/मध्यम/वृहत् उद्योगों द्वारा उत्पादित सामग्री की तुलना में अधिकतम-7 (सात) प्रतिशत तक मूल्य-अधिमानता दी जायेगी। मूल्य अधिमानता देते समय सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि खरीद ऐसी इकाइयों से ही की जा रही है जो गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित/मान्य मानकों का पालन करते हों।”

3. बिहार वित्त नियमावली के परिशिष्ट-8 के नियम-2 का प्रतिस्थापन:-

बिहार वित्त नियमावली के परिशिष्ट-8 का नियम (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:- “जहाँ 20,000 (बीस हजार) रुपये से अधिक का क्रय प्रस्तावित न हो वहाँ भारतवर्ष में अवस्थित इकाइयों से मूल्य-तालिका के आधार पर क्रय का निर्णय लिया जा सकता है। अन्य सभी मामलों में (नीचे के) नियमों में वर्णित विशिष्ट अपवाद की स्थिति को छोड़कर सभी क्रयों में निविदायें माँगी जायेगी। प्रत्येक निविदा में यह प्रावधान रहेगा कि बिहार में स्थित औद्योगिक इकाई और राज्य के बाहर उत्पादनरत इकाई के कॉरपोरेट

कार्यालय/स्थानीय कार्यालय, एजेंट, प्राधिकृत डीलर, जो बिहार राज्यान्तर्गत वाणिज्य-कर के अन्तर्गत निर्बाधित है, ही निविदा में भाग ले सकेंगे। ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ स्थानीय बाजार से आम उपयोग की सामग्रियों का क्रय किया जाना हो, यथा स्टेशनरी इत्यादि, निविदाओं का आमंत्रण द्वि-लिफाफा प्रणाली के आधार पर किया जाय। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में प्राप्त की जायेगी। यदि किसी विशिष्ट मामले में निविदा की द्वि-लिफाफा प्रणाली लागू होने पर संशय हो तो उस पर उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम होगा। निविदा में भाग लेनेवाली इकाइयों से जिन तकनीकी मानकों (यथा-आई.एस.आई., आई.एस.ओ., एगमार्क इत्यादि) की अपेक्षा है, उनका उल्लेख निविदा में किया जायेगा और सर्वप्रथम, खोली गयी तकनीकी मानकों पर खरी उतरे उन्हीं की वित्तीय निविदायें खोली जायेगी। सरकारी क्रय के लिए बिहार स्थित लघु औद्योगिक इकाइयों को अरनेस्ट मनी देने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें सामान्य जमानत की मात्र 20 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी। किन्तु, क्रयदेश प्राप्त होने पर, बिना यथेष्ट कारण, सामग्री-आपूर्ति न कर पाने की दशा में, उन्हें प्रक्रियानुसार ब्लैक लिस्ट किया जाय। क्रयदेशित वस्तुओं, स्वीकार किये जाने के पहले, निरीक्षण के अधीन रहेंगी और जिन वस्तुओं के लिए क्रय पदाधिकारी द्वारा विशेष विवरण या जाँच अथवा दोनों विहित हों, वे तदनुकूल सुनिश्चित की जायेगी और तदुपरांत ही सामग्री की प्राप्ति ली जायेगी।

4. बिहार वित्त नियमावली के नियम 129 का संशोधन:-

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 129 के प्रथम वाक्य में प्रयुक्त शब्दों “खरीद लोक सेवा को निश्चित आवश्यकताओं के अनुसार पूरी मितव्ययिता से करनी चाहिए” के बाद निम्नलिखित वाक्य अतः स्थापित किया जायेगा:-

“मूल्य में अधिमानता, सामग्री खरीद अधिमानता नीति, 2002 के क्रम में,” परिशिष्ट-8 की प्रस्तावना में अंकित प्रतिशत राशि तक दी जा सकेगी।”

5. बिहार वित्त नियमावली के नियम 30 के उप नियम (VI) में खण्ड (क) (ख) एवं (ग) को जोड़ा जाना:-

बिहार वित्त नियमावली के नियम 30 के उपनियम (VI) में निम्नलिखित खण्ड खण्ड (क) (ख) एवं (ग) को जोड़े जायेंगे:-

(क) अगर किसी कार्य के लिए प्रथम बार निविदा आमंत्रित करने पर एकल निविदा प्राप्त हो तो उसके लिए तुरंत दोबारा निविदा आमंत्रित की जाय।

(ख) अगर दोबारा निविदा आमंत्रित करने पर भी एकल निविदा ही प्राप्त होते हैं, तो उसका निपटारा सूक्ष्म प्राधिकार से एक स्तर के उपर के प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।

(ग) नामांकन के आधार पर किसी विशेष कंपनी/फर्म/मुद्रणालय से सामग्रियों का क्रय /मुद्रण से संबंधित सभी मामलों संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा पूर्ण औचित्य के साथ संलेख वित्त विभाग के परामर्शोपरांत मंत्रिपरिषद् के समक्ष रखे जायेंगे। मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही क्रय / मुद्रण के कार्य कराये जायेंगे।”

6. बिहार वित्त नियमावली के नियम 234 में खण्ड (क), (ख), (ग), एवं (घ) को जोड़ा जाना:-

कार्य विभागों के लिए बिहार वित्त नियमावली के नियम 234 में निम्नलिखित खंड (क), (ख), (ग), एवं (घ) को जोड़े जायेंगे।

(क) “अगर किसी कार्य के लिए प्रथम बार निविदा आमंत्रित करने के फलस्वरूप अनुसूचित दर या उससे अधिक या उससे कम दर पर एकल निविदा प्राप्त हो तो उसके लिए तुरंत दोबारा निविदा आमंत्रित की जाएगी।

- (ख) अगर दोबारा निविदा आमंत्रण के फलस्वरूप एक से अधिक निविदाएँ प्राप्त होती हैं अथवा अनुसूचित दर या उससे कम दर पर एकल निविदा, प्राप्त होती है तो उसका निपटारा सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वयं किया जाएगा।
- (ग) अगर दोबारा निविदा आमंत्रण के फलस्वरूप अनुसूचित दर से अधिक पर एकल निविदा, प्राप्त होती है तो उसका निपटारा सक्षम प्राधिकार से एक स्तर ऊपर के निविदा निष्पादन प्राधिकार द्वारा किया जाएगा।
- (घ) यह प्रक्रिया सभी कार्य विभागों के लिए लागू माने जायेंगे।”

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह/-

(उमेश नारायण पंजियार)

सरकार के आयुक्त एवं सचिव

वित्त विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक 1730 वि. (2) पटना, दिनांक 05.03.2003

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, पटना को बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

ह./-

(उमेश नारायण पंजियार)

सरकार के आयुक्त एवं सचिव

वित्त विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक 1730 वि. (2) पटना, दिनांक 05.03.2003

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/विकास आयुक्त/सचिव, मंत्रिमंडल एवं समन्वय विभाग/वाणिज्य-कर आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग/सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी सचिव/सभी औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत पर्षद, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी।

ह./-

(उमेश नारायण पंजियार)

सरकार के आयुक्त एवं सचिव

वित्त विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार
वित्त विभाग
संकल्प

विषय:- राज्य सरकार द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्रियों की आपूर्ति में राज्य के भीतर अवस्थित उद्योगों को प्राथमिकता देने के संबंध में।

सरकारी कार्यों के लिए सामग्रियों की आपूर्ति बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप ली जाती है जिसमें क्रय का मुख्य सिद्धांत है सरकारी राशि के लिए सबसे अच्छा मूल्य (Value for Money) पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया का पालन करते हुए कम से कम कीमत पर अच्छी से अच्छी गुणवत्ता का सामान क्रय किया जाये।

2. बिहार वित्तीय नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार क्रय करने के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक नहीं होने के कारण स्थानीय उद्योगों को सरकारी क्रयादेश प्राप्त नहीं हो पाते हैं जिसके कारण स्थानीय औद्योगिक इकाइयों को पनपने में कठिनाई होती है। निकटवर्ती राज्यों में सरकारी एजेंसियों द्वारा क्रय किये जाने वाले कतिपय सामग्रियों को राज्य के भीतर अवस्थित औद्योगिक इकाइयों से अनिवार्य रूप से लेने के नियम बनाये जाने के कारण इन राज्यों के स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिला है एवं स्थानीय रोजगार भी बढ़े हैं।
3. बिहार वित्त नियमावली में प्रावधान है कि राज्य में पंजीकृत वृहद एवं मध्यम उद्योगों (सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों सहित) द्वारा उत्पादित सामग्रियों को राज्य के बाहर अवस्थित वृहद एवं मध्यम उद्योगों द्वारा उत्पादित सामग्रियों की तुलना में 2 प्रतिशत तक की अधिमानता दी जायेगी। इसी प्रकार राज्य के भीतर अवस्थित पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों द्वारा उत्पादित सामग्रियों को राज्य के बाहर अवस्थित लघु/मध्यम/वृहद उद्योगों द्वारा उत्पादित सामग्रियों की तुलना में 7 प्रतिशत अधिमानता दी जाती है।
4. राज्य में अवस्थित इकाइयों की मांग रही है कि वर्तमान नियमों से उन्हें यथेष्ट सहायता नहीं मिलती, अतः जिन सामग्रियों का उत्पादन बिहार में अवस्थित इकाइयों द्वारा होता है उनकी सरकारी खरीद राज्य में अवस्थित इकाइयों से ही की जाए। इससे इन इकाइयों को प्रोत्साहन मिलेगा एवं रोजगार भी बढ़ेगा।
5. अतः सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में अवस्थित औद्योगिक इकाइयों और आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2006 के नियम-131 में वर्तमान प्रावधान के बाद निम्नांकित प्रावधान जोड़ा जाए:-

‘इसके अतिरिक्त राज्य सरकार अधिसूचना प्रकाशित कर सरकार के विभागों एवं अधीनस्थ एजेंसियों की आवश्यकता एवं राज्य में अवस्थित स्थानीय उद्योगों की उत्पादन क्षमता को देखते हुए समय-समय पर ऐसी सामग्रियाँ चिन्हित कर सकेगी जिनका क्रय केवल राज्य के भीतर अवस्थित औद्योगिक इकाइयों से प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्राप्त कर दिया जाएगा। चूँकि इसमें सीमित प्रतिस्पर्धा होगी जिसमें राज्य के बाहर की इकाइयाँ भाग नहीं ले पायेगी, अतः क्रय के लिए न्यूनतम दर निर्धारित करने के समय संबंधित विभाग/एजेंसी सुनिश्चित करेगा कि उक्त दर DGS & D की लागू दर से अधिक न हो। यदि क्रेता विभाग/एजेंसी आवश्यक समझें तो क्रयादेश को निविदा में भाग लेने वाले औद्योगिक इकाइयों के बीच उनकी उत्पादन क्षमता के अनुपात में बांट सकेगा यदि ऐसी इकाइयाँ निविदा की न्यूनतम दर पर आपूर्ति करने के लिए तैयार हों। ऐसी आपूर्ति के लिए गुणवत्ता एवं विशिष्टियों की शर्तों में कोई छूट नहीं दी जायेगी।’

6. बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम-129 में राज्य सरकार द्वारा राज्य के एकाधिकार संगठन को किसी विशिष्ट वर्ग की सामग्री के क्रय हेतु राज्य क्रय संगठन नामित करने का प्रावधान है। नियम-130 के अनुसार राज्य क्रय संगठन द्वारा सामान्य उपयोग में आने वाली ऐसी सामग्रियों के लिए जिनकी विभिन्न विभागों में आवश्यकता होती है, निर्बंधित आपूर्तिकर्ताओं से दर सविदा कर सकता है। अतः इस संदर्भ में स्थानीय इकाइयों/आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से नियम 131 (ड) (3) के रूप में निम्नांकित प्रावधान जोड़ा जायेगा :

'DGS & D/ राज्य क्रय संगठन द्वारा निर्धारित दरों पर यदि स्थानीय निर्बंधित इकाइयाँ/आपूर्तिकर्ता सामग्री देने को तैयार हो तो क्रय ऐसी इकाइयों/आपूर्तिकर्ताओं से किया जायेगा।'

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह./-

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)

अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

ज्ञापांक- एम-4-19/2007-2397 वि. (2), दिनांक 03.04.2007

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 500 प्रतियां वित्त प्रशाखा-4 को शीघ्र उपलब्ध करायी जाए।

ह./-

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)

अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

ज्ञापांक- एम-4-19/2007-2397 वि. (2), दिनांक 03.04.2007

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)

अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

ज्ञापांक- एम-4-19/2007-2397 वि. (2), दिनांक 03.04.2007

प्रतिलिपि- सभी आयुक्त एवं सचिव, सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)

अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

**बिहार सरकार
वित्त विभाग**

संकल्प

विषय:- राज्य सरकार द्वारा यू.पी.भी.सी. पाईपों/रिब्ड स्क्रीन पाईपों एवं पंपों का क्रय केवल राज्य के भीतर अवस्थित स्थानीय औद्योगिक इकाइयों से करने हेतु सामग्रियों को चिन्हित किए जाने के संबंध में।

1. वित्त विभाग के संकल्प संख्या एम-4-19/2007 - 2397 वि. (2) दिनांक 03.04.2007 के द्वारा राज्य में अवस्थित औद्योगिक इकाइयों एवं आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम-131 (ख) में वर्तमान प्रावधान के अलावे निम्नांकित प्रावधान जोड़ा गया है।

“राज्य सरकार अधिसूचना प्रकाशित कर सरकार के विभागों एवं अधीनस्थ एजेंसियों की आवश्यकता एवं राज्य में अवस्थित स्थानीय उद्योगों की क्षमता को देखते हुए समय-समय पर ऐसी सामग्रियों को चिन्हित कर सकेगी जिनका क्रय केवल राज्य के भीतर अवस्थित औद्योगिक इकाइयों से प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्राप्त किया जायेगा। चूँकि इसमें सीमित प्रतिस्पर्धा होगी जिसमें राज्य के बाहर की इकाइयाँ भाग नहीं ले पायेंगी, अतः क्रय के लिए न्यूनतम दर निर्धारित करने के समय संबंधित विभाग/एजेंसी आवश्यक समझे तो क्रयादेश को निविदा में भाग लेने वाले औद्योगिक इकाइयों के बीच उनकी उत्पादन क्षमता के अनुपात में बांट सकेगा यदि ऐसी इकाइयाँ निविदा की न्यूनतम दर पर आपूर्ति करने के लिए तैयार हो। ऐसी आपूर्ति के लिए गुणवत्ता एवं विशिष्टियों की शर्तों में कोई छूट नहीं दी जाएगी”।

2. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में चापाकल निर्माण के लिए लोहे के पाईप के अतिरिक्त निम्नांकित सामग्रियों की आवश्यकता का आकलन किया गया है:-

(क) आई.एस.आई. मार्क यू.पी.भी.सी. पाईप/रिब्ड स्क्रीन पाईप

- (i) 125 मि.मी. व्यास के केसिंग पाईप (825238)
- (ii) 125 मि.मी. व्यास के रिब्ड स्क्रीन पाईप (8430 अदद)
- (iii) 40 मि.मी. व्यास के रिब्ड केसिंग पाईप (125046 मीटर)
- (iv) 40 मि.मी. व्यास के रिब्ड स्क्रीन पाईप (87446 अदद)

(ख) आई.एस.आई. मार्क हैन्ड पम्प

- (i) इंडिया मार्का-iii पम्प (31847 अदद)
- (ii) शैलो वेल हैन्ड पम्प (23409 अदद)
- (iii) तारा पम्प (248 अदद)

उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि उक्त सामग्रियों की आपूर्ति पूर्व में स्थानीय उद्योगों द्वारा की जाती रही है।

3. उद्योग विभाग के पत्रांक-69/आई.डी.सी. दिनांक-24.05.2007 के द्वारा यू.पी.भी.सी. के विभिन्न पाईपों यथा 125/40 एम.एस. यू.पी.भी.सी. रिब्ड स्क्रीन पाईपों एवं विभिन्न प्रकार के हैंडपम्पों यथा-इंडिया मार्का-III, शैलोवेल हैंडपम्पों एवं तारा पंप बनाने वाले निर्माताओं एवं उनके उत्पादन क्षमता की विवरणी तथा स्थल निरीक्षण में पाये गये अद्यतन स्थिति से जो सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं उसके अनुसार राज्य में अवस्थित इकाइयों की क्षमता इस वित्तीय वर्ष में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा दर्शाई गई सामग्रियों की आवश्यकता को पूरी करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए इन सामग्रियों को राज्य में अवस्थित औद्योगिक इकाइयों से ही क्रय करने के लिए चिन्हित किया जा सकता है।

4. अतः राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या- एम-4-19/2007 - 2397 वि. (2), दिनांक:- 03.04.2007 के द्वारा बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में किये गये प्रावधान के आलोक में निम्न सामग्रियों को इस प्रकार चिन्हित कर दिया जाए कि उनका क्रय केवल राज्य के भीतर अवस्थित औद्योगिक इकाइयों से बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम-131-(ख) (यथा संशोधित) के अनुसार किया जायेगा।

(क) आई०एस०आई० मार्क यू०पी०भी०सी० पाईप/रिब्ड स्क्रीन पाईप

- (i) 125 मि०मी० व्यास के केसिंग पाईप
- (ii) 125 मि०मी० व्यास के रिब्ड स्क्रीन पाईप
- (iii) 40 मि०मी० व्यास के रिब्ड केसिंग पाईप
- (iv) 40 मि०मी० व्यास के रिब्ड स्क्रीन पाईप

(ख) आई०एस०आई० मार्क हैन्ड पम्प

- (i) इंडिया मार्क- iii पम्प
- (ii) शैलो वेल हैन्ड पम्प
- (iii) तारा पम्प

यह प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए लागू रहेगा।

5. प्रशासी विभाग सामग्रियों के क्रय के पूर्व इनकी गुणवत्ता की जाँच किसी प्रतिष्ठित तीसरी पार्टी से करा लेगा।

ह./-

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)

अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

ज्ञापांक:- एम-4-19/2007 - 5053 वि. (2), /दिनांक:- 16.07.2007

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह./-

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)

अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

ज्ञापांक:- एम-4-19/2007 - 5053 वि. (2), / दिनांक:- 16.07.2007

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)

अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

ज्ञापांक:- एम-4-19/2007 - 5053 वि. (2), / दिनांक:- 16.07.2007

प्रतिलिपि :- सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी, सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उपकोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)

अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

पत्र सं. एम-4-19/2007 - वि. (2), दिनांक:-

बिहार सरकार
वित्त विभाग

शुद्धि पत्र

राज्य सरकार द्वारा यू.पी.भी.सी. पाईपों/रिब्ड स्क्रीन पाईपों एवं पम्पों का क्रय राज्य के भीतर अवस्थित स्थानीय औद्योगिक इकाइयों से करने हेतु सामग्रियों को चिन्हित किये जाने से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प संख्या-5053 वि. (2) दिनांक 16.07.2007 की कंडिका-1 में बिहार वित्त संशोधन नियमावली, 2005 के नियम 131(ख) को उद्धृत करने में एक पंक्ति छूट गयी थी जिसे इस प्रकार पढ़ा जाय:-

चूंकि इसमें सीमित प्रतिस्पर्धा होगी जिसमें राज्य के बाहर की इकाइयाँ भाग नहीं ले पायेगी, अतः क्रय के लिए न्यूनतम दर निर्धारित करने के समय संबंधित विभाग/एजेन्सी सुनिश्चित करेगा कि उक्त दर DGS & D की लागू दर से अधिक न हो। यदि क्रेता विभाग/एजेन्सी आवश्यक समझे तो क्रयादेश को निविदा में भाग लेने वाले औद्योगिक इकाइयों के बीच उनकी उत्पादन क्षमता के अनुपात में बाँट सकेगा यदि ऐसी इकाइयाँ निविदा की न्यूनतम दर पर आपूर्ति करने के लिए तैयार हो। ऐसी आपूर्ति के लिए गुणवत्ता एवं विशिष्टियों की शर्तों में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

उक्त संकल्प की शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह./-

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)

अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

ज्ञापांक:- एम-4-19/2007 वि. (2), /दिनांक:-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)

अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

ज्ञापांक:- एम-4-19/2007 वि. (2), /दिनांक:-

प्रतिलिपि :- सभी आयुक्त एवं सचिव, सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी)

अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

Udyog Bhawan, New Delhi.
Dated the 05 January 2011

All Chief Secretaries,
State/ Union Territory Governments.

Sir,

2. The Hon'ble High Court of Delhi in its Order dated 12.08.2010 in a WP(C) No. 7704 of 2009 filed by M/s Delkon Textiles Private Ltd. against Ministry of Railway & others with regard to non-compliance to the said Circular dated 28.08.2000 directed that:

'If the Circular dated 28th August 2000 is read as being purely discretionary, the object sought to be achieved by such Circular would be defeated. Accordingly, it is held that unless that there are good reasons for not extending to duly qualified SSU the benefit under the Circular dated 28th August 2000, which reasons must be recorded in writing, such a qualified SSU should be extended all the benefits, including price preference of 15% over the price quoted by the qualified large-scale unit in terms of the Circular dated 28 August 2000. The railway shall implement the said circular dated 28 August 2000 While evaluating the bids submitted by the SSUs' in the tender floated by it.

3. A copy of Order dated 12.08.2010 issued by Hon'ble High Court of Delhi is enclosed with the request that suitable instructions may kindly be issued to all the concerned offices and Public Sector Undertakings under your administrative control for taking necessary action in the matter.

(P.S. Verma)

Under Secretary to the Govt. of India

Encl.: (i) Circular No. 21(1)/2000-EP&M dated 28 August 2000 issued by the Ministry of SSI&ARI.

(ii) Hon'ble High Court of Delhi's Order dated 12.08.2010

Copy for Similar action to:

- (i) Secretary Industries, State Governments/Union Territories
- (ii) Secretaries to the all Ministries/Departments of the Government of India with the request to issue necessary instructions to their concerned offices/Public Sector Undertakings for strict compliance.
- (iii) Department of Public Enterprises, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi. It is requested that suitable instructions may be issued to all Public Undertakings under the control of Government of India.
- (iv) Development Commissioner (MSME), Nirman Bhawan, New Delhi.
- (v) CMD, NSIC, Okhla Industrial Estate, New Delhi.

28th August, 2000.

All Chief Secretaries
State / Union Territory Governments

Sir,

1. Issue of Tender sets free of cost,
2. Exemption from payment of Earnest Money
3. Waiver of Security Deposit to the Monetary Limit for which the unit is registered,
4. Price Preference upto 15 % over the quotation of large-scale units.

Instructions have been issued by the Government of India from time to time to ensure marketing support to the small scale units including circular no. F.No. 2(11)/92- Mktg. Dated 30.07.93 & No. 21(1)/98-EP&M/914 dated 15.05.98. Inspite of this, complaints are also been received from the SSI units regarding failure in not granting the aforesaid facilities including exemption from the payment of earnest money deposit, Issue of Tender sets free of cost, & waiver of security deposit upto their respective monetary limits by the Govt. departments/ undertakings. I seek your co operation in giving marketing support to the SSI products in the emerging competitive environment the fast changing economic scenario.

In view of the above you are requested kindly to impress upon the purchase department under your control to ensure that SSI units registered with NSIC are extended the aforesaid facilities. Suitable instructions may also be issued to all concerned for effective implementation of the Govt.'s

Price / Purchase Preference Policy. This will go a long way in providing the much-needed marketing support to the small-scale sector.

Yours faithfully

Sd./-

(D.P. Begchi)

Secretary to Govt. of India

Copy for similar action to :-

1. Secretary Industries, State Governments/Union Territories.
2. All Ministries / Departments of the Government of India with the request that instructions issued in the matter may be reiterated to the concerned offices and Public Undertakings for strict compliance.
3. Bureau of Public Enterprises, C.G.O Lodhi Road, New Delhi. It is requested that suitable instructions may be issued to all Public Undertakings under the control of Government of India with a copy to this Ministry.
4. Development Commissioner (Small Scale Industries), Nirman Bhavan, New Delhi.
5. Chairman, The National Small Industries Corporation Limited Near Okhla Industrial Estate, New Delhi.

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

W.P.(C)No. 7704 of 2009

DELKON TEXTILES PRIVATE LTD. ----- Petitioner

Through Ms. Puja Anand, Advocate

Versus

MINISTRY OF RAILWAYS & ORS. ----- Respondents

Through Kumar Rajesh Singh, Advocate

CORAM: JUSTICE S. MURALIDHAR

ORDER

12.08.2010

1. The petitioner seeks a direction to the respondent, Ministry of Railways, Government of India to implement and grant the benefits to small Scale Units ('SSUs') like the petitioner in terms of circular dated 28th August 2000 issued by the Ministry of Small Scale Industries & Agro and Rural Industries, Government of India Respondent No. 2 herein.
2. The petitioner is a Small Scale Industries Unit('SSU') registered with the National Small Scale Industries Corporation Ltd.('NSSICL'), which is a Government of India enterprise, for participation in the Central government Storages Purchase programme as per the Single Point registration Scheme, ('SPRS') wherein, the SSU considered to be at par with those registered directly with the Director General of Supply & Disposal ('DGS7D'). The petitioner manufactures textile products including fire retardant curtain fabric, which conform to the specification of the Research Designs & Standards Organisation ("RDSO") functioning under the Ministry of railways, respondent No.1.
3. There are four specific benefits granted by the Circular dated 28th August 2000 to SSUs which have been registered with the NSSICI under its SPRS in order to help them in marketing their products:
 - "1. Issue of Tender set free of cost.
 2. Exemption from payment of Earnest Money.
 3. Waiver of Security Deposit to the Monetary Limit for which the unit is registered.
 4. Price preference upto 15% over the Quotation of Large Scale units."
4. The Circular itself states that the above mentioned facilities are given "as the financial resources at the disposal of Small Scale Units are limited and it becomes difficult for them to participate in more than one tender floated by any Government Department/PSU and hence they are not able to block their limited capital for long.
5. The Circular reminds the Government and their departments of earlier Circulars dated 30th July 1993 and 15th May 1998 extending facilities to the SSU which were not being implemented.
6. The event that led to the petitioner approaching this court with the above payer is that Respondent No.1 invited tenders on 12th February 2008 for Fire Retardant Curtain Cloth fabric for 2 AC and 3AC coaches as per the RDSO specifications, On 4th March 2008 a letter inviting quotations for the above tender was issued by Respondent No. 1 to the petitioner. The petitioner submitted its offer on 14th March 2008 and quoted its final price keeping in mind the market rates prevalent and the best price possible which would make the tender viable for them. Among the four units that submitted their offers pursuant to the tender, the petitioner was the only SSU. The petitioner

wrote letters dated 22nd April 2008 to NSSICL and the Respondent No. 2 asking them to direct the Respondent No.1 to grant benefit which had been extended to SSUs by the circular dated 28th April 2000. The NSSICL, in turn, wrote to Respondent No. 1 on 28th April 2008. On 20th May 2008, Respondent No. 1 wrote a letter of counter-offer to the petitioner without extending the benefit under the circular dated 28th August 2000. The petitioner then again wrote to the NSSICL on dated 27th May 2008 asking it to take up the matter with respondent No. 1. This the NSSICL did by again writing to the Respondent No. 1 on 28th May 2008. Further letters were written by the petitioner and the NSSICL to the Respondent No. 1 on 11th June 2008 and 7th July 2008 respectively.

7. The petitioner does not, in his petition challenge the denial to it of the award of any portion of the tender floated by the Respondent No. 1 Railways on 12th February 2008. However, apprehends that in respect of future tenders the railways may not follow the above Circular dated 28th August 2000. Accordingly, the only prayer in the writ petition is as under:

" to issue a writ of mandamus to the Respondent No. 1 commanding and directing them to implement and grant all the benefits of purchase price Preference policy of the Government of India, Ministry of MSME issued vide its main Circular dated 28th August 2000 in favour of the petitioner, which is NSIC approved small scale unit, henceforth.

8. A counter affidavit and a supplementary affidavit have been filed by the railways on 12 November 2009 and 29th July 2010 respectively. Since the first counter affidavit did not specifically deal with the circular dated 28th August 2000, this court required the Respondent to file a supplementary affidavit. As far as the tender floated on 12th February 2008, it is stated that the offers were received from 5 units, including the petitioner, The petitioner was the only SSU. The petitioner and one M/s Anude Faze Auto Fab Ltd. ('AFAFL') were categorised as RDSO part II sources. A bulk order was placed on M/s RSWM Ltd., which was a RDSO part I approved unit. It is submitted that the lowest offer received was from AFAFL, which is not a SSU, at Rs. 265 per meter plus the excise duty @ Rs. 21.84 i.e. all inclusive rate of Rs. 286.84 per meter. 15% of the quantity was awarded to AFAFL., The offer of the petitioner was Rs. 321 per meter. However, it is stated in para 3(X) and 3(XIV) as under.

"(x) That as per purchase/ price preference clause, the purchaser reserves the option to give the price preference to the small scale industries over those from other firms. However it cannot be taken for granted, and every need be made by them to bring down the cost and achieve competitiveness. However the petitioner has been given the benefits of waiver of cost of tender document and exempted from payment of EMD.

(xiv) That by the above facts, it is very clear that the discounted rate offered by the firm which is affordable will be the best price and profitable to them, but claiming higher price under the provision of benefit of price preference upto 15% over the large scale units is not proper and misleading the Government."

9. Learned counsel for the petitioner points out the petitioner being the only SSU was entitled to be considered since its offer of Rs. 321 per meter was less than the lowest offer of Rs. 286.84 plus 15% in terms of the Circular dated 28th August 2000. Learned Counsel for the Petitioner, however, reiterates that the petitioner is not seeking any directions, with reference to the award of contract pursuant to the tender floated by the railways on 12th February 2008 but would be satisfied if a clarification is issued for the future about the applicability of the circular dated 28th August 2000.

10. Learned counsel for the respondents, while not denying that the rate quoted by the petitioner could be well within the acceptable quotation of 15% over the quotation offered by AFAFL, submitted that it was in the discretion of the railways whether or not to extend the benefit in terms of the Circular dated 28th August 2000.
11. At the outset, this court refrains from commenting on the Petitioner not being awarded of any portion of the tender floated by the railways on 12th February 2008. As regards the only prayer in the writ petition, it appears to this court that the Railways do not have any difficulty as regard extending three of the four benefits extended to SSUs by the Circular dated 28th August 2000. However, in granting the price preference "upto 15% over the quotation of large scale units." There appears to be a misconstruing of the Circular dated 28th August 2000 by the Ministry of Railways. While a SSU cannot insist the entire quantity tendered must be offered to an SSU, a duly qualified SSU should be given preference in the matter of price in terms of the Circular dated 28th August 2000. In other words where the bid of a non-SSU large scale unit have been accepted for a portion of the tendered quantity, then the qualified shall be qualified up to 15% above to price quoted by the large-scale unit. Between two SSUs of course, it would be for the railways to opt for the better price quoted, which again cannot exceed 15% over and above the lowest price quoted by the large scale unit. It is further clarified that it is not necessary that the entire quantity should be offered to a SSU. If the Circular dated 28th August 2000 is read as being purely discretionary, then the object sought to be achieved by such Circular would be defeated. Accordingly, it is held that unless there are good reasons for not extending to duly qualified SSU the benefit under the Circular dated 28th August 2000, which reasons must be recorded in writing, such a qualified SSU should be extended all the benefits, including price reference of 15% over the price quoted by the qualified large scale unit in terms of the Circular dated 28th August 2000. The railways shall implement the said circular dated 28th August 2000 while evaluating the bids submitted by the SSUs' the tenders floated by it.
12. With the above observations, the writ petition is disposed of.

S. MURALIDHAR, J

August 12, 2010

dn

w.p.(c) no. 7704 of 2009.

पत्रांक- 2319 पटना, दिनांक- 6/08/07

प्रेषक,

सरकार के उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव, निबंधन विभाग, बिहार, पटना,
महानिरीक्षक, निबंधन विभाग, बिहार, पटना,
उद्योग निदेशक, बिहार, पटना,
निदेशक, (ह.रे.), बिहार, पटना,
उद्योग विभाग के अंतर्गत सभी निगम
(बियाडा/बी.एस.एफ.सी./बिसिको/उद्योग मित्र), बिहार, पटना,
उद्योग विभाग के सभी पदाधिकारी,
सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र।

विषय- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2006 के कंडिका-1 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क में छूट दिये जाने संबंधी प्रपत्र एवं प्रक्रिया का निर्धारण।

महाशय,

इस पत्र का मूल उद्देश्य है कि निबंधन विभाग को निवेशकों द्वारा भूमि क्रय पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने के लिए प्राधिकार पत्र निर्गत करने हेतु प्रक्रिया एवं आवेदन पत्र का प्रपत्र निर्धारण करना है।

2. उद्योग विभाग का संकल्प संख्या-1182 दिनांक 15.07.2006 द्वारा निर्गत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2006 के कंडिका-1 के अन्तर्गत उत्पादन के पूर्व दी जाने वाली सुविधाओं में औद्योगिक भू-खंड/शेड एवं प्राधिकार क्षेत्र के बाहर स्थापित होनेवाले उद्योगों आदि के लीज/बिक्री/अंतरण पर लगनेवाले स्टाम्प ड्यूटी/पंजीकरण से टाईनी, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों को शत प्रतिशत (100%) छूट होगी। यह सुविधा प्रथम बार ही देय होगी एवं तदुपरान्त किये जाने वाले लीज/विक्रय/अंतरण पर स्टाम्प ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क की छूट देय नहीं होगी।
3. उपर्युक्त औद्योगिक नीति के आलोक में निबंधन विभाग द्वारा एक कार्यालय अधिसूचना संख्या-737 दिनांक 10.03.2007 निर्गत किया गया है। इस अधिसूचना के कंडिका-2 में उल्लेख है कि तकनीकी संस्थानों की स्थापना सहित निजी क्षेत्र में अन्य निवेश के लिए निवेशकों को उपर्युक्त छूट उद्योग विभाग द्वारा भूमि का ब्योरा एवं उसके अवस्थियों के साथ निवेश/निवेशकों के नाम से प्रयोजनार्थ निर्गत प्राधिकार पत्र दी जायेगी।
4. निबंधन विभाग के अधिसूचना के आलोक में प्राधिकार पत्र निर्गत करने के लिए उद्योग विभाग द्वारा प्रक्रिया एवं आवेदन पत्र का निर्धारण किया गया है जो अनुलग्नक-1 पर प्रक्रिया संलग्न है। इसी तरह से आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र का निर्धारण किया गया है, जो अनुलग्नक-2 पर देखा जा सकता है।
5. उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक नीति-2006 के कंडिका-1 के अनुसार उद्योग को स्टाम्प ड्यूटी/निबंधन शुल्क में छूट दिये जाने के संबंध में उद्योगों से पूर्व ब्योरा एवं जानकारी (आवश्यक कागजातों के साथ) प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र का एक प्रपत्र निर्धारित किया गया है, जिसे आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जा रहा है। इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि उद्योगों की स्थापना हेतु स्टाम्प ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क में छूट प्रदान किये जाने संबंधी राज्य पूंजी निवेश प्रोत्साहन पर्थद्/जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के संबंध में प्राधिकार पत्र निर्गत करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

विश्वासभाजन

ह./-

अनुलग्नक-

1. निर्धारित प्रक्रिया,
2. आवेदन पत्र का प्रपत्र।

सरकार के उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

अनुलग्नक-I

प्रक्रिया

उद्योगों की स्थापना हेतु स्टाम्प ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क में छूट प्रदान किये जाने संबंधी उद्योग विभाग में प्रक्रिया का निर्धारण।

1. औद्योगिक नीति, 2006 के कंडिका-1 के अन्तर्गत उत्पादन पूर्व (Pre-production) सुविधा के तहत औद्योगिक भूखंड/शेड एवं प्राधिकार क्षेत्र के बाहर स्थापित होने वाले उद्योगों के लीज/बिक्री/अंतरण पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी/पंजीकरण से टाईनी/लघु/मध्यम एवं वृहत उद्योगों को शत प्रतिशत (100%) छूट का प्रावधान है। यह सुविधा प्रथम बार ही देय होगी एवं तदुपरान्त किये जाने वाले लीज/बिक्रय/अन्तरण पर स्टाम्प ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क की छूट देय नहीं होगी।

उपर्युक्त के संबंध में पंजीकरण/निबंधन विभाग द्वारा निर्गत आदेश संख्या-737 दिनांक 10.03.2007 (परिशिष्ट-I) स्वरूप द्रष्टव्य। उपर्युक्त आदेश की कंडिका-2 में मात्र उद्योगों की स्थापना किये जाने वाली उद्यमियों/कम्पनियों को आवश्यक भूमि के लिए स्टाम्प ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क में छूट दिये जाने संबंधी उद्योग विभाग द्वारा प्रक्रिया निम्न स्वरूप निर्धारित किया जाता है :

1. उद्यमी/कम्पनियों द्वारा उद्योगों की स्थापना हेतु एक विहित प्रपत्र में आवेदन उद्योग विभाग को समर्पित करना है (प्रपत्र परिशिष्ट-II स्वरूप संलग्न)
2. आवेदन में उद्यमियों को उद्योग की स्थापना हेतु भूमि जिसके लिए पंजीकरण/निबंधन शुल्क में छूट Claim किया जाय, उसका पूर्ण ब्योरा यथा नक्शा (Layout Plan) फैक्ट्री एरिया, ऑफिस एरिया आदि का जिक्र होगा।
3. उद्यमियों को आवेदन में Industrial Plot Area में कितना Factory Building, Power Plant, Railway Siding, Administrative Block, Staff Quarter एवं उद्योग स्थापना हेतु अन्यान्य भूमि होगी, उसका स्पष्ट उल्लेख होगा।
4. कम्पनी/उद्यमियों द्वारा दिए गए सूचनाएँ एवं कागजातों के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क में छूट दिये जाने हेतु प्राधिकार पत्र उद्योग विभाग द्वारा निबंधन विभाग को भेजा जायेगा।
5. इस संबंध में निरीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी मात्र उद्यमियों द्वारा दिए गए कागजात/सूचनाएँ ही पर्याप्त आधार माना जायेगा।
6. उद्यमियों द्वारा हर हालत में उपर्युक्त जमीन पर उद्योग स्थापित करना होगा तथा इस संबंध में उद्योग विभाग पर किसी प्रकार का उत्तरदायित्व (Responsibility) नहीं होगा।
7. उपर्युक्त भूमि पर उद्योग स्थापित नहीं किये जाने की स्थिति में या अन्य प्रयोजनार्थ उपभोग किये जाने पर संबंधित उद्यमी को सूद के साथ ली गयी स्टाम्प ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क का भुगतान उद्योग विभाग को करना होगा।
8. उपर्युक्त से संबंधित यदि कोई शिकायत प्राप्त होता है तो उसका उचित जाँच कराया जायेगा तथा कम्पनी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
9. उपर्युक्त अनुशंसा पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के अनुमोदनोपरान्त निदेशक, तकनीकी विकास द्वारा अनुशंसा पत्र निर्गत किया जायेगा।

अनुलग्नक-II

Format

Application for claiming exemption of Stamp Duty & Registration Fee for the Purchase of Industrial Plots

1. Name & address of the company/unit-
(Regd. office & Factory location)
2. Name & address of Director/Proprietor/ Managing Director-
3. Details of company registration-
4. Industrial Registration/Entrepreneur Memorandum-
5. Status of Unit (SSI/Medium/Large)-
6. Details of land to be purchased-
(Location Village/Block/Khata/Khesra etc.)
 - (a) Factory area (Use wise details to be annexed as per the foot note-I)-
 - (b) Office area-
 - (c) Other area (Specify the purpose)-
7. The Particulars furnished herein are in accordance with the records are true to the best of my knowledge and belief. If I fail to make the required minimum investment and the land is used by me for other than industrial purpose the amount of exemption in the stamp duty and registration fee with interest shall be recovered from me by the department of Industries, Govt. of Bihar.

This is also certified that the land has not been sold/leased/transferred before for the same purpose in past and this is the first transaction of the land for the specified purpose.

Government Officials/authorized representatives will have exclusive right to visit the premises of the company/unit and ask for informations/clarifications as needed by them.

Signature of the applicant
(Name of the status of the signatory)

Documents enclosed:

1. Schedule of the lands with land map earmarking the Industrial Plot
2. Layout plan (Duly certified by chartered engineer/proper authority)
3. Affidavit for para-7 of the application.

Note:- If the factory Plot area is to be utilized for different purposes e.g. power, railway, siding, different industrial purposes etc. are to be specifically mentioned.

कार्यालय आदेश

173



निबंधन सं. पी. टी.- 40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 माघ 1929 (श.)

(सं. पटना 55)

पटना, वृहस्पतिवार, 24 जनवरी 2008

निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

निबंधन

अधिसूचनाएँ

16 जनवरी, 2008

सं.-I/एम-1-190/2005/103-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा-78 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निबंधन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना एस.ओ.सं.-1M/1-190-736 दिनांक 10 मार्च, 2007 को तुरत के प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

संशोधन:- उक्त अधिसूचना की कंडिका 01 की उप कंडिका 02 में प्रयुक्त शब्द 'के बाहर भूखंड शेड से अन्यथा भूमि शब्द में स्थित शेड सहित भूखंड' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएँगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

16 जनवरी, 2008

सं.-I/एम 1-190/2005-104 तथा 103-का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

The 16th January 2008

No. I/M1-190/2005-103—In exercise of the powers conferred under section 78 of the Registration Act, 1908 the Governor of Bihar is pleased to amend the S.O. No.-1/M1-190-736, dated 10th March, 2007 of Department of Registration, Government of Bihar as follows with immediate effect.

Amendment:- The words "places other than the piece of land/shed out of used in sub-para 02

of para 01 of the said order shall be substituted by the word" the land, including shed situated in."

By order of the Governor of Bihar

Sd./-

(AMIR SUBHANI)

Secretary to Government

16 जनवरी, 2008

सं.-I/एम 1-190/2005- 102-भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-9 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निबंधन विभाग, बिहार सरकार के स्थायी आदेश सं.-1/ई1-409/2002-504, दिनांक 28 फरवरी को एतद् द्वारा निरसित करते हैं और स्थायी आदेश सं.-1/एम1-190/2005-737, दिनांक 10 मार्च, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन:- उक्त आदेश की कंडिका 01 की उप-कंडिका 02 में प्रयुक्त शब्द 'के बाहर भूखंड/शेड से अन्यथा भूमि' शब्द 'में अवस्थित शेड सहित भूखंड' जोड़े जाएँगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./-

(आमिर सुबहानी)

सरकार के सचिव

16 जनवरी, 2008

सं.-I/एम 1-190/2005-103-तथा-102-का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./-

(आमिर सुबहानी)

सरकार के सचिव

The 16th January 2008

No. I/M1-190/2005-102—In exercise of the powers conferred under section (1) of the Section-9 of the Indian Stamp Act, 1899 the Governor of Bihar is hereby pleased to repeal the Standing Order No.-I/E1-409/2002-504, dated 28th February, 2004 and to make the following amendment in Standing Order No.-I/M1-190/2005-737, dated 10th March, 2007 of Department of Registration, Government of Bihar:—

Amendment:- The words "places other than the piece of land/shed situated" used in the sub-para 02 of para 01 of the said order shall be substituted by the word" including the piece of land/shed situated in."

By order of the Governor of Bihar

Sd./-

(AMIR SUBHANI)

Secretary to Government

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित
तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 55-571+200-डी.टी.पी.।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषय:- औद्योगिक इकाइयों को नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत देय कैपटिव पावर प्लांट/डीजल जेनरेटिंग सेट की स्थापना हेतु अनुदान।

1. राज्य में बिजली उत्पादन में हास के फलस्वरूप बहुत उद्योगों की उत्पादन प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होता रहा है। इसका प्रतिकूल प्रभाव औद्योगिक उत्पादकता और राज्य के आर्थिक विकास पर पड़ा है।
2. अतः राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को विद्युत आपूर्ति की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 में कैपटिव पावर प्लांट/डीजल जेनरेटिंग सेट्स स्थापित करने वाली वृहत, मध्यम एवं लघु औद्योगिक इकाइयों को अनुदान देने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नांकित है:-
 - (I) उद्योगों द्वारा केवल औद्योगिक उत्पादन में व्यवहार के लिए कैपटिव पावर प्लांट/डीजल जेनरेटिंग सेट्स के क्रय पर हुए व्यय की राशि पर निम्नानुसार अनुदान देय होगा।
 - (क) यह अनुदान राज्य के सभी वृहत, मध्यम एवं लघु औद्योगिक इकाइयों को कैपटिव पावर प्लांट/जेनरेटिंग सेट की स्थापना में प्लांट एवं मशीनरी के क्रय पर हुए व्यय की राशि का पचास प्रतिशत (50 प्रतिशत) अनुदान के रूप में देय होगा।
 - (ख) कैपटिव पावर प्लांट/डी.जी. सेट को इकाई परिसर में स्थापना (Installation) व्यय पर कोई अनुदान अनुमान्य नहीं होगा।
 - (ग) यह सुविधा औद्योगिक इकाई के उत्पादन में आने के बाद देय होगी।
 - (II) अनुदान प्राप्त करने के लिए जेनरेटिंग सेट्स का नया और आई.एस.आई. मार्क प्राप्त होना अनिवार्य होगा। आयातित परन्तु नये सेट पर भी अनुदान देय होगा जिसके लिए आई.एस.आई. मार्क की आवश्यकता नहीं होगी।
 - (III) यह अनुदान ऐसी सभी नई औद्योगिक इकाइयों (औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 के परिशिष्ट-II में वर्णित इकाइयों को छोड़कर) को देय होगा जो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 के परिशिष्ट-I की कंडिका-2 के अन्तर्गत परिभाषित है।
 - (IV) सार्वजनिक क्षेत्र में अवस्थित औद्योगिक इकाइयों को यह अनुदान देय नहीं होगा।
 - (V) नई औद्योगिक इकाइयों को स्वयं के उपयोग हेतु डी.जी. सेट एवं कैपटिव पावर इकाइयों से उत्पादित एवं उपयोग की गयी विद्युत ऊर्जा बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम 1948 के अन्तर्गत विद्युत शुल्क की अदेयन से विमुक्ति प्रदान की जायेगी।
3. किसी इकाई को कितनी क्षमता के कैपटिव पावर प्लांट/डीजल जेनरेटिंग सेट्स की आवश्यकता होगी इसका निर्धारण बिहार राज्य विद्युत पर्षद करेगा। कैपटिव पावर प्लांट/डीजल जेनरेटिंग सेट्स स्थापना के लिए मात्र बिहार

राज्य विद्युत बोर्ड से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इकाइयाँ डीजल जेनरेटिंग सेट/कैपटिव पावर प्लांट स्थापित करने के संबंध में एक लिखित अनुरोध पत्र विद्युत बोर्ड को देंगे।

4. (क) सभी लघु औद्योगिक इकाइयाँ आवेदन पत्र संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार को समर्पित करेंगी जिसे वे अनुशंसा सहित उद्योग निदेशालय को अग्रसारित करेंगे जिस पर निर्णय उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लिया जायेगा।
(ख) वृहत एवं मध्यम प्रक्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को यह अनुदान औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 के कॉडिका-2 में सचिव, उद्योग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इकाई द्वारा संबंधित औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार या जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से उद्योग निदेशक को आवेदन समर्पित होगा।
5. स्वीकृत पावर लोड से अधिक क्षमता के जेनरेटिंग सेट के अधिष्ठापन होने पर प्रति एच.पी. मूल्य के अनुपात में स्वीकृत पावर लोड के अनुसार अनुदान देय होगा।
6. इस योजना का लाभ उठाने के लिए औद्योगिक इकाइयाँ उपर्युक्त पदाधिकारी के समक्ष अपना आवेदन पत्र परिशिष्ट-1 में दो प्रतियों में निम्नांकित कागजातों के साथ प्रस्तुत करेंगी:-
(क) निबंधन प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
(ख) बिहार राज्य विद्युत पर्षद् को कैपटिव पावर प्लांट/डी.जी. सेट अधिष्ठापित करने के लिए अनुरोध पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
(ग) क्रय की गयी पावर कैपटिव पावर प्लांट/डी.जी. सेट का पूर्ण विवरण एवं संबंधित प्रमाणक का अभिप्रमाणित प्रति।
(घ) इकाई के औद्योगिक उत्पादन के लिए कैपटिव पावर प्लांट/डीजल जेनरेटिंग सेट की आवश्यकता क्षमता संबंधी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
(ङ) बिक्री कर क्लियरेंस प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
(च) शपथ पत्र जिसमें यह घोषणा हो कि कैपटिव पावर प्लांट/डीजल जेनरेटिंग सेट्स, जिसके बावत अनुदान का दावा किया गया है, द्वारा उत्पादित ऊर्जा का व्यवहार संबंधित औद्योगिक इकाई द्वारा औद्योगिक उत्पादन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजनार्थ नहीं किया गया हो और यह कि इकाई द्वारा इस योजना के अन्तर्गत प्राधिकृत पदाधिकारी की पूर्व अनुमति के बगैर सेट्स स्थापना की तिथि से अगले पांच वर्षों तक बिक्री हस्तांतरण या अन्यत्र स्थानांतरण नहीं किया जायेगा।
7. औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के प्रबंध निदेशक तथा जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्रों एवं उसके साथ संलग्न कागजातों की गंभीरतापूर्वक जांच कर अनुदान की अनुमान्यता के संबंध में आश्वस्त होकर ही आवेदन अनुशंसित करेंगे। अनुशंसा के पूर्व स्थल निरीक्षण अनिवार्य है।
8. अनुदान प्राप्त करने वाली इकाइयाँ अपना त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन संबंधित जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक/प्राधिकार को भेजेगी।
9. उद्योग विभाग को यह अधिकार है कि समय-समय पर विभिन्न कोटि के उद्योगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इकाइयों को अनुदान स्वीकृत करे या प्राथमिकता निर्धारित करें।
10. अनुदान के दुरुपयोग करने पर अथवा इस संकल्प में विहित शर्तों के उल्लंघन करने पर इकाइयों से दिए गए अनुदान की पूरी राशि की वसूली की जायेगी।

11. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/विकलांग वर्ग के उद्यमियों को 5 प्रतिशत अधिक अनुदान अनुमान्य होगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों और अधीनस्थ पदाधिकारियों को प्रेषित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह./-

(एस. विजयराघवन)

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-2110 /पटना, दिनांक- 12.9.2006

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह./-

(एस. विजयराघवन)

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 2110 /पटना, दिनांक : 12.09.2006

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/वाणिज्यकर आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग/प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग के सभी निगम/बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, उद्योग /स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, पाटलीपुत्र कॉलोनी, पटना/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(एस. विजयराघवन)

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

उद्योग विभाग

संकल्प

विषय:- लघु औद्योगिक इकाइयों को नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत कैपिटल पावर प्लांट/डीजल जेनरेटिंग सेट की स्थापना हेतु देय अनुदान के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन।

राज्य के लघु प्रक्षेत्र उद्योगों की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2006 के अंतर्गत अनुमान्य रियायतों, सुविधाओं एवं सहायता के कार्यान्वयन एवं विचारोपरान्त स्वीकृति हेतु उद्योग निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में निम्न रूप से एक समिति का गठन किया जाता है:

- | | | |
|-------|---|------------|
| (i) | उद्योग निदेशक, बिहार, पटना | अध्यक्ष |
| (ii) | उप सचिव, उद्योग विभाग | सदस्य |
| (iii) | वित्त विभाग के प्रतिनिधि | सदस्य |
| (iv) | प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि.
पटना अथवा उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि | सदस्य |
| (v) | संयुक्त उद्योग निदेशक (प्रभारी प्रोत्साहन) | सदस्य |
| (vi) | उप उद्योग निदेशक (प्रभारी प्रोत्साहन) | सदस्य सचिव |

2. यह समिति औद्योगिक नीति, 2006 के आलोक में निर्गत संकल्प संख्या-2110 दिनांक-12/9/06 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया एवं बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगी एवं उनके अनुरूप कार्य करेगी।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों और अधीनस्थ पदाधिकारियों को प्रेषित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./-

(एस. विजयराघवन)

औद्योगिक विकास आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 2607 /पटना, दिनांक 11/XI/06

प्रतिलिपि- अधीक्षक सरकारी मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित/अनुरोध है कि इसका प्रकाशन बिहार गजट के आगामी अंक में करते हुए इसकी 500 प्रतियाँ विभागीय प्रयोजनार्थ शीघ्र भेज दी जाय।

ह./-

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 2607 /पटना, दिनांक 11/XI/06

प्रतिलिपि- समिति के सभी सदस्यों/सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/उद्योग विभाग के अधीनस्थ पदा./अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत पर्षद/बिहार राज्य वित्तीय निगम/बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम/बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना/वाणिज्य कर आयुक्त, बिहार, पटना/प्रबंधक, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, पटना/निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, पटना/राज्य स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति, पटना/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, पटना/चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, पटना/रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

SUBSIDY FORM

Form of application for grant of subsidy on purchase and the installation of Captive Power Plant/Diesel generating sets. (Vide Government of Bihar, Department of Industries resolution no. 1162, dated the 15th July, 2006)

From,

.....

.....

To,

MANAGING DIRECTOR,
Bihar Industrial Area Development Authority,
Patna.

GENERAL MANAGER,
District Industries Centre.

Dear Sir,

I,....., Son of..... Proprietor/Partner/Karta/Managing Director/
Chairman on behalf of the undertaking known as.....
.....hereby apply for grant of subsidy of Rs.....
(Rupees.....) towards the capital investment made
by the undertaking on purchase of captive power plant/diesel generating set for power supply for
production purposes under the existing terms and conditions of the scheme. Necessary particulars
are furnished below :

1. Name of the unit :
2. Address :
Office-
Tel. no., if any-
Factory-
Tele no., if any-
3. Constitution :
Proprietor/Partnership/Private Ltd./
Public Ltd., etc.
4. Name and address of the Proprietor/
Partners/Directors :
5. Project Report of the unit, if approved (a
copy of the report should be furnished) :
6. No. and date of license from Government of India/Registration under DGTD/Regn). Issued by
the Directorate of Industries or Competent Authority there under (attested copy of license/
Certificates are enclosed).

7. Date of commencement of production/ processing/servicing operation :
8. Items of manufacture, installed capacity, percentage of capacity utilisation, production and sales of the unit:
9. Capital structure :
 - A. Fixed capital investment-
 - (a) Land.....
 - (b) Building.....
 - (c) Plants and machinery.....
 - B. Working capital.....
 - C. Source of Finance.....

(if financial assistance is received from Banks/Financial Institutions, its break up, e.g. term loan, working capital loan etc. should be furnished).
10. Employment :
 - (a) Skilled.....
 - (b) Semi-skilled.....
 - (c) Unskilled.....
 - (d) Managerial and Supervisory.....
 - (e) Other categories.....
11. Power requirement :
 - (a) Present requirement (Max. demand)
 - (b) Permitted off-take (Max. demand)
 - (c) Average load factor of the unit.
 - (d) Source of supply.....
12. Details of power generating set (s) purchased and installed at the factory premises of the unit for generation of captive power for production purposes of the unit :
 - (i) Number and generation

capacity of each set purchased and installed before 01.04.2006 and on and after 01.04.2006.
Sets capacity date of purchase and date of installation
 - (ii) Indigenous/imported whether the indigenous set bears ISI mark.
 - (iii) Name and address of supplier.
 - (iv) (a) Cost of purchase of Generating set (s)
(b) Cost of installation of generating set (s).
 - (v) Date (s) commissioning of the set (s) for commercial production of the unit.
 - (vi) Whether the total capacity of the installed generating set (s) is in excess of the power requirement of the unit for the purpose of industrial production; if not, the reason therefore.

- Signature and status of the applicant
Seal of the applicant's unit.

182

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषय:- वृहत एवं मध्यम प्रक्षेत्र औद्योगिक इकाइयों की नई औद्योगिक नीति-2006 के अन्तर्गत कैपटिव पावर प्लांट/डीजल जेनरेटिंग सेट की स्थापना हेतु देय अनुदान के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन।

राज्य के वृहत एवं मध्यम प्रक्षेत्र उद्योगों की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2006 के अन्तर्गत अनुमान्य रियायतों सुविधाओं एवं सहायता के कार्यान्वयन एवं विचारोपरान्त स्वीकृति हेतु प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, पटना की अध्यक्षता में निम्न रूप से एक समिति का गठन किया जाता है:-

- | | |
|---|------------------|
| 1. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, पटना | - अध्यक्ष |
| 2. प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना | - सदस्य |
| 3. उद्योग निदेशक, बिहार, पटना | - सदस्य (संयोजक) |
| 4. निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, पटना | - सदस्य |
| 5. वाणिज्यकर विभाग, पटना के प्रतिनिधि | - सदस्य |
| 6. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना के प्रतिनिधि
(जहाँ आवश्यक हो) | - सदस्य |

यह समिति औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2006 के आलोक में निर्गत संकल्प सं.-2110 दिनांक 12.09.06 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया एवं बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगी एवं उनके अनुरूप कार्य करेंगी।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों और अधीनस्थ पदाधिकारियों को प्रेषित किया जाय

ह./-

(रामेश्वर सिंह)

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-1530 /पटना, दिनांक 04.06.2010

2/उ.नि. (प्रो.)-03.04.2006

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसका प्रकाशन बिहार गजट के आगामी अंक में करते हुए इसकी 500 प्रतियाँ विभागीय प्रयोजनार्थ शीघ्र भेज दी जाय।

ह./-

(रामेश्वर सिंह)

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-1530 /पटना, दिनांक 04.06.2010

प्रतिलिपि- समिति के सभी सदस्यों/सभी विभाग/उद्योग विभाग के अधीन पदाधिकारियों/अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत पर्षद/बिहार राज्य वित्तीय निगम/बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम/बिहार राज्य औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना/प्रबंधक, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, पटना/निदेशक, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान, पटना राज्य स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति, पटना/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, पटना चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पटना/रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग
अधिसूचना

अधिसूचना सं.-24, पटना, दिनांक :- 27.07.2006

नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के अन्तर्गत वर्तमान में कार्यरत इकाइयों तथा नई इकाइयों को AMG तथा MMG से छूट नई औद्योगिक नीति के घोषणा की तिथि से दी जायेगी। यह सुविधा 5 वर्षों के लिए देय होगी। इसी प्रकार रुग्ण एवं बंद इकाइयों को AMG/MMG तथा विलंब अधिभार में छूट इकाइयों के रुग्ण घोषित करने की तिथि से देय होगी। ये सुविधा 5 वर्षों के लिए देय होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह./-

(वी. जयशंकर)

आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक : 2886 /पटना, दिनांक- 27.07.2006

प्रतिलिपि:- राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की 300 (तीन सौ) मुद्रित प्रतियां ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह./-

(वी. जयशंकर)

आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक : 2886 पटना, दिनांक : 27.07.2006

प्रतिलिपि- अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/औद्योगिक विकास आयुक्त, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल विद्युत निगम, पटना/निदेशक, ब्रेडा, सोन भवन, पटना/मुख्य अभियंता, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(वी. जयशंकर)

आयुक्त एवं सचिव

ऊर्जा विभाग

शुद्धि पत्र

ज्ञापांक-2965/ पटना, दिनांक :- 29.07.2006

ऊर्जा विभाग के अधिसूचना सं.-24 दिनांक- 27.07.2006 में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए इसके प्रथम पंक्ति में उल्लिखित 'औद्योगिक नीति की घोषणा की तिथि से दी जायेगी' के स्थान पर 'नई औद्योगिक नीति के प्रभावी तिथि से दी जायेगी' पढ़ा जाय।

ह./-

(श्यामानंद शर्मा)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 2965/ पटना, दिनांक:- 29.07.2006

प्रतिलिपि:- राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि शुद्धि पत्र की 300 (तीन सौ) मुद्रित प्रतियाँ ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह./-

(श्यामानंद शर्मा)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: 2965/ पटना, दिनांक:- 29.07.2006

प्रतिलिपि- अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/औद्योगिक विकास आयुक्त, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल विद्युत निगम, पटना/निदेशक, ब्रेडा, सोन भवन, पटना/मुख्य अभियंता, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(श्यामानंद शर्मा)

सरकार के अपर सचिव

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना
(वाणिज्य विभाग)

पत्रांक- कॉम/मिस/917/2003/678, विद्युत बोर्ड, पटना, दिनांक :- 7.10.2006

प्रेषक,

अरुण चन्द्र सिंह, भा.प्र.से.
सचिव

सेवा में,

महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता,
सभी विद्युत आपूर्ति क्षेत्र/संचरण प्रक्षेत्र,
विद्युत अधीक्षण अभियंता,
सभी विद्युत आपूर्ति अंचल/संचरण अंचल
सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता,
सभी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल,
सहायक विद्युत अभियंता,
सभी विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल।

विषय:- राज्य सरकार की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के तहत उद्यमियों को दी जाने वाली विद्युत संबंधी सुविधाओं के संबंध में।

प्रसंग : बोर्ड का संकल्प संख्या-8249 एवं 8263

महाशय,

राज्य के त्वरित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 एवं ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं.-24 दिनांक-27.07.2006 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक-2965 दिनांक- 29.07.2006 के आलोक में बोर्ड ने अपने संकल्प सं.-8263 द्वारा राज्य सरकार की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 लागू करने का निर्णय लिया है।

इसके अनुसार एवं विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-65 में निहित प्रावधानों के तहत विद्युत उपभोक्ताओं को निम्न सुविधाएँ प्रदान की जायेगी:-

1. नई इकाइयाँ :

नई इकाइयों को AMG/MMG से छूट नई औद्योगिक नीति के प्रभावी तिथि अर्थात् दिनांक- 01.04.2006 से दी जायेगी। यह सुविधा पांच वर्षों के लिए देय होगी।

‘नई औद्योगिक इकाई’ से अभिप्राय है ऐसी इकाई से जिसमें वाणिज्यिक उत्पादन कार्य दिनांक 01.04.2006 से पांच वर्षों के बीच आरंभ हुआ हो।

2. विद्यमान औद्योगिक इकाइयाँ (वर्तमान में कार्यरत इकाइयाँ) :

वर्तमान में कार्यरत इकाइयों को छूट नई औद्योगिक नीति के प्रभावी तिथि अर्थात् 01.04.2006 से दी जायेगी। यह सुविधा पांच वर्षों के लिए देय होगी।

‘विद्यमान औद्योगिक इकाई’ से अभिप्राय है ऐसी औद्योगिक इकाई से है, जो वाणिज्यिक उत्पादन में है।

ऐसी विद्यमान इकाइयाँ जो अपने क्षमता का विस्तार/विशाखन/आधुनिकीकरण करती है तो इंक्रीमेंटल उत्पादन पर ऐसी इकाइयों को उपरोक्त देय सुविधा प्राप्त होगी।

3. रुग्ण इकाइयाँ :

रुग्ण एवं बंद इकाइयों को AMG/MMG एवं विलंब भुगतान अधिभार में छूट इकाई को रुग्ण घोषित करने की तिथि से देय होगी। यह सुविधा पांच वर्षों की अवधि के लिए मान्य होगी।

‘रुग्ण इकाई’ से अभिप्राय ऐसी औद्योगिक इकाई से है, जिसे रुग्ण औद्योगिक कम्पनियाँ (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्रचना बोर्ड अथवा शीर्ष लघु उद्योगों के लिए उद्योग निदेशक की अध्यक्षता वाली शीर्षस्थ राज्य समिति द्वारा अथवा वृहत एवं मध्यम प्रक्षेत्रों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा रुग्ण घोषित किया गया हो।

‘बंद इकाई’ से अभिप्राय वैसी औद्योगिक इकाई से है, जो इस नीति में अनुमान्य सुविधा हेतु दिए गए आवेदन की तिथि से कम-से-कम 5 (पांच) वर्ष पहले से लगातार बंद हो। बंद होने का अभिप्राय होगा इकाई में सभी प्रकार का वाणिज्यिक उत्पादन बंद होना। ‘बंद’ होने का अभिप्रमाणन सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

उपर्युक्त सुविधा लघु प्रक्षेत्र तथा वृहत एवं मध्यम प्रक्षेत्र में रुग्ण इकाइयों पर भी अनुमान्य होगी। रुग्णता की शर्त राज्य सरकार की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 की कडिका-3 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत होगी।

विश्वासभाजन

ह./-

(अरुण चन्द्र सिंह)

सचिव

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
संकल्प

पत्रांक : 3124, पटना, दिनांक : 28.08.2006

प्रेषक,
औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

सेवा में,
महाप्रबंधक,
सभी जिला उद्योग केन्द्र
प्रबंधक निदेशक,
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना।

विषय:- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के अन्तर्गत वाणिज्य-कर/वैट के प्रोत्साहन औद्योगिक इकाइयों को देने के संबंध में दिशा-निर्देश।

महाशय,

राज्य में औद्योगिकरण के प्रोत्साहन एवं उपयुक्त वातावरण के सृजन हेतु औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2006 घोषित किया गया है। इस प्रोत्साहन नीति में उद्योग के लिए अनेक सुविधाएँ एवं छूट का प्रावधान किया गया है।

2. प्रोत्साहन एवं सुविधाएँ उपभोग करने के लिए लघु/टाईनी इकाइयाँ जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन समर्पित करेंगे। जिला उद्योग केन्द्र प्राप्त आवेदनों को अपने अनुशंसा के साथ उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार सरकार को भेजेंगे। वृहद एवं मध्यम इकाइयाँ आवेदन सीधे सचिव, उद्योग/उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग को समर्पित करेंगे। उद्योग निदेशक प्राप्त सभी आवेदनों को जांच कर सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु रखेंगे। स्वीकृत होने के बाद स्वीकृत छूट/सुविधा की अग्रेतर कार्रवाई उद्योग निदेशक द्वारा किया जाएगा।
3. परियोजना प्रतिवेदन एवं तकनीकी जानकारी हेतु आर्थिक सहायता संबंधी आवेदन-पत्र तकनीकी निदेशालय को समर्पित किया जायेगा, जिसे तकनीकी निदेशालय के अनुशंसा के उपरांत सचिव, उद्योग विभाग के अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा जाएगा। स्वीकृत राशि के भुगतान की कार्रवाई तकनीकी निदेशालय द्वारा किया जायेगा।
4. वैट की प्रतिपूर्ति हेतु विहित पासबुक में इकाई द्वारा वाणिज्य-कर विभाग को भुगतान की गयी राशि की विवरणी होगी, जिसका सत्यापन संबंधित सर्किल के वाणिज्य-कर पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस पर हस्ताक्षर के साथ सील मुहर भी होंगे। संबंधित जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक का दायित्व होगा कि संबंधित वाणिज्य-कर पदाधिकारी से पासबुक में नियमानुसार प्रविष्टि कराकर उद्योग निदेशक, बिहार, पटना को अपनी अनुशंसा के साथ उपलब्ध करायेंगे।
5. सभी पात्र इकाइयाँ विहित प्रपत्र (संलग्न) में संबंधित जिला उद्योग केन्द्र/प्राधिकार में आवेदन-पत्र प्रतिपूर्ति हेतु समर्पित करेंगे। आवेदन प्रपत्र में अंकित प्रमाण-पत्र संलग्न कर इकाइयों को देना अनिवार्य होगा।

6. इस संदर्भ में ऐसे भी मामले आ सकते हैं जहाँ वैट का भुगतान कर दावा प्रतिपूर्ति हेतु किया गया हो, परन्तु भुगतान किए गए वैट की राशि में से वाणिज्य-कर विभाग से वापसी का भी दावा किया हो। इस बिन्दु पर ध्यानपूर्वक समीक्षा अपेक्षित है।
7. सामान्य वैट एवं शून्य वैट (जीरो वैट) के लिए अलग-अलग प्रपत्र संलग्न है।
8. संबंधित कार्यालय में इसके लिए अलग से लेजर खोला जाय तथा इकाईवार विवरणी विहित प्रपत्र में अंकित किया जाय।
इकाई को अनुमान्य राशि भुगतान की गयी राशि की प्रविष्टि कर उसका सत्यापन किया जाय।
9. इकाई को स्वीकृत राशि की विवरणी देते हुए वांछित राशि की मांग उद्योग निदेशक से किया जाए ताकि राशि उन्हें उपलब्ध कराया जा सके।
10. वृहद/मध्यम प्रक्षेत्र की इकाइयों के लिए निदेशालय स्तर पर लेजर खोलकर इकाइयों की विवरणी विहित प्रपत्र में प्रविष्टि किया जायेगा, जिसका सत्यापन संबंधित संयुक्त उद्योग निदेशक करेंगे।
11. भुगतान सभी स्थिति में एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से सभी स्तर पर किया जाय।
12. स्वीकृत राशि का भुगतान प्रत्येक छमाही अर्थात जून एवं सितम्बर में किया जायेगा तथा भुगतान किये गये राशि का उपयोगिता प्रतिवेदन आवंटन के पूर्व निदेशालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
13. विस्तार एवं विशाखन के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के परिशिष्ट-I के कंडिका-8 के अनुरूप देय होगा।
14. अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला/विकलांग को औद्योगिक नीति, 2006 के कंडिका-2 (XI) के अनुरूप प्रोत्साहन देय होगा।
15. इस संबंध में किसी बिन्दु पर स्पष्टीकरण की जरूरत होने पर उद्योग निदेशक/निदेशक, तकनीकी से मार्गदर्शन मांग सकते हैं। उद्योग निदेशक यथाआवश्यक सरकार से मार्गदर्शन मांग सकेंगे तथा निर्णय से संसूचित करेंगे।
16. लघु प्रक्षेत्र के रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास के संबंध में उद्योग निदेशक के अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इकाई के पुनर्वास हेतु आवेदन उद्योग निदेशक को समर्पित होगा।
17. मध्यम एवं वृहद उद्योग के पुनर्वास के लिए दो समितियां गठित हैं। एक समिति औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में है, जो बी.आई.एफ.आर. एवं गैर बी.आई.एफ.आर. रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास के उपायों पर विचार करेगी तथा अपनी अनुशंसा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति को देगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा पुनर्वास के मामले में निर्णय लिया जायेगा।
18. लघु उद्योग के उत्पादन की तिथि के संबंध में संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र तथा प्रबंध निदेशक, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य होगा। वृहद/मध्यम उद्योगों के संबंध में निदेशक, तकनीकी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

19. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2006 के तहत घोषित सुविधाएँ/छूट/अनुदान/प्रतिपूर्ति के संबंध में संबंधित जिला उद्योग केन्द्र द्वारा संबंधित इकाई को उनके द्वारा दी गयी अनुदान/प्रतिपूर्ति की राशि एवं उससे संबंधित विवरणी, निर्धारित लेजर/लेखा का संधारण अवश्य करेंगे, ताकि निरीक्षण/अंकेंक्षण कराया जा सके।

ह./-

(एस. विजयराघवन)

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक संख्या : 3124 /पटना, दिनांक- 28.08.2006

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह./-

(एस. विजयराघवन)

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक संख्या : 3124 /पटना, दिनांक- 28.08.2006

प्रतिलिपि- आयुक्त एवं सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि कृपया अपने विभाग के संबंधित पदाधिकारियों को इस आशय का निदेश संसूचित करने की कृपा की जाय।

ह./-

(एस. विजयराघवन)

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

वाणिज्य-कर विभाग

पत्रांक- बिक्री-कर/संशोधन-05/2006/88/CCT/पटना, दिनांक 21/9/07

प्रेषक,

शुभकीर्ति मजुमदार,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी वाणिज्य-कर अंचल प्रभारी।

विषय:- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 की कंडिका-2 की उप कंडिका (VI), (IX) एवं (XI) के अन्तर्गत लघु, वृहत एवं मध्यम उद्योगों को वैट के अंतर्गत जमा की गयी राशि की प्रतिपूर्ति करने के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत हैं कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 (उद्योग विभाग का ज्ञापक 1162, दि. 15.7.06) लायी गयी है। यह नीति उन उद्योगों पर प्रभावी है, जो दिनांक 01.04.06 से दिनांक 31.03.2011 के बीच उत्पादन में आये हैं।

1. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 की कंडिका-2 में यह प्रावधान है कि वैसे वृहत, मध्यम एवं लघु उद्योग, जो इस नीति की प्रभावी तिथि में उत्पादन में जाते हैं, उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप वैट के अंतर्गत जमा की गयी राशि की प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जायेगी। इसके अंतर्गत जो औद्योगिक इकाई प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत आयेंगे, उन्हें राज्य सरकार द्वारा एक पासबुक निर्गत किया जायेगा, जिसमें मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत भुगतान की गयी राशि का ब्योरा रहेगा। इस हेतु औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के परिशिष्ट-3 में एक पासबुक विहित की गयी है ऐसी औद्योगिक इकाई वाणिज्य-कर विभाग के जिस अंचल के क्षेत्राधिकार में आयेंगी उस अंचल के प्रभारी पदाधिकारी विहित पासबुक में वैट के मद में भुगतान की गयी राशि का सत्यापन करेंगे।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के अंतर्गत आनेवाली इकाइयों को उनके द्वारा जमा की गयी स्वीकृत वैट की राशि के विरुद्ध अधिकतम 80 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति उनके उत्पादन की तिथि से 10 वर्षों की अवधि तक की जायेगी। परन्तु यह प्रतिपूर्ति उस औद्योगिक इकाई के पँजी निवेश के 300 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

यह प्रोत्साहन राशि बिहार वित्त अधिनियम, 1981/केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1993 के अंतर्गत अधिरोपित शास्ति की राशि एवं निर्धारित कर तथा स्वीकृत कर में अंतर की राशि पर देय नहीं होगी।

2. उक्त औद्योगिक नीति की कड़िका 2 (IX) में विषम परिस्थिति में कार्यरत इकाइयों को वैट की प्रतिपूर्ति की सुविधा दी गयी है। इसके अनुसार ऐसी इकाइयाँ, जो वर्षों से विषम परिस्थितियों में एवं वर्तमान में कार्यरत रहे हैं द्वारा सरकार के खजाने में जमा की गयी स्वीकृत वैट की राशि के विरुद्ध 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति लगातार 5 वर्षों तक अनुमान्य होगी। यह सुविधा उन्हीं इकाइयों को प्रदान की जायेगी, जो इस हेतु उद्योग निदेशक द्वारा पात्र घोषित किये जायेंगे।

3. इसी प्रकार कंडिका 2 (XI) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला एवं विकलांग उद्यमियों के लिए प्रतिपूर्ति के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं:-

(क) इन वर्गों के उद्यमियों को अनुदान/छूट/प्रतिपूर्ति के रूप में इस नीति में निर्धारित सीमा से 5 प्रतिशत अधिक अनुमान्य होंगे, अर्थात् उक्त 80 प्रतिशत के स्थान पर 85 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति उन्हें की जायेगी।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/विकलांग श्रेणी के उद्यमियों जो लघु एवं अतिलघु उद्योग लगाते हैं, को तीस लाख रुपये प्रतिवर्ष टर्नओवर तक के लिए वैट के रूप में सरकार के खाता में जमा राशि की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति दस वर्षों के लिए की जायेगी।

4. कंडिका 1, 2 एवं 3 में वर्णित वैसे उद्योगों को ही प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जायेगी, जो औद्योगिक नीति, 2006 के अंतर्गत उद्योग विभाग के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा इस हेतु चिह्नित किये जायेंगे। प्राधिकृत पदाधिकारी इस हेतु विहित प्रपत्र में एक प्रमाण-पत्र निर्गत करेंगे।

'औद्योगिक नीति' 2006 के परिशिष्ट-3 के अनुरूप प्रतिपूर्ति के पूर्व जांच हेतु एक पासबुक का संधारण होगा, जिसमें संबंधित उद्यमी द्वारा आवश्यक प्रविष्टि, संबंधित वाणिज्य-कर अंचल के पदाधिकारी द्वारा कराकर, संधारित करेंगे, जिसमें प्रत्येक इकाइयों के संबंध में उत्पादन की तिथि प्रत्येक वर्ष जमा की गयी वैट की राशि तथा उससे प्रतिपूर्ति की गयी राशि के ब्योरे होंगे, जो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सत्यापित होंगे। इस पंजी की प्रति संबंधित कोषागार में भी रहेगी और कोषागार की पंजी में भी उपर्युक्त सभी प्रविष्टियों का उल्लेख रहेगा।

उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन कृपया सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

ह./-

(शुभकीर्ति मजुमदार)

वाणिज्य-कर-आयुक्त-सह-प्रधान सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-188/CCT /पटना, दिनांक- 21/9/07

प्रतिलिपि- सभी वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-188/CCT/पटना, दिनांक- 21/9/07

प्रतिलिपि- औद्योगिक विकास आयुक्त, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव,
बिहार, पटना।

ANNEXURE-III

- (a) Name of the Units:.....
Address.....
.....
- (b) Registration No. & Date under VAT :.....
- (c) Item of Registration:.....
- (d) Item for which refund claimed:.....
- (e) Date of Production :.....
- (f) Period :.....
- (g) Any refund claimed during the period (give details) :.....
.....
- (h) Admissible Amount :.....

Signature of Issuing Officer
with seal

PASS BOOK

SI.No.	Month	Amount paid against the amount admitted under VAT	Date of Payment & Branch of Bank	Amount of refund claimed during the Period	Name & Designation Certifying Officer	Signature with Date & Seal

Note : The Pass Book must be signed by concerned Commercial Tax Officer in-charge of Circle.

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

प्रेषक,
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
सेवा में,
प्रबंध निदेशक,
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार,
उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।
महाप्रबंधक,
सभी जिला उद्योग केन्द्र।
अध्यक्ष,
बिहार उद्योग संघ,
इंडस्ट्रीज हाउस, सिन्हा लाइब्रेरी रोड, पटना।

विषय:- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों को वाणिज्य-कर/वैट संबंधी प्रोत्साहन दिये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक- 3124, दिनांक 28.08.06 का कृपया संदर्भ करें। इस प्रसंग में वाणिज्य-कर विभाग से प्राप्त पत्रांक 88/सी.सी.टी., दिनांक 21.09.07 के आलोक में निम्नांकित रूप में दिशा-निर्देश निर्धारित किया जाता है।

1. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 में प्रावधान है कि वैट की प्रतिपूर्ति औद्योगिक इकाइयों को की जायेगी। औद्योगिक इकाइयों को वैट की प्रतिपूर्ति करने में सुविधा हो, इसके लिए प्रतिपूर्ति की राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के वाणिज्य-कर विभाग के अंचल पदाधिकारी होंगे। अंचल पदाधिकारी का दायित्व होगा कि प्रतिपूर्ति की राशि की निकासी कर जांचोपरांत इकाई को भुगतान करें और उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक 3 (तीन) माह पर वाणिज्य-कर आयुक्त के माध्यम से उद्योग विभाग को उपलब्ध करावें।
2. औद्योगिक इकाइयों को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में अधिसूचित औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2006 के परिशिष्ट-III में संशोधन कर पासबुक निर्गत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। इकाई द्वारा वैट के मद में सरकार को भुगतान की गयी राशि का प्रविष्टि पास-बुक में इकाई द्वारा किया जाएगा तथा वाणिज्य-कर के अंचल पदाधिकारी पास-बुक में वैट के मद में भुगतान की गयी राशि का सत्यापन करेंगे।
3. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2006 एवं उसके संकल्प, परिपत्र एवं अधिसूचना आदि के शर्तों को जो औद्योगिक इकाई पूरा करता हो, वह पात्र इकाई माना जाएगा। लघु, टाईनी एवं रुपये दस करोड़ तक के मध्यम उद्योग के लिए उद्योग निदेशक एवं रुपये दस करोड़ से ऊपर के मध्यम एवं वृहत उद्योग के लिए निदेशक, तकनीकी विकास द्वारा पात्रता निर्धारित किया जायेगा।

4. वैट की प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग विभाग के द्वारा वाणिज्य-कर विभाग को वित्तीय वर्ष में एकमुश्त राशि उपलब्ध कराया जायेगा तथा वाणिज्य-कर विभाग अपने अंचल के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध करायेंगे तथा उनसे प्रत्येक 3 (तीन) माह पर उपयोगिता प्रतिवेदन प्राप्त कर उद्योग विभाग को उपलब्ध करायेंगे। साथ-साथ अतिरिक्त राशि की आवश्यकता पड़ने पर उसकी भी मांग उद्योग विभाग को उपलब्ध करायेंगे, ताकि आवश्यक बजट उपबंध कराया जा सके।

विश्वासभाजन

ह./-

(एस. विजयराघवन)

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 2733 /पटना, दिनांक : 5.11.07

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 2733 पटना, दिनांक 5.11.07

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

परिपत्र

विषय:- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के कंडिका-2 (IX) के विषम परिस्थितियों में कार्यरत इकाइयों के संबंध को स्पष्ट करने के संबंध में।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के कंडिका-2 (IX) में विषम परिस्थितियों में कार्यरत इकाइयों को स्वीकृत वैट राशि के विरुद्ध राज्य सरकार के खाता में जमा वैट राशि का 25 (पच्चीस) प्रतिशत प्रतिपूर्ति करने का प्रावधान किया गया है। यह प्रतिपूर्ति लगातार पांच वर्षों की अवधि तक अनुमान्य है।

विषम परिस्थिति में कार्यरत इकाई को सुस्पष्ट करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी इकाई से तात्पर्य है, उन श्रेणी की इकाई जो 01.04.06 के पूर्व से कार्यरत है।

ह./-

(एस. विजयराघवन)
औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या- 3450 /पटना, दिनांक : 19/09/2006

प्रतिलिपि- सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / आयुक्त, वित्त (वाणिज्य कर) विभाग / प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग के सभी निगम / बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना / अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत पर्षद्, पटना / सभी आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र / निदेशक, उद्योग / निदेशक, तकनीकी विकास / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, पाटलीपुत्र कॉलोनी, पटना / मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(एस. विजयराघवन)
औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
वित्त (वाणिज्य-कर) विभाग
अधिसूचना

एस.ओ. 146 दिनांक 12 अक्टूबर-2006-केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि ऐसा किया जाना लोक हित में आवश्यक है, बिहार के राज्यपाल यह घोषित करते हैं कि उद्योग विभाग द्वारा निबंधित लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों द्वारा विनिर्मित वस्तुओं की अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में बिक्री-पर केन्द्रीय बिक्री-कर की दर एक प्रतिशत होगी।

2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

संचिका सं.-बिक्री-कर/संशोधन-05/2006

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./-

(रवि मित्तल)

वाणिज्य-कर आयुक्त एवं सचिव,
बिहार, पटना।

एस.ओ.....एस.ओ. दिनांक अक्टूबर 2006 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

संचिका सं.- बिक्री-कर/संशोधन-05/2006

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./-

(रवि मित्तल)

वाणिज्य-कर आयुक्त एवं सचिव,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
परिपत्र

विषय:- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 को स्पष्ट करने के संबंध में ।

राज्य में चीनी तथा उस पर आधारित उद्योगों को गन्ना विभाग के संकल्प संख्या-158, दिनांक-20.01.2006 की सुविधाएँ ही देय होगी। अतः इन प्रक्षेत्रों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 की सुविधाएँ देय नहीं होगी।

चाय प्रसंस्करण एवं मनोरंजन प्रक्षेत्र को उद्योग का दर्जा प्राप्त है, इसलिए इन प्रक्षेत्रों को उद्योग की तरह सभी सुविधाएँ अनुमान्य होगी।

ह./-

(एस. विजयराघवन)

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1406 /पटना, दिनांक : 12.08.06

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह./-

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1406 /पटना, दिनांक : 12/08/06

प्रतिलिपि- सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/आयुक्त, वित्त (वाणिज्य कर) विभाग/प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग के सभी निगम/बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत पर्षद्, पटना/सभी आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, सभी उप विकास आयुक्त/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, उद्योग/निदेशक, तकनीकी विकास/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, पाटलीपुत्र कॉलोनी, पटना/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

विषय:- जन-निजी भागीदारी (Public Private Partnership) के माध्यम से आधारभूत संरचना परियोजनाओं हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति।

जन-निजी भागीदारी (Public Private Partnership) आधारभूत संरचना विकास हेतु राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन स्रोत हो सकता है। भारत सरकार द्वारा आधारभूत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से Viability Gap Funding योजना प्रारंभ की गयी है जिसके तहत परियोजना की आर्थिक संभाव्यता सुनिश्चित करने हेतु निजी भागीदारी को परियोजना लागत का 40 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें 50 प्रतिशत अंश राज्य सरकार का होगा। ऐसी परियोजनाएँ चुनिंदा क्षेत्रों जैसे सड़कें एवं पुल, रेलवे, हवाई-अड्डा, आंतरिक जल-रास्ता, ऊर्जा, शहरी यातायात, जल-प्रदाय, ठोस-अपशिष्ट प्रबंधन एवं शहरी क्षेत्र में अन्य भौतिक आधारभूत संरचना परियोजनाएँ, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर एवं अन्य पर्यटन आधारभूत संरचना परियोजनाएँ आदि क्षेत्रों में इस योजना के तहत ली जाएगी।

2. सामान्यतः ऐसी परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से लेकर निजी भागीदार का चयन करने तक की क्षमता विभागों में नहीं होने से सलाहकार नियुक्ति का कार्य करना पड़ता है जो अक्सर काफी समय ले लेता है। विभागों की इस वास्तविक समस्या को देखते हुए उनकी सुविधा के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जन-निजी भागीदारी के माध्यम से आधारभूत संरचना विकास से जुड़ी परियोजनाओं के अभिकल्प से लेकर निजी भागीदार के चयन तक की कार्यवाही के लिए राज्य सरकार के विभाग/उपक्रम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनांस कंपनी (Infrastructure Development Finance Company (IDFC) अथवा IL&FS Infrastructure Development Corporation Ltd. (IIDC) को सीधे सलाहकार नियुक्त कर सकते हैं। इन कंपनियों का चयन आधारभूत संरचना में निजी क्षेत्र की भागीदारी के संबंध में इन कंपनियों के लंबे अनुभव के आधार पर किया गया है।
3. सरकार के विभिन्न विभागों/उपक्रमों द्वारा कंपनियों की नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाएगी:-
 - 3.1 संबंधित सलाहकार द्वारा परियोजना हेतु प्रारंभिक प्रतिवेदन तैयार करने से लेकर निजी भागीदारी के चयन तक का कार्य किया जायेगा। इसके अंतर्गत सभी कार्य यथा- संभाव्यता प्रतिवेदन (Feasibility Study), रुचि अभिव्यक्ति (Expressions of Interest) अभिलेख, प्रस्ताव के लिए अनुरोध (Request for Proposal) अभिलेख, परियोजना सूचना संलेख (Project Information Memorandum), एलीजिविलिटी क्राइटेरिया (Eligibility Criteria), निविदा-पूर्व सम्मेलन (Prebid Conference), अंशधारकों का समझौता अभिलेख, कन्सेशन एग्रीमेंट का प्रारूप, विकास संबंधी समझौता (Development Agreement) संबंधी दस्तावेजों की तैयारी, निविदा आमंत्रित करना, मूल्यांकन करना एवं निजी क्षेत्र के भागीदारी का चयन आदि शामिल है। निजी भागीदार के चयन का कार्य पूर्ण पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से उसी प्रकार किया जाएगा जैसा कि भारत सरकार के Viability Gap Funding योजना में वर्णित है।
 - 3.2 कंपनी द्वारा इस हेतु परियोजना क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित तालिका के अनुसार फीस ली जाएगी। व्यवसायिक फीस (Professional) विशिष्ट डिलिवरेबल्स यथा संभाव्यता प्रतिवेदन (Feasibility Study), रुचि अभिव्यक्ति (Expressions of Interest), अभिलेख, प्रस्ताव के लिए अनुरोध (Request for Proposal), अभिलेख, परियोजना सूचना संलेख (Project Information Memorandum), एलीजिविलिटी

क्राइटेरिया (Eligibility Criteria) निविदा-पूर्व सम्मेलन (Prebid Conference), अंशधारकों का समझौता अभिलेख, कन्वेंशन एग्रीमेंट का प्रारूप, विकास संबंधी समझौता (Development Agreement), संबंधी दस्तावेजों की तैयारी, निविदा आमंत्रित करना, मूल्यांकन करना एवं निजी क्षेत्र के भागीदार का चयन आदि माइलस्टोन आधारित होगी। सफलता फीस (Success Fee) निजी भागीदार के चयन होने के उपरांत ही देय होगी। व्यवसायिक फीस एवं सफलता फीस दोनों ही प्रोजेक्ट लागत के अंश होंगे और निजी भागीदार से वसूले जाएंगे।

क्रम संख्या	अनुमानित प्रोजेक्ट लागत (रु.)	व्यवसायिक फीस (प्रोजेक्ट लागत का प्रतिशत)	सफलता फीस (प्रोजेक्ट लागत का प्रतिशत)	कुल फीस की रेंज (प्रोजेक्ट लागत का प्रतिशत)
1.	25 करोड़ या उससे कम	1.5 प्रतिशत (अधिकतम रु. 0.25 करोड़)	1.50%	3.00-2.50%
2.	25 करोड़ से अधिक लेकिन 50 करोड़ या उससे कम	1.25 प्रतिशत (अधिकतम 0.5 करोड़)	1.25%	2.50-2.25%
3.	50 करोड़ से अधिक लेकिन 100 करोड़ या उससे कम	1.00 प्रतिशत (अधिकतम 0.75 करोड़)	1.00%	2.00-1.75%
4.	100 करोड़ से अधिक लेकिन 200 करोड़ या उससे कम	0.8 प्रतिशत (अधिकतम 1.00 करोड़)	0.75%	1.55-1.25%
5.	200 करोड़ से अधिक लेकिन 500 करोड़ या उससे कम	0.6 प्रतिशत (अधिकतम 1.75 करोड़)	0.65%	1.25-1.00%
6.	500 करोड़ से 1000 करोड़ तक	0.5 प्रतिशत (अधिकतम 2.25 करोड़)	0.50%	1.00-0.75%
7.	1000 करोड़ से अधिक	आधारभूत संरचना प्राधिकार द्वारा परियोजना विशेष के आधार पर अनुमोदन।		

उपरोक्त फीस में सेवा कर या अन्य कर शामिल नहीं हैं, वह अलग से देय होगा। यदि परियोजना के लिए कोई विस्तृत Study (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) करनी होगी तो उसकी फीस अलग से देय होगी जिसके लिए अलग से फीस तय की जा सकेगी।

3.3 संबंधित विभाग/उपक्रम इस हेतु प्रत्येक चयनित परियोजना के लिए चयनित सलाहकार के साथ अनुबंध संपादित करेगा। ऐसे अनुबंध का अनुमोदन आधारभूत संरचना प्राधिकार से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

3.4 यह व्यवस्था विभागों पर बाध्यकारी नहीं होगी। यदि कोई विभाग सलाहकार की नियुक्ति खुली निविदा के माध्यम से करना चाहता है तो वह इस हेतु स्वतंत्र है।

3.5 आधारभूत संरचना प्राधिकार द्वारा इस व्यवस्था का समय-समय पर मूल्यांकन किया जायेगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह./-

(नवीन कुमार)

प्रधान सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांक- एम-4-19/2007-4308 वि.(2) दिनांक- 22.6.07

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

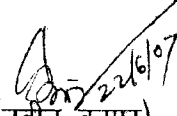
ह./-

(नवीन कुमार)

प्रधान सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांक- एम-4-19/2007- 4308 वि. (2) दिनांक 22/6/07

प्रतिलिपि- औद्योगिक विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नवीन कुमार)

प्रधान सचिव, वित्त विभाग ।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग (तकनीकी विकास)

पत्र संख्या- 118/DTD पटना/दिनांक : 17/9/07

प्रेषक,

महेश प्रसाद,
निदेशक, तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक, बियाडा, पटना।
उद्योग निदेशक, बिहार, पटना।
सभी संयुक्त उद्योग निदेशक,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
सभी उप उद्योग निदेशक,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र।
प्रभारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना।
अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ, पटना।
अध्यक्ष, सी.आई.आई., पटना।

विषय : औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2006 की कंडिका 2 (VIII) (ग) के आलोक में औद्योगिक संस्थागत आधारभूत संरचना विकास परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि के उपयोग में परिवर्तन की स्थिति में सम्परिवर्तन (कन्वर्जन) शुल्क में 100 प्रतिशत (शत-प्रतिशत) छूट दिए जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया है, जिसे आपके सूचनार्थ संलग्न किया जा रहा है।

अनुलग्नक- यथा उपरोक्त।

विश्वासभाजन

ह./-

(महेश प्रसाद)

निदेशक, तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक:-

बी.बी. श्रीवास्तव,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-----सितम्बर, 07

विषय:- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2006 की कंडिका-2 (VIII) (ग) के आलोक में औद्योगिक/संस्थागत आधारभूत संरचना विकास परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि के उपयोग में परिवर्तन की स्थिति में सम्परिवर्तन (कन्वर्जन) शुल्क में 100% (शत प्रतिशत) छूट दिए जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के परिप्रेक्ष्य में भूमि के उपयोग में परिवर्तन की स्थिति में सम्परिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट देने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 की कंडिका 2 (VIII) (ग) में सभी प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि के उपयोग में परिवर्तन होने पर इस पर लगने वाले सम्परिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान रखा गया है।

यह भी अनुभव किया गया है कि राज्य में औद्योगिक विकास सहित संस्थागत आधारभूत संरचना विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु अधिकाधिक निवेश को प्रोत्साहन देने के निमित्त भूमि के उपयोग में परिवर्तन की स्थिति में औचित्यपूर्ण छूट दिया जाना समयानुकूल एवं आवश्यक है।

सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नई औद्योगिक नीति-2006 की कंडिका-2 (VIII) (ग) के प्रावधान को लागू करने के उद्देश्य से राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद/जिलास्तरीय सिंगल विंडो क्लियरेंस समिति द्वारा अनुशंसित औद्योगिक विकास एवं संस्थागत आधारभूत संरचना विकास परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि के उपयोग में परिवर्तन की स्थिति में सम्परिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिशत (शत-प्रतिशत) की छूट दी जाय। यह छूट संबंधित उद्योग की स्थापना एवं संस्थागत आधारभूत संरचना विकास परियोजना से संबंधित प्रस्ताव में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद/जिलास्तरीय सिंगल विंडो क्लियरेंस समिति की अनुशंसा के सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत उपयोग में लायी गयी भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल सहित पूर्ण विवरण की सूचना उद्योग विभाग के द्वारा संबंधित समाहर्ता तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध कराए जाने के आधार पर ही अनुमान्य होगी। निदेशानुसार अनुरोध है कि सरकार के निर्णय के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

ह./-

(बी.बी. श्रीवास्तव)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-1247 दिनांक- 05.9.07

प्रतिलिपि- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(बी.बी. श्रीवास्तव)

सरकार के प्रधान सचिव।

[Bihar Act 11,2010]

**THE BIHAR AGRICULTURE LAND (CONVERSION FOR
NON-AGRICULTURE PURPOSES) ACT, 2010**

TO REGULATE THE CONVERSION OF AGRICULTURE LAND TO NON-AGRICULTURE PURPOSES AND FOR MATTERS CONNECTED THERE WITH AND INCIDENTAL THERE TO.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty-first year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement. (1) This Act may be called the Bihar Agriculture Land (Conversion for Non-Agriculture Purposes) Act, 2010.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar except any area constituted as a municipal area under the Bihar Municipal Act, 2007 or part thereof or which is under a cantonment. The extent of the act will be the same as provided in the Bihar Tenancy Act, 1885.

Explanation: This act shall not be applicable to any extent if the area comprising the agriculture land is notified as commercial, industrial or urban area either by publication of Master Plan or by any other mode.

(3) It shall come into force on such date as the Government by notification appoint.

2. Definition:- In this Act unless the context otherwise requires.

(a) "agriculture land" means land used for agriculture and allied activities.

(b) "Conversion" means change of land use from agriculture to non-agriculture purpose.

(c) "Conversion fee" connote fee as applicable in related circumstances.

(d) "Non-agriculture land" means land other than agriculture land.

(e) "Government" means the Government of Bihar.

(f) "Collector" means the District collector in whose jurisdiction the agriculture land for which conversion is applied for is situate and also includes any other officer authorized by the Government to exercise the powers and perform the functions of the District Collector under this Act.

(g) "Competent Authority" means the Sub-Divisional Officer in whose Jurisdiction the concerning agriculture land or a part thereof is situate.

(h) "Prescribed Procedure" means procedure prescribed by Rules or by any Government order made by the Government under this Act;

(i) "Notification" means a notification published in the Bihar Gazette and the word "Notified" shall be construed accordingly;

(j) "Occupier" includes;

(i) any person for the time being paying or liable to pay the rent, or any portion of the rent, for the land or, for the structure constructed thereon;

(ii) a rent-free occupant;

- (k) "Owner" includes any person for the time being receiving or entitles to receive, whether on his own account, or as an agent, trustee, guardian, manager or receiver, for another person, or for any religious, educational or charitable purpose, rent or profits for the agriculture land or for the structure constructed on such land and includes the following to whom the land have been leased out by the State Government or the Central Government.
 - (i) A lease, if the land has been leased out by the Government for any non-agriculture purpose deriving income therefrom.
 - (ii) a local authority, if the land is vested in the local authority and used for any non-agriculture purpose deriving income therefrom.
- (l) "Market value" means the value of the agriculture land as determined by the collector under the provisions of the Indian Stamp Act, 1899.

3. Land use Conversion:-

- (1) Agriculture land in the State shall not be used for non-agriculture purpose, without the prior permission of the competent authority.
- (2) An agriculture for such conversion of the agriculture land for non-agriculture purpose shall be made before the competent authority in the form prescribed along with conversion fee as specified under section 4.
- (3) If the conversion fee so paid as per sub-section (2) is found to be less than the fee prescribed, a notice shall be issued by the competent authority to the applicant within 30 days of the receipt of the application intimating him the deficit amount.
- (4) The applicant shall deposit the deficit fee indicated in the notice issued under sub-section(3) within 30 days of the receipt of such notice.
- (5) In case the applicant does not deposit the deficit fees indicated in the sub section (3) within 30 days of the receipt of such notice, the competent authority shall issue a second notice to the applicant directing him therein to deposit the deficit fees within 15 days of the receipt of notice. If the applicant fails to comply with the direction, his application is liable to be rejected.
- (6) The conversion permission applied for shall either be issued, rejected in full or part by the competent authority within ninety days from the date of the receipt of the application or receipt of the deficit amount whichever is later, provided that in case such applications are rejected, the reasons for such rejection shall be recorded in writing and communicated to the applicant.

In case the aforesaid conversion has been made after the coming into force of the Bihar Act 21 of 1993 and prior to the commencement this Act, it will be incumbent on the person responsible for the conversion to apply to the competent authority stating therein the fact of the said conversion within a period of 6 months from the date of the commencement of the this Act along with conversion fee of 1% of the current market value of the land concerned, failing which the competent authority shall proceed in accordance with section 6 of the Act :

Provided, if a conversion has been made prior to the commencement of the Bihar Act 21 of 1993 and the person concerned requires and applies for a conversion order, he may be allowed to convert, subject to the provisions of this Act and on payment of the conversion fees as specified in section 4(1) of this Act.

- (7) On receipt of the application, the competent authority shall proceed according to the provisions of the Act.

Provided that if no order is passed on such application, within the time prescribed in sub-section (6), the applicant concerned shall intimate the competent authority by registered post regarding the non-receipt of the desired permission by him. On the receipt of such intimation, the competent authority shall grant required permission within a fortnight of such receipt, otherwise the required permission shall be deemed to have given.

Provided further that in case the application is rejected in part or full, the conversion fee as deposited by the applicant shall be refunded to him in proportion of the land against which the permission could not be granted.

Explanation:- Permission for conversion may be granted against a plot, in part or whole, which is or is to be used for non-agriculture purpose. Payment of conversion fees shall be due in proportion to such land use.

4. Power to levy and collect conversion fee:-

- (1) With effect from the date of the commencement of this Act, every occupier or owner of agriculture land shall have to pay a conversion fee for non-agriculture purpose, at the rate of 10% of the market value of the land in areas as may be notified by the Government from time to time.
- (2) After the permission for conversion of his agriculture land for non-agriculture purpose is accorded the land owner shall pay rent/cess in respect of the rent/cess of that portion of land being paid by him prior to such conversion under the relevant provisions of the Bihar Tenancy Act, 1885 or Rules/Instructions if any, issued thereunder.

5. Authority Competent to order conversion of agriculture land for non-agriculture purpose.-

- (1) The sub Divisional Officer shall be competent to order, in respect of the land situated within his territorial jurisdiction, conversion of land use from agriculture purpose to non-agriculture purpose.
- (2) Permission to convert may be refused by the competent authority only on the ground that adequate conversion fee has not been paid, or that the conversion is likely to cause a public nuisance, or that the landholder is unable or unwilling to comply with the conditions that may be imposed under sub-section(3) of this Section.
- (3) Conditions may be imposed on conversion for the following objects, namely, in order to secure the public health, safety and convenience, and in the case of land which is to be used as building sites, in order to ensure further that the dimensions arrangement and accessibility of the sites are adequate for the health and convenience of occupiers or are suitable locally.
- (4) If the purpose of any land has been converted in contravention of an order passed or of a condition imposed under any of the foregoing sub-sections, the competent authority may serve a notice on the person responsible for such contravention, directing him, to use the land for its original purpose within 6 month of the service of the notice, or to take such other steps as may be required in order that the land may be used for its original purpose, or that the condition may be satisfied.

- (5) If any person served with the notice under sub-section(4) fails within the period stated in the notice to take action as ordered by the competent authority under that sub-section, the competent authority may take necessary steps so as to ensure a compliance of his order, and any cost incurred in doing so shall be recoverable from such person as if it were an arrear of land revenue.

(6) Penalty for unauthorized conversion:

- (1) The competent authority may imitate proceedings either suo motu or on a report submitted by the Anchal Adhikari concerned regarding the conversion of agriculture land into non-agriculture land by a person after the commencement of this Act. On receiving such information/report, the competent authority shall start proceeding and shall issue notice to the person concerned to appear in his court and submit a show cause regarding the reported conversion of agriculture land into non-agriculture use and requiring him to pay the requisite conversion fee, along with penalty as specified in sub-section (3) of his section.
- (2) If the competent authority is of the opinion that any agriculture land has been put to non-agriculture use without obtaining the permission as provided for under section 3 of the agriculture land shall be deemed to have been converted into non-agriculture purpose.
- (3) In case of such unauthorized conversion, the competent authority shall impose a penalty of 50% of the conversion fee over and above the conversion fee for the said land specified under section 4(1) of the Act.
- (4) The owner or occupier of the land shall pay the conversion fees and penalty as specified in sub-section (3) within 3 months of the order in such manner as may be specified.
- (5) (i) The conversion fee and penalty which remain unpaid after the lapse of the period specified in sub-section (4), shall recoverable as per the provisions of the Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act,1914.
(ii) Necessary action will be initiated against such land owner or occupier of land undersub-section(4) and (5) of the section 5 of this Act.

7. Exemption from Conversion Fees.-

- (1) Conversion may be allowed in case, issue and policy appertaining to industry notified as such in this regard by the Department of Industry, Government of Bihar, but no conversion fees shall be payable therein. Applicants may apply to the competent authority, for this, who allow conversion as per the provisions of this Act.
- (2) In case of land falling in the exempt category originally as provided in sub-section(1), is subsequently put to such use for which no exemption is permissible, conversion fees will be charged as per the provisions of this Act.

8. Permission for conversion not required in respect of certain land and land use-

No permission for conversion shall be required in respect of the following:

- (a) Land owned by the State Government.

- (b) Land owned by a local authority which is used for any community purpose so long as the land is not used for commercial purpose;
- (c) Land used for religious, social or charitable purposes so long as the land is not used for commercial purpose;
- (d) Land used for household micro-industries involving traditional occupation, not exceeding one area.
- (e) Land used for small shops subject to a maximum of 5400 square feet;
- (f) Land fused for such other purposes as may be notified by the Government from time to time;
- (g) Land use specified in Section 23 (2) of The Bihar Tenancy Act, 1885.

9. Appeals and Revisions (1) Any Person aggrieved by an order of the Sub Divisional Officer may file an appeal before the Collector within sixty days of such order.

(2) A revision case may be filed against the appellate order before the Divisional Commissioner within thirty days of such order.

10. Act to override other laws- The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith in any other law for the time being in force, or any custom or usage having the force of law or contract or Judgment, decree or order of a court or any other authority.

11. Power to give directions- For purpose of giving effect to the provisions of this Act, it shall be competent for the Government to issue such directions as they may deem fit to any officer, authority or person subordinate to the Government.

12. Bar on jurisdiction- Save as otherwise expressly provided in this Act, no court shall entertain any suit, or other proceeding to set-aside or modify, or question the validity of deficit fee under section 3 or fine imposed under section 6, or order or passed or decision taken by any officer or authority under the Act or any rules made there under.

13. Protection of action taken in good faith- No suit, prosecution or other legal proceeding shall be instituted against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or under the Rules made there under.

14. Power to remove difficulties - If any difficulty arises in giving effect to the Provision of this Act, the Government may, by an order published in the Bihar Gazette, make such arrangements not consistent with the provision of this Act, as it appear to be necessary or expedient for removing the difficulty.

15. Power to make rules- The Government may be notification, make rules for carrying out all or any of the purposes of this Act.

By order of the Governor of Bihar,
Sd./-

(RAJENDRA KUMAR MISHRA)
Secretary to Government.

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतियाँ राज्य सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों एवं प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों को प्रसारित की जाय तथा इस बिहार राजपत्र असाधारण अंक में जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित भी की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह./-
सरकार के संयुक्त सचिव,
योजना एवं विकास विभाग बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 1970 /पटना, दिनांक 08.11.10

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना-7 को सी.डी. के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 200 (दो सौ) मुद्रित प्रतियाँ निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को लभ्य करा दी जाय।

ह./-
सरकार के संयुक्त सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 1970 /पटना, दिनांक 08.11.10

प्रतिलिपि :- समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह./-
सरकार के संयुक्त सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

Govt. Of Bihar
DEPARTMENT OF INDUSTRIES

**Rules of Micro and Small Enterprises Facilitation Council (MSEFC) under the
Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006**

No.3009 /Dated the 25th Sept. 2007

In exercise of the powers conferred by section 30 read with sub-section (3) of section 21 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 (27 of 2006), the Government of Bihar hereby makes the following rules namely Micro and Small Enterprises Facilitation Council Rules, 2007(M.S.E.F.C) The Headquarter of the council will be at the Department of Industries, Vikas Bhawan, Patna. The Director of Industries will exercise the provisions of the Rules in whole of Bihar.

1. Name , Effect and extend:-

- (i) The rules will be called Micro and Small Enterprises Facilitation Council Rules, 2007.
- (ii) They shall come in to force with immediate effect.
- (ii) They shall extend to the whole of Bihar state.

2. Definition:- In these rules, unless the context otherwise requires:-

- (a) "Act" means the Micro, Small and Medium Enterprises Development 'Act 2006 (27 of 2006)
- (b) "Section "means a section of the Act.
- (c) "Arbitration" and Conciliation Act" means the Arbitration and Conciliation Act,1996(26 of 1996).
- (d) "Council" means the Micro and Small Enterprises Facilitation Council established by Bihar State under section 20 of the Act.
- (e) "Institute" means any institution or center providing alternate dispute resolution service referred to in sub-section (2) and (3) of section 18 of the Act.
- (f) "Chairperson" means the chairperson of the council appointed under clause (i) of sub-section (1) of section 21 of the Act.
- (g) "Member" means a member of the Council..
- (h) "Government" means the Govt. of Bihar.
- (i) The words and expressions used and not defined but defined in the Act shall have the meaning assigned to them in the Act.

3. **Constitution of Council**

Council would constitute of the following members:-

- 1. Director of Industries ,Bihar Chairman
- 2. Convener, State Level Bankers Committee(S.B.I.) Member

- (ii) The Council may appoint / or engage the services of one or more experts in terms of section 26 of the Arbitration and Conciliation Act 1996.
- (iii) The Council, or a party to the dispute with the approval of the Council may apply to the court under section 27 of the Arbitration and Conciliation Act. 1996 for assistance in taking evidence..
- (iv) The reference/ application of the aggrieved Micro or Small Enterprises supplier shall contain full particulars of the supplier and its stature, supplied goods or services, terms of payment, if any, agreed between the supplier and buyers, actual payment received with date, amount ,due and the interest duly calculated under section 16 of the Act supported by an affidavit with necessary court fee stamp affixed thereon. The chairperson of the Council may require any petitioner to provide further particulars of the claim or any relevant documents in support of the claim, as he may consider necessary for the purpose of the proceedings. If the petitioner fails or omits to do so within fifteen days of receipt of such communication or within such further time as the Chairperson may, for sufficient causes allow, the Council may terminate the proceedings without prejudice to the right of the petitioner to make fresh reference if he is otherwise entitled so to do. The petitioner shall also simultaneously send a copy of the reference to the buyer or buyers against whom the reference is directed.
- (v) The reference/application shall be acknowledged forthwith if it is delivered at the office of the Council, where the reference/application is received by registered post, its receipt shall be acknowledged. The Chairperson shall cause the buyer to furnish his detailed response to the reference within fifteen days of receipt of the reference by the buyer or within such further time not exceeding fifteen days as he may, for sufficient cause, allow.
- (vi) On receipt of the reference under section 18 of the Act, the Chairperson of the Council shall cause the reference and the buyer's response thereto to be examined and on being satisfied with the reference making a prima facie of delayed payment, causes the reference to be placed before the Council as its next immediate meeting for consideration. The Chairperson shall also ensure that each reference received within two weeks of the date of the last proceeding meeting of the Council is examined and, if found in order, is placed for consideration of the Council at its next immediate meeting.
- (vii) The Council shall either itself conduct conciliation in each reference placed before it or seek the assistance of any institute or centre providing alternate dispute resolution services by making a reference to such an institution or centre, for conducting conciliation." The provision of section 65 to 81 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 shall apply to such reference as if the conciliation was initiated under part III of that Act.
- (VIII) The Council or the institute to which it has been referred for conciliation shall require the supplier and the buyer concerned to appear before it by issuing notices to both parties in this behalf. On the appearance of both parties, the Council or the institute shall first make effort to bring about conciliation between the buyer and the supplier. The institute shall submit its report to the Council within fifteen days of reference from the Council or within such period as the Council may specify.

- ## 6. Meeting of the Council

7. Quorum

8. Jurisdiction

9. Chairman of the Council

10. Member Secretary

11. Fee for processing the application for setting the dispute

12. Power to amend the rules

215

ज्ञापांक:- 3304 /पटना, दिनांक 26.10.2007

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसका प्रकाशन बिहार गजट के आगामी अंक में करते हुए इसकी 500 प्रतियाँ विभागीय प्रयोजनार्थ शीघ्र भेजें।

ह./-

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार,पटना।

ज्ञापांक:- 3304 /पटना, दिनांक 26.10.2007

प्रतिलिपि:- समिति के सभी सदस्यों/सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/उद्योग विभाग के अधीनस्थ पदा./बिहार राज्य वित्तीय निगम/बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम/बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/वाणिज्यकर आयुक्त/विधि सचिव/प्रबंधक, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक/सभी महाप्रबंधक/निदेशक एम०एस०एम०इ० विकास संस्थान, पटना/संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति, पटना/बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन पटना/चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, पटना/रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार,पटना।

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

(सं. पटना 303) 13 वैशाख 1930 (श.)

पटना, शनिवार 3 मई 2008

विधि विधान विभाग

अधिसूचनाएँ

2 मई 2008

सं.एल.जी.-1-01/2008/लेज.-108-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक- 29 अप्रैल, 2008 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./-

(योगेन्द्र प्रसाद)

सरकार के सचिव।

(बिहार अधिनियम, 19, 2008)

बिहार राज्य सूक्ष्म लघु उद्यम पुनर्वास अधिनियम, 2008

प्रस्तावना:- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के पुनर्वास एवं उससे संबंधित या अनुषंगी विषयों के लिए प्रावधान करने तथा उन्हें विनियमित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम, 2008 संक्षिप्त नाम विस्तार और आरंभ-(1) यह अधिनियम बिहार राज्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पुनर्वास अधिनियम, 2008 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषायें:- इस अधिनियम में, जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) “सूक्ष्म एवं लघु उद्यम” का अर्थ वही होगा जो भारत गणराज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अध्याय-III की धारा-7(1) (ए)(1) एवं II 7(1)बी (1) एवं II में निर्दिष्ट हो।

(ख) “राज्य स्तरीय समिति” से अभिप्रेत है सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के पुनर्वास हेतु धारा-3 के अधीन गठित समिति।

(ग) “राज्य स्तरीय समिति” से अभिप्रेत है सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के पुनर्वास हेतु धारा-4 के अधीन गठित अपीलीय प्राधिकार।

(घ) “अध्यक्ष” से अभिप्रेत है राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष।

(ङ) “सदस्य” से अभिप्रेत है राज्य स्तरीय समिति का सदस्य, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल है।

- (च) “अधिसूचना” से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना।
- (छ) “विहित” से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा विहित।
- (ज) “रिजर्व बैंक” से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा-3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक।
- (झ) “बैंक” से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसूची-II में तत्समय सम्मिलित बैंक।
- (ञ) “रुग्ण उद्योग” से अभिप्रेत है औद्योगिक उद्यम (निबन्धित औद्योगिक इकाई हो/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकार को ज्ञापन दिया गया हो) जो राज्य स्तरीय समिति द्वारा घोषित हो एवं उद्योग निदेशक, बिहार द्वारा निबन्धित हो।
- (ट) “वित्तीय संस्थान” से अभिप्रेत है राज्य द्वारा स्थापित वित्तीय संस्थान।
- (ठ) “उद्योग संघ” से अभिप्रेत है “बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स”।

3. राज्यस्तरीय समिति का गठन:-

- (1) उस तिथि के प्रभाव से जिसे बिहार सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करें, उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में एक राज्यस्तरीय समिति गठित की जायेगी, जो इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन समिति को प्रदत्त या अधिरोपित अधिकारिता एवं शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगी।
- (2) समिति सदस्य में बैंकों, वित्तीय संस्थानों, भारतीय रिजर्व बैंक इंडस्ट्रीज एसोसियेशन, विशेषज्ञ एवं सरकार के प्रतिनिधि रहेंगे।
- (3) सदस्यों के नाम निर्देशन का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जायगा।
- (4) समिति की तिमाही बैठक नियमित रूप से होगी।

4. अपीलीय प्राधिकार:- बिहार सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी ऐसी तिथि के प्रभाव से जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाय, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के पुनर्वास हेतु एक अपीलीय प्राधिकार गठित कर सकेगी।

5. दिशानिर्देश का प्रावधान:-

- (1) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रुग्णता की पहचान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एस.आई.डी.बी.आई.) के दिशा-निर्देश के आलोक में किया जाएगा एवं समिति द्वारा उनके पुनर्वास हेतु समुचित पुनर्वास पैकेज अनुमोदित किया जाएगा।
- (2) पुनर्वासित होने वाला रुग्ण सूक्ष्म एवं लघु उद्यम का वार्षिक रुग्णता प्रमाण-पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बदले पुनर्वास पैकेज में रुग्ण इकाइयों की पुनर्वास अवधि विनिर्दिष्ट की जायेगी।
- (3) राज्य स्तरीय समिति द्वारा घोषित रुग्ण सूक्ष्म एवं लघु उद्यम आर.बी.आई. के अनुदेश के अनुसार बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से राहत एवं छूट लेने के पात्र होंगे। ये छूट एवं राहत एक निश्चित समय सीमा के भीतर देने पर विचार किया जाएगा।
- (4) समिति द्वारा अनुमोदित पुनर्वास पैकेज को मानने के लिए सभी संबंधित पर आबद्धकर होगा।

6. अपील -

- (1) इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी समिति के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति उस तिथि से तीस दिनों के भीतर जिस तिथि को विनिश्चय की प्रति उसे निर्गत की गयी हो, अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील प्राप्त होने पर, अपीलीय प्राधिकार अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद, यदि वह चाहे तो सभी पहलुओं पर विचार करते हुए समिति के विनिश्चय को संपुष्ट उपांतरित एवं उपास्त कर सकेगा।

7. **शास्ति** - जो कोई इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा समिति या अपीलीय प्राधिकार को देगा वह अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा जिसका विस्तार एक साल के लिए किया जा सकेगा तथा जुर्माना का भी दायी होगा।
8. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति** - अधिनियम के प्रावधानों या नियमों, विनियमों या इसके अधीन निर्मित योजनाओं या आदेशों के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसा प्रावधान कर सकेगा जो अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल न हो तथा कठिनाई को दूर करने हेतु आवश्यक अथवा समीचीन हो।
9. **विनियमन बनाने की शक्ति** - राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के समुचित अनुपालन हेतु राजपत्र अधिसूचना द्वारा, विनियमन बना सकेगी।
10. **नियम बनाने की शक्ति** - राज्य सरकार इस अधिनियम के सभी या किसी प्रयोजन के कार्यान्वयन हेतु, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

2 मई 2008

सं.-एल.जी.-1-01/2008/लेज.-109-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 2008 को अनुमत बिहार राज्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पुनर्वास अधिनियम, 2008 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाद समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./-

(योगेन्द्र प्रसाद)

सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषय:- लघु क्षेत्र के रुग्ण उद्योगों का पुनर्वास, उन्हें जीवनक्षम बनाने हेतु उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय समिति का गठन।

राज्य में लघु क्षेत्र उद्योगों की समस्या के प्रभावकारी निदान हेतु राज्य सरकार कृतसंकल्प है। पुनर्वास योग्य रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास हेतु बिहार औद्योगिक नीति, 2006 के अधीन अनुमान्य रियायतों, सुविधाओं एवं सहायता के अध्यक्षीन लघु क्षेत्र की ऐसी इकाइयों के पुनर्जीवन हेतु उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में निम्न रूप से एक समिति गठित करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है:-

- | | |
|--|------------|
| (i) उद्योग निदेशक, बिहार, पटना | अध्यक्ष |
| (ii) निदेशक, सांस्थिक वित्त विभाग, बिहार, पटना | सदस्य |
| (iii) बिहार राज्य विद्युत पर्षद के प्रतिनिधि | सदस्य |
| (iv) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम | सदस्य |
| (v) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वित्तीय निगम | सदस्य |
| (vi) प्रबंधक, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, पटना | सदस्य |
| (vii) राज्यस्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति, पटना के संयोजक | सदस्य |
| (viii) अध्यक्ष, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, पटना | सदस्य |
| (ix) अध्यक्ष, बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, पटना | सदस्य |
| (x) अध्यक्ष, सी.आई.आई., बिहार क्षेत्र, पटना | सदस्य |
| (xi) निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, पटना | सदस्य सचिव |
2. यह समिति रिजर्व बैंक/आई.डी.बी.आई. के दिशा-निर्देशों के अनुसार रुग्ण एवं लघु इकाइयों की पहचान करेगी एवं उनके पुनर्वास हेतु उपर्युक्त पुनर्वास पैकेज अनुमोदित करेगी।
3. यह समिति औद्योगिक नीति, 2006 की कंडिका 3.2 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया एवं बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगी एवं उनके अनुरूप कार्रवाई करेगी।
4. समिति की बैठक हेतु किसी भी व्यक्ति को कोई भी भत्ता देय नहीं होगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों और अधीनस्थ पदाधिकारियों को प्रेषित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./-

(एस. विजयराघवन)

औद्योगिक विकास आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 2113 /पटना, दिनांक 12/09/06

प्रतिलिपि- अधीक्षक सरकारी मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसका प्रकाशन बिहार गजट के आगामी अंक में करते हुए इसकी 1000 प्रतियाँ विभागीय प्रयोजनार्थ शीघ्र भेज दी जाय।

ह./-

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 2113 /पटना, दिनांक 12/09/06

प्रतिलिपि- समिति के सभी सदस्यों/सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/उद्योग विभाग के अधीनस्थ पदाधिकारी/अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत पर्षद/बिहार राज्य वित्तीय निगम/बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम/वाणिज्य कर आयुक्त, बिहार, पटना/प्रबंधक, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, पटना/निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, पटना/राज्य स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति, पटना/बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, पटना/रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पटना/भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, पटना/चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, पटना/सी.आई.आई. बिहार क्षेत्र, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(एस. विजयराघवन)

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषय:- राज्य के रुग्ण उद्योगों का पुनर्वास, उन्हें जीवनक्षम बनाने हेतु उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय समिति का गठन।

उद्योग विभाग के संकल्प संख्या 2113 दिनांक 12.09.2006 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नांकित व्यक्तियों को उक्त अधिसूचना द्वारा गठित समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाता है:-

1. भारतीय रिजर्व बैंक, बिहार, पटना के प्रतिनिधि,
 2. वाणिज्यकर विभाग के प्रतिनिधि,
- समिति की अन्य शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतियाँ सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों और अधीनस्थ पदाधिकारियों को प्रेषित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./-

(एस. विजयराघवन)

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 2915, पटना, दिनांक 7/12/06

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसका प्रकाशन बिहार गजट के आगामी अंक में करते हुए इसकी 500 प्रतियाँ विभागीय प्रयोजनार्थ भेज दी जाय।

ह./-

(एस. विजयराघवन)

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना

ज्ञापांक- 2915, पटना, दिनांक 7/12/06

प्रतिलिपि- समिति के सभी सदस्यों/सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/उद्योग विभाग के सभी अधीनस्थ पदाधिकारी/अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत पर्षद/बिहार राज्य वित्तीय निगम/बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम/वाणिज्य कर आयुक्त, बिहार, पटना/प्रबंधक, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, पटना/निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, पटना/राज्य स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति, पटना/बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, पटना/रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पटना/भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, पटना/बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, पटना/सी.आई. आई. बिहार क्षेत्र, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(एस. विजयराघवन)

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषय:- वृहद एवं मध्यम प्रक्षेत्र के रुग्ण एवं बंद इकाइयों के पुनर्वास हेतु उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति का गठन।

राज्य के रुग्ण एवं बंद इकाइयों को पुनर्जीवित करना आवश्यक है। इसके पुनर्जीवन के लिए बी.आई.एफ.आर. द्वारा निर्बंधित या गैर बी.आई.एफ.आर. के बंद एवं रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य स्तरीय समिति के अनुशंसा पर निर्णय लेने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति निम्न प्रकार से गठित किया जाता है-

- | | |
|--|---------|
| 1. मुख्य सचिव | अध्यक्ष |
| 2. विकास आयुक्त | सदस्य |
| 3. वित्त आयुक्त | सदस्य |
| 4. आयुक्त एवं सचिव/सचिव ऊर्जा विभाग | सदस्य |
| 5. आयुक्त एवं सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग | सदस्य |
| 6. अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड | सदस्य |
| 7. खान आयुक्त | सदस्य |
| 8. सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | सदस्य |
| 9. सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | सदस्य |
| 10. वाणिज्य-कर आयुक्त | सदस्य |
| 11. औद्योगिक विकास आयुक्त | संयोजक |
2. यह समिति अन्य विभागों एवं राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों के सचिवों/अध्यक्षों/प्रबंध निदेशकों को आवश्यकतानुसार विमर्श हेतु आमंत्रित कर सकेगी।
3. यह समिति वृहद एवं मध्यम प्रक्षेत्र के रुग्ण एवं बंद इकाइयों के पुनर्वास पैकेज पर निर्णय लेगी।
4. इस समिति के निर्णयों को राज्य सरकार के संबंधित विभाग/प्रतिष्ठान पूर्णरूप से निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
5. समिति के बैठकों में लिए गये निर्णयों एवं अनुशंसाओं पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर तथा मंत्रिपरिषद् की सहमति जहां आवश्यक हो, प्राप्त कर उनका कार्यान्वयन किया जायेगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र की अगले अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाए।

ह./-

(एस. विजयराघवन)

औद्योगिक विकास आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 3039/औ.वि.आ./पटना/दिनांक 23/08/06

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसका प्रकाशन बिहार गजट के आगामी अंक में करते हुए इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ विभागीय प्रयोजनार्थ शीघ्र भेजें।

ह./-

(एस. विजयराघवन)

औद्योगिक विकास आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 3039/औ.वि.आ./पटना/दिनांक 23/08/06

प्रतिलिपि- उपरोक्त क्रमांक 1 से 11 तक पदाधिकारियों/सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/क्षेत्रीय विकास आयुक्त, आद्रे हाउस, रांची/उद्योग विभाग के सभी निगमों/प्राधिकारों/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/अपर औद्योगिक विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय उद्योग निदेशालय/उद्योग निदेशालय/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/उद्योग निदेशक, बिहार/निदेशक, तकनीकी विकास बिहार/निदेशक (ह.रे.), बिहार/निदेशक लघु उद्योग सेवा संस्थान, पटना/प्रबंधक, आई.डी.बी.आई., मौर्या कॉम्पलेक्स, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, 5 कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(एस. विजयराघवन)

औद्योगिक विकास आयुक्त
बिहार, पटना।

संकल्प

वृहद एवं मध्यम औद्योगिक प्रक्षेत्र के रुग्ण एवं बंद उद्योगों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार के औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के अधीन उद्योग सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है, जो वृहद एवं मध्यम प्रक्षेत्र में पुनर्जीवन की संभावना रखने वाले रुग्ण औद्योगिक इकाइयों एवं लोक उपक्रमों के लिए उपयुक्त उपाय करेगी। समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

- | | | | |
|----|---|---|---------|
| 1. | सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना | — | अध्यक्ष |
| 2. | वित्त आयुक्त या उनके प्रतिनिधि | — | सदस्य |
| 3. | वाणिज्य-कर आयुक्त, बिहार, पटना | — | सदस्य |
| 4. | सचिव, सांस्थिक वित्त, बिहार, पटना | — | सदस्य |
| 5. | अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत पर्षद, पटना | — | सदस्य |
| 6. | प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम | — | सदस्य |
| 7. | राज्य स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति, पटना के संयोजक | — | सदस्य |
| 8. | महाप्रबंधक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, पटना | — | सदस्य |
| 9. | निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना | — | सदस्य |
2. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 की कंडिका 3.3 में वर्णित प्रक्रिया एवं बिन्दुओं तथा नीतियों का अनुपालन यह समिति सुनिश्चित करेगी।
3. यह समिति इकाइयों के पुनर्जीवन हेतु यथावश्यक रियायतों एवं सुविधाओं की अनुशंसा करेगी जिस पर राज्य सरकार का अंतिम निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पहले से ही गठित राज्य स्तरीय उच्च प्राधिकृत समिति के माध्यम से रखा जायेगा।
4. समिति की बैठक हेतु किसी भी व्यक्ति को कोई भी भत्ता देय नहीं होगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों और अधीनस्थ पदाधिकारियों को प्रेषित किया जाए।

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 3040/औ.वि.आ./पटना/दिनांक 23/08/06

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसका प्रकाशन बिहार गजट के आगामी अंक में करते हुए इसकी 1000 (एक हजार) प्रतियाँ विभागीय प्रयोजनार्थ शीघ्र भेजें।

ह./-

(एस. विजयराघवन)

औद्योगिक विकास आयुक्त

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 3040/औ.वि.आ./पटना/दिनांक 23/08/06

प्रतिलिपि- उपरोक्त समिति के सभी सदस्यों, सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/उद्योग विभाग के पदाधिकारी/अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत पर्षद/बिहार राज्य वित्तीय निगम, पटना/बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम/वाणिज्य कर आयुक्त, बिहार, पटना/प्रबंधक, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, पटना/निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, पटना/राज्य स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति, पटना/बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, पटना/रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पटना/भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, पटना/बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, पटना/सी.आई.आई. बिहार क्षेत्र, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(एस. विजयराघवन)

औद्योगिक विकास आयुक्त

बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

संकल्प संख्या-2609 पटना, दिनांक : 11/XI/06

विषय:- पुरानी औद्योगिक इकाइयों को उनके विस्तार अथवा विशाखन (Expansion and Diversification Programme) कार्यक्रम पर प्रोत्साहन।

औद्योगिक प्रगति को तीव्र करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्य में स्थापित की जाने वाली नयी औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न प्रोत्साहन देने की घोषणा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 में की गयी है। ऐसे प्रोत्साहन वृहत एवं मध्यम उद्योगों, लघु उद्योगों, रुग्ण एवं बंद उद्योगों को दिए जाने का प्रावधान है जिसका विस्तृत विवरणी सरकारी संकल्प संख्या 1162 दिनांक 15/7/2006 में दिया गया है।

2. पुरानी औद्योगिक इकाइयों को भी उनके विस्तार अथवा विशाखन (Expansion and Diversification Programme) कार्यक्रम पर नई इकाइयों की तरह ही उनके कोटि क्रम अनुसार सभी सुविधाएँ जो उपर्युक्त प्रोत्साहन संकल्प में अनुमान्य है उपलब्ध कराने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। जिनकी शर्तें निम्नांकित होंगी:-

- (i) इकाई को अपने विस्तार अथवा विशाखन योजना (Expansion and Diversification Programme) को उद्योग विभाग के अन्तर्गत पहले ही स्वीकृत एवं पंजीकृत करानी होगी जिसके लिए उद्योग निदेशक सक्षम पदाधिकारी होंगे।
- (ii) किसी विद्यमान औद्योगिक इकाई के लिए विस्तार/आधुनिकीकरण/विशाखन से अभिप्राय है उक्त विद्यमान इकाई में अचल पूंजी निवेश के अनवमूल्यित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिक राशि का संयंत्र एवं मशीनरी में अतिरिक्त पूंजी निवेश, जिसके फलस्वरूप आरंभिक अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता में इंक्रीमेंटल (Incremental) उत्पादन क्षमता 50 प्रतिशत से कम नहीं हो।
- (iii) विस्तार का अर्थ होगा उन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि जिनका उत्पादन कोई इकाई पहले से कर रही हो और उसके लिए इकाई उद्योग विभाग से निर्बंधित हो और क्षमता निर्धारित हो।
- (iv) विशाखन का अर्थ होगा पुरानी इकाई द्वारा उन नयी वस्तुओं का उत्पादन जिनका निबंधन नया कराया गया हो और उसके उत्पादन के लिए विशेष अचल पूंजी लगायी हो।
- (v) विस्तार अथवा विशाखन के फलस्वरूप होने वाले अतिरिक्त उत्पादन/खपत तक ही प्रोत्साहन सीमित रहेगा जो उत्पादन की तिथि से पांच वर्षों तक या औद्योगिक नीति 2006 की समाप्ति तक देय होगा।
- (vi) उद्योग विभाग को प्रोत्साहन प्राप्त करने योग्य उद्योगों की कोटि निर्धारण करने का अधिकार रहेगा। राज्य में किसी कोटि विशेष के उद्योगों के विकास के लिए विशेष प्रोत्साहन की आवश्यकता है इसका निर्णय उद्योग विभाग करेगा।
- (vii) जो इकाइयाँ प्रोत्साहन का दुरुपयोग करेगी अथवा करने की चेष्टा करेगी, उसको सभी अथवा आंशिक प्रोत्साहनों से वंचित करने का अधिकार उद्योग विभाग को रहेगा।

ज्ञापांक- 2915 पटना, दिनांक : 7/12/06

प्रतिलिपि- समिति के सभी सदस्यों/सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/उद्योग विभाग के सभी अधीनस्थ पदाधिकारी/अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत पर्षद/बिहार राज्य वित्तीय निगम/बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम/वाणिज्य कर आयुक्त, बिहार, पटना/प्रबंधक, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, पटना/निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, पटना/राज्य स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति, पटना/बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, पटना/रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पटना/भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, पटना/बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, पटना/सी.आई.आई. बिहार क्षेत्र, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(एस. विजयराघवन)

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

- (iv) कंडिका 2 (ii) में अंकित हद तक संस्थान के लिये खरीद की गयी/लीज पर ली गयी/अंतरित भूमि पर दस्तावेज के निबंधन हेतु देय स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क में प्रभावी दर पर 50 प्रतिशत छूट दी जायेगी।
- (v) संस्थान को सरकार द्वारा सड़क, बिजली एवं पानी की सुविधा स्थल के ठीक चौहद्दी (boundary) के अंदर एक बिन्दु तक (at one single point) उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त बिन्दु से तकनीकी संस्थान तक, संस्थान को स्वयं अपने खर्च पर सड़क, बिजली एवं पानी की व्यवस्था करनी होगी।
- (vi) चयनित संस्था के प्रमुख तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत प्रतिनिधि के बीच MOU हस्ताक्षरित होगा जिसमें अन्य शर्तों के अतिरिक्त यह शर्त भी अंकित रहेगी कि 'यदि जमीन अधिग्रहण के 6 माह की अवधि के अन्तर्गत संबंधित जमीन पर निर्माण कार्य संबंधित व्यक्ति/संस्थान द्वारा प्रारंभ नहीं किया जाता है, दो वर्ष के अन्तर्गत अखिल भारतीय तकनीकी परिषद (AICTE/MCI/DCI/AIMA/BCI/NCTE), आदि (जैसा उपयुक्त हो) तथा संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता (affiliation) से स्वीकृति प्राप्त कर पठन-पाठन कार्य नहीं प्रारंभ किया जाता है तो संबंधित जमीन और उस पर स्थित सभी आधारभूत संरचनाएं राज्य सरकार में निहित हो जायेगी और इसके लिये निजी व्यक्ति/संस्थान को कोई मुआवजा देय नहीं होगा।'
- (vii) शिक्षण संस्थानों के उपर्युक्त प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु भूमि के लिये भूमि सम्पत्तिवर्तन की अनुमति दी जायेगी। इस हेतु आवेदक सक्षम राजस्व पदाधिकारी को सम्पत्तिवर्तन हेतु आवेदन देंगे। आवेदन की तिथि से 60 दिन के बाद अगर सक्षम पदाधिकारी द्वारा उक्त आशय का कोई प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि भूमि सम्पत्तिवर्तन में कोई आपत्ति नहीं है।
- (viii) किसी औद्योगिक परियोजना को ससमय प्रारंभ करने हेतु राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा एल.टी. कनेक्शन के लिये 30 दिनों की अवधि तथा एच.टी. औद्योगिक कनेक्शन के लिये 45 दिनों के अंदर कनेक्शन देने की प्रक्रिया का निबटारा किया जायेगा।
- (ix) ऐसे शिक्षण संस्थानों को गैर व्यवसायिक घोषित करते हुए इनसे गैर व्यवसायिक दर पर विद्युत शुल्क, भू-लगान, होल्डिंग कर तथा शिक्षण संस्थान के नाम से निर्बंधित वाहन पर गैर व्यवसायिक निबंधन शुल्क एवं पथकर की सुविधा, पठन-पाठन प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष सहित उस वर्ष से 5 वर्षों तक देय होगी।
- (x) संस्थान द्वारा तैयार किये गये परियोजना प्रतिवेदन पर हुए व्यय की 50 प्रतिशत राशि जिसकी अधिकतम सीमा 75,000/- रु. होगी, कि प्रतिपूर्ति की जायेगी, बशर्ते कि परियोजना प्रतिवेदन किसी मान्यता प्राप्त परामर्शी द्वारा तैयार किया गया हो। प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान कंडिका 2 (VII) के अनुरूप संस्थान द्वारा पठन-पाठन प्रारंभ होने के उपरांत देय होगा।
- (xi) राज्य सरकार को अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा किसी भी समय ऐसे संस्थानों का निरीक्षण और उनके प्रबंधन समिति में अपना प्रतिनिधि मनोनीत करने का अधिकार होगा।
- (xii) इस प्रोत्साहन नीति के कार्यान्वयन के लिये सिंगल विन्डो सिस्टम की सुविधा उपलब्ध होगी। चयन समिति एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति होगी जिसमें राज्य सरकार के सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, भूमि सुधार आयुक्त, वित्त आयुक्त, औद्योगिक विकास आयुक्त एवं सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग सदस्य होंगे। सचिव, उच्च शिक्षा विभाग समिति के सदस्य सचिव होंगे और उच्च शिक्षा विभाग इसका नोडल विभाग होगा। समिति को किसी विभाग को या अन्य संस्थान के प्रतिनिधि को बैठक में आमंत्रित करने का अधिकार होगा। यह समिति इस नीति के अन्तर्गत

सुविधाएं देने हेतु सिंगल विन्डो का काम करेगी। इस प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत सभी आवेदन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के यहां प्राप्त करायी जायेगी जो आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर इस समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे। समिति अधिकाधिक दो माह के अंदर किसी भी प्राप्त आवेदन पर विचार कर निर्णय लेगी।

3. उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित लाभ इस नीति के घोषणा के पूर्व से कार्यरत/संचालित संस्थानों को देयपरांत इस नीति को यथावश्यक संशोधन सहित लागू करने पर विचार किया जायेगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाए और इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाए।

राज्यपाल के आदेश से,

ह./-

(एस. विजयराघवन)

औद्योगिक विकास आयुक्त,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 129 /पटना/दिनांक 16/01/06

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पांच सौ) प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

ह./-

औद्योगिक विकास आयुक्त,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 129 /पटना/दिनांक 16/01/2006

प्रतिलिपि- संबंधित सभी पदाधिकारियों/सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/उद्योग विभाग के सभी निगम/प्राधिकार/राज्यमंत्री, उद्योग के आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

औद्योगिक विकास आयुक्त

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 129 /पटना/दिनांक 16/01/2006

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव के सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त के सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह./-

औद्योगिक विकास आयुक्त

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 129 /पटना/दिनांक 16/01/2006

प्रतिलिपि- अध्यक्ष, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन/अध्यक्ष, बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स/अध्यक्ष सी.आई.आई., पटना प्रक्षेत्र/अध्यक्ष, TIE को सूचनार्थ प्रेषित।

ह./-

औद्योगिक विकास आयुक्त

बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

नए पूंजी निवेश संबंधित विभिन्न प्रस्ताव विभाग में प्राप्त हो रहे हैं। इन प्रस्तावों का सही ढंग से प्रोसेसिंग एवं आवश्यक कार्रवाई किये जाने हेतु निम्नांकित गाइडलाइन्स है:-

1. राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निवेश प्रोत्साहन एवं निवेश संबंधी प्रस्तावों पर विचार करने हेतु राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का गठन किया गया है, (एस.आई.पी.बी.) राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर लघु उद्योग के लिए इस प्रकार की व्यवस्था होने पर लघु उद्योगों के प्रस्ताव को उस समिति के समक्ष रखा जायेगा।
2. बाह्य एवं आंतरिक निवेशकों द्वारा प्रस्ताव निर्धारित प्रस्ताव में औद्योगिक विकास आयुक्त को समर्पित किया जायेगा। (प्रपत्र संलग्न)
3. निवेशकों द्वारा दिए गए प्रस्तावों में राज्य सरकार के विभिन्न विभाग में सम्मिलित होते हैं। अतः उद्योग विभाग द्वारा इन प्रस्तावों को संबंधित विभाग को मंतव्य हेतु भेजा जाना है। संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित समय सीमा (यथाशीघ्र) के अंदर उन प्रस्तावों पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए मंतव्य के साथ उद्योग विभाग को भेजना है।
4. उद्योग विभाग द्वारा इन प्रस्तावों को (एस.आई.पी.बी.) पर्षद के बैठक में रखा जाना है। अगर आवश्यक हो, तो प्रस्ताव से संबंधित कम्पनी को भी बैठक में प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करने का प्रावधान है।
5. एस.आई.पी.बी. (राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद) में प्रस्तुत प्रस्तावों में संबंधित सभी निर्णायक पदाधिकारी (आयुक्त एवं सचिव) को भी आमंत्रित किया जायेगा जिससे निवेश बोर्ड को निर्णय लेने में सुविधा हो।
6. एस.आई.पी.बी. तथा जिलास्तरीय समिति की बैठक में हुए निर्णय के आलोक में उद्योग विभाग द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जानी है।
7. उपर्युक्त अनुवर्ती कार्रवाई के तहत भूमि/शेड/विद्युत आदि जैसी सुविधाओं को शीघ्र मुहैया करवाने हेतु उद्योग विभाग द्वारा संबंधित विभागों को पत्र भेजा जाता है। इस अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में जानकारी संबंधित कम्पनी को भी दी जानी है।
8. निवेशकों द्वारा प्रक्षेत्र के इकाइयों की स्थापना के लिए संबंधित जिला उद्योग केन्द्र से पंजीकरण प्राप्त करना होगा। वृहत/मध्यम प्रक्षेत्र के लिए भारत सरकार से उद्यमी ज्ञापन प्राप्त करना होगा।
9. क्लियरेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.) प्राप्त करने हेतु निम्नांकित दिशा-निर्देश के अनुरूप होगा:-

(क)	दवाईयों तथा सौन्दर्य प्रसाधनों का उत्पादन	राज्य ड्रग कंट्रोलर प्रशासन।
(ख)	फल, सब्जी पर आधारित उत्पादों का उत्पादन, फल एवं सब्जी उत्पाद आदेश के अन्तर्गत लाइसेंस।	खाद्य प्रसंस्करण, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।
(ग)	पानी का प्रयोग करने वाले उद्योग तथा निस्सारी निपटारा गैस वेस्ट आदि वाले उद्योग	1. जिला स्वास्थ्य अधिकारी 2. राज्य सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक।
(घ)	ऐसे कारखाने जिसमें पावर का प्रयोग किया जाता है तथा 10 श्रमिक हैं या ऐसे कारखाना जिसमें पावर का प्रयोग नहीं होता है परन्तु 20 या उससे अधिक श्रमिक हैं कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत अनुमोदन।	मुख्य कारखाना निरीक्षक से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(ड)	पावर कनेक्शन	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
(च)	औद्योगिक क्षेत्रों/प्रांगणों में अनुमोदित विकसित प्लांटों के अलावे अन्य स्थानों पर कार्यरत कारखानों के लिए	आयुक्त, निगम या नगरपालिका या पंचायत यूनियन से अनापत्ति पत्र
(छ)	प्रदूषण नियंत्रण	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(ज)	राज्य वैट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण	वाणिज्य-कर विभाग
(झ)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक या कलक्टर।
(ट)	आयकर की अदायगी	सहायक आयकर आयुक्त।
(ठ)	पार्टनरशिप डीड का पंजीकरण	क्षेत्र के पंजीकरण के महानिरीक्षक।
(ड)	पंजीकृत कम्पनी हेतु कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण	महानिरीक्षक, कम्पनी अधिनियम।

संबंधित प्राधिकारों द्वारा अनापत्ति/स्वीकृति विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के अंदर निर्णय संसूचित की जायेगी।

औद्योगिक नीति के अनुसार देय प्रोत्साहन/अनुदान हेतु आवेदन उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग को समर्पित करेंगे।

दिनांक- 16.01.2006 को निर्गत उद्योग विभाग के संकल्प में पर्षद की कार्य प्रणाली स्पष्ट की गयी है जिसके अनुसार पर्षद द्वारा निम्नांकित प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

- पर्षद अपनी बैठकों में निवेश के प्राप्त प्रस्तावों पर या/और, विषयों का संबंधित विभाग के सचिव को आमंत्रित कर उनका विचार प्राप्त कर ही निर्णय लेगी।
- पर्षद को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी मामले में किसी भी व्यक्ति या संस्थान के प्रतिनिधि को अपनी बैठक में आमंत्रित करे और उनका विचार प्राप्त कर सके।
- प्राप्त निवेश के प्रस्तावों पर पर्षद यथासंभव एक माह के अंदर अपनी अनुशंसा मुख्यमंत्री/मंत्रिमंडल (जो भी सक्षम स्तर हो) को प्रस्तुत करेगी।
- पर्षद की बैठक में भाग लेने हेतु किसी भी सदस्य या आमंत्रित को कोई भत्ता या अन्य सुविधा देय नहीं होगी।
- उद्योग विभाग पर्षद के सचिवालय का कार्य करेगा और निवेशकों से प्राप्त आवेदन वहाँ पंजीकृत होंगे ताकि उन्हें first come first serve के आधार पर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

उपर्युक्त संबंधित विषयों पर तीव्रतापूर्वक कार्यान्वयन के उद्देश्य से विभाग द्वारा सिंगल विण्डो क्लियरेन्स अधिनियम, 2006 बनाने की प्रक्रिया की जा रही है। इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् यह कार्य सुचारू रूप से तीव्र गति से सम्पादन किया जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./-

उप सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक- 1262 /पटना/दिनांक 07/04/06

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पांच सौ) प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

ह./-

उप सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1262/पटना/दिनांक 07/04/06

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

उप सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1262/पटना/दिनांक 07/04/06

प्रतिलिपि- सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/उद्योग विभाग के सभी पदाधिकारी/निगम/प्राधिकार/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/राज्य मंत्री उद्योग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

उप सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1262 /पटना/दिनांक 07/04/06

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव के सचिव/विकास आयुक्त के सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह./-

उप सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्र संख्या-128/पटना, दिनांक : 11/01/06

संकल्प

विषय:- राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु निवेश प्रोत्साहन एवं निवेश संबंधी प्रस्तावों पर विचार करने हेतु 'राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद' का गठन।

राज्य में औद्योगिक प्रक्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु तथा निवेशकों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर अनुकूल निर्णय लेने हेतु एक उच्च स्तरीय राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के गठन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। गत 7-9 जनवरी, 2005 को भारत सरकार के प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय एवं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस, 2005 में राज्य सरकार द्वारा भाग लिये जाने के बाद यह सर्वसम्मत अभिमत गठित हुआ है कि राज्य में विदेशी, प्रवासी भारतीय तथा देश के आंतरिक निवेशकों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है ताकि राज्य में उद्योग, आधारभूत संरचना एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिले।

2. राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के कार्य एवं दायित्व निम्न प्रकार होंगे:-

(क) राज्य में वाह्य (विदेशी प्रवासी भारतीय एवं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत आंतरिक स्रोतों से निवेश) एवं आंतरिक (देश के अंदर) स्रोतों से पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने और इस हेतु यथावश्यक कार्रवाई करना।

(ख) वाह्य एवं आंतरिक निवेशकों से प्राप्त नये प्रस्तावों के वर्तमान प्रभावी छूट/नीतिगत रियायतों के अन्तर्गत हो या उनसे भिन्न हो, पर विचार कर उन पर पूरी परियोजना के मद्देनजर परिपूर्ण दृष्टि अपनाते हुए (holistic view) अनुशंसा करना जिसके तहत सभी छूट/नीतिगत रियायत समाहित हो, ताकि Single Window Clearance दिया जा सके।

(ग) राज्य निवेश पर्षद द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति/लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन की सामयिक समीक्षा।

(घ) अन्य कोई विषय जो उपर्युक्त कार्यों एवं दायित्वों के निर्वाह हेतु आवश्यक हों।

2.2 वैसी परियोजनाएं जिनकी कुल लागत (हिस्सा पूंजी एवं ऋण सहित) 100 करोड़ रु. तक हो की स्वीकृति मुख्यमंत्री/महामहिम राज्यपाल (राष्ट्रपति शासन की अवधि में) के स्तर पर प्रदान की जाएगी और इससे अधिक लागत की परियोजनाएं मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरांत मंत्रिपरिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी। पर्षद की अनुशंसाएं मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री/मंत्रिपरिषद को प्रस्तुत करेगी।

2.3 राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का गठन निम्न प्रकार करने का निर्णय लिया गया है:-

(i)	विकास आयुक्त	अध्यक्ष
(ii)	वित्त आयुक्त	सदस्य
(iii)	अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत पर्षद	सदस्य
(iv)	आयुक्त एवं सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	सदस्य
(v)	सचिव, वाणिज्य-कर विभाग	सदस्य
(vi)	संबंधित प्रशासी विभाग के आयुक्त एवं सचिव/सचिव	सदस्य
(vii)	अध्यक्ष, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन	सदस्य
(viii)	औद्योगिक विकास आयुक्त	सदस्य

2.4 पर्षद की कार्य प्रणाली निम्नवत होगी:-

(i) पर्षद अपनी बैठकों में निवेश के प्राप्त प्रस्तावों पर या/और, विषयों का संबंधित विभाग के सचिव को आमंत्रित कर उनका विचार प्राप्त कर ही निर्णय लेगी।

- (ii) पर्षद को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी मामले में किसी भी व्यक्ति या संस्थान के प्रतिनिधि को अपनी बैठक में आमंत्रित करें और उनका विचार प्राप्त कर सकें।
 - (iii) प्राप्त निवेश के प्रस्तावों पर पर्षद यथासंभव एक माह के अंदर अपनी अनुशंसा मुख्यमंत्री/मंत्रिमंडल (जो भी सक्षम स्तर हो) को प्रस्तुत करेगी।
 - (iv) पर्षद की बैठक में भाग लेने हेतु किसी भी सदस्य या आमंत्रित को कोई यात्रा भत्ता या अन्य सुविधा देय नहीं होगी।
 - (v) उद्योग विभाग पर्षद के सचिवालय का कार्य करेगा और निवेशकों से प्राप्त आवेदन वहां पंजीकृत होंगे ताकि उन्हें first come first serve के आधार पर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।
- आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाए और इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाए।

राज्यपाल के आदेश से,

ह./-

(एस. विजयराघवन)

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 128/पटना/दिनांक 16/01/06

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, पटना को बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पांच सौ) प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

ह./-

औद्योगिक विकास आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 128 /पटना/दिनांक 16/01/06

प्रतिलिपि- संबंधित सभी पदाधिकारियों/सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/उद्योग विभाग के सभी निगम/प्राधिकार/राज्यमंत्री, उद्योग के आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

औद्योगिक विकास आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 128 /पटना/दिनांक 16/01/06

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव के सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त के सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह./-

औद्योगिक विकास आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 128/पटना/दिनांक 16/01/06

प्रतिलिपि- अध्यक्ष, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन/अध्यक्ष, बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स/अध्यक्ष सी.आई.आई., पटना प्रक्षेत्र/अध्यक्ष, TIE को सूचनार्थ प्रेषित।

ह./-

औद्योगिक विकास आयुक्त
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

आदेश

बिहार सिंगल विण्डो क्लियरेन्स अधिनियम-2006 की धारा-25 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों के संबंध में निम्नांकित रूप में प्रक्रिया एवं शर्तों के निर्धारण हेतु दिशा निर्देश जारी किया जाता है।

(i) राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) के समक्ष रखे जाने वाले सभी प्रस्ताव निर्धारित आवेदन प्रपत्र में होना चाहिए। प्रस्तावकर्ता की वित्तीय क्षमता के आकलन हेतु आवेदन के साथ कंपनी का विगत तीन वित्तीय वर्षों का टर्न ओवर, बैंक लेखा की प्रति, कंपनी निबंधन प्रमाण-पत्र तथा आर्टिकल्स एवं मेमोरैण्डम ऑफ एसोसिएशन की प्रति भी संलग्न की जानी चाहिए। इसके साथ आवेदन शुल्क रु. 1000/- (एक हजार रु.) का बैंक ड्राफ्ट के रूप में उद्योग विभाग, बिहार सरकार के पक्ष में जमा करना होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./-

(एस. विजयराघवन)

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 707 पटना, दिनांक 15/5/06

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पांच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

ह./-

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 707 पटना, दिनांक 15/5/06

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 707 पटना, दिनांक 15/5/06

प्रतिलिपि- सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/उद्योग विभाग के सभी पदाधिकारी/निगम/प्राधिकार/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/राज्य मंत्री उद्योग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 707 पटना, दिनांक 15/5/06

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव के सचिव, बिहार/विकास आयुक्त के सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह./-

औद्योगिक विकास आयुक्त,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-4/एस.यू.-2-5002/03-उ.-4068

**I. Name and Address for Correspondence of the Promoter / Industrial Undertaking in Full
(BLOCK LETTERS)**

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]Pin Code :

--	--	--	--	--	--

Telephone :

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Telex :

--	--	--	--	--	--	--	--

Fax :

--	--	--	--	--	--	--	--

Cable :

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Registration No. (if registered)

--	--	--	--	--	--	--	--	--

(1) Status of the Promoter / Industrial Undertaking (Please tick the appropriate box)

☐ Central Government Undertaking☐ Private Sector Undertaking☐ State Government Undertaking

☐ Individual Promoter

☐ State Industrial Development Corporation

☐ Assisted Sector Undertaking

☐ Joint Sector Undertaking

☐ Co-operative Undertaking

(2) Indicate whether this proposal is for (Please tick the appropriate box)

☐ Establishment of a New Undertaking

☐ Infrastructure

□ Effecting Substantial Expansion

☐ Hospital

□ Manufacture of New Articles

Institution

IV Location

(1) Location of the proposed undertaking

Place / Town	:	
Tehsil / Taluka	:	
District	:	
State	:	
Pin Code	:	

(2) Please indicate whether the proposes location is

(a) Within 25 Km from the periphery of a city having population above one million according to 1991 census

Yes ☐ No ☐

(b) Located in an Industrial Area / Industrial Estate designate up prior to 25.07.1991

Yes ☐ No ☐

(c) Whether proposed Land is Govt. or Private Govt. ☐ Private ☐

V. Item (s) of Manufacture : In case of more than one item supplementary sheets may be used.

(1) Item of Manufacture

(a) National Industrial Classification of all Economic Activity (NIC) 1987

NIC No.

(b) Item Description

(c) Proposed Annual Capacity

(d) Existing Capacity

(e) Total Capacity after Expansion

(f) Unit of Capacity

(2) Description of Activities to be Undertaken (if, no manufacturing envisaged)

(3) By-Products / Co-Products

NIC No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Item Description

Proposed Annual Capacity

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Existing Capacity (if applicable)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total Capacity after expansion

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unit of Capacity

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NIC No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Item Discription

Proposed annual capacity

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Existing capacity (if applicable)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total Capacity after expansion

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unit of Capacity

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NIC No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Item Discription

Proposed annual capacity

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Existing capacity (if applicable)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total Capacity after expansion

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unit of Capacity

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(4) Raw Material (Including Components, Intermediates and Packing Materials) per annum

ITEM (S)	QUANTITY	UNIT	VALUE

VI. Whether the Item (s) of Manufacture / By-Product / Co-Product is covered in Schedule-I (Reserved for Public Sector, Schedule II (Under compulsory Licensing) or Schedule III (Reserved for manufacture in Small Scale Sector) of Notification No. 477 (E) dated-25.07.1991 / as ammended from time to time.

Schedule-I

Yes ☐

No ☐

Schedule-II

Yes ☐

No ☐

Schedule-III

Yes ☐

No ☐

VII. Investment

	Existing (Amount in Rupees)	Proposed (Amount in Rupees)
(a) Land for rented premises capitalised value of the same to be indicated		
(b) Building		
(c) Plant & Machinery		
(i) Indigenous		
(ii) Imported		
(a) CIF Value		
(b) Landed Cost		
(iii) Total (i) + (ii) (b)		

VIII. Financial Pattern

	Existing (Amount in Rupees)	Proposed (Amount in Rupees)
Total Equity		
(i) Resident Indian		
(ii) Non Resident Indian		
(iii) Foreign		
Total Borrowing		
(i) Public Financial Institution-		
(ii) Public Borrowing-		
(iii) Other Sources		

Promoters Contribution

- (1) Whether Foreign Technology Agreement is Envisaged
(Please tick appropriate box)

Yes ☐No. ☐

- (2) Whether Foreign Investment is Envisaged (Please tick appropriate box)

Yes ☐No. ☐**IX Employment**

(All figures in number)

	Existing	Proposed
(a) Supervisory		
(b) Non-Supervisory		
(c) Total-		

X Expected date of Commencement of Commercial Production

Date	Month	Year

XI Required Attachments

- Last Three Years Balance Sheet of Company or Institution or person.
- Details Income Tax paid during three years.
- Clearance required for establishment of Project.
- Details of viability of projects (Appraisal Report of Financial Institution/Bank may be enclosed.
- Please enclose Bank Draft of Rs. 1000/- (One thousand) in favour of Department of Industries, Govt. of Bihar, Patna.

Declaration

I / We hereby further declare that the above statements are true correct to the best of my / our knowledge and belief

Signature of Promoter (s)

(Name in BLOCK Letters)

(Designation of the Promoter)

Place.....

Date

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
अधिसूचना

पत्रक-1452 पटना, दिनांक : 27/04/2006

विषय : बिहार सिंगल विण्डो क्लियरेन्स अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत धारा 3 के अनुरूप कार्यान्वयन हेतु जिला समितियों का गठन।

राज्य के सर्वांगीण विकास एवं औद्योगिक विकास के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि इनके क्लियरेन्स की प्रक्रिया द्रुत गति से की जाय ताकि संबंधित परियोजनाओं में वाणिज्यिक उत्पादन/विकास परियोजनाएँ शीघ्र प्रारंभ हो सके। इस उद्देश्य से बिहार सिंगल विण्डो क्लियरेन्स अधिनियम, 2006 के तहत धारा 3 में निहित प्रावधानों के अनुरूप बिहार राज्य के प्रत्येक जिला के लिए एक जिला सिंगल विण्डो क्लियरेन्स समिति का गठन अगले आदेश तक के लिए किया जाता है। जिला स्तरीय समिति का संरचना निम्न प्रकार होगा-

- | | | |
|-------|---------------------------------------|--------------|
| (i) | संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी | - अध्यक्ष |
| (ii) | महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र | - सदस्य सचिव |
| (iii) | कार्यपालक अभियंता, विद्युत बोर्ड | - सदस्य |
| (iv) | बिहार राज्य वित्तीय निगम के प्रतिनिधि | - सदस्य |
| (v) | जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष | - सदस्य |
| (vi) | प्रमंडलीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद | - सदस्य |
2. समिति के अध्यक्ष द्वारा इच्छानुसार वैसे सक्षम पदाधिकारी या विशेषज्ञ जो उपर्युक्त में सदस्य नहीं हैं, समिति की किसी बैठक में विशेष रूप से आमंत्रित किया जा सकेगा।
3. जिला स्तरीय समितियों की शक्तियां एवं कार्य-कलाप निम्न स्वरूप होंगे-
- अध्यक्ष द्वारा तय किये गये वैसे समय एवं स्थान पर व्यवसाय से संबंधित कार्य-कलापों जो कि निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत हो, बैठक किया जाना।
 - औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा विकास परियोजनाओं के लिए सभी क्लियरेन्स हेतु विहित प्रपत्र में सरकार द्वारा निर्धारित पूंजी निवेश सीमा के अन्तर्गत, आवेदन पत्र प्राप्त होगा।
 - सक्षम पदाधिकारियों द्वारा आवेदनों की प्रोसेसिंग की समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जाना एवं सक्षम पदाधिकारियों द्वारा पारित आदेश को आवेदक को अग्रसारित किया जाना।
 - सक्षम पदाधिकारियों के पास विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्ति की तिथि, आवेदक को सूचित करना एवं स्वीकृत मामलों में जिस तिथि को इस प्रकार के आवेदन की स्वीकृति दी जानी है, के बारे में आवेदक को सूचित करना।
 - प्रस्तावों को अभ्युक्ति एवं आवश्यक कागजातों के साथ राज्य समिति/राज्य समिति के अस्तित्वहीन होने की स्थिति में, राज्य पर्षद को आवश्यक निर्णय हेतु अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत अग्रसारित करना।
 - जिला स्तरीय समिति के सदस्य उपर्युक्त कंडिका (प) में वर्णित बैठक में व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे एवं अगर वे स्वयं बैठक में किसी कारणवश भाग नहीं लेते हैं तो उनके द्वारा किसी वरीय पदाधिकारी का लिखित मनोनयन (प्राधिकृत) आवश्यक होगा जो कि बैठक में समुचित निर्णय में शामिल हो सकेंगे।
 - इस प्रकार कोई अन्य शक्ति या कार्य-कलाप यथा निर्धारित,

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी सूचना सभी संबंधित को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह./-

(एस. विजयराघवन)

औद्योगिक विकास आयुक्त,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1452 /पटना, दिनांक-27/04/2006

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, पटना को बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पांच सौ) प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

ह./-

औद्योगिक विकास आयुक्त,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1452 /पटना/दिनांक 27/04/06

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

औद्योगिक विकास आयुक्त,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1452 /पटना/दिनांक 27/04/06

प्रतिलिपि- सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/उद्योग विभाग के सभी पदा./निगम/प्राधिकार/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/राज्य मंत्री उद्योग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

औद्योगिक विकास आयुक्त,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1452 /पटना/दिनांक 27/04/06

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव के सचिव/विकास आयुक्त के सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह./-

औद्योगिक विकास आयुक्त,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1452 /पटना/दिनांक 27/04/06

प्रतिलिपि- जिला समाहर्ता-सह-अध्यक्ष, बिहार सिंगल विण्डो अधिनियम, 2006 के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

औद्योगिक विकास आयुक्त,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

अधिसूचना

ज्ञापांक- 1450 /पटना, दिनांक- 27.04.2006

प्रतिलिपि- सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/उद्योग विभाग के सभी पदा./निगम/प्राधिकार/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/राज्य मंत्री उद्योग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

औद्योगिक विकास आयुक्त,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1450 /पटना, दिनांक- 27.04.2006

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव के सचिव/विकास आयुक्त के सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह./-

औद्योगिक विकास आयुक्त,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 1450 /पटना/दिनांक 27/04/2006

प्रतिलिपि- जिला समाहर्ता-सह-अध्यक्ष, बिहार सिंगल विण्डो अधिनियम, 2006 के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(एस. विजयराघवन)

औद्योगिक विकास आयुक्त,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

राज्य के ग्रामीण विकास एवं औद्योगिक विकास के उद्देश्य से बिहार सिंगल विण्डो क्लियरेन्स एक्ट 2006 बनाया गया है। इस एक्ट के धारा-13 एवं 14 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रोसेसिंग के लिए समय-सीमा एवं डीमड सहमति के संबंध में निम्नांकित आदेश पारित किया जाता है:-

क्र	क्लियरेन्स का नाम	एक्ट के अधीन निर्धारित समय-सीमा
1.	पंचायत की अनुमति	7 दिन
2.	बिल्डिंग अनुमति/अनुज्ञप्ति नगरपालिका से	7 दिन
3.	भूमि परिवर्तन की सहमति	45 दिन
4.	(क) पावर फिजिविलीटी	7 दिन
	(ख) पावर कनेक्शन	23 दिन
5.	औद्योगिक क्षेत्र/प्रांगण में जमीन/शेड का आवंटन	7 दिन (1000 वर्ग मीटर)
6.	रेबिट फाईड स्प्रीट एवं डिनेचर्ड स्प्रीट के उपयोग एवं पोजेशन हेतु अनुज्ञप्ति	7 दिन
7.	डिस्टीलरी के लिए आशय पत्र	30 दिन
8.	बी.एस.टी. एवं सी.एस.टी. के अधीन निबंधन	7 दिन
9.	अग्निशामक विभाग से अनापत्ति	15 दिन
10.	पोटाशियम क्लोरेट प्राप्त करने एवं उपयोग करने का अनुज्ञप्ति	7 दिन
11.	(क) जलापूर्ति के लिए आवश्यक स्वीकृति	7 दिन
	(ख) पानी का कनेक्शन दिया जाय	23 दिन
12.	नदी/पब्लिक टैंक पानी लेने का अनुमति	30 दिन
13.	ऋण इक्यूटी की स्वीकृति	21 दिन
14.	औद्योगिक क्षेत्र, प्रांगण को छोड़कर अन्य भूमि अधिग्रहण	90 दिन
15.	फूड ग्रेन लाईसेन्स	7 दिन
16.	सरकारी भूमि अधिग्रहण	
	(क) जिला पदाधिकारी	15 दिन
	(ख) भू अर्जन पदाधिकारी	30 दिन
	(ग) सरकार	45 दिन
	(घ) डीमड सहमति संबंधी प्रावधान क्लियरेन्स का नाम	शर्त
1.	पंचायत के अनुमति	-----
2.	बिल्डिंग अनुमति/नगरपालिका से अनुज्ञप्ति	-----
3.	पावर कनेक्शन	निर्धारित फीस भुगतान के उपरांत डीमड सहमति

4.	बिहार सेल्स टैक्स/सी.एस.टी. के लिए पंजीकरण	डीमंड सहमति सक्षम समिति द्वारा अस्थायी निबंधन प्राप्त किया जाना
5.	जलापूर्ति एवं पानी के कनेक्शन के लिए स्वीकृति	आवश्यक फीस जमा करने के उपरान्त डीमंड सहमति।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./-

(एस. विजयराघवन)

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 700 /पटना, दिनांक-10/05/2006

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पांच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

ह./-

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 700 /पटना, दिनांक-10/05/2006

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 700/पटना, दिनांक-10/05/2006

प्रतिलिपि- सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/उद्योग विभाग के सभी पदाधिकारी/निगम/प्राधिकार/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/ निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/राज्य मंत्री उद्योग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 700 /पटना, दिनांक-10/05/2006

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव के सचिव, बिहार/विकास आयुक्त के सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह./-

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 700 /पटना, दिनांक-10/05/2006

प्रतिलिपि- जिला समाहर्ता-सह-अध्यक्ष, बिहार सिंगल विण्डो अधिनियम, 2006 के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

औद्योगिक विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

प्रेषक :

सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा

भा.प्र.से.

उत्पाद आयुक्त-सह-सचिव,
बिहार।

सेवा में,

सभी समाहर्ता,

सभी उपायुक्त, उत्पाद

सभी सहायक उत्पाद आयुक्त

सभी अधीक्षक, उत्पाद।

पटना, दिनांक-13.09.2006

विषय:- आर्थिक प्रयोजन हेतु निर्मित सुषव पर शुल्क अधिरोपन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि औद्योगिक प्रयोजन हेतु निर्मित विकृत सुषव पर सामान्यतः रु. 5/- प्रति ब.ली. तथा बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा अनुशंसित इकाइयों के लिए रु. 1.50 प्रति ब.ली. की दर से लिटरेज फीस की वसूली की जाती थी। यह वसूली अधिसूचना सं.-23-137-2, दिनांक 29.04.1919 द्वारा प्रकाशित राजस्व पर्षदीय नियमावली के नियम-III में विहित प्रावधान के तहत की जाती थी।

सी.डब्लू.जे.सी. नं./3080/04 (मेसर्स सम्राट लेबोरेटरीज बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक-24.04.2004 को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अन्तर्गत उपर्युक्त नियम-III को अवैध घोषित कर दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्याय निर्णय में भी औद्योगिक उद्देश्य से निर्मित विकृत सुषव पर किसी प्रकार की शुल्कादि का अधिरोपन राज्य सरकार की अधिकारिता क्षेत्र में नहीं कहा गया है। राज्य सरकार औद्योगिक उद्देश्य से निर्मित होने वाले सुषव पर मात्र नियंत्रणात्मक कार्रवाई (Regulatory Measures) कर सकती है तथा इस निमित्त वहाँ पदस्थापित उत्पाद कर्मियों का वेतनादि पर होने वाले व्यय की वसूली उनसे होनी है।

उपर्युक्त वर्णित स्थिति में एतद् द्वारा निदेशित किया जाता है कि औद्योगिक प्रयोजन हेतु निर्मित विकृत सुषव पर लिटरेज फी नहीं लिया जाना है।

विश्वासभाजन

ह./-

उत्पाद आयुक्त-सह-सचिव, बिहार

कृषि विभाग

बिहार सरकार

अधिसूचना

संचिका सं.-5/एफ-33/85

दिनांक- 10.05.2010

5/F-33/85 सं0 634/कृ/उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7 एवं 365(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत पूर्व में निर्गत कृषि विभाग की अधिसूचना सं. 1001 दिनांक 10.03.2010 के क्रम में जैव एवं कार्बनिक उर्वरकों के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित मद में देय शुल्क का निर्धारण किया जाता है:-

- (क) 1. जैव/कार्बनिक उर्वरकों के विनिर्माण पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए शुल्क-1000.00 (एक हजार रु.)
2. जैव/कार्बनिक उर्वरकों के विनिर्माण पंजीकरण प्रमाण पत्र के संशोधन के लिए शुल्क-200.00 (दो सौ)
3. जैव/कार्बनिक उर्वरकों के विनिर्माण पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीकरण शुल्क-1000.00 (एक हजार)
4. जैव/कार्बनिक उर्वरकों के विनिर्माण पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए विलम्ब शुल्क-100.00 (एक सौ)
5. जैव/कार्बनिक उर्वरकों विनिर्माण प्रमाण पत्र की द्वितीय/अतिरिक्त प्रतियों के लिए शुल्क-100.00 (एक सौ)
- (ख) जैव/कार्बनिक उर्वरक व्यवसाय हेतु:
1. थोक उर्वरक विक्रेता विपणन प्राधिकार प्रमाण पत्र के लिए शुल्क-2250.00 (दो हजार दो सौ पचास)
2. थोक उर्वरक विक्रेता के विपणन प्राधिकार पत्र के नवीकरण के लिए विलम्ब शुल्क-2250.00 (दो हजार दो सौ पचास)
3. थोक उर्वरक विक्रेता के विपणन प्राधिकार पत्र के नवीकरण के लिए विलम्ब शुल्क- 75 (पचहत्तर)
4. थोक उर्वरक विक्रेता के विपणन प्राधिकार पत्र के संशोधन के लिए शुल्क-150.00 (एक सौ पचास)
5. थोक उर्वरक विक्रेताओं के पंजीकरण प्रमाण पत्र की द्वितीय/अतिरिक्त प्राप्ति के लिए शुल्क-75 (पचहत्तर)
2. किसी आवेदन के आवेदन पत्र को स्वीकार करने के पूर्व पंजीकरण/अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि आवेदन द्वारा शीर्ष 0401- कृषि कार्य - 800 अन्य प्राप्ति उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अधीन शुल्क की प्राप्ति के अंतर्गत कोषागार चलान के माध्यम से अपेक्षित शुल्क जमा कर दिया गया है।
3. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./-

सरकार के संयुक्त सचिव

कृषि विभाग

बिहार सरकार

अधिसूचना

संचिका सं.-5/एफ-33/85

दिनांक- 07.04.2010

कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार के का. आ. सं. 261(E) दिनांक 16.04.1991 एवं का. आ. 391(E) दिनांक 24.03.2006 के द्वारा उर्वरक निरीक्षक एवं जैव उर्वरक तथा कार्बनिक उर्वरक निरीक्षक के लिए योग्यता का निर्धारण किया गया है जिसे उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में धारा 24I एवं 27B के रूप में जोड़ा गया है। धारा 27I के अन्तर्गत निरीक्षक को कृषि अथवा रसायन के साथ विज्ञान में स्नातक होना चाहिए तथा उर्वरक गुण नियंत्रण का प्रशिक्षण प्राप्त हो अथवा इसका अनुभव हो एवं राज्य अथवा केन्द्र सरकार के कृषि विभाग में कार्यरत हों। धारा 27B के अन्तर्गत जैव उर्वरक एवं कार्बनिक उर्वरक निरीक्षक को कृषि अथवा रसायन/माइक्रोबायलॉजी के साथ स्नातक होना चाहिए तथा जैव उर्वरक/कार्बनिक उर्वरक के गुण नियंत्रण का प्रशिक्षण प्राप्त हो अथवा इसका अनुभव हो। उर्वरक नियंत्रण आदेश की धारा 27 के अन्तर्गत राज्य सरकार को गजट अधिसूचना के माध्यम से अधिकार क्षेत्र की सीमा निर्धारित करते हुए आवश्यकतानुसार संख्या में उर्वरक निरीक्षक घोषित करने की शक्ति प्रदत्त है। भारत सरकार के उपरोक्त पत्रों के आलोक में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 27 के अन्तर्गत उर्वरक निरीक्षक घोषित करने संबंधी विभागीय अधिसूचना संख्या 5513 दिनांक 16.04.86, 356 दिनांक 08.01.1991, 1729 दिनांक 21.05.1998 एवं 6235 दिनांक 21.08.2008 को संशोधित करते हुए राज्य सरकार उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 27A एवं 27B में निर्धारित योग्यता रखने वाले निम्न पदाधिकारियों को उक्त आदेश की धारा 27 के अन्तर्गत उनके पदनाम के सामने अंकित अधिकार क्षेत्र की अधिसीमा में उर्वरक निरीक्षक नियुक्त करते हुए उपर्युक्त आदेश की धारा 28 में निहित शक्तियाँ प्रदत्त करती है। किसी प्रखंड में उपरोक्त योग्यता रखने वाले प्रखंड कृषि पदाधिकारी कार्यरत नहीं होने की स्थिति में जिला कृषि पदाधिकारी, को यह शक्ति प्रदत्त होगी कि ऐसे प्रखंड की सीमा से लगने वाले निकटतम प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जिन्हें उपरोक्त योग्यता प्राप्त है, को ऐसे प्रखंड के लिए उर्वरक निरीक्षक घोषित करेंगे एवं इसकी सूचना कृषि निदेशक को देंगे।

क्रमांक	पदनाम	कार्य क्षेत्र
1.	कृषि निदेशक, बिहार	सम्पूर्ण बिहार राज्य
2.	संयुक्त कृषि निदेशक, उपादान, कृषि निदेशालय	सम्पूर्ण बिहार राज्य
3.	संयुक्त कृषि निदेशक, मुख्यालय, कृषि निदेशालय	सम्पूर्ण बिहार राज्य
4.	उप कृषि निदेशक, फसल, कृषि निदेशालय	सम्पूर्ण बिहार राज्य
5.	उप कृषि निदेशक, मुख्यालय, कृषि निदेशालय	सम्पूर्ण बिहार राज्य
6.	सभी संयुक्त कृषि निदेशक	अपने अधिकार क्षेत्र में
7.	सभी जिला कृषि पदाधिकारी	अपने अधिकार क्षेत्र में
8.	सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी	अपने अधिकार क्षेत्र में
9.	सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी	संबंधित प्रखंड क्षेत्र

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./-

सरकार के संयुक्त सचिव

अधिसूचना प्रारूप

अधिसूचना संख्या 5/F.18/89.617 /क्र. पटना, दिनांक

उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड 38 के उपखण्ड 5 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के द्वारा कृषि विभाग की अधिसूचना संख्या 268 उ. को./कृ. दिनांक 30.10.2009 के द्वारा राज्य उर्वरक समिति का गठन किया गया। राज्य उर्वरक समिति की बैठक दिनांक 11.03.2010 को आयोजित की गयी। राज्य उर्वरक समिति की बैठक में उर्वरक मिश्रण के संबंध में सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया:-

1. कृषि विभाग की अधिसूचना सं० 9936 दिनांक 27.10.09 के द्वारा बिहार राज्य के लिए अधिसूचित पाँच एन. पी. के. मिश्रण ग्रेड यथा 15:15:7.5, 18:18:6, 18:18:10, 12:32:0, 12:12:12 में से दो ग्रेड यथा 18:18:10 एवं 12:32:0 को समाप्त किया जाय एवं 15:15:7.5, 18:18:6, 12:12:12 को ही जारी रखा जाय।
2. एन. पी. के. मिश्रण विनिर्माण को सीमित रखने के उद्देश्य से निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 4252 दिनांक 30.06.1995 के संबंध में निर्णय लिया गया कि जिन प्रतिष्ठानों को एन. पी. के. उर्वरक दानेदार मिश्रण का विनिर्माण हेतु भविष्य में स्वीकृति दी जा चुकी है उनके अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिष्ठान को विपणन/विनिर्माण हेतु भविष्य में स्वीकृति नहीं दी जाय।
3. सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक मिश्रण के लिए कृषि विभाग की अधिसूचना संख्या 1240 दिनांक 11.02.1999 के संबंध में निम्न निर्णय लिया गया:-
 - (i) सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक मिश्रण के Composition में Zn(organic) एवं Zn(cheated) के स्थान पर Zn(Inorganic) or Zn(cheated) अंकित किया जाय।
 - (ii) छोटानागपुर का नाम अधिसूचना से हटा दिया जाय।
 - (iii) North Bihar non Recent Alluvium के स्थान पर North Bihar non-Calcareous recent alluvium प्रतिस्थापित किया जाय।
4. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड 14(1) में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति जो किसी प्रकार के उर्वरक मिश्रण अथवा विशेष उर्वरक मिश्रण के विनिर्माण के लिए पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहता है, को इसके लिए ऐसी योग्यता होनी चाहिए अथवा ऐसी योग्यता रखनेवाले किसी व्यक्ति को नियोजित करना होगा, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसके आलोक में निर्णय लिया गया कि किसी भी प्रकार का उर्वरक अथवा विशेष उर्वरक मिश्रण का विनिर्माण पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कृषि में स्नातक अथवा स्नातक विज्ञान (रसायन प्रतिष्ठा) की योग्यता हो अथवा ऐसी योग्यता धारित करनेवाले व्यक्ति को नियोजित करना होगा।
5. राज्य सरकार ने राज्य उर्वरक समिति के निर्णय पर सम्यक विचारोपरांत निम्न निर्णय लिया है :-
 - (i) राज्य सरकार उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 13 के उपखंड 2 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य के लिए कृषि विभाग की अधिसूचना संख्या 9936 दिनांक 27.10.90 के द्वारा अधिसूचित एन. पी. के. के पाँच ग्रेडों तथा 18:18:10, 12:32:0 एवं 12:12:12 में दो ग्रेडों तथा

18:18:6 एवं 12:32:0 को समाप्त करती है तथा तीन ग्रेडों तथा 15:15:7.5, 12:12:12 को ही आगे जारी रखने का निर्णय लेती है। इन तीन ग्रेडों का विनिर्माण निम्न विनिर्देशों के अनुरूप ही किया जा सकेगा।

Sl. No	Grade of N:P:k Mixture	Specifications	Percentage
1.	12:12:12 Mixture of N:P:K Fertilizer (Inorganic)	(i) Nitrogen percent by weight, minimum	12.0
		(ii) Phosphate (as P ₂ O ₅) Percent by weight, minimum	12.0
		(iii) Neutral Ammonium citrate soluble Phosphate (as P ₂ O ₅) percent by weight, minimum	12.0
		(iv) Water soluble Phosphate (P ₂ O ₅) percent by weight, minimum	06.0
		(v) Water soluble Potash (as K ₂ O) Percent by weight, minimum	12.0
		(vi) Particle Size -90 percent material shall pass through 4.5 mm IS sieve and be retained on 1 mm IS sieve, Not more than 10 Percent shall be below 1 mm IS sieve	
2.	18:18:06 Mixture of N:P:K Fertilizer (Inorganic)	(i) Nitrogen percent by weight, minimum	18.0
		(ii) Phosphate (as P ₂ O ₅) percent by weight, minimum	18.0
		(iii) Neutral Ammonium citrate soluble Phosphate (as P ₂ O ₅) Percent by weight, minimum	18.0
		(iv) Water soluble phosphate (as P ₂ O ₅) percent by weight minimum	09.0
		(v) Water soluble Potash (as K ₂ O) percent by weight, minimum	06.0
		(vi) Particle size - 90 percent material shall through 4.5 mm IS sieve and be retained on 1 mm IS Sieve. Not more than 10 percent shall be below 1 mm IS sieve	
3.	15:18:7.5 Mixture of N:P:K Fertilizer (Inorganic)	(i) Nitrogen percent by weight , minimum	15.0
		(ii) Phosphate (as P ₂ O ₅) percent by weight, minimum	15.0
		(iii) Neutral Ammonium citrate soluble Phosphate (as P ₂ O ₅) Percent by weight, minimum	15.0
		(iv) Water soluble phosphate (as P ₂ O ₅) percent by weight minimum	7.5
		(v) Water soluble Potash (as K ₂ O) percent by weight, minimum	7.5
		(vi) Particle size - 90 percent material shall through 4.5 mm IS sieve and be retained on 1 mm IS Sieve. Not more than 10 percent shall be below 1 mm IS sieve	

- (ii) इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि को जिन प्रतिष्ठानों को कंडिका 5(i) में अनुसंशित तीन ग्रेडों में से जिन ग्रेड के विनिर्माण एवं विपणन हेतु स्वीकृति दी गई है उसके अतिरिक्त किसी भी प्रतिष्ठान को भविष्य में बिहार ग्रेड उर्वरक मिश्रण के उत्पादन, भंडारण अथवा विपणन हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी ताकि किसानों

को मिलनेवाले खाद की गुणवत्ता में सुधार हो सके। वर्तमान में कार्यरत प्रतिष्ठानों को भी स्वीकृत उर्वरक मिश्रण ग्रेड की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी।

- (iii) उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 13 के खंड 2 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण के संदर्भ में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 1240 दिनांक 11.02.1994 को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

Sl. No.	Type of Soil	Type of Application	Specifications (%)	
1.	Calcareous Soil & South Bihar Plain	Foliar	(i) Fe (Chelated)	-3
			(ii) Mn	-0.5
			(iii) Zn Inorganic Or Zn Chelated	-8
			(iv) Cu	-5
			(v) Mo	-0.2
			(vi) B	-0.01
			(vii) Solubility in water Minimum	-90%
			(viii) PH not less than	-3.5
2.	Calcareous Soil & South Bihar Plain	Soil	(i) Fe (Chelated)	-4
			(ii) Mn	-0.5
			(iii) Zn Inorganic Or Zn Chelated	-10 -5
			(iv) Cu	-0.2
			(v) Mo	-0.02
			(vi) B	-2.0
3.	North Bihar non Calcareous recent alluvium Tarai Sub Himalaya	Foliar	(i) Fe (Chelated)	-0.5
			(ii) Mn	-0.2
			(iii) Zn Inorganic Or Zn Chelated	-5 -3
			(iv) Cu	-0.5
			(v) Mo	-0.02
			(vi) B	-0.5

			(vii) Solubility in water Minimum	-90%
			(viii) PH not less than	-3.5
4.	North Bihar non Calcareous recent alluvium Tarai Sub Himalaya	Soil	(i) Fe (Chelated)	-1.0
			(ii) Mn	-0.2
			(iii) Zn Inorganic	-8
			Or Zn Chelated	-4
			(iv) Cu	-1.0
			(v) Mo	-0.03
			(vi) B	-1.0
5.	Tal land & Acidic soil	Foliar	(i) Zn Inorganic	-2
			Or Zn Chelated	-1
			(ii) Cu	-0.05
			(iii) Mo	-0.05
			(iv) B	-1.5
			(v) Solubility in water Minimum	-90%
6.	Tal land & Acidic soil	Foliar	(vi) PH not less than	-3.5
			(i) Zn Inorganic	-4
			Or Zn Chelated	-2
			(ii) Mo	-0.05
			(iii) B	-2.0

Foliar spray-0.5%to1%- 2-3 times- For Wheat, Maize, Pulses, Oilseeds and Vegetables in case of Sugarcane Mn will be Doubled

Soil-20-30 kg/ha

-Do

- उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 14(1) के अन्तर्गत राज्य सरकार उर्वरक मिश्रण अथवा उर्वरक विशेष मिश्रण विनिर्माता के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्राप्त कृषि स्नातक अथवा स्नातक विज्ञान (रसायन प्रतिष्ठा) की योग्यता निर्धारित करती है। कोई भी व्यक्ति, जो उर्वरक मिश्रण अथवा विशेष उर्वरक मिश्रण का विनिर्माण करना चाहता है, को उपरोक्त निर्धारित योग्यता रखनी होगी अथवा ऐसी योग्यता धारित करनेवाले किसी व्यक्ति को नियोजित करना होगा।
- इस हद तक विभागीय अधिसूचना सं. 9936 दिनांक 27.10.90, अधिसूचना सं. 4252 दिनांक 30.06.1995 एवं 1240 दिनांक 11.02.1994 को संशोधित समझा जाय।

8. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 617 /पटना, दिनांक:- 04.05.2010

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह./-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 617 /पटना, दिनांक:- 04.05.2010

प्रतिलिपि :- सभी संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।

ह./-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 617 /पटना, दिनांक:- 04.05.2010

प्रतिलिपि :- सभी उर्वरक उत्पादक/आयातक/आपूर्तिकर्ता प्रतिष्ठानों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 617 /पटना, दिनांक:- 04.05.2010

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह./-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 617 /पटना, दिनांक:- 04.05.2010

प्रतिलिपि :- मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/माननीया मंत्री, कृषि के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह./-

सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्र संख्या-435 /पटना, दिनांक 29.01.04

प्रेषक,

एन.के.सिंह,
उप सचिव, उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

विषय:- कोयला आधारित इकाइयों के संबंध में उद्योग निदेशालय द्वारा किए गये जांच एवं विभिन्न न्यायादेशों के आलोक में विधि विभाग से प्राप्त मंतव्य पर अनुसूची कार्रवाई।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशानुसार आपके पत्रांक 2056 दिनांक 11.08.2003 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे सूचित करना है कि प्रश्नगत मामले पर विधि विभाग का मंतव्य प्राप्त किया गया है। विधि विभाग के प्रासंगिक मंतव्य की प्रतिलिपि परिशिष्ट-I स्वरूप संलग्न है। साथ ही इस मामले में विभागीय टिप्पणी एवं मंत्री, उद्योग (लघु) के वृत्तादेश की प्रतिलिपि परिशिष्ट-II स्वरूप संलग्न है।

अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में यथावश्यक कार्रवाई करते हुए विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह./-

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

औद्योगिक विकास आयुक्त

कृपया पृष्ठ-160 से 164/टि० पर विधि विभाग से प्राप्त परामर्श का अवलोकन किया। मंतव्य हो कि पृष्ठ 159-160/टि. के अंश “क” पर अंकित चार बिन्दुओं पर विधि विभाग से परामर्श की मांग की गयी थी।

(क) माननीय उच्च न्यायालय के सी०डब्लू०जे०सी० में पारित आदेश के आलोक में क्या उद्योग विभाग अथवा उसके कोई पदाधिकारी कोयला आवंटन हेतु कोल कम्पनी को अनुशंसा कर सकते हैं अथवा नहीं? क्योंकि माननीय न्यायालय ने औद्योगिक इकाइयों को कोयला की आपूर्ति उनका अधिकार नहीं बल्कि रियायत माना है।	(क) अपर विद्वान महाधिवक्ता ने पृष्ठ-163/टि० पर इस संबंध में परामर्श दिया है कि न तो उद्योग विभाग और न इनके पदाधिकारी द्वारा कोयला का आवंटन हेतु ऐसी अनुशंसा करने को अधिकृत है जो कोल कंपनी को बाध्यकारी हो।
(ख) उद्योग विभाग एवं उसे पदाधिकारी के द्वारा कोल कंपनी को औद्योगिक इकाइयों को कोयला आवंटन की अनुशंसा नहीं की गयी है। यदि कोल आधारित इकाइयों ने कोल कंपनी से प्राप्त कोयला का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया तो उद्योग विभाग के पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है या नहीं ?	(ख) अपर विद्वान महाधिवक्ता ने इस बिन्दु पर परामर्श दिया है कि अगर कोयला आवंटनी ने जिन उद्देश्यों से कोयला प्राप्त किया था यदि पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया है तो उद्योग विभाग के पदाधिकारी द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
(ग) क्या उद्योग विभाग अथवा उनके पदाधिकारियों को विभाग के द्वारा निर्बंधित औद्योगिक इकाइयों के द्वारा कोयला का उठाव एवं उपयोग की जाँच करने का अधिकार है या नहीं ?	(ग) इस बिन्दु पर अपर विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श है कि चूंकि कोयला व्यापार पर नियंत्रण हेतु कोई प्रावधान नहीं है, उद्योग विभाग के पदाधिकारी-गण को कोयला आवंटनी के व्यापार आचरण की जाँच करने का अधिकार नहीं हो सकता।
(घ) उद्योग विभाग द्वारा निर्बंधित परंतु अस्तित्वविहीन एवं संदिग्ध कोयला आधारित औद्योगिक इकाइयों के संबंध में उद्योग विभाग के द्वारा लीगली सस्टेनुबुल कार्रवाई की जा सकती है या नहीं।	(घ) इस बिन्दु पर अपर विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श है कि उद्योग विभाग को अस्तित्वविहीन औद्योगिक इकाइयों के निबंधन रद्द करने एवं इनके अस्तित्व की जाँच करने का अधिकार है।

उपर्युक्त टिप्पणी से स्पष्ट है कि उद्योग विभाग के द्वारा पृष्ठ 159-160/टि० पर में दिये गये अंश “क”, “ख” एवं “ग” पर विधि विभाग का मंतव्य नकारात्मक है। उद्योग विभाग के पदाधिकारी को कोयला की उपयोगिता की जाँच करने का अधिकार नहीं है। जैसा कि विद्वान अपर महाधिवक्ता ने अपने परामर्श में अंकित किया है। विधि विभाग से प्राप्त परामर्श से ऐसा प्रतीत होता है कि कोयला आधारित औद्योगिक इकाइयों द्वारा किये गये कोयला के उपयोग में अनियमितता की जाँच उद्योग विभाग अथवा उसके पदाधिकारी नहीं कर सकते हैं। अतः उद्योग विभाग के पदाधिकारियों की इसमें कोई भूमिका नहीं है एवं उन्हें इस कार्य हेतु दोषी नहीं कहा जा सकता है।

जहाँ तक 981 इकाइयों से संबंधित जाँच का प्रश्न है, इससे संबंधित जाँच प्रतिवेदन भारत सरकार के कोयला मंत्रालय को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा सकता है। साथ ही मंतव्य के आलोक में अस्तित्वहीन औद्योगिक इकाइयों को निबंधन रद्द करने की कार्रवाई की।

विधि विभाग के उपर्युक्त परामर्श के आलोक में संचिका माननीय मंत्री, उद्योग (लघु एवं कुटीर) के अवलोकनार्थ पृष्ठांकित की जा सकती है। साथ ही उनके अवलोकन के उपरांत माननीया मुख्यमंत्री का पृष्ठ 81/टि० की कंडिका 2 एवं कंडिका 3 के आदेश के आलोक में वर्तमान स्थिति से माननीया मुख्यमंत्री को मुख्य सचिव के माध्यम से संचिका पृष्ठांकित की जा सकती है।

ह./-

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक:- 535 /पटना, दिनांक:- 24.02.2010

सं. 2/उ०नि०कोयला (आवंटन) 01/2005(खण्ड)

प्रेषक,

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

सेवा में,

महाप्रबंधक,
(विक्रय एवं मार्केटिंग)
सेन्ट्रल कोल फिल्ड्स, दरभंगा हाउस, राँची
महाप्रबंधक
(विक्रय एवं मार्केटिंग)
भारत भवन, कोयला नगर, धनबाद
महाप्रबंधक,
(विक्रय एवं मार्केटिंग)
ईस्टर्न कोल फिल्ड्स
13, आर०एन० मुखर्जी रोड, कोलकाता।

विषय:- बिहार के कोयला आधारित इकाइयों/व्यवसायियों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि वाणिज्यकर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, पटना द्वारा बिहार राज्य के किन-किन व्यवसायियों को कोयले की आपूर्ति की जा रही है तथा सभी आयातक तीन नम्बर धारक है अथवा नहीं की सूची प्रत्येक तीन माह पर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है एवं जो तीन धारक नहीं है तथा बिहार में कोई व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, ऐसे आयातकों द्वारा कोयले के आयात पर रोक लगाने की आवश्यकता बताई है।

साथ ही वाणिज्यकर आयुक्त द्वारा जिन व्यक्तियों द्वारा विगत तीन वर्षों में राज्य में कोयला आयात किया गया है कि सूची तीन नम्बर के साथ उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त दोनों सूचनाएँ यथाशीघ्र वाणिज्यकर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, वाणिज्यकर विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय एवं की गई कार्रवाई की सूचना उद्योग विभाग को भी देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह./-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

ज्ञापांक- 535 /पटना, दिनांक 24.02.10

प्रतिलिपि:- वाणिज्यकर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, वाणिज्यकर विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 4/ज.शि.को. 02-26/09/141 दिनांक 12.01.2010 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

पत्र में वर्णित अनुलग्नक पत्र के साथ संलग्न नहीं है। कृपया अनुलग्नक प्रेषित करने की कृपा करना चाहेंगे।

2. साथ ही सूचित करना है कि खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 1865 दिनांक 14.10.2009 द्वारा लघु एवं मध्यम वर्ग के उद्योगों की आवश्यकता हेतु कोयला आवंटन हेतु राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है (प्रतिलिपि संलग्न)।

ज्ञातव्य हो कि पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उद्योग विभाग को कोयले के अनुश्रवण पर रोक लगाई गई है, जिसके फलस्वरूप औद्योगिक इकाइयों को कोयले आपूर्ति हेतु अनुशंसा एवं आपूर्ति की गई कोयले की उपयोगिता की जाँच उद्योग विभाग द्वारा नहीं की जाती है।

ह./-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग
अधिसूचना

भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की नई कोयला वितरण नीति के तहत Non Core Sector के लघु एवं मध्यम वर्ग के उद्योगों की आवश्यकता के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से वैसे औद्योगिक इकाइयों को कोयला आवंटन करने का प्रावधान किया गया है जिनकी वार्षिक कोयले की आवश्यकता 4200 टन तक या इससे कम हो। इसके अन्तर्गत लघु एवं मध्यम वर्ग के औद्योगिक इकाइयों को नियमित एवं पारदर्शी तरीके से उचित मूल्य पर कोयला उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियाँ गठित किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

1. राज्य स्तरीय समिति :-

- | | | | |
|-----|---|---|---------|
| (1) | प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग | - | अध्यक्ष |
| (2) | प्रधान सचिव, उद्योग विभाग या उनके प्रतिनिधि। | - | सदस्य |
| (3) | सचिव, सहकारिता विभाग या उनके प्रतिनिधि। | - | सदस्य |
| (4) | सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग उनके प्रतिनिधि। | - | सदस्य |
| (5) | प्रबंध निदेशक, बी.एस.एम.डी.सी। | - | सदस्य |
| (6) | प्रबंध निदेशक, बिस्कोमान। | - | सदस्य |

राज्य स्तरीय समिति निगम/बिस्कोमान के द्वारा कोयले की आपूर्ति संबंधी कार्यों की समीक्षा तीन-तीन माह के अंतराल पर नियमित रूप से करेगी तथा जिला स्तरीय समिति के अनुशंसा या स्वविवेक के आधार पर विभिन्न इकाइयों को कोयले की आपूर्ति के संबंध में निर्णय लेगी।

2. जिला स्तरीय समिति :-

- | | | | |
|-----|---|---|---------|
| (1) | जिलाधिकारी | - | अध्यक्ष |
| (2) | सभी अनुमंडल पदाधिकारी | - | सदस्य |
| (3) | जिला आपूर्ति पदाधिकारी | - | सदस्य |
| (4) | महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र | - | सदस्य |
| (5) | खान एवं भूतत्व विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी | - | सदस्य |

जिला स्तरीय समिति की बैठक संबंधी कार्यों का सम्पादन एवं भूतत्व के जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा सम्पन्न किया जायेगा। ईट भट्टों Smokeless Fuel तथा Coke oven के लिए कोयले की आपूर्ति हेतु आवेदन-पत्र जिला खनन कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे। निबंधित मध्यम/लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए आवेदन पत्र जिला उद्योग केन्द्र में प्राप्त किये जायेंगे। शेष इकाइयों के लिए आवेदन पत्र अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त आवेदनों के संबंध में अनुशंसा खनन कार्यालय को भेज देंगे। खनन कार्यालय द्वारा उनसे प्राप्त आवेदनों को तथा ईट भट्टा, Smokeless Fuel unit तथा Coke oven के लिए प्राप्त आवेदनों को आवश्यक अनुशंसा के साथ जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति आवेदन में वर्णित कोयले की मात्रा पर सम्यक विचारोपरान्त वास्तविक जरूरत के अनुसार कोयला आवंटन हेतु अनुशंसा खान एवं भूतत्व विभाग के भेजेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./-

(वीरेन्द्र कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 1865/एम., पटना, दिनांक: 14.10.09

प्रतिलिपि :- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह./-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 1865/एम., पटना, दिनांक: 14.10.09

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग / सचिव सहकारिता विभाग/सचिव खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 1865/एम., पटना, दिनांक: 14.10.09

प्रतिलिपि :- सभी जिलाधिकारी/सभी अनुमंडलाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि./प्रबंध निदेशक, बिस्कोमान/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक 512 / पटना, दिनांक - नवम्बर, 2003

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
बिहार, पटना।

सेवा में,

राज्य के सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी

विषय:- सरकार के सभी विभागों/निगमों/प्राधिकारों/पर्षदों तथा स्वायत्त संस्थाओं में हस्तकरघा प्रक्षेत्र में उत्पादित सामग्रियों का क्रय अनिवार्य रूप से करने के संबंध में।

प्रसंग: मुख्य सचिव, बिहार, पटना का पत्रांक 658 दिनांक 10.03.1999 (प्रतिलिपि संलग्न)।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया संदर्भ किया जाए। बिहार राज्य के अधिकांश बुनकर हस्तकरघा उद्योग से जुड़े हुए हैं तथा उनमें से अधिकांश गरीबी रेखा से नीचे का जीवन बसर कर रहे हैं। उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए यह आवश्यक है कि उनके द्वारा निर्मित वस्त्रों की बिक्री हो।

दिनांक 04.04.2003 को बिहार राज्य बुनकर कल्याण समिति की हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार हस्तकरघा बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्त्रों का विपणन कराकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाना है। बुनकर कल्याण समिति द्वारा राज्य के हस्तकरघा बुनकरों के कल्याणार्थ यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी/अर्द्ध सरकारी प्रतिष्ठानों में बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा, कारपेट, कंबल, पर्दा का क्रय किया जाए। जेल में कैदियों के लिए धोती-साड़ी, चादर, कंबल, दरी, कारपेट आदि जो हस्तकरघा बुनकरों द्वारा बनाया जाता है का ही उपयोग हो। स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल में रोगियों के लिए बेड-शीट, चादर, कंबल या अन्य उपयोगी सामग्री जो बुनकारों द्वारा उत्पादित है, की खरीदारी की जाए तथा कल्याण विभाग द्वारा कल्याण छात्रावास में बेड-सीट, चादर, कंबल, पर्दा आदि की खरीदारी बुनकरों द्वारा निर्मित वस्तुओं की सुनिश्चित कराई जाए।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित पत्र द्वारा भेजे गए निदेश के साथ-साथ बिहार राज्य बुनकर कल्याण समिति द्वारा लिए गए उक्त निर्णय के आलोक में हस्तकरघा बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की खरीदारी की जाय।

अनु. : यथा उपर्युक्त

विश्वासभाजन,

ह./-

मुख्य सचिव, बिहार
पटना।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक 1/उ.(स.) यो.स्वी. (बनुकर कलस्टर)-07/2007..... पटना,

दिनांक

प्रेषक,

हुमायूँ अख्तर राही,
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक.)
बिहार, पटना।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:- राज्य के हस्तकरघा बुनकर कलस्टर के विकास के संबंध में इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेन्सिंग सर्विसेज लि. (IL & FS) द्वारा समर्पित बिजनेस प्लान में निहित अनुशंसाओं के अनुसार संबंधित परियोजना पर सैद्धान्तिक स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने राज्य के हस्तकरघा बुनकर कलस्टर के विकास के संबंध में इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेन्सिंग सर्विसेज लि. (IL & FS) द्वारा समर्पित बिजनेस प्लान में निहित अनुशंसाओं के अनुसार आई.एल. एंड एफ.एस. द्वारा परामर्शित निम्नांकित बिन्दुओं पर सैद्धान्तिक स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गई है कि individual योजनाओं की स्वीकृति हेतु योजना की स्वीकृति, योजना उद्ध्यय, बजट उपबंध के लिये अलग से औपचारिकताएँ अपनायी जायेगी:-

- (क) राज्य के सात हस्तकरघा बुनकर कलस्टर यथा-पटना, गया भागलपुर, मधुबनी, दरभंगा, नालन्दा एवं सिवान जिले के लिए बुनकरों के सर्वांगीण विकास हेतु कुल परियोजना लागत अनुमानित 6865.00 लाख रुपये की परियोजना है।
- (ख) उक्त कुल परियोजना लागत 6865.00 लाख रुपये में से परामर्शित इन्टरभेन्सन पर 2400.00 लाख रुपये राज्य सरकार को व्यय करना है।
- (ग) आई.एल.एण्ड एफ.एस. द्वारा परामर्शित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इम्पलीमेंटेसन एवं मैनेजमेंट का कार्य किसी प्रोफेशनल एजेन्सी से कराने का परामर्श दिया गया है, जिनका दायित्व हस्तकरघा प्रक्षेत्र की योजनाओं का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन कराना है। बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार की 9वीं बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेन्सिंग सर्विसेज लि. (आई.एल.एण्ड एफ.एस.) को इस परियोजना लागत का 2 प्रतिशत सेवा शुल्क की माँग की गई है। ज्ञातव्य है कि यह परियोजना भी आई.एल.एण्ड एफ.एस. द्वारा ही तैयार की गई है। वित्त विभाग के ज्ञापांक 4308 दिनांक 22.06.2007 के अनुरूप शुल्क देय होगी, देय व्यवसायिक शुल्क से मोबेलाईजेशन अग्रिम भी कार्यादेश के शर्तों के अनुसार दी जा सकेगी।

2. प्रस्ताव में योजना प्राधिकृत समिति एवं मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
ह./-
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/उ.(स.) यो.स्वी. (बुनकर कलस्टर)-07/2007 4727 पटना, दिनांक 04.10.07

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग प्रशाखा-3 एवं 7/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/योजना शाखा, उद्योग विभाग/उद्योग निदेशक, ह.रे., बिहार, पटना/संयुक्त उद्योग निदेशक (ह.रे. निदेशालय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक 1/उ. (स.) यो.स्वी. (जूट)-42/2008 / पटना, दिनांक- 31.10.08

प्रेषक,

सुदामा प्रसाद,

उप सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक.)

बिहार, पटना।

विषय:- राज्य के जूट प्रक्षेत्र के विकास के संबंध में आई. एल. एण्ड एफ. एस. द्वारा समर्पित डायग्नोस्टिक सर्वे एवं बिजनेस प्लान में निहित अनुशंसाओं के अनुसार कुल अनुमानित परियोजना लागत 5900.00 लाख (उनसठ सौ लाख) रुपये तथा इसमें राज्य योजना मद से अनुदान एवं अन्य व्यय के रूप में अनुमानित रुपये 1620.00 लाख (एक हजार छः सौ बीस लाख) रुपये से संबंधित परियोजना पर सैद्धान्तिक स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने राज्य के जूट प्रक्षेत्र विकास के संबंध में इन्फ्रास्ट्राक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेसिंग सर्विसेस, कलस्टर डेवलपमेंट इनिसिएटिव लि. (आई०एल०एण्ड एफ०एस०) द्वारा समर्पित डायग्नोस्टिक सर्वे एवं बिजनेस प्लान में निहित निम्नांकित अनुशंसाओं पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है:-

- (क) राज्य के जूट उत्पाद जिलों यथा-कटिहार, किशनगंज, पूर्णियाँ, अररिया, सुपौल एवं मधेपुरा जिलों के जूट उत्पादकों/बुनकरों/जूट उद्यमियों के सर्वांगीण विकास हेतु कुल परियोजना लागत 5900.00 लाख रुपये की परियोजना है।
- (ख) कुल परियोजना लागत 5900.00 लाख रुपये में से परामर्शित इन्टरवेंशन्स पर 1620.00 लाख रुपये सरकार को व्यय करना है।
- (ग) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 4308 दिनांक 22.06.2007 में निहित प्रावधान के अनुसार (आई०एल०एण्ड एफ०एस०) द्वारा परियोजना प्रतिवेदन में परामर्शित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एवं मैनेजमेंट का कार्य आई०एल०एण्ड एफ०एस० सी०डी०आई०, नई दिल्ली से कराना है।
 2. यह एक नई योजना है एवं इसका कार्यान्वयन तीन वर्षों में किया जायेगा।
 3. इस योजना पर व्यय बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष-2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103-हस्तकरघा उद्योग - माँग सं.- 23- उप शीर्ष - 0103-हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड-पी. 2851001030103 से किया जायेगा।
4. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति संचिका संख्या-1/उ.(स.) यो.स्वी. (जूट)-42/2008 के पृष्ठ-13/टि. पर दिनांक 23.09.2008 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह./-

उपसचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/उ.(स.)यो.स्वी. (जूट)-42/2008/6710 पटना, दिनांक 31.10.08

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, ह.रे., बिहार, पटना/निदेशक तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/संयुक्त उद्योग निदेशक (ह.रे. निदेशालय) पटना/प्रशाखा-1 (सरकार) योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपसचिव

ह./-

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषय:- बुनकरों की समस्या के समाधान हेतु प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता में क्रियान्वयन समिति का गठन।

बिहार राज्य में बुनकारों की दयनीय स्थिति के मद्देनजर भागलपुर में दिनांक 06.06.2010 को आयोजित बुनकर पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गयी कि प्रमण्डल स्तर पर बुनकरों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा। अतः उक्त घोषणा के आलोक में निम्नलिखित रूप में क्रियान्वयन समिति का गठन किया जाता है:-

- (क) प्रमण्डलीय आयुक्त – अध्यक्ष
- (ख) निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना – सदस्य
- (ग) संबंधित प्रमण्डल के सभी जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक/
अग्रणी बैंकों के पदाधिकारी/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र – सदस्य
- (घ) प्रमण्डलीय मुख्यालय स्थित जिला के
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र –संयोजक सदस्य
- (2) यह समिति प्रमण्डल के बुनकरों के समस्याओं का निदान स्थानीय स्तर पर करेगी। बुनकरों के कल्याणार्थ योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर जिला योजना से भी सहयोग प्राप्त करेगी।
- (3) समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में आहूत की जायेगी। विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष की सहमति से आपात बैठक बुलाई जा सकती है। संयोजक सदस्य क्षेत्र की बुनकरों की समस्याओं से संबंधित जिलावार अभ्यावेदन संकलित कर कार्यावली के साथ बैठक में प्रस्तुत करेंगे। बैठक में समिति बुनकरों की समस्याओं के निराकरण हेतु यथोचित निर्णय लेगी। संयोजक सदस्य बैठक की कार्यवाही एवं बैठक में लिए गए निर्णयों से विभाग को अवगत करायेंगे।
- (4) समिति से लाभार्थियों को लाभ देने की प्रक्रिया इस प्रकार होगी:-
प्रमण्डल के बुनकर अपनी अपनी समस्याओं का अभ्यावेदन संबंधित जिले के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को समर्पित करेंगे। महाप्रबंधक उन अभ्यावेदनों को संकलित कर संयोजक सदस्य को बैठक में प्रस्तुत करने हेतु स्पष्ट अपेक्षित कार्रवाई के साथ समर्पित करेंगे तथा बैठक में लिए गए निर्णयों से आवेदक को अवगत करायेंगे। यदि जिला स्तर पर लाभ तत्काल दिलाना सम्भव है तब एक माह के अंदर कार्रवाई कर आवश्यक लाभ दिलाया जायेगा। यदि सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार तत्काल लाभ दिलाना सम्भव नहीं है, तब आवेदक को तुरंत सूचित कर दिया जायेगा। ऐसे मामले को निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम संबंधित संयोजक सदस्य से प्राप्त कर उद्योग विभाग के प्रधान सचिव/सचिव के समक्ष कार्रवाई हेतु उपस्थापित करेंगे। प्रमण्डलीय आयुक्त के स्तर पर बैठक में पूर्व बैठक में लिए गए निर्णय के संबंध में “एक्शन टेकेन रिपोर्ट” निश्चित तौर पर उपस्थापित किया जायेगा। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र अपने जिले के बुनकरों के समस्याओं का निदान व्यक्तिगत रुचि लेकर करायेंगे तथा समिति से लाभ दिलायेंगे। उन्हें यदि सरकारी नीति के कार्यान्वयन में लाभ दिलाने में असुविधा होती है, तब वे प्रमण्डलीय आयुक्त को यथाशीघ्र अवगत करायेंगे।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाये।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह./-
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1872 /पटना, दिनांक 09.09.2010

प्रतिलिपि :- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र/सभी जिले के अग्रणी बैंक प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1872 /पटना, दिनांक 09.09.2010

प्रतिलिपि:- राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को अगले राजपत्र में प्रकाशित हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ह./-
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1872 /पटना, दिनांक 09.09.2010

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह./-
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग
संकल्प

संख्या-वन विक्रय(मुक.)-76/2007/3436/प.व./ पटना-15, दिनांक 08.2010

माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर जनहित संचिका सं०-202/95 टी.एन. गोदावरमन तिरूमलवाद बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 12.12.96 को पारित आदेश के आलोक में राज्य में वनों की वहनीय क्षमता के आधार पर आरा मिलों विनियर मिलों एवं प्लाईवुड मिलों की संख्या निर्धारण हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन तथा माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा एल.पी.ए. संख्या 1458/2000 एवं अन्य मामलों में दिनांक 10.01.2002 को पारित आदेश के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार की अध्यक्षता में गठित समिति के प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त राज्य सरकार के संकल्प संख्या 418 ई. दिनांक 08.07.2002 द्वारा प्रत्येक जिले में प्रखंड, शहरी तथा अधिसूचित क्षेत्रों के लिए राज्य हेतु कुल आरा मिलों की संख्या 1450 निर्धारित करते हुए अनुज्ञप्ति प्राप्त आरा मिलों की समीक्षा एवं अधिशेष आरा मिलों को बन्द करने तथा अनुमान्य संख्या से कम आरा मिल वाले प्रखंडों/शहरी/अधिसूचित क्षेत्रों में नयी आरा मिलों को अनुज्ञप्ति देने हेतु मापदंड का निर्धारण किया गया था। बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा याचिका संख्या 202/95 में दिनांक 29.10.2002 को पारित आदेश के आलोक में बगैर केन्द्रीय प्राधिकृत समिति की सहमति के नयी आरा मिलों की अनुज्ञप्ति देने पर रोक लगा दी गयी थी।

2. राज्य सरकार के संकल्प 418 ई. दिनांक 08.07.2002 के द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका संख्या 202/95 में आई.ए. सं.-782, 783, 784, 793, 795, 813, 814 तथा 815 दायर किये गये जिनपर केन्द्रीय प्राधिकृत समिति द्वारा सुनवाई उपरांत दिनांक 16.04.03 को अपनी अनुशंसा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष समर्पित किया गया तथा इसे अल्प संशोधन के साथ माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 18.08.2003 को आदेश पारित कर स्वीकृत किया। पारित आदेश एवं केन्द्रीय प्राधिकृत समिति की अनुशंसाओं के आलोक में राज्य सरकार के संकल्प संख्या 760 ई. दिनांक 13.11.2003 से संकल्प संख्या 418 ई. दिनांक 08.07.2002 को संशोधित करते हुए अनुज्ञप्ति प्राप्त आरा मिलों की वरीयता सूची के निर्धारण एवं अधिशेष आरा मिलों को बन्द करने हेतु मापदंड का निर्धारण किया गया। साथ ही केन्द्रीय प्राधिकृत समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार के संकल्प संख्या 765 ई. दिनांक 14.11.2003 से राज्य में सभी श्रोतों से उपलब्ध हो रहे कोष्ठ का आकलन कर विभिन्न श्रेणी के काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापित क्षमता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इनकी अनुमान्य संख्या के निर्धारण हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को समर्पित किया गया। प्रतिवेदन पर विचारोपरांत राज्य सरकार की ओर से केन्द्रीय प्राधिकृत समिति के समक्ष आवेदन संख्या 1050 दायर करते हुए आरा मिलों 177 विनियर मिलों के संचालन हेतु अनुमति करने का अनुरोध किया गया। केन्द्रीय प्राधिकृत समिति ने सरकार की ओर से दायर आई.ए. सं.-1050 तथा इस संबंध में दायर अन्य आई.ए.सं. 644, 1085, 1088 तथा 1061 में सुनवायी उपरांत अपनी अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.06.2008 को समर्पित कर दिया जिसमें राज्य सरकार द्वारा आरा मिलों की निर्धारित संख्या-1919 तथा विनियर मिलों हेतु निर्धारित संख्या-177 को स्वीकार करते हुए काष्ठ आधारित उद्योगों के वरीयता निर्धारण हेतु मार्गदर्शन देते हुए सूची प्रकाशन के क्रम में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया एवं अन्य औपचारिकताओं के सन्दर्भ में अनुशंसा की गयी। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 202/95 में दायर आई.ए. सं. 1274-1275, 2423-2425, 2537-2538 तथा 2460-2461 में दिनांक 04.09.2009 का आदेश पारित कर तीन माह के अन्दर काष्ठ आधारित उद्योगों की वरीयता सूची केन्द्रीय प्राधिकृत समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप तथा विधिवत प्रावधानों को ध्यान

में रखकर तैयार करने का निदेश दिया है। अतः राज्य के विभिन्न काष्ठ उद्योगों की वरीयता सूची निर्धारण करने हेतु इस संबंध में पूर्व के आदेशों को विलोपित करते हुए निम्नांकित प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है।

(1) आरा मिलों के वरीयता निर्धारण के मापदंड

बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1990 एवं तत् नियमावली 1993 के प्रावधानों के मद्देनजर तथा केन्द्रीय प्राधिकृत समिति की अनुशंसाओं के आलोक में आरा मिलों की आपसी वरीयता निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानक निर्धारित किये जाते हैं-

- (i) आरा मिलों की वरीयता का निर्धारण जिलावार किया जायेगा।
- (ii) वरीयता सूची तैयार करने में वैसे सभी आरा मिलों को सम्मिलित किया जायेगा जिन्हें पूर्व में विभाग द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त है। इस श्रेणी में वैसे आरा मिलों को भी सम्मिलित किया जायेगा जिनकी अनुज्ञप्ति विगागीय संकल्प संख्या 760 (ई.) के प्रावधानों के तहत अचयनित रह जाने के कारण रद्द कर दी गयी है और अपील नहीं दायर किया गया अथा अपील में कोई लाभ नहीं प्राप्त हो पाया। सूची में उन आरा मिलों को सम्मिलित किया जायेगा जिनके द्वारा बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1990 के तरह 20.10.2001 से पूर्व विधिवत आवेदन दिया गया परन्तु बिना कारण स्पष्ट किये आवेदन पर निर्णय लंबित रखा गया तथा अनुज्ञप्ति नहीं दी गयी। परन्तु उन मिलों को सम्मिलित नहीं किया जायेगा जिनकी अनुज्ञप्ति बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत रद्द कर दी गयी है।
- (iii) बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1990 की धारा 5 (बी) के अन्तर्गत आनेवाली आरा मिलों की वरीयता उनके उद्योग विभाग उच्चतम न्यायालय द्वारा संचिका संख्या 202/92 में दायर आई.ए.सं. 813-815 एवं अन्य में दिनांक 29.10.2004 को पारित आदेश के आलोक में इस नियम के अन्तर्गत केवल वे आरा मिल आयेंगे जिनका बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) नियमावली, 1993 के गजट प्रकाशन की तिथि अर्थात् दिनांक 04.09.1993 से तीस दिनों के अन्दर अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र तथा इसके साथ आवेदन शुल्क एवं प्रतिभूति राशि प्रमंडलीय में प्राप्त हुआ हो।
- (iv) उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य अनुज्ञप्ति प्राप्त आरा मिलों की वरीयता के निर्धारण में सर्वप्रथम अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन की तिथि को मान्यता दी जायेगी। आवेदन की तिथि का अर्थ है- बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) नियमावली 1993 के नियम 3 (2) के अनुसार आरा मिल की स्थापना एवं संचालन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन तथा रुपये 1000/- का अप्रत्यक्षणीय अनुज्ञप्ति शुल्क एवं 2000/- रुपये प्रतिभूति राशि के रूप में प्रमंडलीय कार्यालय में प्राप्ति की तिथि/आवेदन शुल्क अथवा प्रतिभूति राशि अगर नहीं जमा किया जाता है तब इनमें से जो सबसे बाद में प्रमंडलीय कार्यालय में प्राप्त हुआ हो उसके प्राप्ति की तिथि को आवेदन की तिथि माना जायेगा। वैसे मामले जिनमें आवेदन नियमावली के प्रकाशन के पूर्व ही दिया गया परन्तु नियमावली प्रकाशन उपरांत शुल्क एवं प्रतिभूति राशि जमा की गयी है तथा उन्हें अनुज्ञप्ति प्रदान की गयी है उन्हें भी समान मानते हुए वरीयता निर्धारण हेतु मान्यता प्रदान की जायेगी तथा आवेदन शुल्क अथवा प्रतिभूति राशि में जो भी सबसे बाद में प्रमंडलीय कार्यालय में प्राप्त हुआ हो उसके प्राप्ति की तिथि को आवेदन की तिथि मानते हुए वरीयता में स्थान दिया जायेगा। आवेदन आरा मिल स्वामी या सक्षम प्राधिकार (Power of Attorney-धारक) द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

जिन आरा मिलों को अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं है परन्तु उनके द्वारा बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 199 के तहत आवेदन दिया गया एवं बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1993 के तहत भी निर्धारण आवेदन पत्र, आवेदक शुल्क तथा प्रतिभूति राशि में जो सबसे बाद में प्रमंडलीय कार्यालय में प्राप्त हुआ हो उसके प्राप्ति की तिथि के आधार पर की जायेगी।

- (v) आवेदन की तिथि एक होने पर वरीयता के निर्धारण हेतु आरा मिल की स्थापना से संबंधित उद्योग विभाग में निबंधन की तिथि मानी जायेगी। आवेदन की तिथि तथा उद्योग विभाग में निबंधन की तिथि एक होने पर वाणिज्य कर विभागों में निबंधन की तिथि वरीयता का आधार होगी।
- (vi) जो आवेदन पत्र, आवेदन शुल्क एवं प्रतिभूति राशि के साथ दिनांक 29.10.2002 के बाद प्राप्त हुए थे उन्हें वरीयता के स्थान नहीं दिया जायेगा।
- (vii) स्वामित्व परिवर्तन
- (क) विरासत संबंधी मामले-यदि अनुज्ञप्ति के स्वामित्व में परिवर्तन विरासत (Inheritance) के क्रम में किया गया है तो वैसे मामले में आरा मिल की वरीयता वही रखी जायेगी जो पूर्व से है।
- ख) व्यक्तिगत मामले-ऐसे मामले जिसमें आरा मिल का स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष का है वहाँ उस व्यक्ति के मिल के स्वामित्व से पूर्णतया अलग हो जाने या मिल पर अपना नियंत्रण खो देने की स्थिति में उक्त मिल को वरीयता सूची में स्थान नहीं दिया जायेगा। अगर आरा मिल की अनुज्ञप्ति प्राप्ति के उपरांत वे अलग हो गये हैं तब वरीयता सूची में उन व्यक्तियों में से उस व्यक्ति को रखा जायेगा।
- (viii) स्थल परिवर्तन
- (क) यदि बिना अनुज्ञापन पदाधिकारी की अनुमति के आरा मिल का स्थल परिवर्तन आरा मिल स्वामी द्वारा कर लिया गया हो तो उन्हें औपबंधिक वरीयता में स्थान नहीं दिया जायेगा।
- (ख) अगर अनुमति प्राप्त कर भी स्थान परिवर्तन एक अनुज्ञापन पदाधिकारी के अधिकार क्षेत्र बाहर से हुआ है, तो ऐसे आरा मिल को वरीयता में स्थान नहीं दिया जायेगा।

(2) आरा मिलों के वरीयता निर्धारण हेतु प्रक्रिया

- (i) प्रत्येक वन प्रमंडल पदाधिकारी वरीयता निर्धारण के मापदण्ड के आलोक में आरा मिलों की औपबंधिक वरीयता सूची (सभी आवश्यक सूचनाओं सहित) तैयार कर (जिलावार) कार्यालय के नोटीस बोर्ड पर चिपकाते हुए 15 दिनों के अन्तर्गत आमंत्रित करेंगे। इस संबंध में प्रचार-प्रसार भी किया जायेगा।
- (ii) उपर्युक्त औपबंधिक वरीयता सूची से प्रभावित व्यक्ति 15 दिनों के अन्तर्गत अपना आपत्ति लिखित रूप में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी को देंगे।
- (iii) वन प्रमंडल पदाधिकारी औपबंधिक वरीयता सूची, आपत्ति के संबंध में तथ्यकथन संबंधित संचिका आदि चयन समिति के समक्ष उपस्थापित करेंगे। चयन समिति निम्न प्रकार गठित होगी।
- | | |
|-----------------------------------|------------|
| (क) प्रमंडलीय आयुक्त- | अध्यक्ष |
| (ख) संबंधित वन संरक्षक- | सदस्य |
| (ग) संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी- | सदस्य सचिव |
- (iv) सदस्य सचिव के अनुरोध पर अध्यक्ष द्वारा किसी वन प्रमंडल में आरा मिलों के चयन हेतु तिथि निर्धारित की जायेगी जिसकी सूचना अभिलेख उपस्थापित करने हेतु सदस्य सचिव को निदेशित किया जायेगा। सर्वप्रथम समिति के द्वारा प्राप्त आपत्तियों पर व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का एक मौका प्रदान करने के उपरांत निर्णय लेकर आदेश निर्गत किया जायेगा।
- (v) समिति द्वारा निर्णयोपरांत अध्यक्ष के हस्ताक्षर से जिले के लिये चयनित आरा मिलों की सूची प्रकाशित की जायेगी। प्रकाशित सूची की एक प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन

संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक एवं संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा आदेश की एक प्रति प्रमंडलीय कार्यालय के नोटीस बोर्ड पर चिपकाया जायेगा। इसकी प्रति वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा संबंधित वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को भी प्रेषित की जायेगी। किसी भी आरा मिल स्वामी द्वारा माँग करने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा सच्ची प्रति उपलब्ध करायी जायेगी।

- (vi) समिति का निर्णय अन्तिम होगा। चयन से व्यथित व्यक्ति चयन समिति के निर्णय के विरुद्ध आदेश निर्गत की तिथि से 30 दिनों के अन्तर्गत जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील दायर कर सकेंगे।

(3) अधिशेष आरा मिलों को बन्द करने की प्रक्रिया

जिलों में अनुमान्य संख्या को अनुरूप आरा मिलों के चयन के पश्चात अधिशेष आरा मिलों को बन्द करा दिया जायेगा। इस हेतु अधिशेष आरा मिलों को इस आशय का नोटीस भेजते हुए उन्हें सूचित किया जायेगा कि उनका आरा मिल अचयनित रह गया है। अतः 30 दिनों के अन्तर्गत मिल के अन्तर्गत काष्ठ भंडार का निष्पादन कर आरा मिल बन्द कर दें। यदि मिल स्वामी उसके पश्चात आरा मिल बन्द नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी। चयनित आरा मिलों में से जिला आरा मिलों को बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1990 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं है उन्हें अनुज्ञप्ति निर्गत करने से पूर्व केन्द्रीय प्राधिकृत समिति की स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

- (4) केन्द्रीय प्राधिकृत समिति के दिनांक 11.06.2008 को किये गये अनुशंसा के आलोक में राज्य के लिए आरा मिलों की पूर्व निर्धारित संख्या 1450 को बढ़ाकर 1919 किया जाता है।



उद्योग विभाग से मान्यता प्राप्त
तकनीकी परामर्शी संस्थानों की सूची

बिहार सरकार

उद्योग विभाग (तकनीकी विकास)

पत्रांक:-531 /पटना, दिनांक:-01.06.2009

4 तक निबंध-01/2006

प्रेषक,

निदेशक,
तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना
प्रबंध निदेशक,
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना
निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, पटना
प्रबंध निदेशक, बिसीको, पटना
प्रबंध निदेशक, बी.एस.एफ.सी., पटना
क्षेत्रीय प्रबंधक, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित
एन.आई.टी., पटना/एम.आई.टी., मुजफ्फरपुर
सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र
बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पटना
बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, पटना।

विषय:- तकनीकी परामर्शी सेवा हेतु उद्योग विभाग द्वारा परामर्शियों का निबंधन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि राज्य के अंतर्गत वृहत, मध्यम एवं लघु उद्योग की स्थापना हेतु साध्यता प्रतिवेदन/बाजार सर्वेक्षण प्रतिवेदन/तकनीकी आर्थिक अन्वेषण प्रतिवेदन बनाने के लिए निर्माकित परामर्शियों को उनके नाम के समक्ष अंकित विशेषज्ञता के क्षेत्र में सरकार से प्रदत्त शक्ति के आधार पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	तकनीकी परामर्शी का नाम	विशेषज्ञता का क्षेत्र
1.	मे. टी.एफ कन्सल्टेंट, द्वारा-जी. मंडल कंपनी, नियर-इंदिरा भवन, वेस्ट बोरिंग कैनल रोड, पटना।	फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज/ एग्रीकल्चर बेस्ड इण्डस्ट्रीज/ इन्फ्रास्ट्रक्चर इण्डस्ट्रीज/ टूरिज्म, इण्डस्ट्रीज/ हेल्थ केयर इण्डस्ट्रीज
2.	मे. जिटको (प्रा.) लिमिटेड (कन्सल्टेंट एण्ड इंजिनियर्स), जिटको हाउस, केदार नाथ रोड, मुजफ्फरपुर	मकैनिकल एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज इनोवेटिव बिल्डिंग मेटेरियल एण्ड लेदर इण्डस्ट्रीज

3.	मे. केयर कन्सल्टेंट, रविन्द्र प्रसाद सिंह C/o गौरव हार्डवेयर, कांटी फैक्ट्री रोड, एम.जी. नगर, कंकड़बाग, पटना-800020	केमिकल/प्लास्टिक/मेकेनिकल/फायर प्रिवेंशन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एण्ड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट इनक्लुडिंग प्लास्टिक वेस्ट
4.	मे. क्रियेटिव कंसल्टेंट श्याम श्री गारमेन्ट, एस.एन. पथ, जोगीपुर, नियर ऑयल डिपॉट, कंकड़बाग, पटना।	रासायन, जैव रासायन कृषि एवं खाद्य, ऊर्जा, गुणवत्ता जल।
5.	पायोनियर इण्डस्ट्रीयल एण्ड टेक्निकल कंसलटेन्ट (PITCO) हरिसभा चौक मुखर्जी सेमिनरी रोड, मुजफ्फरपुर	इंजीनियरिंग केमिकल, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक मात्र।

- भारत सरकार एवं राज्य के औद्योगिक संबंधी परामर्शी संस्थान एवं राष्ट्रीय संस्थान के अंतर्गत आनेवाली अनुसंधानशाला/प्रयोगशाला को स्वतः परामर्शी संस्था के रूप में निर्बंधित समझा जायेगा।
- अनुमोदन की यह अवधि पत्र निर्गत होने की तिथि से तीन वर्षों तक लागू रहेगा। इसके बाद इसके नवीकरण हेतु आवेदन देना होगा।
- सामान्यतः परामर्शी की स्वीकृति विशेषज्ञता के क्षेत्र के प्रतिवेदन ही स्वीकार किया जायेगा। विशेषज्ञता के क्षेत्र के बाहर प्रतिवेदन तैयार करने के लिए उन्हें विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।
- किसी परामर्शी फर्म के निबंधन की अवधि में भी उनके निबंधन को विखंडित करने का अधिकार सरकार को है।
- उपरोक्त अनुमोदित परामर्शी संस्थानों से उद्यमियों द्वारा तैयार कराये गये प्रतिवेदनों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार के प्रोत्साहन संकल्प के मुताबिक रहेंगे।

विश्वासभाजन,

ह./-

(महेश प्रसाद)

निदेशक, तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

तकनीकी परामर्शियों का उद्योग विभाग, बिहार, पटना में निबंधन हेतु आवेदन-प्रपत्र

1. तकनीकी परामर्शी का नाम एवं पूरा पता-
2. विशेषज्ञता का क्षेत्र:-
3. परामर्शी कार्य के लिए उपलब्ध विभिन्न विशेषज्ञों का ब्योरा (प्रबंधन विशेषज्ञ, विपणन विशेषज्ञ, वित्तीय विशेषज्ञ एवं तकनीकी विशेषज्ञ का ब्योरा:-

क्र. सं.	नाम एवं पूरा पता	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव का ब्योरा	विशेषज्ञ, परामर्शी के रूप में किये गये कार्यों का ब्योरा	आवेदक परामर्शी संस्थान से इन विशेषज्ञों का संबंध पूर्णकालीन	उन विशेषज्ञ का किसी अन्य परामर्शी संस्थान से संबंध पूर्णकालीन/अंशकालीन
1	2	3	4	5	6	7

क. प्रबंधन विशेषज्ञ

ख. विपणन विशेषज्ञ

ग. तकनीकी विशेषज्ञ

घ. वित्तीय विशेषज्ञ

4. आवेदित परामर्शियों द्वारा पूर्व में बनाये गये योजना प्रतिवेदन का ब्योरा:-

क्र.सं.	किन-किन विषयों के लिए योजना प्रतिवेदन अभी तक आवेदक परामर्शी द्वारा तैयार किया गया है।	प्रतिवेदन बनाने की तिथि	यदि परियोजना प्रतिवेदन बनाया गया हो तो उस योजना को कहीं पर स्थापित किया गया है या नहीं स्थापित किया गया है तो स्थापित किये जाने वाली योजना का नाम एवं पूरा पता	बनाये गये परियोजना प्रतिवेदन को कहीं यदि नहीं स्थापित किया गया हो तो उसका कारण
1	2	3	4	5

5. परियोजना प्रतिवेदन बनाने की परामर्शियों की शर्तें
6. अन्य विशेष सूचना जिससे निबंधन में सहायता मिल सके:-
7. परामर्शी के कार्य से अवगत दो विशिष्ट व्यक्तियों का नाम एवं पूरा पता जिससे परामर्शी के कार्य के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सके:-

मैं, आवेदक परामर्शी यह प्रमाणित करता हूँ कि इस प्रपत्र में दी गई सूचना सही है और मेरी परामर्शी संस्था को पहले कभी ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है, और न मेरी परामर्शी संस्था के कोई विशेषज्ञ किसी ऐसी संस्था से संबंधित है, जिन्हें विभागा द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया हो।

परामर्शी का हस्ताक्षर
(मुहर के साथ)

संकल्प

दिनांक - 24/06/2011

जन मानस की ऊर्जा आवश्यकताएँ निरन्तर बढ़ती जा रही हैं, परन्तु पारम्परिक ऊर्जा स्रोत इस बढ़ती हुई माँग की पूर्ति न कर सकने के साथ-साथ पर्यावरण पर भी दबाव डाल रहे हैं। अतः गैर पारम्परिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन एवं विकास पर बल देने की अत्यन्त आवश्यकता महसूस की जा रही है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के संवर्द्धन हेतु बिहार सरकार द्वारा 'गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विकास में विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु मार्गदर्शन सिद्धांत- वर्ष 2003' में निरूपित किये गये थे, जो वर्ष 2008 तक प्रभावी था।

बिहार राज्य में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की प्रचुर संभावनाएं हैं, जिनका अभी भी दोहन किया जाना शेष है, बिहार सरकार ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन के संवर्द्धन हेतु एक पुनरीक्षित नीति निर्धारण का निर्णय लिया है।

1.1 यह नीति “बिहार नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्द्धन नीति 2011” कही जायेगी।

1.2 यह नीति अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी। राज्य सरकार, आवश्यक समझे जाने पर इसमें संशोधन कर सकेगी। इस प्रकार के संशोधन के अधीन यह नीति अधिसूचना जारी होने की अवधि से पाँच वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी।

2.1 यह नीति बायोमास एवं बायोगैस आधारित परियोजना-सह-उत्पादन (को-जेनरेशन) परियोजनाओं, लघु/सूक्ष्म/छोटी पन-बिजली परियोजनाओं (25 मेगावाट तक) पवन ऊर्जा परियोजना, सौर परियोजनाओं, नगरीय ठोस अपशिष्ट आधारित परियोजनाओं एवं किसी अन्य नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत आधारित परियोजनाओं के साथ-साथ नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत के सभी प्रक्षेत्रों के संवर्द्धन हेतु लागू होगी।

2.2 यह नीति सभी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लागू होगी।

2.3 यह नीति किसी भी उद्योग, संस्था, निजी अभिकरण, साझेदारी (पार्टनरशिप) फर्म, कम्पनी, संकाय, पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय, सहकारी या पंजीकृत सोसाईटी (रजिस्टर्ड सोसाईटी), जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत संयंत्र लगाने एवं विद्युत उत्पादन करने के इच्छुक हों, के लिए लागू होगी।

3. भूमि

3.1 औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी भूमि उपलब्ध होने एवं विकासक द्वारा पहचान किए जाने पर राज्य सरकार की भूमि उपलब्ध कराए जाने विषयक नीति के अनुसार पट्टे (लीज) पर दी जायेगी।

3.2 परियोजना विकासक अपने स्तर पर निजी भूमि सीधे भू-स्वामियों से क्रय कर सकेंगे।

3.3 कृषि योग्य भूमि को गैर कृषि कार्य के व्यवहार हेतु अनुमति दी जाएगी।

4. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का कार्यान्वयन

4.1 परियोजना का अनुमोदन

- 4.1.1 परियोजना विकासक द्वारा आवेदन एवं स्थल विवरणी के अनुमोदन हेतु राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (एस.आई. पी.बी.) उद्योग विभाग, बिहार सरकार को प्राक्-सम्भाव्यता प्रतिवेदन और प्रयोज्य (लागू) प्रक्रिया फीस के साथ आवेदन देना आवश्यक होगा। ऐसे परियोजनाओं के आवेदन के मूल्यांकन एवं उसकी अनुशंसा के लिए, लघु/सूक्ष्म/छोटी पन-बिजली परियोजनाओं को छोड़कर जिसके लिए बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन (बी.एच.पी.सी.) नोडल एजेंसी है, बिहार रिन्युएबल इनर्जी डेवलपमेन्ट एजेंसी (ब्रेडा) नोडल एजेंसी होगी।
- 4.1.2 परियोजना विकासक को जो राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से परियोजना पर स्थल/स्थान चयनित किए बिना प्रस्तावित परियोजना पर सहमति प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें इस नीति के प्रभावी होने की तिथि से एक (1) माह की अवधि के भीतर स्थल चयन कर राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की सहमति हेतु सम्यक रूप से सूचित करना होगा।

4.2 ग्रिड इंटरफेसिंग एवं इवैक्यूएशन की व्यवस्था

- 4.2.1 परियोजना विकासक अनिवार्यतः कैपटिव परियोजना को छोड़कर अपनी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना से उत्पादित विद्युत का न्यूनतम 25 प्रतिशत की आपूर्ति बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/वितरण लाइसेंसधारी को प्रस्तावित करेगा, तथापि ऐसी विद्युत की आपूर्ति के प्रस्ताव पर स्वीकृति पूरी तरह बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/वितरण लाइसेंसधारी के विवेक पर निर्भर होगा।
- 4.2.2 ऐसी परियोजनाओं से ग्रिड को अथवा ग्रिड के माध्यम से तृतीय पक्ष को विद्युत की बिक्री के लिए परियोजना के विकासक को अपनी लागत पर प्रणाली का डिजाइन एवं निर्माण करना होगा, ताकि राज्य ग्रिड/विद्युत बोर्ड ग्रिड के साथ, विद्युत बोर्ड द्वारा निर्धारित विशिष्टताएं एवं प्रचलित तथा समय-समय पर यथा संशोधित इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड/बिहार ग्रिड कोड के अनुरूप इंटरफेसिंग हो सके।
- 4.2.3 परियोजना विकासक द्वारा निकटतम ग्रिड/उपकेन्द्र एक उत्पादित विद्युत को ले जाने (इवैक्यूएशन) हेतु मीटरिंग एवं सुरक्षा उपकरणों सहित संचरण प्रणाली परियोजना की पूंजीगत लागत के व्यय का वहन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किया जायेगा, जो राशि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को राज्य सरकार द्वारा पुनः प्रदान कर दी जायेगी। वशर्ते कि परियोजना विकासक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा उत्पादित बिजली में से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड या लाइसेंसधारी को कम से कम पचास प्रतिशत, न्यूनतम दो मेगावाट बिजली देने का प्रस्ताव देता है, अन्यथा बिजली को निकटतम ग्रिड/उपकेन्द्र तक पहुँचाने की परियोजना का पूरा खर्चा सारे मीटरों एवं सुरक्षात्मक उपकरणों की लागत सहित, परियोजना विकासक को वहन करना होगा।

4.3 विद्युत का विक्रय/हवीलिंग

- 4.3.1 परियोजना विकासक अपने उपयोग के बाद शेष उत्पादित विद्युत को राज्य ग्रिड/बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ग्रिड को बिक्री कर सकेगा, यदि शेष उत्पादित विद्युत् 1 मेगावाट से अधिक उपलब्ध हो।
- 4.3.2 परियोजना विकासक उत्पादित विद्युत की बिक्री तृतीय पक्ष को उत्पादित विद्युत का उपयोग उत्पादन स्थल पर अथवा अन्यत्र निजी उपयोग बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के नेटवर्क से लागू ओपेन एक्सेस प्रभार/अधिभार (सरचार्ज) एवं अतिरिक्त अधिभार (सरचार्ज) एवं बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित/अधिसूचित एवं समय-समय पर यथा संशोधित बिहार विद्युत विनियामक आयोग (ओपन एक्सेस के निबंधन एवं शर्तें) विनियामावली 2006 अनुसार कोई अन्य प्रभार के भुगतान पर कर सकेगा, बशर्ते, तृतीय पक्ष कम से कम 1

मेगावाट लेने वाला हाईटेन्शन उपभोक्ता हो। परियोजना विकासक ऐसी ऊर्जा के ओपेन एक्सेस एवं हवीलिंग के लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के साथ ओपेन एक्सेस एग्रीमेंट करेगा।

- 4.3.3 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की बिक्री परियोजना विकासक एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के बीच बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा यथा विहित विद्युत क्रय अनुबन्ध (पावर परचेज एग्रीमेन्ट-पी.पी.ए.) से संचालित होगी।

4.4 परियोजना का अनुश्रवण (मॉनिटरिंग)

- 4.4.1 इस नीति के प्रभाव में आने के बाद या राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के अनुमोदन की तिथि से जो भी बाद में हो सभी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित समय सारणी का पालन करेगी।

गतिविधियों के मील के पथर	कालाविधि
आर्थिक संवृत्ति तथा परियोजना के लिए संयंत्र एवं कल-पुरजे के क्रय हेतु पक्का आदेश तथा अपेक्षित अग्रिम भुगतान अथवा आपूर्तिकर्ता संवेदकों के साथ अपरिवर्तनीय साख पत्रों का खोला जाना।	8 (आठ) महीने
परियोजना के लिए संयंत्र एवं कल-पुरजे की कार्य स्थल पर अधिप्राप्ति	18 (अठारह) महीने
चालू होना एवं वाणिज्यिक प्रचालन (उत्पादन)	24 (चौबीस) महीने

कालाविधि की गणना इस नीति के अधिसूचित होने की तिथि अथवा राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा अनुमोदन की तिथि दोनों में से जो बाद में हो से की जायेगी।

- 4.4.2 राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा स्वीकृत सभी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को ब्रेडा/बी.एच. पी.सी. को अर्द्ध वार्षिक प्रतिवेदन देना होगा जिसके साथ विभिन्न विभागों/प्राधिकारों से प्राप्त यथा वांछित परमिट/स्वीकृति (क्लियरेन्स)/सहमति की प्रतियां और उपर्युक्त 4.4.1 में वर्णित गतिविधियों के लक्ष्य प्राप्ति के दस्तावेजी साक्ष्य भी होंगे। अर्द्ध वार्षिक प्रतिवेदन में संयंत्र की क्षमता प्रक्रिया में परिवर्तन के व्योरे और स्पष्टीकरण अथवा कोई अन्य ऐसी सूचना, जो परियोजना के चालू होने की तिथि को प्रभावी करेगी, भी शामिल की जायेगी।

- 4.4.3 राज्य निवेश पर्षद चालू किए जाने की समय-सूची को बढ़ा सकेगी और नयी समय सारणी दे सकेगी, बशर्ते कि :-

- (क) इसके पूर्व अन्य परियोजना विकासक को पुनरावलोकित परियोजना के लिए अनुमोदित/समनुदेशित नहीं किया गया हो।
- (ख) परियोजना विकासक कंडिका 4.4.1 के अधीन विहित अवधि की समाप्ति के 30 (तीस) दिन पूर्व परियोजना चालू होने में बिलम्ब के विश्वसनीय कारणों के उल्लेख के साथ राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद को आवेदन करे।
- (ग) राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा परियोजना विकासक के आवेदन में उल्लिखित कारणों को विश्वसनीय समझा जाय।

5. प्रोत्साहन एवं इनकी प्रयोजनीयता

सभी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन एवं इनकी प्रयोजनीयता निम्नांकित होगी।

- 5.1 सभी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित नीतियों के अधीन उपलब्ध लाभ पाने की हकदार होंगी।
 - 5.2 सभी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं प्रभावी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति एवं राज्य सरकार की अन्य इस प्रकार के अन्य नीतियों के अधीन आच्छादित सुविधाओं का उपयोग करने की हकदार होंगी।
 - 5.3 व्यवहार्य स्थलों को चिह्नित एवं चयन किए जाने के संबंध में ब्रेडा/बी.एच.पी.सी. द्वारा आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराई जायेगी एवं सहयोग दिया जायेगा।
 - 5.4 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना से उत्पादित बिजली विद्युत शुल्क से विमुक्त होगा।
 - 5.5 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु उपकरण एवं संयंत्र मशीनरी इंट्री कर से विमुक्त होंगे।
 - 5.6 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के प्रस्ताव हेतु भारत सरकार एवं/अथवा बिहार सरकार, इंडियन रिन्युएबल इनर्जी डेवलपमेन्ट एजेंसी (इरेडा) एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (एम.एन.आर.ई.) के दिशा निर्देश एवं प्रोत्साहन अथवा योजना अनुसार ऋण प्रस्तावित (ऑफर)/उपलब्ध कराया जायेगा।
 - 5.7 लघु/सूक्ष्म/छोटी पनबिजली योजनाओं से विद्युत उत्पादन की दशा में परियोजना विकासक द्वारा नहर के जल पतन (वाटर-फॉल) अथवा नदी के जल प्रवाह के उपयोग की अनुमति जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार की स्वीकृति एवं अनुबंध के पश्चात् दी जायेगी। किन्तु, जल की विमुक्त सिंचाई की मांग को देखते हुए की जायेगी।
 - 5.8 ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत के उत्पादन एवं वितरण सम्बन्धी विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-14 का प्रावधान सभी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लागू होगा।
- 6. विशेष छूट/बायोमास आधारित परियोजनाओं की प्रयोजनीयता**
- 6.1 परियोजनाओं के लिए बायोमास की उपलब्धता एवं निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद कुल समेकित क्षमता 2 मेगावाट से अधिक की बायोमास आधारित परियोजना के 25 किलोमीटर के दायरे में 2 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली किसी पूर्व स्वीकृत परियोजना की स्वीकृति नहीं देगी। किन्तु, राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के पास ऐसी परियोजना की क्षमता तथा किसी क्षेत्र में बायोमास की उपलब्धता को दृष्टिपथ में रख कर उपर्युक्त क्षेत्र में वृद्धि अथवा कमी करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
 - 6.2 परियोजना विकासक परियोजना की क्षमता निर्धारित करने एवं राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद को प्रस्ताव समर्पित करने के पूर्व संबंधित क्षेत्र में बायोमास उपलब्धता का आकलन करेगा।
 - 6.3 इस नीति के प्रभावी होने के पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित लागू होंगे।
 - 6.3.1 सभी संबंधित परियोजनाएं नोडल एजेंसी ब्रेडा का परियोजना की प्रगति एवं अद्यतन स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित करेगा।
 - 6.3.2 ऐसी परियोजनाओं को जिनके द्वारा कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं की गयी है, का पुनरावलोकन नोडल एजेंसी के द्वारा किया जायेगा और इसके बने रहने या निरस्तीकरण की अनुशंसा राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद को इस उद्देश्य से किया जाएगा कि उस क्षेत्र में अन्य गंभीर परियोजना विकासक को बायोमास आधारित परियोजना स्थापित करने की अनुमति दी जा सके।
 - 6.3.3 स्वीकृत परियोजनाओं के बीच बायोमास क्षेत्र के संबंध में यदि कोई विवाद हो जिससे इन परियोजनाओं की निरन्तरता प्रभावित होती हो तो परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर उपर्युक्त कार्रवाई राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा की जायेगी।

7. नवीकरणीय ऊर्जा क्रय आभार

- 7.1 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/वितरण लाइसेंसधारी, बिहार विद्युत विनियामक आयोग के नवीकरणीय क्रय आभार (आर.पी.ओ.) के अन्तर्गत सरकार की स्वीकृति के उपरान्त बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा स्वीकृत टैरिफ के अनुरूप निर्धारित न्यूनतम प्रमात्रा (क्वान्टम) से अधिक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत प्राप्त करने और आपूर्ति करने का प्रयत्न करेंगे। संचरण एवं वितरण प्रणाली में आवश्यक सुदृढीकरण एवं उन्नयन का कार्य बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/वितरण लाइसेंसधारी को संबंधित नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना से क्रय किये गये विद्युत की सीमा तक करना होगा।
- 7.2 जहाँ बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/वितरण लाइसेंसधारी बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों एवं शुल्क दरों पर उस नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन केन्द्र के विद्युत का क्रय करता हो वहाँ परियोजना विकासक संधारण/उत्पादन बंद रहने की अवधि में अपने लिए विद्युत उपभोग की अनुमति दी जाएगी, किन्तु, यदि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/वितरण लाइसेंसधारी उस विशिष्ट उत्पादन केन्द्र से विद्युत का क्रय नहीं करता हो तो बंद रहने/संधारण की अवधि में अपने उपभोग के लिए विद्युत प्राप्ति लागू यू.आई. (यथा केन्द्रीय विनियामक आयोग द्वारा स्वीकृत) दरों पर अधिकतम यू.आई. दर का 5 प्रतिशत जोड़ कर अथवा बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा ऐसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत क्रय हेतु स्वीकृत एवं लागू दर/शुल्क में से जो भी अधिक हो उस दर पर करेगा।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./-

(शम्भु नाथ मिश्रा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 2845/ पटना, दिनांक 24.06.2011

प्रतिलिपि :- उप सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। अनुरोध है कि प्रकाशित संकल्प की 500 प्रतियाँ ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार को भेजी जाए।

ह./-

(शम्भु नाथ मिश्रा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 2845 /पटना, दिनांक 24.06.2011

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव/राज्यपाल के सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी विभागों के सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार सरकार, पटना/बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग, पटना/प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य जल विद्युत निगम, पटना/निदेशक, ब्रेडा, पटना/मुख्य विद्युत अभियंता, ऊर्जा विभाग, बिहार पटना/मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय, ऊर्जा विभाग, पटना/सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली/सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, ब्लॉक नं.-14 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली/सदस्य, योजना आयोग, योजना भवन नई दिल्ली/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार (सी.ई.ए.) आर.के. पूरम, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(शम्भु नाथ मिश्रा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

RESOLUTION

Patna, Dated

The energy need of the populace is increasing by the day whereas the conventional source of energy is insufficient to meet the rising demand. Thereby adversely affecting the environment as well. Therefore, there is an urgent need to develop and exploit non-conventional and renewable sources of energy in the state. With a view to promote the power generation from New and Renewable Energy sources, Government of Bihar formulated a policy as "Policy Guideline for Private Sector Participation for Developing Non-Conventional Energy Sources" in 2003 which ended in 2008.

1. Title and enforcement

- ## 2. Scope & Coverage

- ### 3. Land

- #### 4. Implementation of New and Renewable Energy projects

- 286

- 4.1.1 The Project developer shall be required to submit the application to State investment Promotion Board (SIPB) Department of Industries, Government of Bihar along with a pre-feasibility report, applicable processing fee & site details. The nodal agency for evaluation and recommendation of the application for such projects shall be Bihar Renewable Energy Development Agency (BREDA) except for mini/micro/small hydro projects for which Bihar State Hydro Electric Power Corporation (BSHPC) shall be the nodal agency.
- 4.1.2 The project developers, who have received the project approval from SIPB without specifying the site/location of the proposed projects, shall be required to identify the site/location and duly inform about the same to SIPB for approval within a period of one (1) month from the date of notification of this policy.

4.2 Grid interfacing and evacuation arrangement

- 4.2.1 The project developer shall necessarily offer to supply to Bihar State Electricity Board (BSEB)/Distribution Licensee a minimum of 25% of power generated from the respective New and Renewable Energy project except for captive project. However the acceptance of such offer for supply of power shall be at the sole discretion of BSEB/Distribution Licensee.
- 4.2.2 The Sale of power from such generation project to the grid or using the grid for wheeling of power the third parties will require the project developer to design and construct the system at its own cost such that interfacing with the State grid/BSEB grid is done as per the latter's specifications & requirements/Indian Electricity Grid Code/Bihar Grid Code as applicable and amended from time to time.
- 4.2.3 The capital cost of transmission system for evacuation of power to the nearest grid/sub-station including all metering & protective instruments shall be born by BSEB which shall be reimbursed to BSEB by the State Government Provided that the project developer offer to supply BSEB/Distribution Licensee at least 50% subject to a minimum of 2MW of power generated from New and Renewable Energy project. Else the entire project cost of transmission system for evacuation of power to the nearest grid/sub-station including all metering & protective instruments shall be born by the project developer.

4.3 Sale/wheeling of Power

- 4.3.1 Captive power project developer may sell the generated power to the State grid/BSEB after the captive consumption, if the power available is more than 1 MW.
- 4.3.2 The project developer may sell to third party/utilize generated power at the place of generation or at any other place for the captive use, through BSEB network on payment of applicable Open Access charges surcharges & additional surcharge and any other charges as approved/notified by Bihar Electricity Regulatory commission (BERC) and as per BERC (Terms & Conditions for Open Access) Regulation, 2006 as amended from time to time provided that the third party must be an HT consumer procuring at least 1MW power. The project Developer shall execute an Open Access Agreement with the BSEB for availing open access and wheeling of such power.
- 4.3.3 The sale of electricity by the New and Renewable Energy project shall be governed by the Power Purchase Agreement (PPA) executed between Project Developer and BSEB as prescribed by BERC.

4.4 Project Monitoring

- 4.4.1 All New and Renewable Energy projects shall be required to adhere to the following schedule which is applicable from the date of notification of this policy or the date of SIPB approval whichever is later.

Activity milestones	Time period from zero date
Financial closure and placement of firm order for purchase of plant and machinery for the project and payment of requisite advance or opening or irrevocable letter of credit with suppliers/contractors	8 months
Receiving of plant and machinery for the project at site	18 months
Commissioning and commercial operation	24 months

*Zero date shall be date of notification of this policy or the date of SIPB approval whichever is later.

- 4.4.2 All New and Renewable Energy projects approved by SIPB shall be required to submit to BRED/BSHPC, the half yearly reports incorporating the copies of the permits/clearances/consents received from various departments/authorities, as applicable and documentary evidence for the achievement of the activity milestones mentioned at Clause 4.4.1 above. The half yearly report shall also include details and explanations on the changes in plant capacity process or any other relevant information which may affect the date of commissioning for project.
- 4.4.3 Provided that SIPB may extend the time schedule for commissioning and provide the new schedule if.
- (a) No other developer has been approved/assigned for the reviewed project:-
 - (b) The project developer makes an application to SIPB giving convincing reasons for delay in the completion of the project at least 30 days before the expiry of the prescribed period as under Para - 4.4.1
 - (c) The reasons given by the project developer in the application are found convincing by SIPB.

5. Incentives/applicability

The incentives and there applicability to all New and Renewable Energy project are as under :-

- 5.1 All New and Renewable Energy projects will be entitles for benefits available as notified from time to time under the policies of the Central/State government.
- 5.2 All New and Renewable Energy projects shall be entitled to avail the facilities available under prevalent Industrial Incentive Policy, and such other policies of the Govt. of Bihar.
- 5.3 BRED/BSHPC will provide necessary information and assistance regarding identification and selection of feasible sites.
- 5.4 The electricity generated from the New and Renewable Energy projects shall be exempted from electricity duty.

- 5.5 Entry tax on New and Renewable Energy sources devices and or equipment and or machinery shall be exempted.
- 5.6 Loans as per guidelines and incentives or schemes of the Government of India and or Government of Bihar, India Renewable Energy Development Agency (IREDA) and Ministry of New and Renewable Energy Govt. of India (MNRE) will be offered/ available for proposal of power generation through New and Renewable Energy Sources.
- 5.7 In case of power generation from mini/micro/small hydel schemes, project developer shall be allowed to use canal water-fall or river water flow subsequent to the approval and agreement with Water resources Department, Government of Bihar. However, the water will be released based on irrigation demand.
- 5.8 The provision of section - 14 of Electricity Act 2003 for generation and distribution of electricity in rural areas will be applicable of all New and Renewable Energy projects.

6. Special concessions/applicability for Biomass based projects

- 6.1 In order to ensure availability of biomass and sustainability of such projects having aggregate capacity of more than 2MW - SIPB shall not approve any other biomass based project within a radial distance of 25Km from the approved project. However, SIPB reserves the right to reduce or increase the above area, while keeping in view the availability of biomass in that area.
- 6.2 The project developer shall carry out the biomass assessment in the region before finalizing the capacity of the project and submitting the proposal for approval to the SIPB.
- 6.3 The following shall be applicable for those projects which have been approved before the coming into operating of this policy.
 - 6.3.1 All the projects have to submit a progress report and the current status of the project to the nodal agency concerned i.e. BREDA.
 - 6.3.2 Such projects which have not made any significant progress shall be reviewed by the nodal agency and the recommendation for the continuance or cancellation shall be provided to SIPB with an objective of allowing other serious promoters in that area to set-up biomass based projects.
 - 6.3.3 Among the approved projects, if there is a conflict of area of biomass which may effect the sustainability of these projects, based on the progress made in the projects, suitable measures will be taken by SIPB.

7. Renewable Energy Purchase Obligations

- 7.1 BSEB/Distribution Licensee shall endeavor to procure and supply the power from New and Renewable Energy Sources, more than the minimum quantum prescribed under the RPO obligations by BERC, with the approval of Government, in line with tariff approved by BERC. Due grid strengthening and up gradation in the transmission & distribution system shall be undertaken by BSEB/Distribution Licensee to the extent of power procured by BSEB/Distribution Licensee from respective New and Renewable Energy Project.

- 7.2 The project developer will be allowed to draw energy for their consumption during maintenance/shut down period of the project, where BSEB/Distribution Licensee is procuring power from that generating station, at the rate/tariff as approved by BERC for such New and Renewable Energy project. However, if BSEB/Distribution Licensee is not procuring power from that particular generation station, the drawl of energy for their consumption during shut down/maintenance period shall be at the applicable UI rate (as approved by CERC) plus 5% of maximum UI rate or the applicable rate/tariff as approved by BERC for purchase of power from such New and Renewable Energy project, whichever is higher.

Order :- Ordered to be published in the coming extra ordinary issue of Bihar Gazette for information to all

By the order of Governor of Bihar

Sd/-

(Shambhu Nath Mishra)

Joint Secretary
Deptt. of Energy.

Memo No. 2845 /Patna, Dated. 24.06.2011

Copy forwarded with C.D. and two hard copy to Deputy Secretary E-Gazatte cell, Biahrr, Patna with request to publish the resolution in the next issue of the extraordinary Gazette of Bihar and send 500 (Five hundred) copies of the same to this department.

By the order of Governor of Bihar

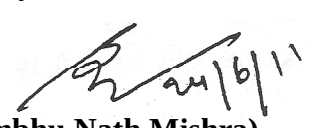
Sd/-

(Shambhu Nath Mishra)

Joint Secretary
Deptt. of Energy.

Memo No. 2845 /Patna, Dated. 24.06.2011

Copy forwarded to the Chief Secretary, Bihar/Principal Secretary to the Governor Bihar/ Principal Secretary to the Chief Minister Bihar/All Commissioner & Secretary Govt. of Bihar/ Chairman/Member/Secretary, Bihar Electricity Regulatory Commission Patna/Chairman/Member/ Secretary, Bihar State Electricity Board, Patna/Managing Director, Bihar Hydro-electric Power Corporation, Patna/Director, Bihar Renewable Energy Development Agency, Patna/Chief Electrical Engineer, Electrical Works Deptt. Patna/Chief Electrical Inspector, Electrical Inspectorate, Bihar, Patna/Secretary, Ministry of Power, Govt. of India, Sharam Shakti Bhawan, Raffi Marg, New Delhi/ Secretary Ministry of New & Renewable Energy Source, Govt. of India, Block no.-14, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi/Member of Planning commission, Planning Bhawan, New Delhi/Central Electrical Authority, R.K Puram, New Delhi for information and necessary action.


(Shambhu Nath Mishra)

Joint Secretary
Deptt. of Energy.